खण्ड-06 सत्र -05 (भाग-05) / अंक-57

बृहस्पतिवार 10 अगस्त, 2017 / 19 श्रावण, 1939 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

तीसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-05 (भाग-05) में अंक 55 के अंक 58 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा प्रिन्टो ग्राफ, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

सत्र-5 भाग (5) बृहस्पतिवार, 10 अगस्त, 2017/19 श्रावण1939 (शक) अंक-57

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची।	1-2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3-9
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	9-41
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	42-82
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	82-330
6.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	330-345
7.	ध्यानाकर्षण (नियम-54) (सरकारी अध्यापकों के चयन में अतिथि अध्यापकों को वरीयता के संबंध में)	345-379
8.	स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (स्वाईन फ्लू तथा संक्रामक रोगों के संबंध में)	379-387
9.	विधेयक का पुर:स्थापन: ''दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) संशोधन विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या-05)'' पर	387-406
10.	विधेयक पर विचार एवं पारण: ''न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या-05)'' पर	387-406
11.	विधेयक पर विचार एवं पारण: ''दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (वर्ष का विधेयक संख्या-04)''	387-406

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 भाग (5) बृहस्पतिवार, 10 अगस्त, 2017/19 श्रावण 1939 (शक) अंक-57

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचीः

1 श्री शरद कुमार

2 श्री संजीव झा

3 श्री पंकज पुष्कर

4 श्री पवन कुमार शर्मा

5 श्री अजेश यादव

6 श्री महेन्द्र गोयल

7 श्री सुखवीर सिंह दलाल

8 श्री ऋतुराज गोविंद

9 श्री संदीप कुमार

10 श्री रघुविन्द्र शौकीन

11 श्रीमती बंदना कुमारी

12 श्री राजेश गुप्ता

13 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

14 श्री सोमदत्त

15 सुश्री अलका लाम्बा

16 श्री आसिम अहमद खान

17 श्री विशेष रवि

18 श्री हजारी लाल चौहान

19 श्री शिव चरण गोयल

20 श्री गिरीश सोनी

21 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

22 श्री जरनैल सिंह

23 श्री राजेश ऋषि

24 श्री महेन्द्र यादव

25 श्री आदर्श शास्त्री

26 श्री गुलाब सिंह

27 सुश्री भावना गौड़

28 श्री सुरेन्द्र सिंह

29 श्री विजेंद्र गर्ग

30 श्री प्रवीण कुमार

31 श्री मदन लाल

32 श्री सोमनाथ भारती

33 श्रीमती प्रमिला टोकस

34 श्री नरेश यादव

35 श्री करतार सिंह तंवर

36 श्री प्रकाश

37 श्री अजय दत्त

38 श्री दिनेश भारद्वाज

39 श्री सौरभ भारद्वाज

40 सरदार अवतार सिंह कालकाजी

41 श्री सही राम

42 श्री नारायण दत्त शर्मा

43 श्री अमानतुल्लाह खान

44 श्री राजू धिंगान

45 श्री मनोज कुमार

46 श्री नितिन त्यागी

47 श्री एस. के. बग्गा

48 श्री अनिल कुमार बाजपेयी

49 मो. इशराक

50 श्री श्रीदत्त शर्मा

51 श्री चौ. फतेह सिंह

52 श्री जगदीश प्रधान

53 श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 भाग (5) बृहस्पतिवार, 10 अगस्त, 2017/19 श्रावण 1939 (शक) अंक-57

सदन अपराह्न 2.10 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन, स्वागत।

मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता, ने प्रतिपक्ष से एक कार्यस्थगन प्रस्ताव तथा नियम 54 के अन्तर्गत श्री सिरसा जी, नितिन त्यागी जी, श्री मनोज कुमार जी से ध्यानाकर्षण तथा श्री जरनैल सिंह से अल्पकालिक चर्चा की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। कार्यस्थगन के विषय पर पहले ही ध्यानाकर्षण लगा हुआ है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि नियम 54 के अन्तर्गत एक ही बैठक में एक से अधिक विषयों को नहीं उठाया जा सकता।

मैंने आज एक ध्यानाकर्षण की सूचना को स्वीकृति दे दी है। इसलिए अन्य सूचना पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त आज एक विधेयक प्रस्तुत किया जाना है तथा दो विधेयक पारित होने हैं तथा एक ध्यानाकर्षण और एक अल्कालिक चर्चा सूचीबद्ध है। कल भी सदन का समय शोर-शराबे में व्यर्थ हुआ। इसलिए आज कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। अब प्रश्न काल श्री राजेश गुप्ता जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं भई, नहीं, अलका जी प्लीज।

...(व्यवधान)

सुश्री अल्का लाम्बा : अध्यक्ष जी, महिलाओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी होती रही। सबसे ज्यादा दु:ख हम महिलाओं को होता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं अल्का जी, आप बैठिए, प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बा : इसी वजह से विधायक इस सदन से सस्पेन्ड है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई अलका जी, देखिए, मैंने इजाजत नहीं दी। आप बैठिए। आप मुझे टी-ब्रेक में मिलिएगा। अलका जी, आप टी-ब्रेक में मुझे मिलिए।

...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा : सबसे परिवार, अपने-अपने बच्चे होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, मैं साढ़े चार बजे इस पर खुद वक्तव्य दूंगा। भई, अभी बैठिए। साढ़े चार बजे। अलका जी, अभी मैं रोक रहा हूं, प्लीज, मैं रोक रहा हूं। चार बजे मिलिए टी-ब्रेक में। नहीं, अब बात हो गयी। देखिए, आपने मुझे दिया है न, कुछ मैटर दिया है न। हां, उस पर आपने जो मुझे दिया है, संज्ञान में लायें हैं। मैंने बुलाया है, मैं बात करूंगा। अभी मैंने बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखो सिरसा जी, मैंने समय, मैं साढ़े चार बजे। प्लीज मैं साढ़े

चार बजे। मै साढ़े चार बजे जो आपने रिक्वेस्ट की है। भई देखिए, ऐसा है सिरसा जी, विजेन्द्र जी, बन्दना जी बैठिए, राजेश जी बैठ जाइए। आप प्लीज बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने अभी दो मिनट रूकिए। सिरसा जी, उनका तो नाम बोला है। भई मैंने उनका नाम बोला है। ऐसा है। देखिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। दो मिनट में आप मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज। आप मुझसे मिले थे। बड़ी शालीनता से बात हो गयी है। मैंने सम्बन्धित विधायक को बुला लिया। बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनको चार बजे का समय दिया दुबारा से। विजेन्द्र जी, आपने मुझे लिखके दिया है न। या तो मुझ पर विश्वास रखिए। नहीं, मैं करूंगा उस पर क्या करना है। मैं बात तो कर लूं। कार्रवाई खाली आपके देखने से तो नहीं करूंगा। अगर ये बात आयेगी तो फिर निर्णय नहीं हो पायेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने मुझे लिखके दिया है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। समय नहीं मिला। 10 मिनट का भी समय नहीं मिला।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने रोका हुआ है सबको। रोका हुआ है भाई। राजेश गुप्ता जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर आज, भई ये देखिए, सिरसा जी या तो फिर मुझ पर छोड़ दीजिए। आप लोगों ने मुझे लिखित में दिया है तो फिर सदन का समय मत खराब करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अरे भाई मैं उसकी जांच तो कर लूं। क्या है क्या नहीं। नहीं ऐसे नहीं होगा। ना वो विषय नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एलाउ नहीं या तो फिर विजेन्द्र जी या तो मुझे लिख के नहीं देते। आपने मुझे लिखके दिया है। लिखित में मेरे पास आ गया है। लिखित में मेरे पास आ गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने बोल दिया उस पर। अपनी उस पर। देखिए विजेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी मैंने सुन लिया। नहीं ये मामला फिर से नहीं चल पायेगा। प्लीज ऐसे नहीं चल पायेगा। मैं चार बजे मेरे साथ बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई बन्दना जी, देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक बार मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए प्लीज। आपने मुझे 10 मिनट भी नहीं दिए। दो बजने में आप मेरे पास आये। शालीनता से मैंने बात सुनी। आपने लिखके दिया। मैंने आपका वीडियो भी देखा। इमीडिएट मैंने आपके जाने के बाद सम्बन्धित विधायक को बुलाया, बातचीत की। मैंने उनसे कहा की चार बजे आप मेरे चेम्बर में मिलें और मैं आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। पूरी बात मैं कर रहा हूं। सचिवालय में जो भी कुछ इस सम्बन्ध में रिकार्ड है। मुझे क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं, मैं बैठ करके चार बजे निर्णय ले लूंगा और मैंने कहा है। मैं साढ़े चार बजे वक्तव्य भी दूंगा। इस विषय पर।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब विजेन्द्र जी, अब नहीं। प्लीज न ऐसे नहीं। ये स्टार्ड क्वेश्चन का समय कल भी खराब हुआ आज फिर खराब होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है नियम। मैंने देख लिया है। मैं, अरे भाई दो घण्टे भी नहीं रूक सकते? दो घण्टे आप नहीं रूक सकते?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी ये स्टार्ड क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण मामला है इस सदन के लिए।

विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी ये रूल 67 जो है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश गुप्ता जी। भई मैंने सुन लिया है। मैंने पूरी बात सुन ली है। मै। बात बढ़ाना नहीं चाहता। उधर से कुछ आयेगा, इधर से कुछ आयेगा। चलिए। किसमें कह रहे हैं आप?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें टाईम आप देख लीजिए। क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। member wishing to raise such a question, just a minute, मैं पढ़ रहा हूं। member wishig to raise such a question. मैं पढ़ लिया था। मैं नहीं कोट करना चाह रहा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के कितने केसेज आप...

अध्यक्ष महोदय : अरे भाई तीन घण्टा मिनिमम टाईम है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये तो आपकी डिसक्रीशन है न।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। नहीं विजेन्द्र जी। नहीं, मैं एलाउ नहीं कर रहा। अभी मैं चार बजे के बाद डिसीजन लेके हम, सिरसा जी, हम दो घण्टे नहीं रूक सकते। नहीं, खत्म नहीं होगी। मुझे बताइये चार घण्टे चल जायेगी? और सदन को मुझे... प्लीज। राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दो घण्टे नहीं रूक सकते। मैंने दो घण्टे का समय मांगा है। मैं साढ़े चार बजे निर्णय लूंगा। आपको भी बुला रहा हूं। मैं चार से साढ़े चार में निर्णय लूंगा कि क्या करना है।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा : हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समय बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अरे भाई, सिरसा जी, मेरी बात को एक बार समझ लीजिए। सुनने का प्रयास करिए। आपने मुझे कम्प्लेण्ट दी। मैंने विदिन दस मिनट्स सम्बन्धित विधायक को बुलाया। इससे जल्दी नहीं कर सकता था और मैंने चार बजे

उनको समय दिया। चार बजे आपको बुला रहा हूं और इस सारे विषय पर तब तक मैं सेक्रेट्रिएट से चर्चा भी कर लूंगा। चर्चा करके बैठ के एक बार निर्णय कर लेंगे। आपने बड़े अच्छे वातावरण में बात कही। हम सदन को किस ढंग से चलाना चाहते हैं। एक दूसरे की दुश्मनियों से, प्यार से तो ये जो बात वहां कही है, उस बात को मैं यहां कह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं। इसको, मैंने कहा साढ़े चार बजे मैं अपना निर्णय सुना दूंगा। चर्चा नहीं कह रहा हूं मैं। मुझे निर्णय लेना है। जो निर्णय लेना है, वो मैं सुना दूंगा। मैं चार बजे बैठ के, आपसे बात कर लूंगा न भईया! चलिए, मैं करता हूं। बैठ के बात कर लेंगे प्लीज। हां, राजेश जी। प्रश्न सं. 41

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री राजेश गुप्ता : धन्यवाद अध्यक्ष जी, प्रश्न नम्बर 41 प्रस्तुत है:

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूरी दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने का प्रस्ताव था;

(घ) अब तक इनके न खुलने के क्या कारण हैं;

(ङ) दीपचंद स्मारक अस्पताल किस तारीख तक पूरी तरह क्रियाशल हो जाएगा;

(च) क्या यह सत्य है कि जच्चा-बच्चा वार्ड अल्ट्रासाउंड, आईसीयू, वेंटीलेटर आदि जैसे महत्वपूर्ण उपकरण अब तक खरीदे ही नहीं गए हैं; और

(छ) ये सब पूरी तरह से क्रियाशील किस तारीख तक हो जाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-41 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां,

(ख) दिनांक 01.08.2017 तक कुल 162 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक शुरू किए जा चुके हैं। इन 162 में से:-

1. 102 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (पॉयलट प्रोजेक्ट) किराए के भवनों में चल रहे हैं;

2. 60 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक पोर्टा केबिन में चल रहे हैं;

उपरोक्त के अतिरिक्त 53 जगहों पर कार्य प्रगति पर है। अन्य आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक के लिए उपयुक्त जगह चिन्हित की जा रही है;

(ग) व (घ) विधानसभा क्षेत्र में खुलने वाले मोहल्ला क्लीनिक्स की संख्या निर्धारित नहीं है।

वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार 15 स्थानों पर मोहल्ला क्लीनिक्स खोलने हेतु निरीक्षण किए जा रहे हैं। प्रत्येक वार्ड में 3 से 4 मोहल्ला क्लीनिक्स खोलने की योजना है। इस प्रकार एक विधान सभा में लगभग 12 मोहल्ला क्लीनिक्स खोले जा सकते हैं। वजीरपुर विधान सभा में लगभग 12 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का विचार है जिसमें से चार अभी चल रहे है। वर्तमान में निम्नलिखित मोहल्ला क्लीनिक्स का कार्य प्रगति पर है:-

1. वजीरपुर, जे.जे. कालोनी

2. वजीरपुर, सेवा समिति

3. ए-2/131, केशवपुरम्

4. सी-3/76, केशवपुरम्

ये अभी चार चल रहे हैं। बाकियों के लिए जमीन के लिए अभी कोशिश की जा रही है। जल्दी ही जमीन मिलती है तो उसको स्टार्ट किया जायेगा; और

(ङ), (च) व (छ) : 04 आई.सी.यू., वैंटीलेटर एवं 01 ट्रांसपोर्ट वैंटीलेटर केन्द्रीय क्रय एजेंसी के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं तथा पूर्ण रूप से उपयोग में लाए जा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन, ओ.टी. लाईट एवं वर्क स्टेशन की मांग सी.पी.ए. को भेजी जा चुकी है और सितम्बर तक ये सारी चीजें आ जाएगी ओ.टी. सितम्बर तक स्टार्ट हो जाएगा तथा जैसे ही सी.पी.ए. से उपकरण प्राप्त होंगे, ओ.टी. आरम्भ कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेन्ट्री राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो एक हजार मोहल्ला क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव था और डब्ल्यूएचओ से लेकर युनाइटेड नेशंस के एक्स जनरल सेक्रेटरी ने भी जिसकी तारीख करी। 'द लेन्सेट' ने जो लिखा है:- Local govt. scheme to provide better primary care coverage in India's capital territory is providing popular with evidence but central govt. does not think so. इसमें यह लिखा है, जो मैंने बताया आपको। तो इसमें प्रोब्लम क्या है, आज ढाई साल हो गए जनता में हम जा-जा कर कह रहे हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी यह भी बतायें कि कितनी ओपीडी उसके हो गई है आज तक और जब वो अच्छे चल रहे हैं तो बाकी खोलने में व्यवधान कहां है, कहां रुके हुए हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : लगभग एग्जेक्ट नंबर अभी ध्यान है, लगभग 50 लाख ओपीडी मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा की जा चुकी है और इसमें जो मोहल्ला क्लिनिक कांसेप्ट को कैबिनेट में अप्रूवल दी गई थी, लगभग चार कैबिनेट नोट हैं, जिनकी अप्रवूल माननीय एलजी महोदय से फाइनल अप्रूवल मिलनी है। 4 अगस्त, 2016 के आदेशानुसार हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी कैबिनेट नोट है, उनको एक बारी एलजी साहब से अप्रूवल लेना पड़ता है। अभी एलजी साहब की अप्रूवल की वेट की जा रही है। जैसे ही अप्रूवल मिलेगी, जैसे मैंने अभी बताया था, 53 मोहल्ला क्लिनिक बने हुए तैयार खड़े हैं, उनको भी स्टार्ट किया जाएगा, बाकी भी स्टार्ट किए जाएंगे।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष जी, एक और सप्लीमेंट्री है। जो दीपचंद बंधु हॉस्पिटल को लेकर है जो उसमें लगाया भी है। इसमें यह बताया गया था कि इनको 200 से 400 बैड कर दिया जाएगा और पूरी दिल्ली में भी कहा गया था कि 10 हजार बैड को बढ़ा कर 20 हजार कर दिया जाएगा। अभी तक इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या रुकावटें हैं और जैसा कि दीपचंद बंधु में बताया कि आईसीयू आ गए हैं, वेंटिलेटर के बैड हैं लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जैसे एनस्थीसिया के स्टेशन हैं, वो भी नहीं हैं तो इसमें क्या, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि रुकावट कहां है, मोहल्ला क्लिनिक जैसी अच्छी चीजें, 200 से 400 बैड, जब पैसे की तो कमी है नहीं, तो यह प्रॉब्लम है कहां? कहां रुकी हुई है, अगर अच्छे तरीके से स्वास्थ्य मंत्री जी बता दें?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि 10 हजार से 20 हजार बैड करने वाली जो बात है, जितने हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं, सब के प्लान तैयार हो चुके हैं लगभग एक वर्ष से उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और ऐस्टिमेट सैंक्शन का प्रोसेस चल रहा है और काफी दु:खद है, जो सरकार के प्रोसेसेस हैं और जिस तरीके के काम लोग कर रहे हैं तो एक साल हो गया लगभग, अभी तक अप्रूवल नहीं मिल पाई है। आशा है कि शायद इस महीने के अंत तक अप्रूवल

मिलेगी और उन कामों को स्टार्ट किया जाएगा। दीपचंद बंधु में ही नहीं, बाकी सभी अस्पतालों के अंदर है और इस तरह के क्वेशन जो पूछे जा रहे हैं कि यह क्यों किया जा रहा है, कुछ आफिसर इसके ऊपर लिखकर देते हैं कि बताइये कौन सा नॉर्म है, जबकि बताया गया इसी सदन के अंदर बजट भाषण के अंदर वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम 10 हजार से 20 हजार बैड करेंगे, फिर भी कुछ ऑफिसर्स को लगता है कि यह काम दिया गया है अड़ने अड़ाने का, बार-बार मीटिंगें की जा रही है और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि इन चीजों को जो बीच में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, उनका सॉल्यूशन किया जाएगा और जल्द से जल्द इसको स्टार्ट किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : एनी सप्लीमेंट्री? हां, विशेष जी।

श्री विशेष रवि : सर, जितने क्लिनिक्स अभी तक चल रहे हैं, जो इस समय अलग-अलग क्षेत्रों में चल रहे हैं, उनमें महंगे सामान हैं, ऐसी, फर्नीचर वगैरह है और इन सब क्लिनिक्स की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि यहां पर सिक्योरिटी गार्ड इनमें डिप्यूट नहीं हो पाए हैं तो अगर मंत्री जी बता सकें कि ये गार्ड कब तक डिप्यूट हो जाएंगे वहां पर?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने अभी बताया कि जितने भी मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट हैं, इसकी फाइनल अप्रूवल एक बार तो एलजी साहब ने कर दिया था, जिसको अधिकारियों ने मानने से मना कर दिया, वो कहते हैं नहीं जी, दोबारा एलजी साहब से दिखाइयेगा, वो दोबारा लिखकर अप्रूव करेंगे तभी मानेंगे। अभी अप्रूवल अवेटेड है, तब तक के लिए दिक्कत आ रही है और जो चल रहे हैं उनको चलाने में भी बहुत समस्या पैदा हो रही है।

मैं सदन को बताना चाहूंगा, मैंने कहा था 102 हमारे रेंटेड प्रोमाइसेज हैं, उनके अंदर लैब फैसिलिटीज हैं, लैब चल रही है तो मैंने कहा 61 में भी कर दीजिएगा, वो करने को तैयार नहीं, वो कहते हैं एलजी साहब से अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद ही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री साहब से पूछना चाहूंगा कि पहले टर्म के अंदर जितने भी मोहल्ला क्लिनिक खुले थे, उनके अंदर सभी टेस्ट हो रहे हैं लेकिन सेकेंड टर्म के अंदर जितने भी मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, उनके अंदर टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसके क्या कारण हैं और जनता क्यों सफर कर रही है, यह माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि एलजी साहब की परमिशन की वेट की जा रही है, जैसे ही परमिशन मिलेगी, वो कर देंगे। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सभी मोहल्ला क्लिनिक, पॉलिक्लिनिक, डिस्पेंसरीज सभी के अंदर अभी टेस्ट, जैसे डिस्पेंसरीज में भी नहीं होते हैं तो उन सब के टेस्ट कराने के लिए हमने एक टेंडर फ्लॉट कर दिया है और लगता है कि एक डेढ़ महीने में सभी जगह पर टेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 200 टेस्ट जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक में होते हैं, सभी हेल्थ फैसिलिटीज में 200 टेस्ट किए जाएंगे।

श्री महेन्द्र गोयल : जनता हमसे यह भी पूछती है कि यह किसका कार्य है?

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी, एक ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, प्लीज। क्रॉस नहीं और ज्यादा नहीं, प्लीज।

श्री ऋतुराज गोविंद : सर, मोहल्ला क्लिनिक...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने हाथ खड़ा किया है? आप बैठेंगे? बैठ जाइये नीचे। अभी मैं नाम बोल रहा हूं जिनके हाथ खड़े हैं, ऐसे नहीं। सही राम जी।

श्री सही राम : अध्यक्ष जी, मंत्री जी क्या यह बताएंगे कि जो मोहल्ला क्लिनिक आज के समय में चल रहे हैं, उनमें बाथरूम और पानी पीने की व्यवस्था है क्या?

अध्यक्ष महोदय : पीने के पानी की व्यवस्था जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं?

श्री सही राम : और बाथरूम का भी।

अध्यक्ष महोदय : सिक्योरिटी गार्ड का आ गया है प्रवीण जी।

स्वास्थ्य मंत्री : सभी मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर टॉयलेट का, पानी का इंतजाम किया गया है। अगर कहीं पर नहीं है तो आप मुझे बतायें, उसके लिए जरूर प्रबंध किया जाएगा। आज कैबिनेट में मोहल्ला क्लिनिक चलाने का जो काम था, वो मिशन डायरेक्टर को दिया था, परंतु अभी तक, क्योंकि एलजी साहब की अप्रूवल नहीं मिली है, वो मिशन डायरेक्टर के पास नहीं जा पाया, तो अब उसकी मॉनीटरिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। डीजीएचएस उसको देख रहे हैं और बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है जो ये दिक्कते हैं, जो आपने बताई हैं, हो सकता है किसी मोहल्ला क्लिनिक में पानी की दिक्कत हो।

अध्यक्ष महोदय : नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अभी सिक्योरिटी गार्ड की बात हुई, लाडो सराय गांव में मोहल्ला क्लिनिक में दो बार चोरी हो चुकी है। ऐसी चोरी हो गया है, वहां का एलसीडी चोरी हो गया है और बड़ी मतलब...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका तो उत्तर दे दिया है मंत्री जी ने।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष जी, वो तो एक जनरल बात थी कि सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह उसमें आ जाता है।

श्री नरेश यादव : लेकिन मैं तो बिल्कुल एक इंसिडेंट जो घटी है, वो मैंने बताया है।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों को दोबारा से बताना चाहूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक, एक मिनट सुन लीजिएगा नरेश जी, मोहल्ला क्लिनिक तो उसके बारे में चार या पांच कैबिनेट नोट हैं अलग-अलग, अलग-अलग कामों को करने के लिए। मेरी समझ के हिसाब से वो एलजी साहब के पास फाइल गई थी, उन्होंने अप्रूव कर दिया था पर ऑफीसर्स ने कहा कि उन्होंने क्योंकि स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि सारे अलग-अलग अप्रूव, सारी फाइलें इकट्ठी गई थीं। कहते हैं उन फाइलों को दोबारा भेजा जाए। वो फाइलें दोबारा भेज दी गई है, अभी तक अनुमति नहीं मिली है। जब तक अनुमति नहीं मिलेगी ये सारी समस्याएं रहेंगी और आगे कोई कार्य सम्भव नहीं हो रहा।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाह रहा था कि...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, आपको मौका सप्लीमेंट्री का मिल चुका है। सदन की थोड़ी गरिमा बना कर रखिये। प्लीज बैठिये।

श्री राजेश गुप्ता : सर, वैसे तो काम ही नहीं होगा आगे।

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश त्रिपाठी जी।

श्री राजेश गुप्ता : सर, अखिलेश त्रिपाठी जी तो नहीं है यहां पर, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैंने जो सवाल पूछा, उसका हरेक का जवाब यह आया है, जितने बाकी साथियों ने पूछा कि एलजी साहब के पास में रुका हुआ है तो इस तरीके

से तो काम ही नहीं होगा। अगर हर सवाल का जवाब यह आ रहा है तो इसका सदन कोई तरीका निकाले या तो...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने...

...(व्यवधान)

श्री राजेश गुप्ता : मतलब यह क्या तरीका हुआ, मतलब हर बात एलजी साहब, एलजी साहब!

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविंद : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज जी, आप अपनी सीट पर बैठिये। आप अपनी सीट से बात करिये, आगे मत जाइये। सीट से बात करिये। मैं रोक रहा हूं उनको, मैंने बोला है ना, नाम लेकर।

श्री ऋतुराज गोविंद : XXX[1]

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज जी, बैठिये। यह कार्यवाही से निकाल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ये निकाल दीजिए कार्यवाही में से, निकाल दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज जी।

...(व्यवधान)

XXX[1] चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, गड़बड़ हो रहा है ये सब ठीक नहीं हो रहा है। सुनिये, मैं नहीं रोक सकता।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : सरकार फेल हो चुकी है। सत्ता पक्ष... मंत्री बना नहीं पाया। सत्ता पक्ष के लोग...(व्यवधान) के नहीं है फिर भी मना कर रहे हैं, बताइये।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं न एक तरफ तो ये कहते हैं कि आप जाइये, तीनों के तीनों जाइये। एलजी साहब के पास आज साइन कराकर लाइये, उनसे पता लगेगा आपको। एक तरफ तो पॉलिटिक्स खेलते हो, दूसरी तरफ से कहते हैं कि आप जाइये एलजी के पास। आप उनसे साइन कराकर लाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, बैठिये आप। नहीं, नहीं, आप बैठिये। एक सेकेंड ऋतुराज जी, आप बैठ जाइये प्लीज। विजेन्द्र जी, बैठिये जरा। आप बैठिये, दो मिनट में बोल रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, इसको इस ढंग से मत करिए कि विषय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और मंत्री जी का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि फाइल एलजी के पास से नहीं आई। एलजी ने उस पर हस्तारक्षर नहीं किए। वो एक एक चीज का उत्तर दे रहे हैं, बराबर ठीक ढंग से उत्तर दे रहे हैं। अब पता नहीं, हम सदस्य क्यों उत्तेजित हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं, ये जब आपने डिसाइड किया है, मोहल्ला क्नीलिक जो आप बना रहे थे, तब तो वाहवाही आप ले रहे थे, अब नहीं बना रहे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकेंड, विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए पहले। या तो माननीय मंत्री जी, या आप बोल लीजिए। ऋतुराज जी, समझ में नहीं आती बात! अच्छा भला सदन चल रहा है, आप खराब कर रहे हैं उसको। देखिए विजेन्द्र जी मेरा ये कहना है कि मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, आपको लगता है कि असत्य है स्टेटमेंट उनका। फाइलें एलजी के पास नहीं है। उन्होंने किसी को दोषी नहीं, उन्होंने कहा फाइलें एलजी के पास हैं। नहीं वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है बकायदा। हां, एलजी के पास फाइलें हैं। दोबारा चली गईं। अधिकारियों ने उसमें...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : एलजी के पास फाइल जाने की जरुरत ही नहीं है। आप बना रहे थे क्लीनिक बनाइये।

अध्यक्ष महोदय : कमाल की बात है! अब आप दोनों हाथ में लड्डू रखेंगे! एलजी के पास आप जाकर आब्जेक्शन लगवाते हैं। आप एलजी के पास जाकर रोकते हैं। आप एलजी के पास जाकर सारा काम रोकते हैं। आप जब देखते हैं एलजी के पास चले जाते हैं उठकर। नहीं, आप जब चाहते हैं तब एलजी के पास चले जाते हैं उठ कर। समितियां भंग करिए। आप जब चाहते हैं, फाइलें रोक देते हैं। बैठ जाइये सिरसा जी, ऐसे नहीं चल पाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको उचित लगता है मोहल्ला क्लीनिक आपको समझ में आता है दिल्ली की जनता के हित में है? दिल्ली की जनता के लिए बनना चाहिए? तय कर लीजिए, पांच आदमी चलें एलजी के पास जिसमें नेता विपक्ष भी

चलें, क्यों फाइल रुकी हुई है। दिल्ली की जनता के हित में चलिए। आप ट्विस्ट कर देते हैं विषय को।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, हमें जहां भी ले जाना चाहो, हम दिल्ली के हित में जाने को तैयार हैं। अध्यक्ष जी, हमें एलजी के पास ले चलो, हमें प्रधानमंत्री के पास ले चलो।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, हमें दिल्ली के हित में जहां पर ले जाना चाहते हो...

अध्यक्ष महोदय : भई सिरसा जी, मैं इस क्वेश्चन को खत्म कर रहा हूं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : हम एलजी के पास भी जाने को तैयार हैं। हम प्रधानमंत्री के पास जाने को भी तैयार हैं। पर हम तो बोले ही नहीं कुछ, विषय तो उनके लोगों ने उठाया हम तो चुप बैठे हैं। विषय तो ये है, चोरियां हो रही हैं। ये फेल हो गया। इसमें एलजी का क्या काम है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने क्या उत्तर दिया?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मैं तो कह रहा हूं जो मर्जी हम तो बोल नहीं रहे, हम तो चुप बैठे हैं। हमारा काम भी नहीं था बोलना उसमें वो बोल रहे थे लेकिन वो तो जबरदस्ती हमें ब्लेम करने पर आ रहे हैं। हमारे से लड़ने को आ रहे हैं। फेलियर सरकार का है, सरकार का फेलियर सरकार मान रही है फेलियर है, हम तो चुप बैठे हैं। हम तो इसलिए चुप बैठे थे ये आपस में लड़े जा रहे हैं आपस में एक दूसरे को फेल बता रहे हैं, हम क्यों बोलें!

अध्यक्ष महोदय : भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 43 प्रस्तुत है:

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए समीपस्थ सेक्टर 9, 10, 11, 12 व 21 के मेट्रो स्टेशनों के लिए मेट्रो फीडर बस जैसा कोई परिवहन-संपर्क है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा;

(ग) यदि नहीं, तो बेहतर संपर्क के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) पालम विधानसभा क्षेत्र में ये सेवाएं किस तारीख तक प्रारंभ हो जाएंगी?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी

परिवहन मंत्री (कैलाश गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-43 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां;

(ख) वर्तमान में पालम से द्वारका मेट्रो स्टेशनों से गुजरने वाले रूटों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. एम एल 33 द्वारका मेट्रो स्टेशन 16 से करोलबाग।
2. एफ 713 ए पालम से नजफगढ़ वाया मेट्रो स्टेशन सैक्टर 12 एफ 709ए महिपालपुर से नजफगढ़ वाया मेट्रो स्टेशन सैक्टर 10 और 21

3. एफ 807 ए पालम से नजफगढ़ वाया मेट्रो स्टेशन सैक्टर 9, 10 और द्वारका मोड़

4. एफ 839 ए उत्तम नगर से कापसहेड़ा बॉर्डर वाया मेट्रो स्टेशन सैक्टर 9 और 21

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है;

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है;

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी भावना जी।

सुश्री भावना गौड़ : मेट्रो फीडर के बारे में मैंने बातचीत की है। ये 713ए ये तो सब डीटीसी वाली बसेज हैं जिसका ब्यौरा आपका डिपार्टमेंट दे रहा है। पालम के अंदर लगभग 10 से 12 लाख लोग रहते हैं। उसके साथ में लगती हुई द्वारका विधानसभा में 10 से 12 लाख लोग रहते हैं यानि 24 से 25 लाख लोग मेट्रो तक जाने के लिए उनको कोई आपकी परिवहन की तरफ से कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं। ई-रिक्शा वहां तक पहुंचने के लिए 70 रुपये मांगता है, 100 रुपये मांगता है। डीटीसी बस उपलब्ध नहीं है। हमारे यहां पालम का जो फाटक बना है, वहां आप लोगों ने बड़ी चौड़ी रेलिंग लगा दी है ताकि बड़े व्हीकल वहां से न जा पाएं तो मेरा परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि आपके यहां जो मेट्रो की फीडर बसेज जो छोटी वाली चल रही हैं, उसके लिए पालम और द्वारका विधानसभा की तरफ ध्यान दें।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जवाब देना चाहूंगा कि जो मैंने जवाब दिये हैं, ये डीटीसी बसों के जवाब नहीं हैं। आपने जो मेट्रो फीडर के बारे में सवाल उठाया, इसमें मेट्रो फीडर के साथ-साथ मैंने आपको आरटीवी जो बसें चल रही है छोटी वाली, उसका भी ब्यौरा दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेट्रो फीडर की कुछ बसें चल रही हैं या नहीं चल रही है?

परिवहन मंत्री : नहीं अध्यक्ष महोदय, चल रही हैं। सेक्टर 10 में जैसे मेट्रो अगर डीएमआरसी की बात करें हम तो एमएल 33 और 13 बसें जो हैं, चल रही हैं। डीएमआरसी की मेट्रो की द्वारका सेक्टर-16 मेट्रो स्टेशन से करोल बाग। उसी प्रकार से सेक्टर-12 जो द्वारका का है, उसमें मेट्रो की 13 बसें चल रही हैं द्वारका सेक्टर-16 स्टेशन से करोल बाग। तो उसके अलावा अगर फिर भी...

सुश्री भावना गौड़ : थोड़ा माफ कीजिएगा मुझे, ये जवाब जो आपने दिये हैं, इसमें कहीं भी ये आपकी फीडर बसेज हैं या दूसरी वाली बसेज हैं, ये कहीं भी मेट्रो पालम को और द्वारका को टच नहीं कर रही हैं। मेरा प्रश्न केवल पालम विधानसभा को लेकर है।

परिवहन मंत्री : आपने जो सेक्टर इसमें मेन्शन किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, आपने सेक्टर-9, 10, 11, 21।

सुश्री भावना गौड़ : सर, आने वाली, वहां से आने वाली। पालम विधानसभा के लिए आने वाली बसेज, मेट्रो फीडर बसेज।

परिवहन मंत्री : भावना जी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं शायद हो सकता है समझने में। आपने सेक्टर-9, 10, 12 और 21 के बारे में मेन्शन किया है। तो मैंने जो आपको डिटेल्स दी हैं, ये सभी बसें जो हैं, इन सेक्टर को टच कर रही हैं। उसके अलावा अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई एरिया है, जिसमें ट्रांस्पोर्ट की सर्विसेज नहीं है, तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आप जो स्पेसिफिक अगर इश्यूज हैं।

सुश्री भावना गौड़ : कैलाश जी, मेरा प्रश्न नहीं, अब आपसे निवेदन है कि पालम के लिए मेट्रो बसेज तक या मेट्रो तक स्टेशन तक पहुंचने के लिए कुछ सुविधाएं आपके विभाग की तरफ से भी दी जाएं, धन्यवाद।

परिवहन मंत्री : मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि जो भी आपके इश्यूज हैं, उनको मैं रिजोल्व करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त : मंत्री जी मैट्रो फीडर बसों की भारी कमी देखी जा रही है। मेरे क्षेत्र में पहले ही काफी मैट्रो फीडर बसिस थी, अब उनका रूट चेंज कर दिया है, उनकी सर्विसेज चेंज कर दी गई हैं और मैंने कई बार आपके डिपार्टमेंट को मंत्री जी के माध्यम से पत्र लिखा है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अंबेडकर नगर में जो मैट्रो फीडर बस लगानी है और जो कम हो गई है, उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्यौरा देगें तो अच्छा रहेगा।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 520 मैट्रो फीडर जो बसें हैं, ये मैट्रो को डीएमआरसी को चलानी थी लेकिन आज के दिन केवल 291 जो बसेज हैं, जो चल रही है डीएमआरसी से लगातार पिछले तीन महीने जब से मंत्री का जो पद मिला है, इसमें लगभग दो मीटिंग मैट्रो के साथ हो चुकी हैं। उसमें लगातार हम रिकवेस्ट कर रहे हैं मैट्रो से कि ये मैट्रो की जो फीडर बसेज हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाये। मुझे उम्मीद है कि मैट्रो बहुत जल्द इनकी सर्विसेज बढ़ायेगा। उसके अलावा मैं सभी साथ विधायकों को ये आश्वासन दे रहा हूं कि जो भी अगर किसी विधानसभा में अगर कोई एरिया है जहां पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी का ईशू है, तो आप प्लीज मुझे लिख के दें, पूरी कोशिश करूंगा कि उसका हल हम निकालें और बतायें।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, दरियागंज से जामिया यूनिवर्सिटी तक बस चलती थी जिसे बिना कारण बंद कर दिया गया। मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री पूर्व परिवहन मंत्री को मिलने के बावजूद भी ये संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया कि

उस रूट की बसों को क्यों बंद कर दिया जिससे जामिया जाने वाली छात्राओं को बहुत समस्या हो रही है और कोई दूसरा विकल्प दिया गया या नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं ताकि छात्रों को सुविधा प्राप्त हो सके।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में पता जरूर करूंगा मैं और उसको रिजॉल्व करायेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : हां कहिये, पूछिये बस ये अंतिम है।

श्री नारायण दत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बदरपुर विधानसभा के अंदर छः साढ़े छः लाख लोग रहते हैं और बदरपुर मैट्रो स्टेशन तक आने के लिये कोई भी फीडर बस नहीं है और आठ दस किलोमीटर का एरिया है आटो वाले और ई रिक्शा वाले मन मांगे रेट उनसे लेते हैं और मैट्रो तक आने के लिये उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो मैं चाहता हूं मेरी विधानसभा में जनता की इस डिमांड को देखते हुए कम से कम दो चार फीडर बसें वहां लग जायें जो मैट्रो स्टेशन तक उनको ले कर आयें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे दिल्ली के जितने भी स्पेशली, आऊटर दिल्ली के जो एरिया हैं, ये बिल्कुल ठीक और सही बात है कि उसमें जो बस सर्विस होनी चाहिए जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति मैट्रो स्टेशन से उतरकर अपने घर तक आसानी से पहुंच जाये। ये बिल्कुल सही है कि यहां पर जो कनेक्टिविटी के ईशू हैं, तो नेक्सट ट्रांसपोर्ट कमिशनर भी यहां पर हैं तो जो भी नेक्स्ट एसटीए की मीटिंग स्टेट ट्रांसपोर्ट एथोरिटी की मीटिंग होगी उसमें ये सब ईशूज को हम कोशिश करेंगे कि इनको लिया जाये और मैट्रो से स्पेसीफिक रिकवेस्ट किया जायेगा कि जहां जहां ईशूज हैं, उनको रिजॉल्व किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्ग : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 44 प्रस्तुत है:

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्सवों के आगामी मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद्य-अपमिश्रण करने वालों को पकड़ने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा;

(ग) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि फल और सब्जियों पर मोम व रसायनों की परत चढ़ाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस खतरनाक चलन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या-44 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां।

(ख) आगामी उत्सवों के मद्देनजर खाद्य संरक्षा विभाग ने खाद्य-अपमिश्रण को रोकने के लिए विगत वर्षों की तरह विशेष अभियान चलाने के लिए खाद्य संरक्षा अधिकारी दल को आवश्यक निर्देश जारी कर दिल्ली में विभिन्न जगहों पर छापेमारी करके खाद्य पदार्थों के नमूने उठाने तथा जांच के आदेश दिए हैं। इस संदर्भ में विभाग द्वारा अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर जनता को जागरुक किया जाता है।

(ग) 01.01.2016 से फल और सब्जियों के 198 नमूने उठाये गए हैं और उनकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर मोम की परत नहीं पाई गई है, परंतु उपरोक्त लिए गए

नमूनों में से तीन नमूनों में रसायन की मात्रा पाई गई है, जिसमें एक के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और बाकी दो के खिलाफ खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जा रही है;

(घ) इस खतरनाक चलन को रोकने के लिए विभाग ने अपने अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रत्यान बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) एक्रिडेटेड प्रयोगशालाओं जो कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन्हें भी पूरे दिल्ली में फल तथा सब्जियों के नमूने उठाने तथा जांच के आदेश दिए हैं, ताकि फल एवं सब्जियों के ऊपर इस खतरनाक चलन की रोकथाम हो;

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंट्री विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है खादय संरक्षण विभाग ने कर्मचारियों की भारी कमी है जिसके कारण दिल्ली में मिलावट को रोकने का प्रभावशाली तरीके से काम नहीं हो पा रहा है?

स्वास्थ्य मंत्री : जी हां, स्टाफ की कमी है और डीएसएसबी से जल्दी ही स्टाफ मिलने वाला है, उसकी प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : एनी सप्लीमेंट्री? हां जरनैल जी।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी, दिल्ली में कोई व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और वहां उसकी प्लेट में, उसकी डिश में कोई मक्खी या कोई कीड़ा निकाल आये तो वो कहां पर कम्पलैण्ट करे, एक मेरा पहला सवाल ये है और ऐसा मेरे साथ ही हुआ और मैंने एक कमिशनर साहब को मेल भी लिखी इस बारे में, पर

उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। ये मेरे साथ हुआ है तो आम लोगों की तो भूल ही जायें। कोई सुनवाई होगी ही नहीं। तो इस पर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हेल्प लाईन नंबर जारी होना चाहिए, उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए कि आम तौर पर आम लोग, कई लोगों के साथ होता रहता है तो इस पर डिपार्टमेंट को कोई सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री जी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्प लाईन है उसका, पब्लिक के अंदर कहते हैं काफी प्रचार किया जायेगा ताकि पता लग सके और आदरणीय सदस्य के मामले में अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है तो कृपया मेरे संज्ञान में लायें, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जायेगी। उसके लिये खेद व्यक्त करते हैं, अगर नहीं हुई है।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, ये बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : भई अलका जी, बिना इजाजत लिये आप बोलना शुरू हो गई, प्लीज। फतेह सिंह जी। मुझे जो हाथ खड़े हैं, जो कभी नहीं बोलते, मुझे उनको थोड़ा देखा लेने दो।

श्री जरनैल सिंह : अगर हेल्प लाईन नंबर है डिपार्टमेंट का तो बता दिया जाये, एटलीस्ट हम तो अपने अभी से प्रचार शुरू करेगें ना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सैकिण्ड फतेह सिंह जी, एक सैकिण्ड।

स्वास्थ्य मंत्री जी : हेल्प लाईन नंबर है 1800113921, एक बार दोबारा से बता रहा हूं टोल फ्री नंबर है ये: 18000113921 फ्री है। इस पर काल करना और किसी भी चीज में मिलावट या अगर मक्खी या काकरोच भी निकते, उसकी भी शिकायत इसमें की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : हां, फतेह सिंह जी।

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो ये मिलावट के बारे में जो विभाग इस कार्य को देखता है, इसमें बड़ी एक कमी है कि ये दुकानदारों के पास जाता है और इनके मुखबिर भी हैं एक तरह से। वो जाकर के पहले इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद पैसे की वसूली करने का काम करते हैं और इसमें कई शिकायतें फोन पर मेरे पास आई और जब मैंने फोन किया तो वो रफूचक्कर वहां से हो गई। इस प्रकार के इस विभाग पर सख्ती से सरकार को संज्ञान लेना चाहिये क्योंकि मिलावटी चीज अगर समाज खायेगा तो किस प्रकार का समाज बनेगा और किस प्रकार की स्थिति सरकार के सामने होगी, इस पर कठोरता से सरकार को कदम उठाना चाहिए और ये मिलावटी चीजों का जो एक तरह से ये उगाही का काम करते हैं, इन पर सख्ती से सरकार संज्ञान ले।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये शिकायतें पहले मिलीं थी तो हमने जो इंस्पेक्ट्र्स का जो एरिया होता है, वो एरिया खत्म कर दिया है कि जब किसी का डेजिगनेटिड एरिया नहीं है तो मुझे लगता है, उगाही का सवाल नहीं उठता है परंतु जो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं देने वालों की भी, लगता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई, अभी अगर सब सदस्य ऐसे बोलेगें, समझ में नहीं आ रही बात।

स्वास्थ्य मंत्री : पहले दिल्ली के अंदर इंस्पेक्टरर्स का एरिया फिक्स होता था। अब इंसपेक्टर्स के एरिया को खत्म कर दिया गया है। फूड कमिशनर के आफिस से पता लगता है कि आज कहां पर टीम को जाना है। उस टीम को पता नहीं होता पहले से कि किस जगह पर जाकर उन्होंने छापेमारी करनी है तो मुझे तो सभी सदस्यों से

कहना है कि कोई मंथली देने का सवाल ही नहीं उठता। जो देते हैं, उनको समझाइयेगा कि किसी इंस्पेक्टर का कोई एरिया नहीं है और ऐसी कोई शिकायत है तो मेरे संज्ञान में लाइयेगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जैन साहब, एक सैकिण्ड महेन्द्र जी, इसमें सभी सदस्य गंभीर लग रहे हैं जो नंबर अभी आपने एनाउंस किया, जहां भी ये हमारे इस प्रकार के सामग्रियां बिकती हैं जिनमें मिश्रण का डर रहता है, वहां क्या ये कम्पलसरी किया जा सकता है कि यह नंबर उस रेस्टोरेंट में, उस दुकान पर आफिशियली डिस्पले हो। अगर संभव हो सकता है तो इस पर बतायें।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय का ये सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आश्वासन देता हूं कि ये नंबर सभी रेस्टोरेंटस और खाने पीने की चीजें जहां पर मिलती हैं, वहां पर लगाया जायेगा। ये इस नंबर के साथ-साथ तीन नंबर और भी हैं। ये तो सब 24 बॉइ सेवन है। बाकी तीन नंबर, आफिस के नंबर भी हैं। सारे नंबर डिस्पले किये जाएंगे, इसको कम्पलसरी किया जायेगा। मैं अपने विभाग को इसके आदेश तुरंत जारी करूंगा कि इसको सब जगह लगाया जाये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश ऋषि जी। नहीं बस मैं प्रवीण जी का प्रश्न लूंगा, इसके बाद। नहीं, महेन्द्र जी, अब ऐसे नहीं। भई और भी क्वेश्चन हैं, फिर आप कहेंगे समय पूरा हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने राजेश ऋषि जी को अभी अलाउ किया। प्लीज, उनको बोलने दीजिए। उनका हाथ आपसे पहले खड़ा हुआ था।

...(व्यवधान)

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष महोदय, मिलावट के साथ-साथ घटिया खाना जो बाजारों में परोसा जा रहा है; जैसे चाउमिन और साथ में मोमोज। मोमोज इतना घटिया मैटेरियल होता कि आदमी खाके बहुत बीमार पड़ रहे हैं। अभी टीवी पे समाचार भी देखे होंगे कि सात लोग एक ही परिवार के बीमार हुए और इसमें जो सॉस यूज की जाती है, महा घटिया होती है, इसमें जो सोया सॉस यूज की जाती है, वह कैमिकल से बनती है। रोड के किनारे वो बना बना के जो बेच रहे हैं, कृपया उस पर भी रोकथाम के लिए कुछ किया जाये। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : चलिये, उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रवीण जी।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा जरनैल भाई ने बात बताई कि रेस्टोरेंट में उनके खाने में से कुछ कीड़े-वीड़े निकते। ऐसे एक्चुअली मेरे साथ हुआ। मैंने लक्ष्मी नगर का जो डीसी आफिस है, वहां से लगभग...

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन कीजिए न, यह चर्चा नहीं है।

श्री प्रवीण कुमार : 100 मीटर दूर मैंने सेब ली है और सेब मतलब ऊपर से ऐसे चमकदार थे, अंदर से खाया, ऐसा है, जैसा उसमें रूई भरी है और वो सिर्फ डीसी आफिस के 100 मीटर के दायरे में हो रहा है और इसकी मैंने एडल्ट्रेशन आफिस में कंप्लेट तो कर दी, लेकिन क्या ऐसा जो वाकया हो रहा है, जो सड़क पे घूमते हुए जैसे राजेश ऋषि जी ने बोला कि चाउमिन बिक रही है, जैसे सेब बिक रहे हैं, इस तरह की क्या कोई दबिश की प्रक्रिया होती है क्या? इन सब चीजों पर किस तरीके से विभाग द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मुझे लगता है कि अभी फिलहाल में हम इस स्थिति में नहीं है कि इस चीज पर कंट्रोल कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : भई, हम चर्चा में चले गये हैं, क्वेश्चन नहीं रेज कर रहे हैं?

श्री प्रवीण कुमार : क्वेश्चन यही है सर! क्वेश्चन यही है कि क्या प्रक्रिया है, इसके दबिश की। दबिश डालने की प्रक्रिया है कि सड़क पर ये सारी चीजें! इंस्पेक्शन की क्या प्रक्रिया है?

अध्यक्ष महोदय : हां, माननीय मंत्री जी। हां वंदना जी, अभी दे रहा हूं आपको। उनका उत्तर दे दें। इसके बाद आप लास्ट हैं, बंदना जी का बस।

स्वास्थ्य मंत्री : इस बीच किसी भी स्थान पर खाने पीने की कोई भी वस्तु बिकती है, सभी के सैम्पल उठाये जाते हैं और इसके अंदर अभी जो मोमोज की बात हुई, मेरे को इसका एग्जेक्ट नंबर इस टाईम ध्यान में नहीं है परंतु उसके भी सैम्पल लिये गये थे। उसमें से कुछ फेल भी हुए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जहां तक है कि स्टॉफ और मिल जायेगा तो वो ज्यादा किया जायेगा। हमने क्या किया कि जो प्रावइवेट दो तरह के सैम्पल उठाये जाते हैं; एक लीगल सैम्पल होते हैं, एक होता है सर्वे सैम्पल। सर्वे सैम्पल हम प्राइवेट लैब से भी करा रहे हैं। पहले के मुकाबले कई गुणा हमने सैम्पल कराये हैं। पहले हम सर्वे सैम्पल करा लेते हैं और जब लगता है कि इसमें मिलावट है, तो लीगली पूरी टीम जाती है। लीगल सैम्पल उठाने में एक दिन में एक या दो सैम्पल से ज्यादा नहीं हो पाते हैं। सर्वे सैम्पल एक दिन में बहुत सारे उठा सकते हैं तो हमने सर्वे सैम्पल का सिस्टम भी र्स्टाट किया और जहां पर भी किसी भी मेम्बर को लगता है कि क्वालिटी खराब है, तो वो अपना सामान लेके हमारे यहां से चैक करा सकता है। उसको हम चैक भी करा देंगे, इसका भी प्रबंध किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : बंदना जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, ऐसे नहीं। भावना जी, बैठिये प्लीज। नहीं, बात आ रही है, मैं नाम ले रहा हूं उनका। बैठिये प्लीज, बैठिये।

श्रीमती बंदना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, हैल्थ कमेटी के माध्यम से एक बार हम अपने एरिया में जहां पर अदरक की धुलाई होती है एसिड से। उस एरिया में कमिश्नर को तलब किया था, पूरी डिपार्टमेंट आयी थी। उनके पास उसके पहले सूचना मिल गयी, सभी अधिकारी वहां से गायब और वो पूछ भी रहे हैं हमारे अन्य साथियों से जो क्या कल किसी ने बुलाया है क्या? जबकि वो एकदम कंफीडेंशियल था। सिर्फ महेन्द्र गोयल जी, जो उनके चैयरमेन, हैल्थ के चेयरपर्सन हैं, उनको मालूम था और कमिश्नर को मालूम था कि कहां पर जाना है। मैंने अपने आफिस में बुलाया था, विजिट कहां करना है ये भी नहीं पता था लेकिन तुरंत वहां के लोकल लोगों को सब को पता हो गया, जो आज फूड कमिश्नर आने वाले हैं और चैकिंग होगी। तो मेन-मेन वहां के माफियाओं को पता था। इवन कि आजादपुर, मेरे आफिस के बगल में मंडी है। मंडी के चैयरपर्सन का फोन आ रहा है कि क्या मैडम कोई आज आपने फूड सिक्युरिटी कमिश्नर को बुलाया है क्या? आप कोई चैकिंग करने वाले हो या आप आने वाले हो? हमारे साथियों को बताया गया कि यहां पर किस बात के लिए मैडम आएंगी? मतलब इतने तक पता हो गया आस पास के जितने भी, और सबसे मजेदार बात जो अदरक धुलाई जहां होती है, वहां पर जब हमने हमारे अधिकारी...

अध्यक्ष महोदय : बंदना, जी अब क्वेश्चन करना है, तो करिये?

श्रीमती बंदना कुमारी : एक मिनट। सर तो ये कैसे लीकेज हो जाती है सारी चीजें, जो उनको पता है; कहां पर रंगाई होती है, कहां पर धुलाई होती है, कहां पर मिक्सिंग होती है तो बहुत ही गंभीरता से इस चीज को देखना पड़ेगा और मंत्री जी से निवेदन है कि इस बात को सीरियसली लें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी, देखिये मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो फिर इसी क्वेशन को बाकी यहीं सप्लीमेंट्री बंद।

श्री महेन्द्र गोयल : यह खाद्य सुरक्षा का मामला बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं और आगे भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। हां तो आप इसपे खाद्य सुरक्षा पर एक सेकेंड। कोई नियम के अंतर्गत नोटिस दे दीजिए चर्चा करवाने का। यह सप्लीमेंट्री है। इस सप्लीमेंट्री को चर्चा मत बनाइये। अब चर्चा करवाने के लिए नोटिस दे दीजिए। इतनी चिंता अगर हमको है।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों से कहना चाहूंगा कि अगर उनकी जानकारी में लार्ज स्केल के ऊपर जरूर कार्रवाई करवाऊंगा। अभी जैसे बंदना कुमारी जी ने कहा है कि अदरक को कैमिकल से धोया जा रहा है या इस तरह की कोई शिकायत या ऐसे कैमिकल से, एक ढर्रे की बाते हैं तो ये चीज मेरे को लिखित में दें। हम जरूर हम उसके ऊपर कार्रवाई करायेंगे और जहां तक ये बात है कि अगर वो लीक हो गया है एक बारी तो आगे से मैं अश्योर करता हूं कि ऐसा लीक नहीं होगा, आप मेरी संज्ञान में लाइयेगा। और भी जगह पर अगर आपको पता है कि लोगों की जिंदगी से खेलने वाली बात है और हमारे सारे सदस्य सोसायटी में रहते हैं और उनके पास इंफार्मेशन आती है। अगर कोई फैक्ट्री में मिलावट हो रही है, कोई दुकान वाला मिलावट करता है, तो उसको बिल्कुल बतायें। ये तो मतलब, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पिछले दो ढाई साल के अंदर जितनी कार्रवाई की गयी है, उतनी कार्रवाई पिछले दस सालों में भी नहीं की गयी है और मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि जो भी शिकायत आयेगी, हर शिकायत के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न सं. 45 प्रस्तुत है:

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका ने नव निर्मित मेट्रो का उद्घाटन किस तिथि तक कर दिया जाएगा;

(ख) इन मेट्रो स्टेशनों के चालू हो जाने के बाद क्या सरकार ने अंतिम बिंदु तक संपर्क (लास्ट माइल कनेक्टिविटी) के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा;

(घ) क्या सरकार को दूर-दराज के क्षेत्रों के निवासियों के लिए बस-सेवा उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 45 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) द्वारका से नजफगढ़ मेट्रो लाईन जिसमें एक स्टेशन द्वारका है, का निर्माण दिसम्बर, 2018 तक होने की संभावना है;

(ख) मेट्रो स्टेशनों से अंतिम बिंदु से संपर्क लास्ट वॉल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने हेतु योजना बनाई जा रही है;

(ग) जी हां;

(घ) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा हजार बसें खरीदने का प्रस्ताव डीटीसी बोर्ड द्वारा दिनांक 20 जून, 2017 को पास कर दिया गया है तथा इस प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन

के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। प्लस (कलस्टर) स्कीम के बेड़े में भी हजार नई बसें जोड़ने के प्रस्ताव को भी अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। धन्यवाद

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंट्री।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो मेट्रो सर्विस का अब जो शोज फेस-4 शुरू हो रहा है अक्टुबर-नवम्बर में, इसके बाद लगभग अनुमानित 50 लाख संख्या में लोग रोज इस मेट्रो सर्विस का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए लास्ट माईल कनेक्टिविटी के लिए जो बसों का जिक्र करा उन्होंने; हजार डीटीसी की बस और कलस्टर बस। इसमें जवाब में उन्होंने तारीख दी है कि अभी 26 जून के आस पास अंतिम फैज में इसका आर्डर होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जमीनी स्तर पर ये दो हजार बसें हैं, ढ़ाई साल में ये कब तक जमीनी स्तर पर ये दो हजार बसें चल पायेंगी?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

परिवहन मंत्री मंत्री : अध्यक्ष महोदय ये लास्ट माईल कनेक्टिविटी का जो भी इश्युज और मैं देख रहा था कुछ क्वेश्चन और भी हैं, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि लगभग ग्यारह हजार बसें हमारे दिल्ली शहर में होनी चाहिए। उसमें से लगभग आज के दिन पांच हजार छः सौ बसें हमारे अलग-अलग डीटीसी में और कलस्टर डिपो में हैं। पिछले दो साल से अलग-अलग कारणों की वजह से हम कोई नई बसें डीटीसी में और कलस्टर में जोड़ नहीं पाये लेकिन पिछले के दौरान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने डीटीसी में और कलस्टर डिपार्टमेंट ने काफी मेहनत के साथ डीटीसी ने अपने बोर्ड में ये हजार बसें खरीदने का बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और सिमिलरली कलस्टर ने भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इलेक्शन के दौरान कैबिनेट नोट पुट-अप नहीं

हो पा रहा है तो इसलिए इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को ये रेफर कर दिया गया है मैटर। वहां से जैसे ही जवाब आता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते या 23 अगस्त के बाद कैबिनेट में आ जायेगा, अप्रूव हो जायेगा और आदर्श भाई ने पूछा कि ये कब दो हजार बसें कब तक हमारे पास आ जायेंगी। टैण्डरिंग प्रोसेस और उसके बाद जो लोऐस्ट बेटर है, उसके सेलेक्शन का जो प्रोसेस है, यूं तो मुझे उम्मीद है कि अगले सात आठ महीने, दस महीने के आस पास हमें नई बसें जो हैं, ये सड़क पर दिखाई देने स्टार्ट हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि जो ये लास्ट माइल कनैक्टिविटी है, इसके लिए सरकार कोई ई–रिक्शा की प्रॉपर पालिसी के माध्यम से कोई ऐसा सिस्टम जारी करने का सोच रही है जिससे कि एक ई–रिक्शा से लास्ट माइल गलियों तक की कनेक्टिविटी बन पाए, जिसमें उनके रेट वगैरह मैट्रो स्टेशन से निर्धारित हों, इस तरह की कोई पालिसी सरकार के विचाराधीन है?

अध्यक्ष महोदय : मंजी जी।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लास्ट माइल कनैक्टिविटी काफी सीरियस इश्यू रहा है और है अभी भी। तो उसको नजर में रखते हुए अभी और मैंने जैसे बताया पहले कि लगातार मैट्रो से भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और बसों की कमी के कारण और काफी जगह जो छोटी जगह हैं, जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, वहां पर बड़ी जो बसें हैं, इवन आरटीवीज जो बसें हैं, मैट्रो फीडर की जो बसें हैं, ये भी नहीं पहंच पाती हैं तो ई–रिक्शा जो है काफी लास्ट माइल कनैक्टिविटी में एक इंपोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है और इसको हम एज ए गवर्नमैण्ट भी इसको हम रेकग्नाइज कर रहे हैं। अभी पीछे जो ई–रिक्शाज का प्रोग्राम, सब्सिडी का

इश्यू हुआ था, उसमें सीएम साहब ने भी ये कहा कि एक बहुत इंपोर्टेंट रोल ई-रिक्शाज जो हैं, लास्ट माइल कनैक्टिविटी last mile connectivity में प्ले कर रही हैं। चूंकि लास्ट माइल कनैक्टिविटी का कोई एक कोई सिम्पल या स्टेट फारवर्ड आन्सर नहीं है और जो प्राब्लम हैं, लास्ट माइल कनैक्टिविटी की, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया है जिसमें डीटीसी के कुछ आफीसर्स हैं, डिम्स के कुछ आफीसर्स हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी कुछ आफीसर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ न कुछ अच्छा निकलकर आएगा और उस पर हम ठोस कदम उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां, जरनैल जी।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल दिल्ली मैट्रो से ही संबंधित था। एक्चुअली तिलक नगर मैट्रो स्टेशन के बाहर सड़क के बीचों बीच एक मैट्रो का गेट बना हुआ है। इसमें जो मैट्रो के पहले श्रीधरन जी थे उन्होंने एक...

अध्यक्ष महोदय : भई जरनैल जी, देखिए, मंत्री जी के पास उसका अलग प्रर्टीकुलर उत्तर नहीं होगा।

श्री जरनैल सिंह : ठीक हैं, मैं मंत्री जी से मिल लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, प्लीज। बाजपेयी जी।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी से ये रिकवेस्ट कर रहा हूं कि अगर कोई किसी भी विधायक का कोई स्पेसिफिक इश्यू है, तो वो कम से कम आकर हमें संज्ञान में तो दें तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा।

श्री जरनैल सिंह : इसके रिगार्डिंग दो-तीन मीटिंग्स हो चुकी है और कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं फिर एक बारी मंत्री जी से फालो-अप कर लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, दे रहा हूं। जिस क्रम में हाथ उठे थे, मुझे संज्ञान में है। अनिल बाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयी : माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि सारी मेट्रो सर्विसेज जो ईस्ट दिल्ली में है, शास्त्री पार्क हमारा एक मैट्रो स्टेशन है शायद और उसके बाद निर्माण विहार तक आज से कम से कम आठ साल पहले एक मोनो रेल चलाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसके बाद उसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया। उसको अगर शास्त्री नगर से निर्माण विहार तक मेट्रो तक अगर पुस्ते के ऊपर और ऐसा विचाराधीन भी था, मेरी डीएमआरसी के चेयरमैन साहब से बात भी हुई थी, अगर एक नई लाईन वहां जोड़ दी जाए तो गांधी नगर एशिया की बिगेस्ट मार्केट है। गांधी नगर के लोग, कृष्णा नगर विधान सभा के लोग और भाई नितिन त्यागी जी की जो विधान सभा है, तीन विधान सभाओं का...

अध्यक्ष महोदय : बाजपेयी जी ये सुझाव हुआ, क्वैश्चन करिए ना।

श्री अनिल बाजपेयी : मेरा अनुरोध है सर इसके लिए कुछ करिए।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये निवेदन है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी भी विधायक का कोई स्पेसिफिक इश्यू है तो वो हमें लिखकर दें और विधायक के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ और जो डीएमआरसी के चेयरमैन हैं, उनको बुलाकर जो भी अगर उसमें सोल्यूशन की कोई संभावना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : चलिए जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि दिल्ली में कितनी विधान सभा ऐसी हैं जिनमें डीटीसी की एक बस भी न जाती हो?

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी, जिस क्वैश्चन का उत्तर लेकर आए है मंत्री जी, उसमें ये जुड़ता नहीं, मैं कह रहा हूं वो देंगे जो भी कुछ होगा लेकिन उनके पास, ये रिलेटिड नहीं है इससे।

हां मंत्री जी उत्तर दे रहे है।

परिवहन मंत्री : इसका जवाब अध्यक्ष महोदय यही है कि मैं पूछकर उनको बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : चलिए। हां सोमनाथ भारती जी, अंतिम क्वैश्चन है ये, इसके बाद ये एक घंटा समाप्त हो रहा है।

श्री विशेष रवि : अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा क्वैश्चन ऑवर बढ़ा दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब और नहीं। नहीं बढ़ेगा, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, चूंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हमसे कई साथियों ने...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कल तक तो मैंने, उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं बता दूंगा। देखो विजेन्द्र जी, एक सैकेंड सोमनाथ जी, माननीय मंत्री जी कितनी विधान सभाओं में डीटीसी की बसों की एप्रोच नहीं है, ये कब तक बता पाएगा डिपार्टमेंट?

परिवहन मंत्री : हां, कल बता देंगे सर, बिल्कुल।

श्री जगदीश प्रधान : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। चलिए सोमनाथ भारती जी क्वैश्चन।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कृपया करके ये बताएं कि जितनी हम साथियों ने दे रखी हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, चूंकि आप नए मंत्री बने है तो वो चिट्ठियां फिर सबमिट करनी पड़ेगी या उस पर कार्रवाई हो जाएगी? चूंकि पिछले दो सालों में हमने कई बार लिखकर के दे दिया कि हमारे यहां तीन मैट्रो स्टेशंस है; मालवीय नगर, ग्रीन पार्क और हौज खास। लास्ट माइल कनैक्टिविटी की डिमांड पिछले दो साल से कर रहे हैं। उसमें न तो कोई कारवाई हो रही है और न कोई जवाब आ रहा है।

परिवहन मंत्री : सर, मैं माननीय विधायक जी का सवाल समझ नहीं पाया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने क्लीयर... एक बार दुबारा बोल दें।

श्री सोमनाथ भारती : आपने कहा कि सभी विधायक साथी लिखकर दे दें। तो ऐसी कई सारी चिट्ठियां हैं जो आलरेड्डी पेंडिंग हैं डिपार्टमेंट के पास। उन चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया आज तक और न उस पर कोई कार्रवाई दिख रही है। लास्ट माइल कनैक्टिविटी के ऊपर जो पिछले दो साल से हमने कुछ नहीं, तो पच्चीसों चिट्ठियां लिखी होंगी मैंने खुद। तो तीन मैट्रो स्टेशंस मेरे हैं; ग्रीन पार्क, हौज खास और मालवीय नगर। वहां की जनता त्रस्त है, लास्ट माइल कनैक्टिविटी नहीं होने के कारण, उसका क्या होगा? कब उसका रिलीफ आएगा?

परिवहन मंत्री : डिपार्टमेंट से वैसे जो तीन स्टेशंस का आपने जिक्र किया, उनसे निकलवाने की कोशिश करेंगे पर माइ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर एक बार दुबारा दे दें तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

42. **श्री अखिलेश पति त्रिपाठी** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में एक 200 बिस्तरों के अस्पताल के खोले जाने का प्रस्ताव दिनांक 02.01.2014 से लंबित है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा धनराशि जारी किए जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. ने भूमि नहीं सौंपी है;

(ग) अस्पताल के निर्माण के प्रारंभ होने में इतने अधिक विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इस कार्य में शीघ्रता लाने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठाने जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा; और

(च) अस्पताल के निर्माण का कार्य किस तारीख तक प्रारंभ हो जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अवैध कब्जा होने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) से अभी तक प्रस्तावित भूमि का taking over (स्थानांतरण) नहीं हो पाया है। भूमि स्थानांतरण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ पत्राचार जारी है।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से पत्राचार जारी है।

(च) मौजूदा स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है। भूमि स्थानांतरण के पश्चात् अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया पर कार्यवाही की जाएगी।

46. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिविप्रा और लोनिवि दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र की कुछ सड़कों का रख-रखाव करते हैं;

(ख) इनमें से कितनी सड़कों का रख-रखाव दिविप्रा द्वारा किया जाता है;

(ग) क्या इन सड़कों को लोनिवि को हस्तांतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) इन सड़कों के हस्तांतरण-प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति; और

(ङ) इन सड़कों का हस्तांतरण किस तिथि तक हो जाएगा;

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) कैंटोनमेंट क्षेत्र से होकर गुजरने वाली कुछ सड़के जैसे रिंग रोल (धोला कुआ से नारायणा, एन एच-8 (धोला कुआ से झरेरा गांव) बाहरी रिंग रोड़ पर सुब्रतो पार्क के सामने मार्ग उल्लन बट्टर के रखरखाव का कार्य लोनिवि द्वारा किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) इस संबंध में इस कार्यालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

47. श्री पंकज पुष्कर: क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विभाग की जमीन को किन्हीं अन्य संस्थाओं को दे दिया गया है;

(ख) क्या यह सत्य है कि ये जमीनें यदि पट्टे पर दी जाती तो इनसे राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी;

(ग) यदि हां, तो इस कार्रवाई से विभाग को कितना नुकसान हुआ और इस नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई;

(घ) क्या परिवहन विभाग के कर्मचारी अन्य विभागों में भी कार्य कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इससे विभाग को होने वाला नुकसान तथा इन कर्मचारियों को कब तक अपने विभाग में वापस भेज दिया जाएगा;

(च) दिल्ली में वांछित विभिन्न श्रेणियों की बसों का ब्यौरा;

(छ) दिल्ली में वास्तव में चलने वाली विभिन्न श्रेणियों की बसों का ब्यौरा;

(ज) क्या विभाग की 'प्रेस' एवं 'वर्कशॉप' आदर्श स्तर पर कार्य कर रही है;

(झ) क्या इन्हें गैर-विभागीय कामों में इस्तेमाल करके इनका बेहतर प्रयोग किया जा सकता है;

(ञ) क्या विभाग का अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को पुन: प्रारंभ करने की कोई योजना है, जिन्हें बंद कर दिया गया था;

(ट) यदि हां, तो उसका ब्यौरा;

(ठ) दिल्ली वासियों को पर्याप्त और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना का ब्यौरा; और

(ड) कुल स्वीकृत बस मार्गों की संख्या तथा जिन मार्गों पर बसें वास्तव में चल रही हैं, उनकी संख्या?

परिवहन मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन जमीनों को पट्टे पर ना देने का सरकार का नीतिगत फैसला है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं है।

(च) दिल्ली में स्टेज कैरिज की 11 हजार बसों की आवश्यकता है।

(छ) दिल्ली में वास्तव में चलने वाली बसों की संख्या डीटीसी 3944, कलस्टर 1634, मिनी स्टेज कैरिज 799 तथा मेट्रो फीडर की 291 बसें परिचालन में है।

(ज) और (झ) परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार की कोई प्रेस एवं वर्कशॉप नहीं है।

(ञ) और (ट) वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं नहीं है।

(ठ)

1. डीटीसी व कलस्टर बसों में 1000-1000 नई बसे लाने की योजना है।

2. सिटी टैक्सी स्कीम विचाराधीन है।

3. मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है और फेस-3 के उपरान्त मेट्रो लाईन की लम्बाई 350 किलोमीटर हो जाएगी। फेस-4 का अनुमोदन किया जा चुका है और उसकी लम्बाई 103.93 किलोमीटर है।

4. डीटीसी एवं कलस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना है।

5. डीटीसी, कलस्टर एवं मिनी स्टेज कैरिज बसो के रूटो का युक्तिकरण करने की योजना है।

6. लास्ट माईल कनेक्टिविटी को शुरू करने के लिए मेट्रो फीडर बस, ग्रामीण सेवा एवं ई-रिक्शा जैसे साधनों का समायोजन करने की योजना है।

7. दिल्ली मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम एवं कलस्टर बसों के लिए कोमन मोबिलिटी कार्ड को क्रियावन करने का कार्य चल रहा हैं।

(ड) 657 रुट एसटीए द्वारा स्वीकृत है तथा 208 रुट दिपनि द्वारा अपने स्तर पर चलाये गये थे, इस तरह कुल 865 रुट अनुसुचित है। इसमें से वर्तमान में कलस्टर स्कीम के अंतर्गत 124 रुटों पर तथा डीटीसी के अन्तर्गत 465 रुटो पर बसे चल रही है। इसके अलावा मिनी स्टेज कैरिज बसो की 152 रुटो पर स्वीकृति है, जिसमें से 73 रुटो पर बसे चल रही है।

48. श्री गुलाब सिंह : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मटियाला विधानसभा क्षेत्र में चलने वाली डीटीसी बसों की संख्या;

(ख) मटियाला विधानसभा क्षेत्र में चलने वाली कलस्टर बसों की संख्या;

(ग) स्थाई ड्राईवरों, कंडक्टरों व टी आई की संख्या;

(घ) अनुबंध के आधार पर लिए गए ड्राइवरों, कंडक्टरों तथा टी आई की संख्या;

(ङ) क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रायः अनुबंधित कर्मचारियों को वापस लौटाना पड़ता है क्योंकि उन्हें ड्यूटी नहीं दी जाती; और

(च) क्या अनुबंधित कर्मचारियों को प्रतिदिन ड्यूटी दिए जाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि श्रमशक्ति का इष्टतम इस्तेमाल हो सके;

परिवहन मंत्री : (क) वर्तमान में मटियाला विधान सभा क्षेत्र से चलने वाले व होकर गुजरने वाली डीटीसी की बसों की संख्या 212 है।

(ख) मटियाला विधान सभा क्षेत्र में चलने वाली ‘कलस्टर बसों की संख्या 82 है।

(ग)	चालक	संवाहक	ट्रैफिक सुपरवाईजरी स्टाफ
	6939	3459	1033

(घ)	चालक	संवाहक	ट्रैफिक सुपरवाईजरी स्टाफ
	3389	7586	शून्य

(ङ) और (च) प्रतिदिन निर्धारित बसों की निकासी के अनुसार अनुबंधित कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है, उनमें से जितने भी अनुबंधित कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित होते है उन सभी को ड्यूटी दी जाती है।

49. श्री महेंद्र यादव : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकासपुरी विधान सभा क्षेत्र में अस्पतालों के निर्माण की वर्तमान स्थिति;

(ख) इस विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत दिल्ली सरकार तथा एसडीएमसी के औषधालयों का ब्यौरा;

(ग) किराए के परिसरों में कार्यरत औषधालयों की संख्या; और

(घ) ये किराया किस खाते में जमा कराया जाता है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) विकासपुरी विधान सभा क्षेत्र में एक अस्पताल के निर्माण पर कार्य जारी है। योजना के अनुसार एक 500 बिस्तरों का अस्पताल होगा। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया जा चुका है कि सलाहकार का चयन कर प्रक्रिया चालू है।

(ख) इस विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत दिल्ली सरकार के औषधालयों का ब्यौरा निम्नलिखित है–

1. Delhi Govt. Dispensary (DGD), Tilang pur Kotla
2. Delhi Govt. Dispensary (DGD), Bakkarwala
3. Delhi Govt. Dispensary (DGD), Baprolla
4. Delhi Govt. Dispensary (DGD), Vikas Puri
5. Delhi Govt. Dispensary (DGD), Shiv Vihar

एसडीएमसी के औषधालय का ब्यौरा:–

1. मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, अस्पताल
2. मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, जनता हाउसिंग अस्पताल
3. मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, ट्रांसिट कैम्प, अस्पताल
4. मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, बापरौला

(ग) विकासपुरी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के 02 औषधालय हैं।

(घ) दिल्ली सरकार के जो औषधालय किराए के परिसर में चल रहे हैं, उनके परिसरों का किराया मकान मालिक के निजी खाते में जमा कराया जाता है।

50. श्री एस. के. बग्गा : क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. के नालों की सफाई कब हुई थी;

(ख) संबंधित ठेकेदार का ब्यौरा व उसे भुगतान की गई धनराशि।

(ग) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की सड़कों का ब्यौरा;

(घ) ताज एन्कलेव-रानी गार्डन पर, जहां उपरिगामी सेतु न होने से अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बनने वाले उपरिगामी सेतु के निर्माण की स्थिति; और

(ङ) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में पदस्थ लोक निर्माण विभाग के विभिन्न के विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारिया तथा उनका संपर्क-ब्यौरा

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) सफाई का ब्यौरा संलग्न है। फलोटिंग मैटीरियल निकालने का कार्य अभी भी चल रहा है।

(ख) मैसर्स साई ट्यूब वेल एवं भुगतान की गई राशि रु. 2.00 लाख (लगभग) एवं मैसर्स ठी.के.एन. डवलपर्स को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) रोड न. 57, जगतपुरी से बिहारी कालोनी तक, एवं डियूस्ड कैनाल से झील चौक तक।

(घ) उपरिगामी सेतु का प्रस्ताव एफ.ओ.बी./सबवे कमेटी के द्वारा जनवरी, 2017 में सम्भव (फीजीबल) नहीं पाया गया।

(ङ) उपरोक्त (ग) के अनुसार रोड के कुछ भाग के लियेः-

1. श्री विजय सिंह, कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) सम्पर्क-ब्यौरा 8802028700
2. श्री वी.के. गोयल, सहायक अभियन्ता सम्पर्क-ब्यौरा 9873760538
3. श्री ए.के. सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता सम्पर्क-ब्यौरा 9810255098
4. श्री इकबाल सिंह, कार्यपालक अभियंता (011-22452056)
5. श्री राकेश कुमार शर्मा, सहायक अभियंता (9958998336)
6. श्री संजय कुमार राव, कनिष्ठ अभियंता (8447023542)

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

PWD Desilting Report (Preparedness for Monsson)

DESILTING REPORT UNDER PWD MAINTENANCE EAST ZONE

As on 04.08.2017

Sl. No.	Name of Road/ Drain	Length of Road (Km)	Contractor	Date of Start of De-silting	Date of complation (1st Cycle)	% Drain cleaned (Lengthwise)	Estimate Qty. of silt (cum)	Qty. of silt lifted and disposed off (cum)	EE in charge/ Mobile No.
Circle/Divn.:- Shahadara/Shahdara (Road) Div.									
Name of MLA : Sh. S.K. Bagga									
Name of Constituency :- Krishna Nagar									
1.	Road No. 57 (Karkari More to Azad Nagar)	2.52	M/s T.K.N. Developers	25.02.2017	20.07.2017	100%	1920	1920	Sh. Vijay Singh 8802028700
Circle/Divn. :- East (Road)									
Name of MLA : Sh. S.K. Bagga									
Name of Constituency : Krishna Nagar									

1.	Disused canal road (Main Drain with EDMC)	2.90	M/s Sai Tube Well	15.03.2017	14.08.2017	75%	870	Sh. Iqbal Sing 9910925748
2.	Patparganj Road (50% of total length from Disues canal road to Jheel)	2.89		15.03.2017	14.08.2017	75%	2691.67	

51. श्री राजेश ऋषि : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी सुपर स्पेशियलटी अस्पताल के विभिन्न विभागों एवं उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा;

(ख) इस अस्पताल में डायलेसिस की सुविधा किस तारीख तक उपलब्ध करा दी जाएगी व कितनी मशीनें लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों, पैरा मैडीकल स्टाफ तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों का संपूर्ण ब्यौरा;

(घ) इस अस्पताल में 24 घंटे आपात सेवाएं किस तिथि से उपलब्ध करा दी जाएगी;

(ङ) दिल्ली कैंसर अस्पताल, पश्चिम जनकपुरी में 40 बिस्तरों वाला वार्ड और 10 बिस्तरों वाला आईसीयू कब से काम करना प्रारंभ कर देगा;

(च) वर्तमान में इस अस्पताल में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(छ) इस अस्पताल में उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जानकारी संलग्न है

(ख) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ग) डॉक्टर–78

पैरा मैडिकल स्टॉफ–75

अन्य स्टॉफ–28

(घ) इस अस्पताल में सम्बंधित विभागों से सम्बंधित प्रोफेसर और स्पेशलिस्ट की नियुक्ति होने पर एवं आईसीयू विभाग से सम्बंधित अभी प्रक्रिया पूर्ण होने पर 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कर दी जाएंगी।

(ङ) दिल्ली राज्य कैंसर चिकित्सा संस्थान में 40 बिस्तरों वाले वार्ड और 10 बिस्तरों वाले आईसीयू को प्रारंभ करने के लिए, विशिष्ठ डॉक्टरों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के पदों को भरने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियारत है।

(च) वर्तमान में इस अस्पताल में ओपीडी सुविधा, दिन की कीमोथैरेपी, ब्लड टेस्ट, फार्मेसी व साधारण एक्सरे हो रहे हैं।

(छ) इस अस्पताल में प्रथम चरण में प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

- डिजिटल एक्सरे (साधारण व रंगीन)
- अल्ट्रासाउंड, डॉप्लर
- सी टी स्कैन
- डिजिटल मैमोग्राफी
- निर्देषित रेडियोलॉजिकल प्रक्रियाएं
- अत्याधुनिक रेडियोथैरेपी सुविधायें (3 लीनियर, एक्सलेरेटर द्वारा जिनमें 1 अभी स्थापना की प्रक्रिया में है)।
- हाईडोज़ रेट ब्रेकीथैरेपी
- रेडियोथैरेपी के लिये आवश्यक उपकरण (सिम्यूलेटर, टीपीएस, ऑन्कोलॉजी इन्फोर्मेषन सिस्टम इत्यादि)
- 60 बिस्तरों की इन्डोर सुविधा (जिसमें 9 प्राइवेट कमरों का भी प्रावधान है।)

ANNEXURE-I

Janakpuri Super Speciality Hospital Society

Reply of Vidhan Sabha Starred Question No. 51

Point No. (क)

List of various departments and supportive services:

1. Cardiology = (OPD & Diagnostic Services)
2. Nephrology = (OPD & Diagnostic Services)
3. Neurology = (OPD & Diagnostic Services)
4. Gastroenterology = (OPD & Diagnostic Services)

Supportive Services

1. Physiotherapy
2. Occupational Therapy
3. Speech Therapy
4. Clinical Psychology
5. Radiology
6. Anesthesia

Lab Services

1. Pathology & Hematology
2. Microbiology
3. Biochemistry

52. श्री शिव चरण गोयल : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आचार्य भिक्षु अस्पताल में लगी एक्स-रे मशीन जनवरी, 2017 में आग लगने से नष्ट हो गई थी;

(ख) इस मशीन को बदलकर नई मशीन लगाने में हुए विलंब के क्या कारण है;

(ग) यह मशीन किस तिथि तक बदल दी जाएगी;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि अल्ट्रा साउंड मशीन' भी ठीक से काम नहीं कर रही है;

(ङ) अल्ट्र साउंड मशीन को किस तिथि तक बदल दिया जाएगा;

(च) क्या यह सत्य है कि अस्पताल में प्रतिदिन केवल चार या पांच प्रसव ही कराए जाते हैं जबकि इसकी क्षमता 20 प्रसव कराने की है;

(छ) यदि हां, तो ऐसे मामले दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में क्यों भेजे जाते हैं;

(ज) क्या यह भी सत्य है कि त्वचा विशेषज्ञों की अनुउपलब्धता के कारण रोगियों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(झ) इन कमियों को कब तक पूरी तरह से सुधार लिया जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं, एक्सरे की तीनों मशीनें ठीक प्रकार से काम कर रहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ) और (ङ) इस अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन पूर्णतः खराब हो चुकी है एवं वर्तमान में मशीन राम तुला राम अस्पताल, नजफगढ़ से लोन पर ली है। अल्ट्रासाउंड एवं कलर डॉप्लर की डिमाण्ड सी.पी.ए. को भेज दी गई है। नई मशीन से खरीदने हेतु सी.पी.ए. से प्रक्रिया जारी है।

(च) वर्तमान में मात्र एक स्त्री रोग विशषज्ञ उपलब्ध है।

(छ) स्पेशलिस्टि के छुट्टी पर होने पर नार्मल डिलिविरी को छोडकर सभी केस दीनदयाल अस्पताल रेफर कर दिए जाते हैं।

(ज) त्वचा रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है। वर्तमान में एक एसआर एवं 2 जेआर से ही काम चलाया जा रहा है।

(झ) विभाग इस विषय पर कार्य कर रहा है।

53. श्री शरद कुमार : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरेला विधान सभा क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजा हरीशचंद्र अस्पताल एकमात्र अस्पताल है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस अस्पताल में जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं और उपचार का अभाव है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अल्ट्रासाउंड मशीन निष्क्रिय पड़ी है क्योंकि यहां उसे चलाने वाला ही कोई नहीं है;

(घ) क्या इस अस्पताल में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में सुधार की सरकार की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और इसके कार्यान्वयन की समयावधि?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां, इसके अतिरिक्त नरेला क्षेत्र के निवासी डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल एवं भगवान महावीर अस्पताल की सेवा लाभ उठा सकते हैं।

(ख) जी नहीं। इस अस्पताल में मूलभूत स्पेशियलिटी सुविधाएं दी जा रही हैं। सूपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए मरीजों को रेफरल अस्पताल में भेजा जाता है।

(ग) रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति प्रक्रियारत है। वर्तमान में मरीजों को दिल्ली आरोग्य कोश योजना एवं ई.डब्ल्यू.एस. योजना के अन्तर्गत सरकारी empanelled प्राईवेट अस्पताल में भेजा जाता है।

(घ) और (ङ) जी हां। इस अस्पताल में सुविधाओं के सुधार हेतु सघन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.) एमरजेन्सी शल्य विभाग और सैन्टल गैस पाईप लाईन की सुविधा की शुरूआत करने की प्रक्रिया चल रही है।

54. श्री अजेश यादव : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बादली विधानसभा क्षेत्र के सिरसपुर गांव में कोई अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) इसके निर्माण में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) अस्पताल का निर्माण कार्य किस तिथि तक प्रारंभ हो जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) विलम्ब के निम्नलिखित कारण है:

1. भूमि के अधिग्रहण का मामला न्यायालय में विचाराधीन था जोकि 27.09.2010 को खारिज हुआ था।

2. तत्पश्चात् 09.04.2012 को लोक निर्माण विभाग द्वारा 200 बिस्तरों का अस्पताल बनाने के लिए सलाहकार की नियुक्ति की गई थी।

3. 17.08.2013 को लोक निर्माण विभाग द्वारा आरम्भिक धनराशी का विवरण जमा किया जिसे स्वास्थ्य विभाग ने अनुमति के लिए उच्च स्तर पर भेजा। 2014 में निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग ने इस अनुमानित धनराशी को संशोधित करने के लिए कहा। इस दौरान एफ.ए.आर. (FAR) बढ़ने के कारण माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2015 में यह निर्णय लिया कि 1500 बिस्तरों वाला अस्पताल एवं मैडिकल कालेज बनाया जाए।

4. स्वास्थ्य विभाग ने निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग को मैडिकल फंक्शन प्लान दिनांक 27.01.2016 को सौंप दिया गया है और सलाहकार का चयन करने के लिए कहा है, जोकि प्रक्रियारत है।

(ग) सिरसपुर में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक अस्थाई भवन में बाहरी रोगी विभाग सेवा छ: महीने में शुरू करने का निर्णय लिया गया है तथा स्थाई अस्पताल निर्माण का कार्य साथ-साथ ही चलता रहेगा और शीघ्र पूरा किया जाएगा।

55. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले दो वर्षों में जिन संपत्तियों को आरोपित किया गया है, उनका ब्यौरा;

(ख) इनमें से कितनी संपत्तियों को सील/डीसील किया गया हैं, कारण सहित उनका ब्यौरा;

(ग) नांगलोई मेट्रो स्टेशन के समीप बनिया की दुकान तथा हिरनकूदना मोड़

पेट्रोल पंप के साथ लगे सिटी पार्क (मैरिज लॉन) में हुए अवैध निर्माणों को हटाने के लिए उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में उघान विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा; और

(ङ) डेंगू व चिकनगुनिया की समस्या से निपटने के लिए उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा उठाए ज रहे कदमों का ब्यौरा?

शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** मुंडका विधान सभा क्षेत्र में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले दो वर्षों में 84 सम्पत्तियों को आरोपित किया गया है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** मुंडका विधानसभा क्षेत्र में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले दो वर्षों में 05 सम्पतियों को सील किया गया है और 02 सम्पत्तियों को सामान बाहर निकालने के एवज में अस्थायी रूप से डी सील किया गया।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** नांगलोई मेट्रो स्टेशन के समीप बनिया की दुकान वाली प्रॉपटी पर धारा 343 और 344 (1) के अंतर्गत एवं 29.05.2017 को डेमोलिशन एक्शन लिया गया है पेट्रोल पंप के साथ लगे सिटी पार्क (मैरिज लोन) को शुल्क 99,49,619/- जमा करने के उपरांत नियमितीकरण 21.02.2017 को किया गया है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** मुंडका विधानसभा क्षेत्र में उद्यान विभाग का कोई विकास कार्य नहीं चल रहा है। मानसून के मद्देनज़र विभागीय कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण कराया जा रहा है।

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** डेंगू व चिकनगुनिया की समस्या से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न है।

अनुसंलग्नक 'क'

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 2017 में डेंगू मलेरिया एवं चिकनगुनिया की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम इस प्रकार है–

1. उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 29.07.2017 तक मलेरिया के 37, डेंगू के 05 चिकनगुनिया के 03 मामले सामने आए है।

2. उत्तरी दिल्ली नगर निगम में डेंगू, मलेरिया व अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु कीटनाशक दवाई व प्रचार सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

3. 1500 डी.वी.सी. कर्मचारियों द्वारा हर घर की चैकिंग कराकर कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग किया जा रहा है। इनकी बीट उत्तरी दिल्ली नगर निगम की वेबसाईट पर डाल दी गई है तथा कोई भी नागरिक वेबसाईट पर इसका अवलोकन कर सकता है। कॉल सेन्टर हेल्पलाईन द्वरा इसे लिंक किया गया है। पब्लिक का कोई भी व्यक्ति न केवल अपने जोन वाईज वार्ड वाईज कॉलोनी वाईज कार्यरत डी.वी.सी. की जानकारी प्राप्त कर सकता है बल्कि अगर कोई शिकायत है तो कॉल सेन्टर हेल्पलाईन के नि:शुल्क नं. 18002008701 एवं 1800118700 पर दर्ज भी करा सकता है।

वर्ष 2017 में अब तक घरों की जांच की रिपोर्ट इस प्रकार है–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	किया हुआ कार्य 01.01.2017 से 29.07.2017 तक
1	2	3
1.	डी.बी.सी. द्वारा चैक किये गये घरों की संख्या	93,65,605
2.	ब्रीडींग पाये गये घरों की संख्या	26,427

1	2	3
3.	स्प्रे किये गये घरो की संख्या	1,05,278
4.	दिये गये लीगल नोटिस की संख्या	22316
5.	किये गये चालान की संख्या	5096

4. उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 900 फील्ड वर्कर (बेलदार) है जो आउटडोर बीच अनुसार नालियों तथा अन्य पानी के जमाव आदि में दवाई डालते है जिससे मच्छर की उत्पत्ति न हो, तथा 131 सहायक मलेरिया निरीक्षक कार्यरत हैं जिनमें से कुछ अस्पताल, डिस्पेसरी, क्लिनिक आदि में मलेरिया के लिए खून की जांच करते हैं तथा कुछ डी.बी.सी. कार्य का सूपरविजन करते है। इसके अतिरिक्त 21 मलेरिया निरीक्षक कार्यरत है जो उपरोक्त सभी कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों का निरीक्षण करते है।

5. मलेरिया/डेंगू के मामलों की सम्पूर्ण जानकारी जुटाई जाती है एवं आसपास के घरों में फोकल स्प्रे किया जाता है।

6. सभी जोन्स में पर्याप्त मात्रा में हस्तचलित फॉगिंग मशीन उपलब्ध हैं तथा उनसे घरों में फॉगिंग कराई जा रही है।

7. वडी टीफा मशीनों द्वारा भी सभी क्षेत्रों में कीटनाशक धुआं उपर्युक्त समय पर किया जायेगा।

8. सभी संस्थानों के प्रशासनिक प्रमुखों/विभागाध्यक्षों को उनके परिसरों को मच्छरों की उत्पत्ति से मुक्त रखनें के लिए सभी कलरों/टंकियों आदि को साफ रखने एवं किसी भी तरह के जल जमाव को रोकने के निर्देश जारी किये जा चुके है।

9. उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षा निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) को भी निर्देश जारी किये गये है कि सभी नोडल शिक्षकों एवं स्कूली विद्यार्थियों में इस बात की जागरूकता पैदा की जाए कि उनका विद्यालय परिसर मच्छरों की उत्पत्ति से पूरी तरह मुक्त रहे।

10. उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी क्षेत्रों के उप. स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों को कीट जनित बीमारियों के बचाव व नियंत्रण के लिए सभी उपाय करने हेतु निर्देश दे दिये गये है।

11. नोडल टीचर्स एवं सभी स्तर के मलेरिया स्टाफ का प्रशिक्षण विधिवत पूर्ण किया जा चुका है।

12. डेंगू जागरूक कार्यक्रम उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी 6 जोनों के 104 वार्डों में जून, 2017 से मनाया जा रहा है।

13. 25.06.2017 को माननीया महापौर महोदया के निर्देशानुसार सभी 104 वार्डों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत लगभग 10 हजार लोगों को डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया की रोकथाम हेतु जागरूक किया गया एवं कई जगह रैलियां भी निकाली गई।

14. विस्तृत जन–जागरूकता कार्य पम्फलेट, स्टीकर, बैनर, ब्राउशर, फलेक्स चार्ट एवं कलेण्डर आदि के द्वारा भी किया जा रहा है।

15. डी.बी.सी. को सरकारी संस्थानों में 100 प्रतिशत चेक करने के लिए निर्देश दिये गये हैं तथा वे सुनिश्चित करें कि इन संस्थाना में ब्रीडिंग न मिले।

16. डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया की रोकथाम, निदान एवं उपचार हेतु दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को भी निर्देश दे दिये गये है।

17. मच्छरों पर नियंत्रण हेतु आर.डब्ल्यू.ए. के साथ वार्ड लेवल पर जागरूकता कार्यक्रम किये जा रहे है।

18. सभी जोनों में ऑटों व जन सम्बोधन यन्त्र (P.A. SYSTEM) के माध्यम द्वारा मुनादी कराने की व्यवस्था की गई है।

19. चालान/लीगल नोटिस दोषी व्यक्तियों को दिये जा रहे हैं।

20. सभी जोन में मच्छर जनित बीमारियों के नियन्त्रण व रोकथाम के लिए नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

21. हर जोन में एण्टी मलेरिया दिवस भी मनाया गया है।

22. स्वास्थ्य शिक्षा अभियान हेतु डेंगू, मलेरिया की रोकथाम के लिए 200 होर्डिंग भी लगाए गये है।

23. स्वास्थ्य शिक्षा संदेश एफ.एम. रेडियो और अखबारों में विज्ञापन एवं नुक्कड़ नाटक द्वारा भी किये जायेंगे।

24. उत्तर रेलवे की साझेदारी से दिल्ली में ट्रैक के साथ-साथ एन्टी लारवा कार्य करने के लिये उन्हें पावर स्प्रे टैंकर तथा कीटनाशक दवाईयां भी उपलब्ध कराई जायेगी।

25. आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय सहयोग समिति की एक मीटिंग 20 जून, 2017 को आयोजित की गई है।

26. उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूलों के बच्चों को डेंगू गृह कार्य कार्ड वितरण तथा स्कूल के बच्चों द्वारा रैलियां भी करवाई जा रही है।

27. साप्ताहिक बाजारों में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

28. पत्र संख्या MHO/N/2017/234 दिनांक 17.05.2017 के द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी वार्डो में निरिक्षण टीम का गठन करा दिया गया हैं। और सभी विभागाध्यक्षों का व्हाट्स एप पर एक ग्रुप भी बनाया गया जिससे फील्ड वर्क का निरीक्षण सुचारू/कारगर ढंग से किया जा सके।

यह उत्तर आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृत है।

ह/–

निगम स्वास्थ्य अधिकारी
उत्तरी दिल्ली नगर निगम

56. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा;

(ख) क्या ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय के रूप में सरकार उपरिगामी सेतुओं का निर्माण करने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित का ब्यौरा;

(घ) क्या सरकार ने उपरिगामी सेतुओं पर लगाए गए एस्केलेटरो के बारे में कोई अध्ययन करवाया है

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा;

(च) ऐसे एस्केलेटरों का ब्यौरा जोकि काम नहीं कर रहे है और उन्हे ठीक करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा; और

(छ) इन एस्केलेटरो के उचित रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है।

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यकतानुसार फुट ओवरब्रिज व सबवे का निर्माण करवाया जा रहा है। सड़कों के बीच की डिवाइडर में रेलिंग लगायी जा रही है और सावधानी बोर्ड, जेबरा क्रोसिंग आदि भी बनाए जा रहें हैं जिससे पैदल यात्री केवल निर्धारित जगहों पर ही सड़क पार करें।

(ख) हां आवश्यकतानुसार।

(ग) निम्न जगहों पर फुट ओवर ब्रिज बनाये जा रहे है:-

1. साकेत मेट्रो स्टेशन
2. जनकपुरी वैस्ट मेट्रो स्टेशन
3. स्वर्ण पार्क, मुंडका
4. लाल बहादुर शास्त्री मार्ग
5. सन्यास आश्रम, बेला रोड
6. मौहम्मद पुर गांव
7. कमल टी प्वांइंट, रोहतक रोड
8. इन्दरलोक मैट्रो स्टेशन
9. उल्लन बट्टर मार्ग
10. कीर्ति नगर मैट्रो स्टेशन

(घ) से (च) विभागीय अध्ययन कराया जाता है। रिर्पोट संलग्न है।

(छ) वार्षिक अनुरक्षण कान्टैक्ट का प्रस्ताव दिया जा रहा है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

STATUS OF FOB'S UNDER EAST ZONE

Sl. No.	Location	Existing Lift/ Escalator	Functional of Lift/Escalator
1	2	3	4
1	Matka Pir Near Bhairon T-Point	Lift	Being Repaired
2	Pragali Maidan Gate No. 4	No Lift/ Escalator	No Lift/ Escalator
3	Pragati Maidan Gate No. 7	-do-	-do-
4	In front of MSO Building	Escalator	Functional
5	In front of FSBT Kashmere Gate	Escalator	-do-
6	Majnu ka Tilla	No Lift/ Escalator	No Lift/ Escalator
7	ROB Askhardham M. B. Road	-do-	-do-
8	Lalita Park Pusta Road	-do-	-do-
9	DM Office Pusta Road	-do-	-do-
10	Gandhi Nagar Pusta Road	-do-	-do-
] 1	ROB-36 (Near Shakarpur School Block Bus Stand)	Lift	Functional
12	Mayur Vihar Phase-I U. P. Link Road	-do-	1 No. Functional & 1 No. Non Functional
13	Mayur Vihar Phase-1 Extn. U. P. Link Road	-do-	Functional
14	Ramesh Park Pusta Road	-do-	-do-
15	Bhopura Border, Road No. 63	No Lift/ Escalator	No Lift/ Escalator

1	2	3	4
10	Meet Nagar, Road No. 63	-do-	-do-
17	Ambedker Collage, Road No. 59	-do-	-do-
18	Yamuna Vihar, C-block, Road No. 59	-do-	-do-
19	Vishwas Nagar across Road No. 57	Escaiator	Functional
20	Hasanpur across Road No. 57	Escalator	One Escalator Non Functional
21	Road No. 57, Near Krishna Nagar	No Lift/ Escalator	No Lift/ Escalator
22	Road No. 57, Bihari Colony, G. T. Road Junction point	Escalator	Functional
23	Road No, 56, Opposite 1SBT Anand Vihat	-do-	-do-
24	Road No. 56, Opposite Ghazipur Village	-do-	-do-
25	Road No. 56, Opposite EDM Mall.	-do-	-do-
26	Road NO. 56, Apsara Border	Lift	Functional
27	G. T. Road Seelampur	Lift	Functional
28	G. T. Road no. 62 near Apsara Border	Lift	Functional
29	Jhandewalan Mandir on D. B. Gupta Road	No Lift/ Escalator	NA

(UMESH MISHRA)
Chief Engineer (East) M Zone

STATUS OF FOB'S UNDER NORTH ZONE

Sl. No.	Location	Existing Lift/ Escalator	Functional of Lift/Escalator
1	2	3	4
1	ROB No. 37 FOB at Kanhaiya Nagar	No	--
2	Sarai Rohilla	No	--
3	Shakurpur	Lift	Functional
4	Shaliniar Bagh	No	--
5	Netaji Subhash Place	Lift	Functional
6	Punjab Kesri	Lift	-do-
7	Ptembari	No Lift/ Escalator	--
8	Road No. 43 near Rani Bagh Chowk	-do-	--
9	A/adpur	Escalator	Functional
10	Vltikarha Chowk	Lift & Escalator (Both)	-do-
11	Gopalpur	Lifts	-do-
12	Ouier Ring Road. Behra Enclave (First)	Escalator	-do-

1	2	3	4
13	Outer Ring Road. Behra Enclave (Second)	-do-	-do-
14	NH-10 (Delhi Rohtak Road) at Nangloi (Near Lokesh Cinema)	No Lift/ Escalator	-
15	NH-10 (Delhi Rohtak Road at Swam Park (Near Metro Station)	No Lift/ Escalator	-
16	Shiv Dass Puri Marg at Karampura	No Lift/ Escalator	--
17	Ring Road near Rajouri Garden Gurudwara	-do-	--
18	Ring Road near Janmashtmi Park Punjabi Bagh	-do-	--
19	Najaf Garh Road Near District Centre Janakpuri	-do-	--

DETAILS OF FOB'S SOUTH ZONE

Sl. No.	Name of FOB	Location	Provision of Lift status of Lift working or not	Provision of Escalator status of working or not	Remarks
1	2	3	4	5	6
		South-West Circle			
(A) Under construction					
1	Nelson Mandela Marg (Road No. 17) near JNU Campus (in front of DLF mall)	Nelson Mandela Marg (Road No. 17) near JNU\ ampus (in front of DLF mall)	2 lifts provided	No Escalator	Work is in progress. 90%
2	Ullan Battar Marg	Ullan Battar Marg	2 lifts provided	No Escalator	Work is in progress. 65%
(B) Under Maintenance					
1	Pankha Road	Janak Cinema	No Lift	No Escalator	
		South Circle			

1	Qutub Metro Station	Anuvart Marg	Provision of 2 lifts only	No Escalator	Work awarded. Tree cutting permission is still awaited.
(B) Under Maintenance					
1	Saket Metro Station	Saket Metro Station	2 Lifts installed and working	No Escalator	
2	Near D. C. Office M. B. Road.	Near D. C. Office M. B. Road.	No Lift	No Escalator	
3	NearBatra Hospital, M. B. Road	Near Batra Hospital, M. B. Road	No Lift	No Escalator	
4	Panchsheel	Outer Ring Road	2 lifts provided & testing in progress	No Escalator	
5	Near Azad IIT Apartment	Aurobindo Marg	2 lifts provided and working	No Escalator	
6	Jia Sarai	Outer Ring Road	2 lifts provided and working	No Escalator	

1	2	3	4	5	6
		South East			
(A) under construction					
		Nil			
(B) Under Maintenance					
1	Jangpura, FOB	Near Jangpura Metro Station on BRT	2 lifts provided & 1 working & 1 temparory out of order	No Escalator	
2	Ashram, FOB	Near Ashram Bus stand on Mathura road	No Lift	No Escalator	
4	Nehru Nagar	Ring Road	No Lift	Escalator Provided and working	
5	Maharani Bagh	Ring Road	No Lift	Escalator Provided but temparory out of order	

6	Near Sai Mandir	B. P. Marg	lift provided but not working	No Escalator	Not working due to theft of parts of lifts
7	Pusp Vihar	BRTRoad	No Lift	No Escalator	
8	Madan giri	BRT Road	No Lift	No Escalator	
9	Bhairon Mandir, Near Kalkaji Mandir	Outer Ring Road	No Lift	No Escalator	
10	NSIC Fob	Outer Ring Road	No Lift	No Escalator	
11	Modi Mill Flyover	Outer Ring Road	No Lift	No Escalator	
12	Pehladpur	MB Road	No Lift	No Escalator	
13	Lai Kuan	MB Road	No Lift	No Escalator	
14	Ratia Marg	MB Road	No Lift	No Escalator	
15	Mangal Bazar	MB Road	No Lift	No Escalator	
16	Pamposh Enclave	Outer Ring Road	No Lift	No Escalator	
17	Shaheen Bagh	Road No 13 A	No Lift	No Escalator	
18	Petrol Pump Sarita Vihar	Road No 13 A	No Lift	No Escalator	

57. श्री विशेष रवि : क्या **गृहमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में थाना स्तरीय समितियों को भंग किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) माननीय सांसदों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों को बनाये जाने के लाभ;

(ग) जिला स्तरीय समितियों की करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके में हुई बैठकों की संख्या; और

(घ) क्या जिला स्तरीय समितियों की असफलता को देखते हुए थाना स्तरीय समितियों को पुन: प्रारंभ किए जाने का कोई प्रस्ताव है?

गृहमंत्री : (क) माननीय उपराज्यपाल महोदय ने थाना स्तरीय समिति बनाने की अनुमति नहीं दी।

(ख) जिला स्तर समिति बनाये जाने के लाभ : पुलिस अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों के साथ अपराध रोकने के तरीके, साम्प्रदायिक एकता, महिला सुरक्षा, सार्वजनिक जमीन पर अनाधिकृत निर्माण व अतिक्रमण रोकने, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, यातायात से संबंधित समस्याओं आदि विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान होता है तथा संबंधित समस्याओं का सामाधान किया जाता है। इसके अलावा जिला के अंतर्गत किसी भी विधानसभा व थाना से संबंधित पूर्व कथित विषयों को जिला स्तरीय समिति में उठाया जा सकता है और विचार किया जा सकता है।

(ग) मध्य जिला (दिल्ली पुलिस) में जिला स्तरीय समिति के पुर्नगठन के बाद अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है।

(घ) सरकार थाना स्तरीय समिति बनाने के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय के पास दुबारा प्रस्ताव भेजेगी।

58. श्री सोमनाथ भारती : क्या **उपमुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजन उपलब्ध कराने वाले प्रत्येक व्यवसाय के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम व उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है;

(ख) विभाग में पंजीकृत मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के ऐसे सभी भोजन व्यवसाय चलाने वालों का ब्यौरा;

(ग) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत फूडज्वाइंट/परिचालकों को विरूद्ध प्राप्त शिकायतें व उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी, हां।

(ख) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा भोजन व्यवसाय चलाने वालों को अबतक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत् 852 वैद्य अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) जारी किए गए हैं और 1405 पंजीकृत किए गए हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों में 31 शिकायतें मिर्ली हैं, जिनमें कुछ शिकायतों की पुनरावृति हुई है और इस आधार पर अब तक खाद्य पदार्थ के 11 नमूने जॉच के लिए उठाएं गए हैं। जिसमें 02 नमूनें मिथ्या छाप पाये गए और 1 का विश्लेषण रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है और बांकी कुछ शिकायतों पर अभी कार्रवाई होनी है। उपरोक्त 2 मिथ्या छाप नमूनों पर खाद्य संरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 के तहत् कार्रवाई की जा रही है।

Sl. No.	Assmbly Name	Duration			
		15/02/2015 to 31/07/2015	01/08/2015 to 31/07/2016	01/08/2016 to 31/07/2017	Total
		Total No. of Complaint	Total No. of Complaint	Total No. of Complaint	
1	2	3	4	5	6
1.	Adrsh Nagar	0	10	6	16
2.	Ambekar Nagar (SC)	0	1	3	4
3.	Babarpur	0	2	2	4
4.	Badarpur	0	9	9	18
5.	Badli	0	1	1	2
6.	Balimaran	0	8	10	18
7.	Bawana (SC)	0	15	4	19
8.	Bijwasan	0	31	19	50
9.	Burari	0	2	8	10
10.	Chandni Chowk	0	11	23	34
11.	Chhatarpur	0	9	18	27
12.	Delhi Centt	0	3	5	8
13.	Deoli (SC)	0	8	2	10
14.	Dwarka	0	21	14	35

1	2	3	4	5	6
15.	Gandhi Nagar	0	3	4	7
16.	Ghonda	0	2	14	16
17.	Gokalpur	0	10	7	17
18.	Greater Kailash	0	10	20	30
19.	Hari Nagar	0	19	20	39
20.	Janak Puri	0	46	16	62
21.	Jangpura	0	7	8	15
22.	Kalkaji	0	19	28	47
23.	Karawal Nagar	0	4	0	4
24.	Karol Bagh(SC)	0	3	13	16
25.	Kasturba Nagar	0	5	3	8
26.	Kirari	0	0	0	0
27.	Kondli	0	14	7	21
28.	Krishna Nagar	0	20	29	49
29.	Laxmi Nagar	0	11	7	18
30.	Madipur(SC)	0	3	3	6
31.	Malviya Nagar	0	19	12	31
32.	Mangol Puri(SC)	0	28	21	49
33.	Matia Mahal	0	8	3	11
34.	Matiala	0	2	2	4

1	2	3	4	5	6
35.	Mehrauli	0	20	2	22
36.	Model Town	0	6	13	19
37.	Moti Nagar	0	28	9	37
38.	Mundka	0	8	2	10
39.	Mustafabad	0	0	3	3
40.	Najafgarh	0	7	21	28
41.	Nangloi Jat	0	13	5	16
42.	Nerela	0	9	9	18
43.	New Delhi	0	12	16	28
44.	Okhla	0	11	7	18
45.	Palam	0	7	7	14
46.	Patel Nagar	0	7	9	16
47.	Patparganj	0	19	7	26
48.	R.K. Puram	0	2	0	2
49.	Rajendra Nagar	0	34	7	41
50.	Rajouri Garden	0	18	8	26
51.	Rithala	0	3	0	3
52.	Rohini	0	5	0	5
53.	Rohtas Nagar	0	10	3	13
54.	Sadar Bazar	0	28	34	62

1	2	3	4	5	6
55.	Sangam Vihar	0	10	1	11
56.	Seelampur	0	4	5	9
57.	Seema Puri(SC)	0	9	7	16
58.	Shahadara	0	11	10	21
59.	Shakur Basti	0	12	7	19
60.	Shalimar Bagh	0	3	6	9
61.	Sultanpur Majra	0	1	16	17
62.	Tilak Nagar	0	10	10	20
63.	Timarpur	0	19	20	39
64.	Tri Nagar	0	12	6	18
65.	Trilokpuri (SC)	0	15	5	20
66.	Tughlakabad	0	9	2	11
67.	Uttam Nagar	0	27	9	36
68.	Vikaspuri	0	10	3	13
69.	Vishwas Nagar	0	8	17	25
70.	Wazirpur	0	9	20	29
	Total		780	647	1427
	Genral Complaint				390
	Total Complaint				1817

59. श्रीमती सरिता सिंह : क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहतास नगर विधान सभा क्षेत्र में नाला सं. 52 किस एजेंसी के स्वामित्व में हैं;

(ख) इसके रखरखाव व इसकी सफाई के लिये जिम्मेदार संस्था;

(ग) क्या इस नाले के पुननिर्माण या इसे ढकने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां तो यह कार्य किस तिथि तक प्रारंभ हो जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण;

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्वामित्व में हैं।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम।

(ग) लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं।

(ङ) उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

60. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रघुबीर नगर स्थित गुरुगोबिंद सिंह अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा;

(ग) क्या इस उद्देश्य से एक नए ब्लॉक का निर्माण किया जाना है,

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति;

(ङ) इस प्रस्ताव के लिए किए बजट प्रावधानों का ब्यौरा;

(च) इसका निर्माण कार्य किस तिथि तक प्रारंभ हो जाएगा;

(छ) इस उद्देश्य के लिए वांछित अतिरिक्त मेडीकल, पैरा मेडीकल व अन्य स्टाफ की नियुक्ति के लिए उठाए जा रहे कदम;

(ज) क्या यह सत्य है कि अस्पताल में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है;

(झ) अस्पताल में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संख्या;

(ञ) क्या यह भी सत्य है कि अस्पताल में अवैध कब्जों के कारण रोगियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ट) सरकार द्वारा इन कब्जों को हटाए जाने के लिए उठाए जा रहे कदम?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) इस अस्पताल में अतिरिक्त 472 बिस्तरों वाला नया ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) 472 बिस्तर वाले नये ब्लॉक का नक्शा अनुमोदन चरण में हैं, लोक निर्माण विभाग ने इस नए ब्लॉक के निर्माण हेतु लगभग 164 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान दिया है।

(ङ) अस्पतालों के निर्माण हेतु समेकित बजट का प्रावधान किया गया है एवं आवश्यकतानुसार एवं अनुमान स्वीकृति के अनुसार इस अस्पताल के लिए चरणबद्ध बजट का प्रावधान किया जाएगा।

(च) लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए अनुमान की स्वीकृति होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

(छ) विभिन्नि श्रेणियों के वांछित कर्मचारियों की संख्या, सूचित करने का निर्देश अस्पताल को जारी कर दिया गया है।;

(ज) और (झ) जी नहीं, स्वीकृत पदों की संख्या 415 एवं रिक्त पदों की संख्या 33 है।

(ञ) जी नहीं, अवैध कब्जे अस्पताल के अन्दर नहीं बल्कि बाहर एवं गेट के साथ हैं जिससे रोगियों को अन्दर आने में असुविधा का अनुभव होता है।

(ट) अवैध कब्जों को हटाए जाने हेतु दिल्ली नगर निगम से अनुरोध किया गया है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

137. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.जी.ई.एच.एस. कार्ड धारकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स/डॉयग्नोस्टिक सैण्टर में इलाज या जांच करवाने के लिए किसी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी से रैफर करवाने की जरूरत है; यदि हां तो पूरी प्रक्रिया बताएं और ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध करवायें;

(ख) एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स/डॉयग्नोस्टिक सैण्टर में इलाज करवाने के बाद सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी से दवाइयां न उपलब्ध होने पर उनको संबंधित सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी दवाईयों का 'एन/ए' करवाना जरूरी है;

(ग) यदि हां तो पूरी प्रक्रिया बताएं और ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध करवायें?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं, रैफर करवाना आवश्यक नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) यदि कोई दवा सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी में उपलब्ध है, तो वह वहीं से लेनी होती है। यदि उपलब्ध नहीं हो तो इसके लिए एन/ए लेना आवश्यक है, परन्तु यदि एन/ए तुरन्त नहीं लिया जा सका है तो दिनांक 02.05.2012 के सरकुलर के अनुसार यह एन/ए डॉक्टर के परामर्श/दवा लिखे जाने की तिथि के बाद में भी लिया जा सकता है।

138. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिठाला विधानसभा के अवन्तिका सैक्टर-1 रोहिणी महादेव चौक पर स्थित जमीन स्वास्थ्य विभाग की है; और

(ख) यदि हां, तो विभाग की उस जमीन पर क्या योजनाएं हैं, पूरा विवरण सहित बताया जाए?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं, रिठाला विधानसभा के अवन्तिका सेक्टर 1 रोहिणी, महादेव चौक पर स्थित जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह जमीन स्वास्थ्य विभाग को औषधालय बनाने के लिए प्रस्तावित (offer) की है। जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सहमति पत्र दिनांक

30.09.2016 एवं 03.08.2017 द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दे दी है। प्राधिकरण से औपचारिक आबंटन पत्र (Allotment letter) अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आगे की कार्यवाही आबंटन पत्र के प्राप्त होने पर की जाएगी।

(ख) प्राधिकरण से औपचारिक आबंटन पत्र (Allotment letter) अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आगे की कार्यवाही आबंटन पत्र के प्राप्त होने पर की जाएगी।

139. **श्री महेन्द्र गोयल :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अम्बेडकर अस्पताल रोहिणी सैक्टर-9 में हृदय से संबंधित रोग का इलाज नहीं है;

(ख) अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की अस्पताल में हृदय से संबंधित इलाज की व्यवस्था करने की कोई योजना है;

(घ) अगर हां तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है पूर्ण विवरण सहित बताएं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) हृदय रोग से सम्बंधित कुछ रोगों का इलाज किया जाता है।

(ख) उपरोक्त के सन्दर्भ में लागू नहीं।

(ग) वर्तमान में कोई योजना नहीं है। हृदय रोग के इलाज की सुविधा दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल जी.बी. पंत अस्पताल में उपलब्ध है।

(घ) उपरोक्तानुसार के सन्दर्भ में लागू नहीं।

(ङ) बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में हृदय रोग के लिए पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना अभी सम्भव नहीं है।

140. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) अम्बेडकर अस्पताल, सैक्टर 6, रोहिणी में वर्तमान में कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ख) क्या यह सत्य है कि अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की भारी मात्रा में कमी है;

(ग) यदि हां, तो विभाग द्वारा कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या योजना है, पूर्ण विवरण सहित बताया जाए?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) अम्बेडकर अस्पताल में आउटसोर्स (outsource) द्वारा 90 सफाई कर्मचारियों का पद निर्धारित है।

(ख) सफाई कर्मचारियों के पदों की संख्या प्रशासनिक सुधार विभाग एवं वित विभाग के द्वारा निर्धारित मानदण्ड (norms) को देखते हुए किया जाता है।

(ग) सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने हेतु योजना प्रक्रियारत है।

141. श्री सोमनाथ भारती : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को देखभाल हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; इस हेतु आबंटित बजट परियोजना उसका इस्तेमाल एवं परियोजना के शुरू होने की तिथि सहित पूर्ण विवरण दें;

(ख) दिल्ली में अब तक कितने मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं; विधानसभा-वार विवरण दें;

(ग) पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में क्या-क्या स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं;

(घ) इस अस्पताल में आईसीयू सुविधा देने की भी सरकार की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रारंभ कर दी जाएंगी; और

(च) मालवीय नगर विधानसभा के अन्तर्गत कितने अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस केटेगरी के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं; अस्पताल-वार पूर्ण विवरण दें?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जानकारी संलग्न है जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु चलाई जा रही योजनाएं सम्मिलित हैं (संलग्नक-I)। और योजनाओं के लिए आबंटित राशि की सूची भी संलग्न की गई है (सलग्नक-II)

(ख) विधानसभा-वार सूची संलग्न है। (सलग्नक-II)

(ग) उपरोक्त प्रश्न के विवरण की सूची संलग्न है (सलग्नक-III)।

(घ) अस्पताल की आई.सी.यू. सेवा उपलब्ध है। परन्तु गैस पाईप लाईन न होने के कारण आई.सी.यू. सुविधा पूर्णरूप से चालू नहीं है।

(ङ) मैडिकल गैस पाईप लाईन स्थापित होते ही यह सुविधा पूर्णरूप से रोगियों के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

(च) मालवीय नगर विधान सभा के अन्तर्गत अस्पतालों की सूची संलग्न है। (सलग्नक-IV)

SERVICES PROVIDED AT PT. MADAN MOHAN MALAVIYA HOSPITAL

1. OPD SERVICES:

Departments

Medicine

Paediatrics

Gynaecology & Obstetrics

Family Welfare

Ophthalmology

ENT

Dental

Orthopaedics

Surgery

Physiotherapy

HIV counseling Clinic

Dietetics

Psychiatry

Skin

II. INDOOR SERVICE

It is a 100 bedded hospital. Total 103 functional beds are available as per details given below:

Gynaecology & Obstetrics	12
Postnatal	11

Antenatal	05
Medicines	15
Paediatrics	15
Ortho	08
Surgery	
Eye	03
ENT	03
ICU	06
NICU	05
Special Care Beds	02
Accident & Emergency	10

III. EMERGENCY SERVICES

Emergency Services are available round the clock. Specialists are available on call. All kind of Emergency patients are attended to in the emergency. For facilities not available in the hospital patients are referred to higher centers after stabilization. In house hospital Ambulance services are available in addition to CATs ambulances on call.

IV. LABOUR ROOM AND NURSERY SERVICES

Labour Room services and nursery services are available in the hospital 24X7.

V. OPERATION FACILITIES

Two Major Operation theatres - One elective OT where major elective surgeries of different departments are done on allocated days &. Second is Emergency OT functional round the clock.

There are 3 minor operation theatres whereby day care surgeries are performed in various disciplines like, Eye, ENT, General Surgery, Orthopaedics and Obstetrics & Gynaecology.

VI. SNCU (Sick Newborn Care Unit) - 05 bedded

VII. ICU (Intensive Care Unit) - 06 bedded

VIII. PHARMACY

All the medicines as per the hospital formulary from the essential drugs list of govt. of NCT of Delhi are available in the Hospital Pharmacy free of cost.

- Urine Routine Microscopic
- Pregnancy Test
- Blood group
- Cross Match
- Glucose
- Urea
- Creatinine
- S Bilirubin
- SGOT
- SGPT
- Alkaline phosphatase
- Serum electrolytes
- ABG

iii. X-ray round the clock

iv. Ultrasound & colour Doppler

v. ECG round the clock

X. BLOOD STORAGE SERVICE :

Hospital has a blood storage facility which is functional 24X7. The Red Cross & MAMC Blood Bank is the mother blood bank. The blood is generally provided to admitted & critically ill patients against donation.

XI. SPECIAL CLINICS

Name of the clinic	Day (s)
Chronic Illness Clinic (Children)	Wednesday
Asthma Clinic (Children)	Tuesday
Well Baby Clinic	Friday
Malnutrition clinic	Thursday
Immunization clinic	Daily
IYCF	Daily
Ante Natal Clinic	Monday to Saturday

DIAGNOSTIC SERVICES

i. Lab Investigations

- **Haematology :** Hb, TLC, DLC, MCV, MCH, MCHC, Platelet count, Peripheral blood film examination, Absolute Eosinophil count, P/S for MP, blood Grouping, Bone Marrow Aspirate examination, Bleeding time, clotting Time, ESR.
- **Biochemistry:** Bilirubin, SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase, Total Protein, Albumin, Globulin, Urea, creatinine, uric acid, Cholesterol, Triglycerides, HDL, LDL, Glucose (Fasting, Post Prandial, Random). Glucose Challenge test and Tolerance test.)
- **Cytology :** FNAC, Pap, Smear, Fluid Cytology Ascitic, pleural, CSF, Synovial Fluid.

- **FLUIDS :** Urine Routine and Microscopic, Urinary Pregnancy test, Semen Analysis, Fluids Biochemistry.
- **Electrolytes :** Sodium, Potassium, Chloride.
- **Blood'Storage :** Cross'matching and release of blood bags.
- **Microbiology:-**Culture (Blood, Urine, Pus, Fluids, Others) Antibiotic Sensitenety Test, Staining, Gram, AFB, OT Culture, Disinfectantant Testing
- **Serology:** WIDAL TEST, RA FACTOR, MALARIA ANTIGEN, ASO TTTRE, CRP, HBs Ag, HB Sag, HCV ANTIBODY, DENGUE SEROLOGY (NS1 Ag & Ig M) ; HIV, RPR
- **Stool :** M/E, OCCULT BLOOD, HANGING DROP

II. LABORATORY INVESTIGATIONS AVAILABLE 24X7

- Hb
- TLC
- DLC
- Plalelet Count
- BT
- CT

Family Welfare Clinic	Daily
Infertility Clinic	Wednesday
Diabetic Screening Clinic	Wednesday
Chest Clinic	Daily
Senior Citizens Clinic	Tuesday & Friday
Chest Clinic	Daily
HIV Counselling Clinic	Daily
PAC Clinic	Daily

XII. SUNDAY SENIOR CITIZEN CLINIC

Sr. Citizen Sunday Clinic	On every Sunday exclusively for senior citizens

XIII. OTHER SPECIAL SERVICES AVAILABLE

1. Sentinel Hospital for Vector Borne Disease
2. Nodal Hospital for (H1N1) Swine Flu
3. South Delhi Station for CATS Ambulance.
4. Dengue Lab for South District
5. 05 bedded de-addiction Centre for juveniles
6. Disability Certification Board for South District
7. DAK Services are being provided as per Delhi Govt. Policy

ANNEXURE-II

MCD Ward wise list of AAMC

C. No	AC Name	Ward No	SI	Ward Name	Address of AAMC	Address of AAMC	Address of AAMC	Address of AAMC
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Trilokppuri	001 -E	1	MayurVihar	Shastri Mohalla			
	Trilokpuri	002-E	2	Trilokpuri-East	AAMC, 6/233,			
	Trilokpuri	003-E	3	Trilokpuri-West	AAMC, 25/446,			
56	Kondli	005-E	5	Kondli	Prachin Shiv Mandir, Nr. Bharli	Vasundhara Enclave, Dallpura, Nr.	1	
	Kondli	006-E	6	Gharoli	Gharoli Dairy Farm,			
	Kondli	007-E	7	Dallupura	Dallupura Vill.. Harijan	Partap Chowk, Dallupura,		
	Kondli	008-E	8	Kalyan	B-19,	B-5,		
57	Patparganj	009-E	9	Mandawwli	Talab Chowk,			
	Patparganj	010-E	10	Vinod Nagar	D-55, West Vinod			
	Laxmi Nagar	015-E	15	Shakarpur	CPA Building,			
	Laxmi Nagar	016-E	16	Pandav Nagar	C-95, Ganesh			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Gandhi Nagar	025-E	25	Gandhi Nagar	Basti Vikas Kendra, JJ Cluster near railway			
	Gandhi Nagar	026-E	26	Kanti Nagar	House No. B2/4A, Street 4, East Azad Nagar			
62	Shahdara	028-E	28	Dilshad Colony	AAMC Porta Cabin block, Near Jama masjid, behind MCD			
	Shahdara	029-E	29	Vivek Vihar	AAMC Below GT Road Flyover Near Mansarover Park Metro			
	Shahdara	030-E	30	Jhilmil	House No. 312, Gali No-6, Gautam Gali. Jwala	Flat No 193 A, Satyam Enclave, Delhi-110095	House No 7/376, Jwala Nagar, Main Road	

63	Seema Puri	032-E	32	Nand Nagri	House No D-233, School Block			
	Seema Puri	033-E	33	Sunder Nagri	AT Road No. 69, Gagan crossing to Tahirpur			
	Seema Puri	034-E	34	New Seemapuri	House No. A-170, Dilshad Colony, Delhi-	AAMC Porta Cabin at Gagan Cinema Xing	AAMC Porta Cabin Near Bus Depot of DTC. Seemapuri	1
	Rohtas Nagar	039-E	39	Welcome Colony	House No. 1/1616-17 Gali No. 6, Subhash Park Ext. Shahdara, Delhi-	House No B-10 (1/11805). Plot No. A-28, Panchsheel Garden.		
	Seelampur	043-E	43	Gautam Puri	New A-1 18, MS Market, Second Pusta Main	In front of Galaxy Salon Centre, Gali No. 2.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ghonda	046-E	46	Ghonda	K6/4B, Street No. 22, West Ghonda.	B-1, Kartar Nagar, 3. 5 Pusta, Street No.		
	Ghonda	047-E	47	Braham Puri	930, Gali No. 30/7. Jafarabad, Delhi	H. No. 42/1 Puri Street No. 1, Maujpur Near JM		
67	Babarpur	048-E	48	Subhash Mohalla	House No. C-11/96, Yamuna Vihar, Delhi-110053	House No. D-44, Gali No. 9, Sattar Gali, Main Mohan		
	Babarpur	049-E	49	Kardam Puri	House No. 58, Street No. 3, North Chhajupur	AAMC Porta Cabin on Road no. 66, along drain		
	Babarpur	051-E	51	Janta Colony	AAMC Porta Cabin Road no. 65 in front of Janta			
	Gokalpur	053-E	53	Gokal Puri	D-29, Gokalpuri,	B-18/1, Ganga		

	Gokalpur	054-B	54	Saboli	House No. C-2/12-B Meet Nagar, Khasra 336, Saboli			
	Mustafabad	058-E	58	Mustafabad	455, Street No. 8, Moonga Nagar, Karawal Nagar Road Delhi	C-45, Gali No. 03, Ambika Vihar, Shiv Vihar, Delhi-94	B-90, BG/F, House No-36/17, Gali No-14, Main 75 Feet	H. No. 200, Gali No. 06, Phase-9, Shiv Vihar, Delhi-94
	Narela	003-N	67	Alipur	Sant Kirpal Singh Public			
	Narela	004-N	68	Holambi Khurd	H. No. 246 Tyagi			
2	Burari	006-N	70	Kadipur	AAMC Nauthupura Main Budh	AAMC Burari P. O Building.		
	Burari	008-N	72	Jharoda	AAMC Wazirabad Khasara No-120, Gali No-17.			
	Adarsh Nagar	017-N	81	Adarsh Nagar	H. No. 467 D Near Budh	Amber Tower Azad Pur		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badli	023-N	87	Samaypur Badli	A-215, Bhalaswa Dairy			
6	Rithala	024-N	88	Rohini-A	F4/6, Sector 16			
	Ritual A	027-N	91	Budh Vhar	H. No. 231-32, Kh. No. 28/19, Mange Ram Park, Budh Vihar	KH no:65/10, Q-44, Budh Vihar, Phase-1, Opp Surya		
	Rithala	028-N	92	Rithala	On the bank of nala, Rithala village.			
	Bawana	030-N	94	Bawana	126, Ishwar Colony Ext.	Gram Sabha Land		
	Bawana	033-N	97	Begumpur	Kno:25 H. No. 13A, Rajiv Nagar, Begumpur, Opp. Sector-22 Rohini	Kno: 102/10, H. No. E-31, Rajiv Nagar, Begumpur, Opp. Sector-22 Rohini	KNo: 102/10. H. No. E-31, Rajiv Nagar, Begumpur, Opp. Sector-22 Rohini	Hno: 271 pole no 521-1/2/7/5 Village Sultanpur Dabas Neemwali

	Mundka	03 8-N	102	Nilothi	H. No. 9, Gali No. -3, Lekh Ram		
	Kirari	044-N	108	Nithari	H. No. C-441, Khasra No. 42/3, Inder	Khno: 193, Shish Mahal enclave	
	Sultanpur Majra	047-N	111	Sultanpuri-B	P 2/652, Sultanpuri J. J. colony,		
	Sultanpur Majra	048-N	112	Sultanpuri-C	H. no. E 7/84, Near Sani Bazar Road,		
11	Nangloi Jat	049-N	113	Nangloi Jat	E-3/62, Shiv Ram Park,	C-62, Adhypak Nagar.	
	Nangloi Jat	050-N	1 14	Peera Garhi	Peera Garhi Near PWD Office (AC-11		
	Nangloi Jat	051 -N	115	Nihal Vihar	RZ-B/149, Nihal Vihar	RZ-E-244, Nihal Vihar, Thane Wali	RZ-Q-57, Gurudawara Road, 500 Gaj Road.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Mangol Puri	053-N	117	Rohini-E	H. NO. 66, Block-E, Pocket-18, Sector-3.	H. No. A-4/ 291, Sector-4, Rohini,		
	Mangol Puri	054-N	118	Mangol Puri-A	Outside Govt. SR. Secondary School, Mangolpuri			
	Shalimar Bagh	063-N	127	Shalimar Bagh-South	BH Block, 700 A, East Shalimar Bagh, Janta Flat, Delhi-88	Along Railway wall kela godam road opposite BC block Shalimar		
15	Shakur Basti	06 5-N	128	Saraswati Vihar	J J Cluster colony, Meerabagh (AC-15 Shakur	In front of Amrit Enclave Shahid Bismil		
	Shakur Basti	066-N	129	Rani Bagh	Near Ran Basera, Cement siding.			
	Shakur Basti	067-N	130	Paschim Vihar	B-32/A, New Slum QTR, Paschim	A-2/254, LIG Flats, Partik Apartment,	Mohalla Clinic Peeragarhi, Peeragarhi	

	Tri Nagar	069-N	132	Shakur Pur	Vacant Land opposite House no 831 Block-G. Shakurpur, Ranjeet nagarr DGD	Vacant land of Dusib, In front of house no.- 307, Block-I Shakurpur, Ranjeet Nagar	
17	Wazirpur	072-N	135	Wazir Pur	A-2/131, Keshavpurm, Delhi. 110035	C-3/76, Keshavpuram Delhi-35	Shiv Mandir, Sewa Samiti.
	Wazirpur	074-N	137	Nimri Colony	Adj. Delhi grant. Library MCD Sulabh Shauchalaya, Opp. Dusib Sulabh		
	Model Town	078-N	141	Kamla Nagar	AAMC Sindorakalan Opposite nav bharti school sindnrakala	AAMC Kamla Nagar Oppsite Primary School Madavaliva	
19	Sadar Bazar	079-N	142	Shastri Nagar	AAMC Shashtri Nagar L-74, Shiv Watika		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Chandni Chowk	084-N	147	Chandni Chowk	AAMC Yamuna Pushta Rain Basera Yamuna	AAMC Hanuman Mandir Rain Basera Hanuman	AAMC Aruna Nagar E-28, Aruna Nagar.	
	Karol Bagh	093-N	157	Pahar Ganj	AAMC Multani Dhanda Plot no. 9857-59. gali	AAMC Aram Bagh Near Central Park Aaram		
	Rajinder Nagar	103-N	167	Inder Puri	WZ-115 A, Todapur village I. A. R. I			
	Madipur	004-S	172	Raghubir Nagar	E-115, Raghuvir			
	Tilak Nagar	013-S	181	Tilak Nagar	12 Block Tilak Nagar DUSIB			
	Janakpuri	016-S	184	Janakpuri South	AAMC School ID :1720014 Sarvodya Sr. Secondary			
31	Vikaspuri	019-S	187	Ranhola	House No. 112, Lions Enclave, Ranholla	Gali No. -9, Kh. No. 79/20, Chanchal	150-A, Gali No. 4, Nathan Vihar.	

	Vikaspuri	020-S	188	Vikaspuri	69, Hastsal Village, Near DDA		
	Vikaspuri	022-S	190	Vikas Nagar	B-43, AS/F, Vikas Nagar	Plot No. B-343, Vikas Nagar, Vikas	B-5, Shiv Vihar, Coll. Bhatia Road,
	Vikaspuri	024-S	192	Bapraula	DUSIB Land EWS Flat		
	Uttam Nagar	026-S	194	Mohan Garden-North	A-32/33-A, Ext. Mohan Garden	H. No. L-2/D, 69A, Mohan	
	Uttam Nagar	028-S	196	Uttam Nagar	Plot No. 324, Aryan Garden Road, Om	RZ-22, Khushi Ram Park, Om Vihar	E-159-A, Mansaram Park, Uttam Nasar. ND
33	Dwarka	030-S	198	Dabri	RZ-D-87, A/1, Dabri Ext.. Gali. No. 9, New		
	Dwarka	032-S	200	Sagarpu R-East	RZ-269/396, Gali No-10-		
	Dwarka	03 3-S	201	Mangla Puri	Rain Basera punarwas colony		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Matiala	034-S	202	Nangli Sakrawati	B-38, Banwarilal Gomplex, 25 Feet road.			
	Matiala	036-S	204	Dwarka-A	Govt. Girls School Dwarka Sec. -3 South West			
	Matiala	037-S	205	Matiala	C-92, Sahyog Vihar, Near			
	Matiala	03 8-S	206	Dwarka-B	Pochanpur, Near Harijan Chopal, Sector-23,	Rajkiya pratibha vikas Vidyalaya Sec-10		
	Matiala	039-S	207	Chhawla	Khasra No-161/ 162, B-Block, Outub	SKV, Chhawala,	G. B S. S. S, Chhawala,	
	Matiala	040-S	208	Ghuman Hera	Govt. Co-ed Senior Secondary School			
35	Najafgarh	041-S	209	Gopal Nagar	RZ-38, A-block, Main Gopal Nagar,			

	Najafgarh	042-S	210	Dichaon Kalan	RZ-247A, Gali no 18, Ajay Park, Najafgarh	
	Najafgarh	043-S	21 1	Najafgarh	Plot No. 3 & 4, D Block, Jai	
	Najafgarh	044-S	212	Roshanpura	100-A, Dwarka Vihar Colony Phase-1.	
	Najafgarh	045-S	213	Isapur	Govt, boys Senior Secondary School kair	
36	Bijwasan	046-S	214	Raj Nagar	RZF-1120, Lohia Marg, Pandit Chowk.	
	Palam	052-S	220	Mahavir Enclave	G-70/4, Mandir Marg Mahavir	
41	Jangpura	05 5-S	223	Daryaganj	Rain Baser Sarai kale Khan AC-	
	Jangpura	056-S	224	Sidharth Nagar	195-A, Hari Nagar Ashram.	AAMC In front of Mandir,
42	RK Puram	064-S	232	Vasant Nagar	H NO-159 Shop Nanakpura Motibagh, Near	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	R K Puram	066-S	234	Munirka	80 -A/4, G/F, Near Canara Bank.			
	Mehrauli	068-S	236	Lado Sarai	M. B Road, Lado Sarai, Malviya			
	Chhatar Pur	071 -S	239	Rajpur Khurd	A-77, Rajpur Khurd Extn,			
	Chhatar Pur	072-S	240	Bhati	E-228, Sanjay Colony, Bhati Mines.	D- 24, Sanjay Colony, Bhati Mines.		
47	Deoli	074-S	242	Dakshin Puri	Block No. E-7,			
	Deoli	075-S	243	Tigri	Mahila Vikas Kendra,	J. J Cluster, Tigri, Near MLA		
	Deoli	077-S	245	Sangam Vihar-A	C-1/130-A, Near Holi Chowk, Sangam Vihar. New			
49	Sangam Vihar	082-S	250	Tughlak Abad Extension	J-2-B/75, Gali No-2, Gupta Colony.			

	Sangam Vihar	085-S	253	Sangam Vihar-E	AAMC Under Footover Bridge Batra			
	Greater Kailash	088-S	256	Chirag Delhi	B-111, Panchsheel Vihar, Malviva			
	Tughlakad	093-S	261	Tekhand	AAMC MB Road Sri Maa Anandmayi Marg			
	Tughlakabad	094-S	262	Pul Pehladpur	Bus Stand Pul Prahladpur MB			
	Badarpur	096-S	264	Molarband	House No-81, Gali No. 54-V/1, Near Bal Vaishali			
	Okhla	102-S	270	Abul Fazal Enclave	S-I0/D15 Jogabai Ext. Zakir Nagar Okhla, New Delhi-25	C-5. Joga Bai Ext. Okhla, New Delhi	AAMC Flood Control land Abul Fazal Enclave	AAMC Flood Control land Shaheen Bagh
38	Delhi Cantt.			Canttonment area	V-11. Old Nangal, Delhicannt, Muradabad pahari.	R-4C, R-Series, East Mehram Nagar Delhi Cantt Delhi		

SERVICES PROVIDED AT PT. MADAN MOHAN MALAVIYA HOSPITAL

I. OPD SERVICES:

Departments

Medicine

Paediatrics

Gynaecology & Obstetrics

Family Welfare

Ophthalmology

ENT

Dental

Orthopaedics

Surgery

Physiotherapy

HIV counseling Clinic

Dietetics

Psychiatry

Skin

II. INDOOR SERVICE

It is a 100 bedded hospital. Total 103 functional beds are available as per details given below:

Gynaecology & Obstetrics	12
Postnatal	11

Antenatal	05
Medicines	15
Paediatrics	15
Ortho	08
Surgery	08
Eye	03
ENT	03
ICU	06
NICU	05
Special Care Beds	02
Accident & Emergency	10

III. EMERGENCY SERVICES

Emergency Services are available round the clock. Specialists are available on call. All kind of Emergency patients are attended to in the emergency. For facilities not available in the hospital patients are referred to higher centers after stabilization. In house hospital Ambulance services are available in addition to CATs ambulances on call.

IV. LABOUR ROOM AND NURSERY SERVICES

Labour Room services and nursery services are available in the hospital 24X7.

V. OPERATION FACILITIES

Two Major Operation theatres - One elective OT where major elective surgeries of different departments are done on allocated days &. Second is Emergency OT functional round the clock.

There are 3 minor operation theatres whereby day care surgeries are

performed in various disciplines like, Eye, ENT, General Surgery, Orthopaedics and Obstetrics & Gynaecology.

VI. SNCU (Sick Newborn Care Unit) - 05 bedded

VII. ICU (Intensive Care Unit) - 06 bedded

VIII. PHARMACY

All the medicines as per the hospital formulary from the essential drugs list of govt. of NCT of Delhi are available in the Hospital Pharmacy free of cost.

- Urine Routine Microscopic
- Pregnancy Test
- Blood group
- Cross Match
- Glucose
- Urea
- Creatinine
- S Bilirubin
- SGOT
- SGPT
- Alkaline phosphatase
- Serum electrolytes
- ABG

iii. X-ray round the clock

iv. Ultrasound & colour Doppler

v. ECG round the clock

X. BLOOD STORAGE SERVICE :

Hospital has a blood storage facility which is functional 24X7. The Red Cross & MAMC Blood Bank is the mother blood bank. The blood is generally provided to admitted & critically ill patients against donation.

XI. SPECIAL CLINICS

Name of the clinic	Day (s)
Chronic Illness Clinic (Children)	Wednesday
Asthma Clinic (Children)	Tuesday
Well Baby Clinic	Friday
Malnutrition clinic	Thursday
Immunization clinic	Daily
IYCF	Daily
Ante Natal Clinic	Monday to Saturday

DIAGNOSTIC SERVICES

i. Lab Investigations

- Haematology : Hb, TLC, DLC, MCV, MCH, MCHC, Platelet count, Peripheral blood film examination, Absolute Eosinophil count, P/S for MP, blood Grouping, Bone Marrow Aspirate examination, Bleeding time, clotting Time, ESR.
- Biochemistry: Bilirubin, SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase, Total Protein, Albumin, Globulin, Urea, creatinine, uric acid, Cholesterol, Triglycerides, HDL, LDL, Glucose (Fasting, Post Prandial, Random). Glucose Challenge test and Tolerance test.)
- Cytology : FNAC, Pap, Smear, Fluid Cytology Ascitic, pleural, CSF, Synovial Fluid.

- FLUIDS : Urine Routine and Microscopic, Urinary Pregnancy test, Semen Analysis, Fluids Biochemistry.
- Electrolytes : Sodium, Potassium, Chloride.
- Blood'Storage: Cross'matching and release of blood bags.
- Microbiology:-Culture (Blood, Urine, Pus, Fluids, Others) Antibiotic Sensitenety Test, Staining, Gram, AFB, OT Culture, Disinfectantant Testing
- Serology: WIDAL TEST, RA FACTOR, MALARIA ANTIGEN, ASO TTTRE, CRP, HBs Ag, HB Sag, HCV ANTIBODY, DENGUE SEROLOGY (NS1 Ag & Ig M) ; HIV, RPR
- Stool : M/E, OCCULT BLOOD, HANGING DROP

ii. Laboratory Investigations Available 24X7

- Hb
- TLC
- DLC
- Plalelet Count
- BT
- CT

Family Welfare Clinic	Daily
Infertility Clinic	Wednesday
Diabetic Screening Clinic	Wednesday
Chest Clinic	Daily
Senior Citizens Clinic	Tuesday & Friday
Chest Clinic	Daily
HIV Counselling Clinic	Daily
PAC Clinic	Daily

XII. SUNDAY SENIOR CITIZEN CLINIC

Sr. Citizen Sunday Clinic	On every Sunday exclusively for senior citizens

XIII. OTHER SPECIAL SERVICES AVAILABLE

1. Sentinel Hospital for Vector Borne Disease
2. Nodal Hospital for (H1N1) Swine Flu
3. South Delhi Station for CATS Ambulance.
4. Dengue Lab for South District
5. 05 bedded de-addiction Centre for juveniles
6. Disability Certification Board for South District
7. DAK Services are being provided as per Delhi Govt. Policy

संलग्नक-IV

विषय : श्री सोमनाथ भारती द्वारा पूछे गए विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 141 दिनांक 10/08/2017 के संबंध में।

मालवीय नगर विधानसभा के अन्तर्गत अस्पताल का नाम जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं।

राजीव गांधी कैंसर इन्स्टीट्यूट और रिसर्च सैन्टर द्वारा संचालित राष्ट्रीय चेस्ट इंस्टीट्यूट एकमात्र आई.पी.एच. (Identify private hospital) है जहां ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के रोगियों का मुफ्त में इलाज़ किया जाता है। अक्तूबर 2016 से जूलाई 2017: IPD-9, OPD-32 (मरीजों की संख्या)

142. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ चिकित्सक की नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि यह आयु सीमा विभिन्न अस्पतालों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है; और

(ग) सरकार इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) सीनियर रेजिडेंटस की नियुक्ति की आयु सीमा 33 वर्ष है और जिनके पास पोस्ट डाक्टरल की डिग्री है उनका चयन 35 वर्ष की आयु सीमा तक किया जा सकता है। जूनियर रेजिडेंट की आयु सीमा रेजिडेंसी योजना व्यवस्था 1992 के तहत तय नहीं की गई है, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए निर्धारित छूट आरक्षण पालिसी के अनुसार दी जाती है।

(ख) सभी सरकारी अस्पतालों को उपरोक्त दिए गए नियमों के अनुसार नियुक्ति करने के आदेश लागू हैं।

(ग) उपरोक्तानुसार।

143. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा वरिष्ठ तथा कनिष्ठ चिकित्सकों की तदर्थ आधार पर क्रमशः तीन साल और एक साल के लिए नियुक्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य के प्रति इनकी अनिश्चितता को दूर करने के लिए सरकार इन्हें दीर्घ अवधि के लिए नियुक्त करने की योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जूनियर रेजिडेंटस एवं सीनियर रेजिडेंटस के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों व दिल्ली सरकार द्वारा अपनाए गए नियमों के तहत जूनियर रेजिडेंटस की भर्ती एक साल के लिए एवं सीनियर रेजिडेंटस की नियुक्ति तीन साल के चयनित किए जाते हैं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

144. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र के सी-ब्लॉक, नारायणा विहार में 2700 वर्ग गज के भूखंड पर दिल्ली सरकार द्वारा एक पॉली क्लीनिक बनाने की योजना थी, जिसके लिए विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी, परंतु अभी तक निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पॉली क्लीनिक का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2017 को प्रारम्भिक अनुमान (Preliminary Estimate) इस विभाग को प्राप्त हुआ है, जिस पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(ख) तीन माह के कार्य प्रारंम्भ करके कुल 9 माह में कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

145. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मोहल्ला क्लीनिक बनाने की योजना के अंतर्गत लगभग 300 सरकारी स्कूलों में मोहल्ला क्लीनिक बनने थे; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और ये मोहल्ला क्नीतिक बनने कब तक शुरू हो जायेंगे?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं, दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मौहल्ला क्लिनिक बनाने की योजना के अन्तर्गत लगभग 242 सरकारी स्कूलों में मोहल्ला क्लीनिक बनाने की योजना थी।

(ख) माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 07 स्कूलों में मौहल्ला क्लीनिक का काम चल रहा है तथा 16 स्कूलों में कार्य प्रगति पर है।

146. श्री नरेश बाल्यान : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की उत्तम नगर विधानसभा के अंतर्गत बिन्दापुर क्षेत्र में निर्मित डिस्पेंसरी कब तक चालू करने की योजना है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) बिंदापुर पॉकेट-3, द्वारका में निर्मित डिस्पेंसरी को माननीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान स्वीकृति के अनुसार फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को दिनांक 23.09.2015 में हस्तांतरित कर दिया गया है।

147. श्री नरेश बाल्यान : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तम नगर के अंतर्गत बिन्दापुर वार्ड में प्रस्तावित अस्पताल निर्माण के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है, विस्तृत विवरण दें?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) माननीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार से अनुमति मिलने के पश्चात् इस विभाग द्वारा बिन्दापुर वार्ड में प्रस्तावित अस्पताल भूमि में पॉली क्लीनिक का मॉडल स्ट्रक्चर बनाने हेतु लोक निर्माण विभाग को दिनांक 01.02.2016, 20.05.2016, 18.10.2016 व 12.07.2017 निवेदन किया गया है।

148. श्री अजय दत्त : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर में निर्माणाधीन अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा;

(ख) उपरोक्त अस्पताल में क्या-क्या सुविधाएं दी जायेंगी, पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की सभी डिस्पेंसरियों में डेंगू व मलेरिया की जांच मुफ्त की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या अम्बेडकर नगर की डिसपेंसरी में उक्त जांच की व्यवस्था की जा सकती है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) एनबीसीसी (कार्यकारी एजेंसी) द्वारा सूचना के अनुसार निर्माण कार्य 31.12.2018 तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) इस अस्पताल में दी जाने वाली सेवाओं में सामान्य सेवायें तथा जच्चा-बच्चा, मातृ एवं शिशु चिकित्सा उपचार संबंधित सेवायें शामिल है।

(ग) यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में डेंगू व मलेरिया के नि:शुल्क जांच व उपचार की सुविधायें उपलब्ध हैं और सभी डिस्पेंसरियों में इलाज कि सुविधायें नि:शुल्क उपलब्या हैं। डेंगू की NS1 एंटीजन और Mac Elia एंटीबाडी जांच की सुविधा डिस्पेंसरियों में उपलब्ध नहीं है लेकिन मलेरिया की जांच डिस्पेंसरियों में की जाती है।

(घ) अम्बेडकर नगर की दक्षिणपुरी डिस्पेंसरी में मलेरिया जांच की सुविधा उपलब्ध है।

149. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की द्वारका विधान सभा क्षेत्र में पहले से चल

रहे दो मोहल्ला क्लिनिक के अलावा दस और मोहलला क्लिनिक खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दें;

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस क्षत्र में ये क्लिनिक कब तक खोल दिये जाएंगे;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र के एकमात्र बड़े अस्पताल दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के अपग्रेडेशन की योजना सरकार की विचाराधीन है;

(छ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दें; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं, सरकार द्वारा द्वारका विधानसभा में पहले तीन मोहल्ला क्लीनिक चल रहे है:–

1. डाबरी

2. सागरपुर–पूर्व

3. मंगलापुरी

प्रत्येक वार्ड में 3 से 4 मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना है। इस प्रकार आपके विधान सभा में लगभग 12 मोहल्ला क्लीनिक्स माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुमति मिलने पर खोले जाएंगे।

(ग) सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में भूमि उपलब्धता हेतु प्रयास जारी है। इस सन्दर्भ

में विभिन्न विभागों के साथ दिनांक 30.03.2017, 17.04.2017 एवं 16.16.2017 को मीटिंग की गयी।

(घ) और (ङ) Land Owing Agency से जमीन उपलब्ध होने के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक का ढांचा बनाया जाएगा तथा निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा मैनपावर प्रबंध किए जाने के बाद आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोल दिया जाएगा।

(च) जी हां।

(छ) दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के अपग्रेडेशन के बारे में प्राप्त जानकारी की अनुसार इसकी बिस्तरों की संख्या 106 से बढ़ाकर 281 किया जाना प्रस्तावित है।

(ज) उपरोक्तानुसार।

150. श्री रघुविन्द्र शौकीन : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार की ज्वालापुरी, नांगलोई में 600 बिस्तरों का अस्पताल बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक शुरु हो जाएगा;

(घ) यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जाएगी; और

(ङ) उपरोक्त अस्पताल कब तक शुरू हो जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां,

(ख) माननीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशन से डी.एस.आई.आई.डी.सी. से इस परियोजना का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग को स्थानांनतरित कर दिया गया है। ज्वालापूरी में 600 बिस्तरों का प्रस्ताव प्रक्रियारत हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा ज्वालापुरी में अस्पताल परियोजना के लिए सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है।

(ग) से (ङ) अगले 6 महीने में कार्य शुरू होने की सम्भावना है।

151. **श्री जरनैल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य विभाग की तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में मौहल्ला क्लिनिक खोलने की योकजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये जगह चिन्हित कर ली गई है;

(ग) उन स्थानों का विवरण क्या है; और

(घ) इन स्थानों पर कब तक मौहल्ला क्लिनिक खोल दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 1. 12 ब्लॉक तिलक नगर।

2. इंदिरा कैम्प नजदीक केरला स्कूल, विकासपुरी।

3. हरिजन बस्ती, ई ब्लॉक तिलक नगर

4. सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, गुरूद्वारा रोड तिलक नगर

(घ) माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति मिलने, तथा Land owining Agency से जमीन उपलब्ध होने के बाद, लोक निर्माण विभाग द्वारा आम आदमी

मोहल्ला क्लीनिक का ढांचा बनाया जाएगा तथा निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा मैनपावर प्रबंध किया जाने के बाद आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोल दिया जाएगा।

152. श्री जगदीप सिंह : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में कितनी डायलिसिस, सी.टी. स्कैन व एक्स-रे मशीनें उपलब्ध हैं;

(ख) इन मशीनों की संख्या कब तक बढ़ा दी जाएगी;

(ग) इस अस्पताल में एम.आर.आई. मशीन कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी;

(घ) इस अस्पताल में वर्तमान में बिस्तरों की संख्या में 100 बिस्तरों की बढ़ोतरी कब तक कर दी जाएगी;

(ङ) क्या यह सत्य है कि सी.पी.ए. इस अस्पताल में सभी दवाइयां व उपकरण उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है;

(च) सरकारी अस्पताल में सर्जरी हेतु एक महीने से ज्यादा की वेटिंग मिलने पर कौन से निजी अस्पतालों को उक्त सर्जरी हेतु अधिकृत किया गया है व इनमें कौन सी सर्जरी कराई जा सकती है; पूर्ण सूची उपलब्ध कराए?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) डालिसिस मशीन-01

सी.टी. स्कैन मशीन-01

एक्स-रे मशीन-05

(ख) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ग) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) मुख्य रूप से सीपीए के माध्यम से व स्थानीय व्यवस्था के माध्यम से सरकार द्वारा 100% दवा की आपूर्ति ई.डी.एल. सूची के अनुसार की जाती है। अधिकतर सी.पी.ए. कन्ज्यूमेबल टैंडर फाईनल न होने के कारण कन्ज्यूमेबल की सप्लाई समय पर दीन दयाल अस्पताल में नहीं हो सकी।

(च) सरकारी अस्पताल में सर्जरी हेतु पी.ए.सी. फिट होने के पश्चात् एक महीने से ज्यादा की वेटिंग मिलने पर 48 निजी अस्पतालों को 52 निर्दिष्ट सर्जरी हेतु अधिकृत किया गया है।

153. श्री संजीव झा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा कब तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा;

(ग) दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक खोलने में सबसे बड़ी बाधा क्या है; और

(घ) बुराड़ी विधान सभा में कितने मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) मौजूदा स्थिति में इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ग) माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुमति मिलने के बाद तथा Land owining Agency से जमीन उपलब्ध होने के बाद, लोक निर्माण विभाग द्वारा आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक का ढांचा बनाया जाएगा तथा निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा मैनपावर प्रबंध किए जाने के बाद आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोल दिए जाएंगे।

(घ) एक वार्ड में लगभग 3 से 4 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने हैं। इस प्रकार लगभग 12 मोहल्ला क्लीनिक बुराडी में खोले जा सकते हैं।

154. श्री नितिन त्यागी : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुणवत्ता एवं कीमत के आधार पर कितने प्रतिशत दवाइयां/टेस्ट किट्स को रेफ्रीजरेशन में रखने की आवश्यकता है;

(ख) रेफ्रीजरेशन के खराब होने/काम न करने की स्थिति में इन दवाइयों पर क्या प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन दवाइयों को किसी अन्य स्थान पर खराब होने के लिए छोड़ दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ऐसी दवाइयों को खराब होने से बचाने के लिए क्या उपाय कर रही है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) 10-15%

(ख) इन परिस्थितियों से निपटने के लिए वैक्लपिक सुविधाएं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) ख के अनुसार

155. श्री मनोज कुमार : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अस्पताल में कोई भी डॉक्टर व अन्य स्टाफ कितने समय तक रह सकता है;

(ख) एलबीएस में ऐसा कितना स्टाफ है जो लगातार पिछले 10 वर्ष से यहां कार्यरत है;

(ग) एक एमएस व एक डायरेक्टर की अस्पताल में क्या जिम्मेदारी होती है;

(घ) एलबीएस में एक्सरे व अल्ट्रासाउंड की कितनी मशीनें हैं और उनमें से कितनी पुरानी हैं;

(ङ) क्या नई मशीनें भी खरीदी जा रही हैं और ये कब तक आ जायेंगी;

(च) क्या एलबीएस की नई बिल्डिंग बनाने व बिस्तर बढ़ाने की कोई योजना है, पूर्ण विवरण दें;

(छ) एलबीएस की बिल्डिंग कब तक बननी आरंभ हो जायेगी; और

(ज) एलबीएस में एमएलसी के लिए कितने थाने आते हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिनांक 22.08.2014 की स्थानांतरण नीति के अनुसार किसी विशेष अस्पताल में डाक्टर्स की तैनाती के लिए कोई वैधानिक समय सीमा तय नहीं की गई है।

(ख) लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पिछले 10 सालों से कुल 143 स्टाफ कार्यरत है।

1.	डॉक्टर्स	– 15
2.	नर्सिंग स्टाफ	– 43
3.	पैरामेडिकल स्टाफ	– 19
4.	नर्सिंग अर्दली	– 66
	कुल पद	– 143

(ग) डायरेक्टर – वित्तीय शक्तियों के साथ संपूर्ण अस्पताल विभाग के प्रमुख और प्रभारी। एम.एस. – अस्पताल के दुर्घटना और आपातकालीन क्षेत्र के प्रभारी।

(घ) (ए) एक्सरे मशीन (कुल 03)

1. 500 एमए एक्सरे मशीन 10 साल पुरानी है। (कार्यरत है)

2. 100 एमए एक्सरे मशीन 13 साल पुरानी है। (कार्यरत है)

3. पोर्टेबल एक्सरे मशीन (कुल 03)

(बी) अल्ट्रासाउंड मशीन (कुल 01)

4. अल्ट्रासाउंड मशीन 17 साल पुरानी है। (कार्यरत)

(ङ) जी हां, मांग सीपीए को भेजी गई है, कार्य प्रक्रियारत है।

(च) जी हां, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाने व बिस्तर बढ़ाने की योजना है। इसके अन्तर्गत 460 बिस्तर की नई बिल्डिंग बनाने की योजना है तथा 48 बिस्तर का एक नया वार्ड बनाने की योजना है।

(छ) लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल बिल्डिंग का प्रारम्भिक प्रकालन उच्च अधिकारियों को प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है। प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति के प्राप्त होने के लगभग 3 महीने बाद कार्य शुरू किया जा सकता है।

(ज) बारह पुलिस थाने और एक पुलिस पोस्ट लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से जुड़ा है।

156. श्री विशेष रवि : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सत्य है कि आर्युवेदिक एवं यूनानी तिबिया कॉलेज में लंबे समय से खाली प्रिंसिपल की पोस्ट को भरे जाने की प्रक्रिया का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां तो प्रिंसिपल की नियुक्ति कब तक हो जाएगी;

(ग) यदि नहीं तो इसमें देरी के क्या कारण है; और

(घ) ये नियुक्ति कब तक हो जाएगी?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) प्रिंसिपल के पद की स्वीकृति कराने हेतु फाईल प्रचलन में है। अभी तक पद स्वीकृत नहीं हुई है।

(ख) पद स्वीकृत होने के पश्चिात्, नियुक्ति की कार्यवाही शुरू की जायेगी।

(ग) और (घ) लागू नहीं।

157. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 30000 अतिरिक्त बिस्तर स्थापित करने का वादा किया था और इनमें से 4000 बिस्तर मैटरनिटी वार्डों में स्थापित किये जाने थे,;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने वादा किया था कि वह सुनिश्चित करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार 1000 की आबादी पर 5 बिस्तर उपलब्ध कराये जायेंगे;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि मुख्यमंत्री महोदय ने यह वादा किया था कि मौजूदा अस्पतालों को री-मॉडल किया जा रहा है, जिसके कारण मार्च, 2018 तक 10000 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था होगी;

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार अब तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पाई है; और

(ङ) यदि इस दिशा में कोई काम किया गया है, तो इसकी विस्तृत जानकारी दें;

स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी नए अस्पताल प्रोजेकट में नए F.A.R के अनुसार बिस्तरों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाई जा रही है। मौजूदा अस्पतालों में भी बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का प्रयास जारी है।

(ख) दिल्ली सरकार इस लक्ष्य की ओर प्रयासरत है।

(ग) जी हां, अस्पतालों को री-मॉडल किया जा रहा है। 10,000 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था के लिए प्रयास जारी है।

(घ) बिस्तरों को बढ़ाने/री-मॉडल का कार्य प्रगतिशील है।

(ङ) अनुबंध A में संलग्न है।

Sl. No	Name of Hospital	Jag Pravesh Chandra Hospital (F. No. 000384487)	Lal Bahadur Shastri Hospital 100 beds	Rao Tula Ram Hospital (F. No. 000384488)
1	Total no. of existing bed strength	200	100	100
2.	Whether planned under remodeling	Yes	Yes	Yes
2(i)	If Yes, Provide detail i). Number of Beds (proposed to increase)	200 Beds to 500 Beds	New 460 bedded MCH Block Proposd in addition to existing 100 beds.	270 beds
3	Coordination with PWD			
(i)	Whether Plan Submitted	Yes, Submitted by Architect	Yes	Yes
(ii)	Brief of plan			There is no any plan on existing building, but we have a proposal for new building with 270

	(a) Number of Blocks	2	One	
	(b) Number of floors to be increased on existing building.	One	New Block to be constructed on additional vacant land.	
(iii)	P. R submitted by PWD	Yes	Yes	Yes
(iv)	Amount of Preliminary Estimate	Rs. 1286495000/-	Rs. 155.18 crores	Rs. 83,82,08,675/-
4	Whether P. E. sent to Finance Department	Yes	Yes on 2.1.2017 for EFC	Yes

.... Hospital (F. No. 000384477)	Babu Jagjivan Ram Hospital (F. No. 000384612)	Lok Nayak Hospital	Dr. Hedgewar Arogya Sansthan	Sanjay Gandhi Memorial Hospital	Acharya Shree Bikshu Hospital	Deep Chand Hospital
100	2053	200	300	150	200	
Report Not Submitted	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	1019	1650	415	Trauma block + Emergency + 386 beds	372	400 beds from existing 200 beds.
	Yes	Yes			Yes	
		Yes		Yes		Yes
	2	2		2 Utility Block, - Multilevel Parking	1	OPD Block, IPD Block & Service Block
	13	Ground+22+2 basement		8 floor	Nil	NIl

as informed by Architect for remodeling the estimate is ending with	Yes	Yes	Yes	Yes
	Rs. 579.19 Cr.	Rs. 117 Cr	90. 05 cr.	70. 94 Crores dated 12. 08. 16
same as point no. 3 (iii) & (iv)	Yes	Yes	Yes	Yes/No

158. **श्री विजेन्द्र गुप्ता :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने पूरी दिल्ली में इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 1000 मौहल्ला क्लीनिक खोलने का लक्ष्य रखा था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि अब तक मात्र 107 नए मौहल्ला क्लीनिक ही स्थापित किए जा सके है;

(ग) क्या यह सत्य है कि अनेक मौहल्ला क्लीनिकों के भवन बनकर तैयार होने पर भी उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इनकी संख्या और प्रयोग न किए जाने के कारण क्या हैं

(ङ) सरकार द्वारा किस-किस विभाग से कितने-कितने भूखंडों की मांग की गई है;

(च) नए मौहल्ला क्लीनिकों के लिए कितनी बिल्डिंग कहां-कहां बन रही है;

(छ) इन बिल्डिंगों को बनाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा;

(ज) क्या यह सत्य है कि इन मौहल्ला क्लीनिकों में डिस्पेंसरी में कार्यरत फार्मासिस्टों से ही इन क्लीनिकों में काम लिया जा रहा है;

(झ) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त व्यवस्था के कारण डिस्पेंसरियों का काम बुरी तरह प्रभावित हो गया है और वहां मरीजों की संख्या में निरन्तर गिरावट आ रही है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, कुल 162 मौहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं। 102 मोहल्ला क्लीनिक पायलट प्रोजेक्ट तथा 60 मोहल्ला क्लीनिक पोर्टा केबिन में चल रहे हैं।

(ग) और (घ) लगभग 53 मौहल्ला क्लीनिक तैयार हैं। माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति मिलने के बाद, तथा Land owining Agency से जमीन उपलब्ध होने के बाद, लोक निर्माण विभाग द्वारा आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक का ढांचा बनाया जाएगा तथा निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा मैनपावर प्रबन्ध किए जाने के बाद आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोल दिए जाएंगे।

(ङ) सरकार द्वारा विभागों से मांगे गए भूखण्डों का विवरण संलग्नक-I पर उल्लेखित है।

(च) जानकारी संलग्नक-II पर उल्लेखित है।

(छ) मौजूदा स्थिति में यह बता पाना सम्भव नहीं है, क्योंकि लैण्ड ओनिंग एजेंसी (Land owinig Agency) से अभी तक एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं हुई।

(ज) जी नहीं, 102 मोहल्ला क्लीनिक्स में कोई भी फार्मेसिस्ट, डिस्पेंसरी से नहीं लगाया गया है।

(झ) जी नहीं।

The Details of agency wise sites and their status is placed here as under

Sl. No.	Department	Sites Selected	Status
1	2	3	4
1	I&FC	11	07 sites forwarded to PWD Sites are available with PWD and approval of Hon'ble LG received for opening of AAMC on School sites subject to conditions
2	Education	242	2 AAMC are being functional at school sites as they were permitted by school authorities
3	DSIDC	05	05 sites forwarded to PWD
4	DGHS	10	As per cabinet decision 2244 dated 10/11/2015 "The land already in possiession of department for the purpose for developing health facilities will also be considered for setting up AAMC has not bee approved"
5	Gram Panhayat Land	19	As per letter dated 28. 03. 2016 received from JE Sec. (Panchayat) vide which it was informed that there is no provision in the DLR Act and Delhi Panchayat Raj Rules to issue NoC The gaon sabha land shall be allotted as per the existing provisions in favour of Health Department.
6	DJB	28	DJB is not in position to handover the land as mentioned above

1	2	3	4
7	DSSSB	34	14 sites handedover to PWD and 50 sites are requested for issue of NOC Copy of letter is placed at 54 to 56)
8	Industries	01	01 site forwarded to PWD
9	PWD	53	53 PWD sites work in progress

HPD West

1	SRC Colony, Bakkarwala	DUSIB
2	Near Panchmukhi Hanuman Mandir, Ranhola Extension, Nangloi, Najafgarh	PWD Road
3	Sarvodaya Sr. Sec. School, Gurudwara Road, Tilak Nagar	School Land
4	Government Co-Ed Sr. Sec. School L Block, Harinagar	School Land
5	Sarvodaya Sr. Sec. School, Subhash Nagar	School Land
6	Near Government Sarvodaya Bal Vidyalaya, Ring Road, Raja Garden	PWD Land
7	Khalsa College, Ganga Mandir Marg, Karol Bagh	DUSIB
8	Government Co-ed Sec. School, Dwarka Sector16A	School Land
9	Government Co-ed Sr. Sec. School, Pochanpur	School Land
10	Government Co-ed Sr. Sec. School, Pandwala Kalan	School Land
11	Government Co-ed Sr. Sec. School, Jhatikara	School Land
12	Government Co-ed Sr. Sec. School, Jaffarpur Kalan	School Land
13	Government Co-ed Sr. Sec. School, Paparwat village	School Land
14	Government Co-ed Sr. Sec. School, Mundela Kalan	School Land

15	Sarvodaya Sr. Sec. School, Surhera	School Land
16	Government Co-ed Sr. Sec. School, Dwarka Sector 22	School Land
17	Pocket 4, K-2 Block, Bindapur	PWD
18	Government School, Ghumanhera	School Land
19	Government Co-ed Sr. Sec. School, Rawata	School Land
HPD- Central		
1	Policlinic - Rani Bagh	PWD
2	Block - 5 Dakshnipuri	DUSIB
3	Ghitorni Village	Gram Sabha
4	Tajpur Pahari, Badarpur	School Land
5	Shastri Nagar, near Sai Mandir	Road Side
6	Near Sultanpur Metro, M. G. Road	Road Side
7	Andheria Mod, Mehrauli	Road Side
8	E-2/10, Dakshnipuri	DUSIB

S. No.	Land owning agnecy	Sites
1	DUSIB	5
2	I&FC	5
3	Education	16
4	PWD	19
5	Gram Sabha Land	5
6	Mandi Samiti (Azadpur)	2
7	SDM Shahdara	1
	Total	53

AAMCs under Construction

S. No.	Location of AAMCs	Land Owning Agency
HPD-North		
1	Ghevra Village	Gram Sabha
2	Nizampur Village	Gram Sabha
3	Qutabgarh Village Gram Sabha	
4	Pratap Vihar Kiran	Gram Sabha
5	Agaral Chowk	PWD Road Side
6	Sarvodaya Vidyalaya Kanjhawala	School
7	Sector-16, Rohini	Flood & Irrigation Deptt.
8	Sector-17, Rohini	Flood & Irrigation Deptt.
9	Fruit Mandi, Azadpur	Mandi Samiti
10	Subzi Mandi, Azadpur	Mandi Samiti
HPD - East		
1	A-3, Nand Nagri Near Dev Medical Centre-Tanga Stand	DUSIB
2	Garhi Garon, Pusta Road, New Delhi	PWD Road
3	On Road No. 59, Along school Boundary at Gokapur (Near New Gokalpur Police Station Building)	PWD Road
4	On Pusta Road below loop at start point of Geeta Colony Flyover (Kailash Nagar side)	PWD Road

5	On Road No. 68, Near ROB Towards Nang Nagri	PWD Road
6	Below ROB above Saharanpur Railway Line on Wazirabad Road (Ashok Nagar side)	PWD Road
7	Opposite Siddharth International School, On Wazirabad Road	PWD Road
8	On Road joining Road no 62 to Gauri Shankar Mata Mandir, Along wall of Red Cross Hospital, Dilshad Garden, Delhi (Opp. of I-pocket)	PWD Road
9	On Road No. 58 (Maharaja Surajmal Marg) Along wall of Shaheed Sukhdev Business College, Near Satyam Enclave	PWD Road
10	On Road No. 57, Near Bihari Colony Beside Metro line, opp. of Azad Nagar	PWD Road
11	Below Shahdara Flyover, Near Delhi Transport Corporation (DTC) Depot Shahdara	PWD Road
12	Below Flyover on Wazirabad Road, Khajoori Chowk	PWD Road
13	On Drain No. 1, in front of Kabir Nagar (At corner of culvert)	Irrigation & Flood Control Department
14	On left Bank side along boundary wall U/S side of Babarpur Bridge (RD 8750M) of TD No. 1 towards DTC Terminal Side	Irrigation & Flood Control Department
15	On left Bank along Boundary Wall towards Drain side near RD 8280M of Trunk Drain No. 1	Irrigation & Flood Control Department
16	At Balbir Nagar, Rathi Mill, Near Election Office, Loni Road, Babarpur	SDM Shahdara

159. श्री जगदीश प्रधान : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने अपने प्रथम बजट में दिल्ली के नागरिकों को चैरिटबल क्लीनिकों व डिस्पेंसरियों के माध्यम से नि:शुल्क दवायें उपलब्ध कराने की घोषणा की थी;

(ख) क्या सरकार ने चैरिटेबल क्लीनिकों ओर डिस्पेंसरियों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की है, इसका विस्तृत विवरण दिया जाए;

(ग) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है तथा इस कार्य के लिए आगामी वित्त वर्ष में कितना बजट रखा गया है;

(घ) सरकार द्वारा नि:शुल्क दवायें उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था की गई है तथा उसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं, अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है।

(घ) दिल्ली के निवासियों हेतु सभी सरकारी अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों में नि:शुल्क दवायें उपलब्ध है।

160. श्री पंकज पुष्कर : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में डॉक्टर, नर्सों और अन्य सहायकों की कितनी संख्या में आवश्यकता है;

(ख) दिल्ली में अभी तक कितने डॉक्टर, नर्स और अन्य सहायक काम कर रहे है;

(ग) 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2017 तक विभाग ने कितने स्थायी और कितने अस्थायी डॉक्टरों की नियुक्तियां की है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

161. **श्री सोमनाथ भारती :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में विभिन्न पिछड़े/गरीब क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत अनेक स्वयं सेवी संस्थाओं को ग्रांट-इन-एड प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं के मालिक के नाम, पते, संपर्क नंबर, इन्हें सौंपे गए कार्य सहित पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या इन स्वयंसेवी संस्थाओं का अभी आडिट किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण; और

(ङ) इन स्वयंसेवी संस्थाओं को ग्रांट-इन-एड के रूप में अब तक दी गई धनराशि का विवरण?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं, वर्तमान में परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत किसी भी स्वयं सेवी संस्था को परिवार कल्याण निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा ग्रांट-इन-एड नहीं दी जाती। परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा लागू सभी गैर सरकारी संगठन से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित अनुदान सहायता योजनाओं को राज्य सरकार के नीति निर्णय रूप से माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के अनुमोदन के बाद दिनांक 01.04.2014 से बंद कर दिया गया है।

(ख) मान्य नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) संलग्न है (संलग्नक-क)

(ङ) स्वयं सेवी संस्थाओं को पिछले पांच वर्षों में जो ग्रांट-इन-एड का विवरण संलग्नक-''ख'' में संलग्न है।

DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE, GNCT OF DELHI

Details of audit conducted of the grantee NGOs during last 05 years (As per record)

Sl. No.	Name of the NGO	F. Y. 2012-13 & 2013-14	F. Y. 2014-15 (Date of conduct of LFA audit)	F. Y. 2015-16 (Date of conduct of LFA audit)	F. Y. 2016-17 (Date of conduct of LFA audit)
1	2	3	4	5	6
1.	Ganga Ram Hospital	06.03.2014 (in r/o G1A for 2012-13)	Nil	Nil	Nil
2.	Ranbaxy Committee Health Care Society	30.11.2015 (in r/o GIA for 2012-13)	Nil	Nil	Nil
3.	Sunder Lal Jain Hospital	13.05.2014 (in r/o GIA for 2012-13) 30.03.2016 (in r/o IInd & IIIrd instalment of 2012-13)	Nil	Nil	Nil
4.	Andhra Vanitha Mandali	05.09.2014 (in r/o GIA for 2012-13)	15.09.2015 (in r/o IVth instalment of 2012-13 & 1st,		

1	2	3	4	5	6
			IInd & IIIrd instalment of 2013-14)	Nil	Nil
5.	Majeedia Hospital	02.02.2015 (in r/o GIA for 2012-13)	Nil	Nil	Nil
6.	Rotary Club of Delhi	29.07.2015 (in r/o IInd & IIIrd instalmentol 2012-13)	28.03.2016 (in r/o remaining instalment of 2012-13 & 1st to IIIrd instalment of 2013-14)	Nil	Nil
7.	St. John Ambulance	19.02.2015 (in r/o GIA for 2012-13)	24.09.2015 (in r/o GIA for Ist to IIIrd instalment 2013-14)	Nil	Nil
8.	Love & Care	22.03.2016 (in r/o GLA for 2013-14)	Nil	Nil	Nil

9.	PHD Family Welfare Foundation	15.04.2015 (in r/o GIA for2011-12 & 2012-13)	10.12.2015 (in r/o GIA for remaining instalment 2012-13 & 2013-14)	Nil	Nil
10.	Family Planning Association of India	Nil	Nil	Nil	Nil

Note :

1. All NGO related Centrally sponsored GIA schemes implemented by DFW, GNCTD have been closed wef 01. 04. 2014 after approval of Hcn'ble L. G.. Delhi. No GIA released to any NGO for the F. Y. 2014-15 onwards.
2. Duly constituted State level GIA committee did not recommend for GIA release for 2013-14 to NGO Ganga Ram Hospital, Sunder Lai Jain Hospital & Ranbaxy Committee Health Care Society. So, no GIA released for 2013- 14.
3. Duly constituted State level GIA committee did not recommend for GIA release for 2012-13 & 2013-14 to NGO Family Planning Association of India including lor 2011-12, 2012-13 & 2013-14 for its Geeta Colony unit. So. no GIA released for above financial years.

ANNEXURE-I

Details of Grant in Aid release to various NGOs during last 05 years by DFW, GNCTD.

Figure in Lakh

Sl. No.	Name of NGO	2012-13	2013-14	2014-15	201 5-16	2016-17
1	Ganga Ram hospital	14.71	Nil	Nil	Nil	Nil
2	Ranbaxy	13.32	12.04	Nil	Nil	Nil
3	Sunder Lal Jain Hospital	7.84	Nil	9.34	Nil	Nil
4	Andhara Vanitha Mandali	14.43	6.96	12.25	Nil	Nil
5	Majeedia Hospital	5.96	6.23	4.10	Nil	Nil
6	Rotary Club of Delhi	25.46	23.29	15.85	Nil	Nil
7.	St. Johns Ambulance Brigade	22.00	20.04	16.81	Nil	Nil
8.	Love & Care	7.42	55.00	39.87	Nil	Nil
9.	PHD Family Welfare Foundation	40.00	34.00	34.51	Nil	Rs. 8.76
10.	Family Planning Association of India	14.41	Nil	Nil	Nil	Nil

Note: GIA released during 2014-15, 2015-16 & 2016-17 are pending GIA for the period prior to 01. 04. 2014 (Date of closure of Schemes).

162. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की पुश्ता मार्जिनल बांध के नाम से प्रचलित खजूरी चौराहे से शास्त्री पार्क चौराहे पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं तो उसका क्या कारण हैं?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) ऐसी कोई योजना इस विभाग के द्वारा प्रस्तावित नहीं है।

(ख) यह प्रश्न (क) के अनुसार लागू नहीं।

(ग) यह प्रश्न (क) के अनुसार लागू नहीं।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

163. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की खजूरी चौराहे पर अण्डरपास निर्माण की योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरु हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) हां है

(ख) और (ग) यह कार्य यूटीपैक की गर्वनिंग बॉडी की मिटिंग में दिनांक 22.6.2017 को अनुमोदित हो चुका है तथा इसका प्राक्कलन बनाया जा रहा है। प्राक्कलन स्वीकृति तथा टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कार्य शुरू होगा। 1 जनवरी, 2018 से कार्य शुरू होना अपेक्षित है तथा 31.12.2013 तक कार्य पूरा होना सम्भावित है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

164. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की शास्त्री पार्क चौराहे पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) शास्त्री पार्क चौराहे पर फुटओवर ब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न (क) के अनुसार लागू नहीं।

(ग) यह प्रश्न (क) के अनुसार लागू नहीं।

165. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2015 के अंतिम दौर में 10 सड़कों को रिडिजाइन करने का निर्णय लिया था;

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन सड़कों के साथ साईकिल रिक्शा ट्रैक के बनाने की कोई भी योजना प्रस्तावित की गई थी;

(घ) साईकिल रिक्शा ट्रैकों के उपयोग को लेकर क्या कोई सर्वे किया गया है; और

(ङ) इस समय जो साइकिल ट्रैक बने हैं उनमें से कितनों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं और कितने प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं।

लोक निर्माण मंत्री : (क) और (ख) कन्सल्टन्टों ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है जो कि विचाराधीन है।

(ग) जहां पर जगह है और जरूरत है वहां पर एनएमवी लेन बनाने का भी विचार है।

(घ) इसके लिए अलग से सर्वे नहीं किया गया है।

(ङ) अवैध कब्जे होतें हैं उसकी सूचना एमसीडी व दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को समय-समय पर दे दी जाती है ताकि कार्यवाही हो सके।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

166. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लोक निर्माण विभाग द्वारा कहां-कहां पर ऐलिवेटिड रोड बनाने का विचार था;

(ख) किस-किस ऐलिवेटिड रोड बनने से कहां-कहां के निवासियों को फायदा होगा;

(ग) किस-किस ऐलिवेटिड रोड का कार्य किस-किस स्तर पर है; और

(घ) जिन ऐलिवेटेड रोड के कार्य शुरू नहीं हुए हैं, उनकी देरी के कारणा बताएं?

लोक निर्माण मंत्री : (क) दिल्ली में ऐलिवेटिड रोड बनाने का विचार निम्नलिखित स्थानों पर था-

(क) बारापुल्ला (फेस-2):-जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम से आईएनए मार्केट तक।

(ख) बारापुल्ला (फेज-3):- सराये काले खॉ से मयूर विहार (फेस-1) तक।

(ग) उत्तरी-दक्षिणी कोरिडोर।

(घ) पूर्वी-पश्चिमी कोरिडोर।

(ङ) मीराबाग से बाजीराबाद, (नजफगढ़ नाले पर)

(च) मीराबाग से मुकरबाचौक तक (सप्लीमेन्ट्री नाले पर)

(छ) कालिन्दी बाईपास कोरिडोर।

(ख) इन योजनाओं से रोड प्रयोग करने वालों को फायदा होगा।

(ग) (क) बारापुल्ला (फेस-2) का कार्य अंतिम चरण में है एवं मार्च 2018 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

(ख) बारापुल्ला (फेस-3) का कार्य अभी लगभग 50 प्रतिशत ही हुआ है तथा इसकी कार्य समाप्ति के तारीख मार्च, 2019 है।

(ग) से (च) परियोजना विराधीन है।

(छ) उत्तर प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए कार्य लम्बित है।

(घ) लागू नहीं।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

167. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2016-17 में योजना मद के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को कुल 1200 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि लोक निर्माण विभाग आवंटित राशि में से मात्र 450 करोड़ रुपये की राशि पर खर्च पाया और 750 करोड़ रुपये सरेंडर कर दिये;

(ग) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बारापुल्ला परियोजना के लिए आवंटित 300 करोड़ रुपये में 100 करोड़ रुपये की राशि सरेंडर कर दिया है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त 100 करोड़ रुपये की राशि का व्यय बारापुल्ला परियोजना के निर्माण में व्यय न करके दूसरे मदों पर व्यय किये गये; और

(ङ) राशि को किन-किन मदों पर व्यय किया गया है और क्या ऐसा करना वित्तीय नियमों के अंतर्गत अनुमोदित होता है।

लोक निर्माण मंत्री : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) वर्ष 2016-17 में बारापुल्ला (एफ-3) के लिये कुल बजट 200 करोड़ मिला था जिसमें से 180.70 करोड़ इस्तेमाल हुआ था।

(घ) नहीं।

(ङ) व्यय वित्तय नियमों के अंतर्गत अनुमोदित होता है।

168. श्री शिव चरण गोयल : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सतगुरु राम सिंह मार्ग पर सड़क पर भारी मात्रा में निर्माण हो रहा है;

(ख) क्या यह सत्य है कि ये पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के अंतर्गत है और यह 100 फुट रोड है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इसके पी.डब्ल्यू.डी. ड्रेन पर अवैध कब्जे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

लोक निर्माण मंत्री : (क) और (ख) यह रोड पी.डब्ल्यू.डी. की है।

यह रोड 2.00 किमी तक 100 फटा है और बाकी जगह 80 फुट है। अतः अतिक्रमण की समस्या है।

(ग) और (घ) ड्रेन तथा फुटपाथ पर अस्थाई रूप से फल सब्जी, छोटी रेहड़ीपटरी, गैर कानूनी पार्किंग आदि के अतिक्रमण है। आर.ओ.डब्ल्यू. चिन्हित के लिये उप-जिलाधिकारी कार्यालय के साथ पत्राचार किया जा रहा है। अतिक्रमण को हटाना संबंधित स्थायी निकाय का काम है।

169. श्री शिव चरण गोयल : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोती नगर विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा फरवरी, 2015 से 31 जुलाई, 2017 तक कौन से कार्य किए गए है और कौन से करवाये जा रहे हैं, उनका विस्तृत विवरण क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) उपरोक्त विषय में की गई अवधि में किये गये कार्यों की सूची संलग्न है।

संलग्नक: अनसंलग्नक (1)

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

LIST OF WORKS COMPLETED AND IN PROGRESS UNDER MOTI NAGAR CONSTITUENCY FROM 02/2015 TO 31/07/2017

(PWD DIVISION WEST ROAD-2)

Sl. No.	Name of Work	Remarks
	2015-16	
1	A/R and M/O various roads under CRMD M-112 (N) during 2015-16, SH:- Repair of Footpath and Islands at Tagore Market, Kirti Nagar, under Sub Division M-1122	Work Completed
2	A/R and M/O various roads under M-112/West Road-2 during 2015-16, SH:- Cleaning of underground drains and culverts by Super Sucker machine under Sub Division M-1122/WR-21	Work Completed

Sl. No.	Name of Work	Remarks
3	A/R and M/O various roads of PWD division West-2 Roads (M-112) during 2015-16. SH:- Marking of Bus Boxes, Bus lane and other road marking with thermoplastic paint	Work Completed
4	A/R and M/O various roads under West Road-2 during 2015-16, SH:-Providing and deploying labour and T&P for special cleanliness drive under Moti Nagar Assembly Constituency	Work Completed
	2016-17	
1	A/R and M/o various roads under Division West Road-2 during 2015-16, SH:- Providing and deploying JCB machine dumper etc, for removal of encroachment and disposal of malba from roads under Sub Division WR-2.	Work Completed
2	A/R and M/O various roads under Division West Road-2 during 2015-16. SH:- Desilting of storm water drain under Section-II of Sub Division WR-21	Work Completed
3	A/R and M/O various roads under PWD Division West Road- 2 during 2015-16. SH:- Providing Two Nos. maintenance van with required labour, material ard T&P for Sub Division WR-21 roads under Section-I.	Work Completed
4	Road restoration of main carriageway at Najafgarh road from Zakhira to Rama Road roundabout and Karampura Chowk to Rama Road crossing at Patel Road damaged by DJB under sub divison M-1122/WR-21	Work Completed
5	A/R and M/O various roads under division West Road-2 during 2016-17. SH:- Providing maintenance van with required iabours, material & T&P for sub division WR-21 under Section-II	Work Completed

Sl. No.	Name of Work	Remarks
6	Extension of service road and construction of footpath and Island at Raja Garden, on Nitjafgarh Road, New Delhi under PWD West Road-2, Sub Division WR-21	Work Completed
7	A/R and M/O various roads under PWD West Road-2 division during 2016-17. SH:- Providing security services and cleaning of subway under Sub Division WR-21	Work Completed
8	A/R and M/O various roads under West Road-2 during 2016-17. SH:-Repairing of pot holes and patch work on various roads under sub division WR-21	Work Completed
9	A/R and M/O various roads unaer PWD West Road-2 division during 2016-17. SH:- Painting of kerb stones of Ring Road, Rohtak Road, Najafgarh Road, Shivdaspuri Marg etc. under Sub Division WR-21	Work Completed
10	A/R and M/O various roads under Division West Road-2 during 2015-16. SH:- Cleaning of underground drains & culvert by Super Sucker machine under Sub Division WR-21	Work Completed
11	A/R and M/O various roads under division West Road-2 during 2016-17. SH;- Providing and deploying JCB machine dumper etc. for removal of encroachment and disposal of malba from roads under Sub Division VVR-21	Work Completed
12	Restoration work of footpaths, berms, drain etc. cut by various agencies under Stj; Division WR-21 during 2016-17	Work Completed
13	A/R and M/O varic js roads under PWD Division West Road-2 during 2016-17. SH:- Repair of footpath. drain.	Work Completed

Sl. No.	Name of Work	Remarks
	carriageway including cleaning and disposal of malba from different locations of Sub Division WR-21	
14	A/R and M/O various roads under PWD West Road-2, New Delhi during 2016-17, SH:- Painting of kerb stone of Rama Road, Road No. 36, Patel Road, 80 rout Road, Zakhira Flyover, New Rohtak Road etc, under Sub Division WR-21	Work Completed
15	A/R and M/O various roads under Division West Road-2 during 2016-17. SH:- Providing and deploying JCB machine dumper etc. for removal of encroachment and disposal of malba from roads under Sub Division WR-21	Work Completed
16	A/R & M/O to various roads under Division WR-2, PWD dg. 2016-17 (SH: Providing services of maintenance van, labour and T & P for all sub divisions for one year.)	Work is in progress
	2017-18	
1	A/R and M/O various roads under PWD Division West Road-2 during 2016-17. SH:- Patch repair work at Satguru Ram Singh Marg. Ring Road, Najafgarh Road, Patel Road under WR-21	Work Completed
2	Road restoration work at Sat Guru Ram Singh Marg from Adarsh Public School to '-Block Kirti Nagar, Road cut by Delhi Jal Board under PWD Division WR-2. Sub Division West Road-21, Basaidara Pur, New Delhi	Work Completed
3	A/R & M/O to Various Roads under West Road-2 Division dg. 2016-17 (SH: Comprehensive desilting	Work is in progress

Sl. No.	Name of Work	Remarks
	of drains of various categories and sizes along PWD roads under Sub Division WR-21).	
4	A/R and M/O various roads under PWD Division West Road-2 during 2016-17. SH:- Repair of footpath and drain at Shivdaspuri Marg under PWD Sub Division WR-21	Work is in progress
5	A/R and M/O various roads under PWD Division West Road-2 during 2016-17. SH:- Repair and construction of footpath and kerb channel between Moti Nagar to Zakhira at Najafgarh Road under Sub Division WR-21	Work is in progress
6	Repairing of slip roads and re-construction of drainage system at Slip road Zakhira under PWD Division West Road-2 during 2016-17 (Balance Work).	Work is in progress

170. श्री नितिन त्यागी : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक निर्माण विभाग की सड़कों से अतिक्रमण और अवैध रूप से पार्क किए गए वाहन हटाना किस विभाग का दायित्व है;

(ख) लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर अतिक्रमण व अनाधिकृत रूप से पार्क किए गए वाहनों के कारण लगने वाले जाम के लिए कौन सा विभाग दोषी है; और

(ग) सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) इन सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की प्राथमिक

जिम्मेदारी एम.सी.डी. की है। जिलाधिकारी तथा उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में निर्मित क्रमशः डी.टी.एफ. तथा एस.टी.एफ. की भी मदद ली जाती है।

लोक निर्माण विभाग लोजिस्टिक सपोर्ट जेसे जे.सी.बी. ट्रक, तथा लेबर इत्यादि का सहयोग देता है।

(ख) संबंधित नगर निगम तथा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का दायित्व है।

(ग) समय-समय पर पत्र द्वारा संबंधित नगर निगम तथा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सूचित किया जाता है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

171. **श्री नितिन त्यागी :** क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटपडगंज रोड, लक्ष्मी नगर, शक्करपुर में स्थित एफ.ओ.बी. 36 का कार्य कब से प्रगति में है;

(ख) इस परियोजना को कब तक पूर्ण जाना था;

(ग) इस परियोजना का मूल बजट कितना था;

(घ) इस परियोजना का वर्तमान कुल संभावित बजट कितना है;

(ङ) इस परियोजना के पूर्ण होने में देरी के क्या कारण हैं;

(च) इस परियोजना के पूर्ण होने में देरी के कारण जनता को होने वाली परेशानी के लिए कौन जिम्मेदार है; और

(छ) यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री : (क) और (ख) यह कार्य दो भागों में होना था।

पहला भाग दिनांक 21.10.2013 से शुरू हुआ था जो कि पूर्ण हो चुका है।

दूसरा भाग दिनांक 04.01.2017 से शुरू हो चुका है जो कि प्रगति पर है।

(ग) और (घ) पहले भाग का मूल बजट रुपये 14.62 करोड़ था तथा दूसरे भाग का मूल बजट रुपये 9.68 करोड़ है।

दोनों भागों का कुल बजट रुपये 24.30 करोड़ है।

(ङ) और (च) इस परियोजना में देरी के मुख्य कारण पेड़ों की कटाई की वन विभाग से मंजूरी में देरी एवं बाशि के मौसम में कार्य में बाधा इत्यादि है।

(छ) यह परियोजना मार्च–2018 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

172. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली सड़कों के रिडजाईन एवं रिडवलपमेंट की दिशा में कोई कदम उठाए जा रहे है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) और (ख) हां, निम्नलिखित सड़कों की स्ट्रीट स्केपिंग का प्रस्ताव विचाराधिन है।

पूर्वी क्षेत्र- कन्सलटेंट : मे. प्रदीप सचदेवा डिजाइन एससोशिऐट।

1. ऑउटर रिंग रोड निगम बोध घाट से मैगनीज रोड क्रॉसिंग तक।

2. नरवाणा रोड़ मदर डेरी से पंच महल आवास तक।

3. विकास मार्ग लक्ष्मीनगर चूंगी से कडकडी मोड़ तक।

उत्तरी क्षेत्र- कन्सलटेंट : मे. पारेख एससोशिऐट

1. रोड़ न. 41 और 41-ए वजीरपुर डिपो करोसिंग (एन.एस.पी.) से रिठाला मेट्रो स्टेशन तक-

कन्सलटेंट : मे. ओएसिस डिजाइन इंक

2. रोड़ नं. 43 ब्रिटेनिया चोक से ऑउटर रिंग रोड वेस्ट इनकलेव तक।

3. शिवदासपुरी मार्ग एवं पटेल रोड़- रिंग रोड़ मोती नगर टी प्वांइट से पूसा गेट गोल चक्कर तक।

दक्षिणी क्षेत्र- कन्सलटेंट : मे. प्रदीप सचदेवा डिजाइन एससोशिऐट

1. ऐम्स से आश्रम तक।

कन्सलटेंट : मे. पारेख एससोशिऐट

2. एम्बेडकर नगर से डिफेन्स कालोनी तक।

कन्सलटेंट : मे. ओएसिस डिजाइन इंक

3. मायापुरी से मोती बाग तक।

संबंधित कन्सलटेंटों को कहा गया है कि वो अपने प्रस्तावों को और व्यवहारिक

बनाएं। सड़कों (Carriageway) की चौड़ाई कम करना ठीक नहीं हैं, क्योंकि इससे ट्रेफिक जाम होने की सम्भावना और बढ़ जाएगी।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

173. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर बने फुटपाथों से अवैध कब्जे हटाने के उद्देश्य से कोई योजना बनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) एम.सी.डी. एक्ट के अनुसार दिल्ली नगर निगम अतिक्रमण हटाती है।

(ख) लोक निर्माण विभाग ऑपरेशन में लोजिस्टिक स्पोट जैसे जे.सी.बी., ट्रक तथा लेबर इत्यादि का सहयोग देता है। अतिक्रमण रोकने हेतु उपरोक्तानुसार लगातार प्रयास किया जाता है और अतिक्रमण हटाया भी जाता है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

174. श्री विशेष रवि : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करोल बाग विधान सभा के अंतर्गत पी.डब्ल्यू.डी. के पास कितनी किलोमीटर रोड है;

(ख) करोल बाग विधान सभा में सड़कों एवं नालों की देखभाल के लिए इस समय कितनी मेंटनेंस वैन एवं कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ग) पी.डब्ल्यू.डी. नोर्मस के हिसाब से कितने किलोमीटर पर मेंटनेंस वैन एवं कर्मचारी निर्धारित है;

(घ) क्या इस समय करोल बाग विधान सभा से काम कर रहे मेंटनेंस वैन एवं लेबर की संख्या पी.डब्ल्यू.डी. नोर्मस के हिसाब से हुई है; और

(ङ) जनवरी, 2017 से करोल बाग विधान सभा में पी.डब्ल्यू.डी. ने कितना मेट्रिक गाद नालों से निकली है। यह निकली गयी गाद में से कितनी प्रसेंट मेन्यूअल कर्मचारियों द्वारा निकाली गई है और कितनी परसेंट सुपर सकर मशीन द्वारा निकाली गई है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) 40 कि.मी.

(ख) 4 मेंटनेंस वैन तथा 24 कर्मचारी काम करते हैं।

(ग) पी.डब्ल्यू.डी. नोर्मस के इस बारे में कोई मानक निर्धारित नहीं है।

(घ) 'ग' के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं है।

(ङ) 3877.93 मैट्रिक टन गाद निकाली गई है। 92% मैनुअल लेबर द्वारा एवं 8% सुपर सकर मशीन द्वारा निकाली गयी।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

175. श्री विशेष रवि : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि करोल बाग को ट्रेफिक जाम से मुक्त करने हेतु 2 वर्ष पूर्व पेड़ेस्ट्रियन ऑफ करोल बाग' नाम कि परियोजना शुरू कि गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या इस परियोजना कि कोई समय सीमा है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) से (ग) उत्तरी नगर निगम दिल्ली द्वारा एक प्रस्ताव इस बाबत् बनाया गया था। वर्ष 2015 में करोलबाग क्षेत्र की सड़कें लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गई है। परियोजना अब लोग निर्माण विभाग के अंतर्गत विचाराधीन है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

176. श्री राजेश गुप्ता : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल कितने एफ.ओ.बी. पास हो चुके है;

(ख) ये एफ.ओ.बी. कब तक बनेंगे;

(ग) जे.जे. कॉलोनी की एफ.ओ.बी. में लिफ्ट कब तक लगेगी; और

(घ) क्या इन सभी एफ.ओ.बी. में लिफ्ट होगी?

लोक निर्माण मंत्री : (क) और (ख) कन्हैया नगर में एक एफ.ओ.बी. बन चुका है। वजीरपुर गांव के पास एवं सत्यवती कॉलेज के पास 2 एफ.ओ.बी. के प्रस्ताव पास हुए हैं। कार्य पीपीपी अथवा बजट द्वारा करना है, इस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) लिफ्टें 30/09/2017 तक चालू कर दी जाएंगी।

(घ) हां।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

177. **श्री पंकज पुष्कर :** क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 1. मौरिस नगर थाना के सामने सड़क पर बनी मजार, 2. मौरिस नगर थाने से किंग्सवे कैंप जाते समय नजफगढ़ नाला पार करते ही सड़क की जमीन पर मंदिर और अखाड़ा के नाम पर, 3. सिग्नेचर अपार्टमेंट से परमान चौक की ओर जाते हुए एक मंदिर के नाम पर फुटपाथ, 4. किंगजवे कैम्प चौराहे से बुराड़ी की ओर जाते हुए सड़क पर स्थायी दुकान बनाने और 5. विजय नगर सिंगत स्टोरी हनुमान मंदिर के सामने रॉयल बैक्वेट हॉल द्वारा सड़क आदि अवैध कब्जे किए गए;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कब्जो का कब तक हटाया जाएगा, उसका ब्यौरा पूर्ण विवरण है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) बिन्दु 1, 2 एवं 3 सत्य है।

रोड पर अतिक्रमण हटाने की कानून के तहत जिम्मेदारी एम.सी.डी. की है।

लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर बने फुटपाथों से अवैध कब्जे हटाने में एस.डी.एम द्वारा गठित टास्कफोर्स का भी सहारा लिया जाता है।

पी.डब्ल्यू.डी. सम्बंधित एजेन्सी से अवैध निर्माण के हटाने के लिए कहती है तथा बुल्डोजर व लेबर इत्यादि मुहैया कराती है।

(ख) धार्मिक भवनों को हटाने का मसौदा उपराज्यपाल के दिशा निर्देशों पर बनी धार्मिक समिति को पेश किया जाता है। निर्णय के बाद उपर्युक्त कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

178. श्री नरेश बाल्यान : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा उत्तम नगर टर्मिनल से द्वारका मोड़ तक लगने वाले जाम से आम जनता को राहत दिलाने हेतु कोई योजना बनाई गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) से (ग) हां। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बताये गये पॉइंट को बंद कर दिया गया है। रोड के साथ अवेध अतिक्रमण को सिविल एजेंसी व पुलिस विभाग के साथ मिल कर हटाया गया। इस रोड के साथ उत्तम नगर चौक पर स्लिम रोड बनाने की प्रस्तावना इस वर्ष रखी गयी है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण की स्वीकृति से जारी किया गया है।

179. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा धौला कुआं से लेकर झरेड़ा गांव

के अंतर्राष्ट्रीय हाई–वे नंबर 8 को चौड़ा करके फलाई ओवर बनाने के लिये डिपोजिट कार्य भारत सरकार के नेशनल हाईवे ऑथोरिटी को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) हां, यह कार्य भारत सरकार के नेशनल हाईवे ऑथोरिटी को सौंपा गया है। यह कार्य अपने व्यय से ऑथोरिटी करेगी। डिपॉजिट पर कोई काम नहीं दिया गया।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं है।

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

180. श्री रघुविन्द्र शौकीन : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगलोई बस डिपो के पास स्थित एन.एच.–10 सप्लीमेंटरी ड्रेन पर स्थित पुल को चौड़ा करने की दिल्ली सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू और कब तक पूर्ण हो जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) हां।

(ख) उपरोक्त कार्य का प्रारिम्भक अनुमान बनाया जा रहा है तथा उसकी अनुमति सरकार से मिलने के बाद 31 दिसम्बर, 2017 तक कार्य प्रारम्भ किया जाएगा एवं 30.06.2019 तक कार्य पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

181. श्री जगदीश प्रधान : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में सड़कों का रख-रखाव तथा उनकी हालत काफी खस्ता है;

(ख) क्या इसके लिए टेंडर आमंत्रित किये गये थें;

(ग) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त टेंडर में सड़कों के बीच हरियाली लगाने, बागवानी और सड़कों की यांत्रिक सफाई का काम भी सम्मिलित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न कामों के लिए एक ही टेंडर क्यों आमंत्रित किया गया;

(ङ) क्या इस काम के लिए कोई कंपनी आगे आई;

(च) यदि नहीं तो इस योजना के खटाई में पड़ने के क्या कारण है;

(छ) इन कामों को करने के लिए सरकार की वर्ष 2017-18 के लिए क्या योजना है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) लो नि वि के अधीन सड़कों का रखरखाव ठीक है तथा जहां कमी दिखाई देती है उसे ठीक किया जाता है।

(ख) हां।

(ग) हां।

(घ) एक ही एजेन्सी उत्तरदायी हो।

(ङ) नहीं।

(च) एजेन्सी के पास पुराना अनुभव नहीं था।

(छ) कार्यों की आवश्यकतानुसार निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

182. श्री मनोज कुमार : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कोंडली पुल व वसुन्धरा एन्कलेव के पुल पर बहुत जाम लगता है;

(ख) क्या पीडब्ल्यूडी की इस जाम से निजात दिलाने के लिये क्या योजना है;

(ग) जनता को कब तक जाम से छुटकारा मिल पायेगा;

(घ) क्या यह सत्य है पीडब्ल्यूडी की भारती स्कूल के चौराहे पर जहां आठ बड़े स्कूल पड़ते हैं पर एफओबी बनाने की योजना है;

(ङ) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(च) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) सत्य है।

(ख) और (ग) क्षेत्र को जाम से निजात दिलाने के लिए दल्लुपुरा रोड उससे जुड़ी हुई अन्य सड़कों में सुधार पर विचार किया गया है। सुधार के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। रोड पर अतिक्रमण हटाने इस बारे में सयुक्त निरिक्षण 13.5.2016 को हुआ था। अतिक्रमण के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी पुर्नविचार करके फिर अपने प्रस्ताव

को यूटिपेक के पास भेजा है। यूटिपेक (डीडीए) से संवाद जारी है। समय सीमा अभी नहीं बतायी जा सकती।

(घ) और (ङ) पी.पी.पी. मॉडल में एफ.ओ.बी. बनाना विचाराधीन है तथा एम.सी.डी. से इस संबंध में बातचीत जारी है। सड़क पर विज्ञापन एम.सी.डी. नियंत्रित करती है।

(च) लागू नहीं।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

183. श्री जरनैल सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 में लोक निर्माण विभाग सिविल एंड मेन्टेनेंस हॉर्टीकल्चर इलेक्ट्रीक व प्रोजेक्ट द्वारा तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में कौन से कार्य किये गये; तो उन पर क्या कार्रवाई की गई हां;

(ख) क्या कार्य पूरा होने पर इनकी गुणवत्ता का निरिक्षण करवाया गया;

(ग) यदि हां, तो किसके द्वारा;

(घ) क्या यह सत्य है कि इनकी गुणवत्ता से सम्बंधित कोई शिकायत विभाग को मिली है;

(ङ) यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाई की गई;

(च) तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में किये गये इन कार्यों की स्थिति क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में किए गए कार्यों की सूची संलग्न है।

कार्यपालक अभियंता, पश्चिम वैधुत मंडल, रामा रोड, जखीरा, नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कार्य पूर्ण हो चुके है (**सूची संलग्न**)।

(ख) हां।

(ग) गुणवत्ता निरीक्षण परिमंडल कार्यालय गुणवत्ता शाखा एवं दिल्ली सरकार गुणवत्ता शाखा द्वारा किया गया था।

(घ) नहीं।

(ङ) पैरा घ के सम्बन्ध में रिपोर्ट 'शून्य' समझी जाए।

(च) कार्य क्रमांक संख्या 21, 26, 28, 29 के अलावा समस्त कार्य पूर्ण हो गये है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

ANNEXURE

WORK LIST UNDER TILAK NAGAR CONSTITUENCY DURING 2015-16 & 2016-17

Sl. No.	Name of work	Estimated Cost
1	2	3
2015-16		
1	Construction of (Strengthening) Road near Handi Restaurant (Mohalla SDMC Primary School Tihar No. 2) Ashok Nagar, New Delhi.	2119051

1	2	3
2	Providing and fixing Signage's Boards at Vikaspuri under AC-29 Tilak Nagar Constituency under DUDA West	689629
3	Improvement of road in front of Indra Gandhi Institute of Physical Education and Sport Science, B- Block Vikaspuri under AC-29 Tilak Nagar	3890601
4	A/R & M/O various roads under Sub Division West Road-13, Division West Road-I New Delhi during 2015-16 (SH:- Repairing of footpath near main market Tilak Nagar)	701814
5	Repair/Modification of existing grill and drain of road at Tilak Nagar Market (DUDA).	969756
6	A/R & M/O to various roads under CRMD M-112 (N) during 2015-16. (SH - Improvement of Katcha Portion of Lala Ganesh Dass Marg from Reliance Showroom to Bhola Mandir under Sub Division M-1121)	9144665
7	Improvement and repair footpath at Harijan Colony Vikaspuri Ext. under AC-29 Tilak Nagar..	2431851
8	Repair of existing drain at Ashok Nagar (DUDA) under Sub Division WR-13 dg. 2015-16	2259559
9	A/R & M/O Various roads under Sub Division WR-13, Division WR-I, New Delhi dg. 2015-16. SH: (Repair of footpath & central verge near Subhash Nagar Metro Station).	2220587

1	2	3
10	Repair of existing drain at INDIRA CAMP. (DUDA)	945206
11	A/R & M/O various roads under Sub Division WR-13, Division WR-I New Delhi during 2015-16. (SH: C/o police post at Tilak Nagar Market).	383724
2016-17		
12	A/R & M/O Various roads under sub Division WR-13, Division WR-i, New Delhi dg. 2016-17. (SH: Desilting of drain of K. R. Manglam roads, storey road Tilak Vihar & Road No. 235 extension & Lala Ganesh Das Khatri Mare at Tilak Nagar.)	1576837
13	A/R & M/O Various roads under sub Division WR-13, Division WR-I, New Delhi dg. 2016-17. (SH: Desilting of drain at H-Block to H-3 Block & Pelicon road from Guru Virjanand Marg to Road No. 235 extens'-. '- & Guru Virianand Mare at Tilak Naear.)	2207837
14	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi dg. 2016-17. (SH: Improvement of service road from Janakpuri East Metro Station to Aggarwal Sweet Corner, Ganesh Naear Red Lieht.)	2895408
15	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Repairing of footpath from T. C Camp at Khayala to DDA Green Area at Subhash Nagar.)	2520442

1	2	3
16	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Painting of Railing and kerb stone in different locations of Tilak Nagar constituency.)	1962892
17	A/R & M/O various roads under PWD Sub Division WR-13, Division WR-1 New Delhi dg. 2016-17. SH: Patch Repairing works at different locations in Tilak Nagar Constituency.	1345927
18	Road Restoration to be cut by Delhi Jal Board on Keshopur Mandi to Patel Chowk road under sub division WR-13, New Delhi dg. 2016-17.	1388433
19	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Making connection of drain and construction of footpath in Ashok Nagar Double Storey Road under Tilak Nagar Constituency.)	2940274
20	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I during 2016-17. (SH:- Repair of damaged wall & fixing missing railings infront of Janakpuri District Centre, New Delhi.)	1793822
21	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-1, New Delhi during 2016-17. (SH:- Connection of Sahib Pura area to Outer Ring Road in Tilak Nagar Assembly, New Delhi.)	2246524

1	2	3
22	A/R & M/O Various roads under sub division WR-12, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Improvement of drain at Keshopur Mandi to Patel Chowk road from Western Hotel crossing to Subhash Nagar drain near Keshopur Mandi Park Hospital side.)	2863552
23	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Construction of footpath at Meenakshi Garden (Shivaji Marg / Najafgarh Road) and misc. repairing at Keshopur Subii Mandi Road.)	2504444
24	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Improvement of Service road (Shivaji Marg/Najafgarh Rdad) from DJB office Tilak Nagar to Haldiram Chowkhandi road.)	2825841
25	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Improvement and road marking (thermoplast) of Lala Ganesh Das Khatri Marg from 20 block to outer rine road.)	1223234
26	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Construction of new footpath behind PVR Complex on PVR adjacent Road and Behind 70 block park Ashok Naear to Tihar no. 2 School.)	3696207

1	2	3
27	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Providing Mandatory/lnformatory/Cautionary Signage Boards at different locations under Tilak Nagar Constituency)	1293183
28	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Improvement of carriage way / widening of carriage way of Saheed Raj Guru Marg.)	2940231
29	A/R & M/O Various roads under sub division WR-13, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Providing thermoplastic paint at Zebra crossing (Pedestrian Crossing) and edge lines on all PWD roads under Tilak Nagar.)	2905941
30	A/R & M/O Various roads under PWD Sub Division WR-12, Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Patch work with black top on Subhash Nagar to Patel Chowk Road near Keshopur Mandi.)	3952216

184. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मेरे क्षेत्र के शाह आलम बांध रोड और जहांगीर पुरी कुशल सिनेमा रोड पर लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवैध कब्ज़े को हटवाने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है;

(ग) यह अवैध कब्ज़ा कब तक हटवा दिया जायेगा?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) यह सत्य है।

(ख) अवैध कब्जा हटाने के लिए चेयरमैन एस.टी.एफ. मॉडल टाउन को पत्र लिखा गया है

(ग) एस.टी.एफ. अवैध कब्जा हटाने की तिथि निश्चित करेगी।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

185. श्री राजेश ऋषि : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी की पंखा रोड पर जीवन पार्क से ए-2 ब्लॉक तक और चाणक्य प्लेस से सी-1 तक जनता की जरूरत को देखते हुए दो पैदलपथ पुल (फुट ओवर ब्रिज) के निर्माण की योजना है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इसके लिए सर्वे भी किया जा चुका है;

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या यह सत्य है कि पैसे के अभाव में ये काम नहीं हो रहा है; और

(ङ) ये पैदलपथ पुल कब बनना प्रारंभ होंगे?

लोक निर्माण मंत्री : (क) से (ङ) पंखा रोड पर जीवन पार्क से ए-2 ब्लॉक तक पैदलपथ पुल बनाने का सर्वे कर लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण में सब कमेटी ने एफ.ओ.बी. को जरूरी बताया। लेकिन यह भी सुझाव दिया कि ट्रेफिक स्टडी की जाए तथा वहां पर स्थित उच्च वोल्टेज बिजली की लाईन, पेड़ों तथा अन्य सेवाओं का स्थानांतरित करने के बारे में भी ध्यान दिया जायें। मामले को कब एफ.ओ.बी. कमेटी के समक्ष रखा जाएगा।

दूसरा पैदल पथ पुल चाणक्य प्लेस से सी-1 तक सम्भव नहीं पाया गया।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

JOINT INSPECTION REPORT

Sub:- Proposal for construction of two Foot Over Bridges.

In pursuance to Executive Engineer South West Road -II letter no. 23 (FOB) /EE/SW-II/PWD/2016-17/1788. dt. 28/10/2016 a joint survey has been carried out on following locations at Pankha Road by officials present as per attendance sheet enclosed herewith.

During the joint inspection the following are proposed.

1. Proposal for construction of Foot Over Bridge at C-2 Janak Puri near Pole no. 48 at central verge.

   It is proposed by the member present that traffic study be carried out for providing the. Foot Over Bridge by considering the shifting of existing service like H. t lines, others misc. Services and trees etc. The member of UTTIPEC stated that the location of this proposed Foot Over Bridge is near to traffic signal i. e. within 100 mtr approximate, therefore a pedestrian crossing may be provided.

2. Proposal of Foot Over Bridge near A-2 Block, Pole no. 58 in central verge.

   During the joint inspection, it is proposed unanimously that there is urgent need of this proposed Foot Over Bridge in the interest of public, However it was desired that a traffic study of this location may be done and shifting of existing H. T line and other services and trees etc. needs to be looked in to.

186. श्री प्रवीण कुमार : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से अब तक विधायक निधि के

अंतर्गत किये गये कार्यों के टेंडर का विवरण, कांन्ट्रेक्टर की राशि तथा पूर्ण हो चुके और लम्बित कार्यों का पूर्ण विवरण;

(ख) इस क्षेत्र में किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित कार्यों की सूची; और

(ग) इस क्षेत्र हेतु तैनात लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के नाम व संपर्क डिटेल्स क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा विधायक निधि के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया गया है।

(ख) शून्य है।

(ग) श्री एम.के. महोबिया (मुख्य अभियंता) 9999538470 श्री एस के जैन (अधीक्षण अभियंता) 9818345446 श्री शील रजनीश (कार्यपालक अभियंता) 8527021144

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

187. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका विधान सभा क्षेत्र की लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली सड़कों का विवरण क्या है;

(ख) इन सड़कों की मरम्मत कब की गई;

(ग) इन सड़कों की पुनः कब मरम्मत की जाएगी; और

(घ) इन सड़कों की दशा ठीक रखने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का विवरण दें?

लोक निर्माण मंत्री : (क) द्वारका विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली सड़कें सागरपुर-नसीरपुर पालम-डाबरी एवं पंखा रोड़ हैं।

(ख) मरम्मत कार्य आवश्यकता अनुसार समय-समय पर किया जाता है।

(ग) पालम-डाबरी एवं पंखा रोड़ का मरम्मत कार्य पुनः होना है।

(घ) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार निगरानी और मरम्मत का कार्य किया जाता है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

188. श्री अजय दत्त : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लोकनिर्माण विभाग के कौन से रोड़, फुटपाथ, भवन व लाइटस हैं;

(ख) इस क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कौन से नाले हैं;

(ग) इन नालों की डिसिल्टिंग कब करवाई गई; पूर्ण विवरण दें;

(घ) इस वर्ष सुपर सक्कर मशीन कहां पर लगाई गई, पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) हाल ही में एम.बी. रोड पर ड्रेनेज व सड़क पर किए गए कार्य का पूर्ण विवरण व खर्चे का ब्यौरा क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) 1. राजा राम मार्ग।

2. दक्षिणपुरी-एच ब्लॉक,

3. महर्षि बाल्मिकी मार्ग,

4. दुर्बलनाथ मार्ग,

5. देवली मार्ग एवं

6. कुछ भाग एम.बी. मार्ग।

(ख) उपरोक्त सभी मार्गों के किनारे बनी बरसाती नालियां।

(ग) इस बार मानसून के सन्दर्भ में पिछले करीब दो महीनें से नाले सफाई की कार्यवाही की जा रही है।

(घ) 1. एम.बी. रोड पर बी.आर.टी. के नीचे वाली कल्वर्ट से राजाराम मार्ग।

2. एम.बी. रोड पर नजदीक खानपुर फल मण्डी।

3. एम.बी. रोड पर नजदीक एच ब्लॉक दक्षिणपुरी।

4. देवली रोड।

(ङ) ड्रेनेज के कार्य की निविदा राशि रु. 1.00 करोड़ है, इसके अतिरिक्त आर. एम.सी., का कार्य जोकि रोड की गराई को लैवल करने के लिए कराया गया है। यह कार्य अन्य कार्यों की मद से हुई बचत में करवाया गया है। जिसका अनुमानित खर्चा रु. 80.00 लाख है। इसके अतिरिक्त एक कार्य ए/आर एंड एम/ओ विभिन्न सड़क (एसएच:- इंटरलॉकिंग टाइलें, क्रेन स्टोन और विविध के बिछाने और बिछाने। बत्रा अस्पताल से दक्षिणपुरी रेड लाइट एमबी रोड पर सिविल कार्य।) अभी हाल में अवार्ड किया गया परन्तु अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है।

189. श्री संजीव झा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरी विधानसभा में बीजेआरएम अस्पताल के नजदीक आउटर रिंग रोड पर बन रहे फुटओवर ब्रिज की लागत कितनी है;

(ख) इस प्रोजेक्ट के कार्य समापन की तिथि क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि यह कार्य अनुमानित समय-सीमा से पीछे चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्य की निविदा होने की तिथि से अब तक इस स्थान पर कितनी दुर्घनाएं हो चुकी हैं।

लोक निर्माण मंत्री : (क) रुपये 9 करोड़ (90 मीटर स्पैन का आर्च के आकार का एफ.ओ.बी. प्रस्तावित है) जिसमें 20 व्यक्तियों की क्षमता वाली दो ग्लास लिफ्ट भी लगाई जाएगी।

(ख) कार्य समापन सम्भावित तिथि 15 जुलाई, 2017 थी परन्तु अब यह कार्य 30.11.2017 तक समाप्त होगा।

(ग) हां।

(घ) सब स्ट्रक्चर बनाने वाली एजेन्सी ने कार्य देरी से समाप्त किया।

(ङ) लोनिवि के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

190. श्री सोमनाथ भारती : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) इस लक्ष्य को पाने हेतु दिल्ली सरकार की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें;

(ग) सीवरों/नालों की सफाई हेतु दिल्ली सरकार की क्या योजना है;

(घ) क्या यह सत्य है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम/लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश नालों को गैर-कानूनी रूप से कैम्प, अतिक्रमण द्वारा ढक दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन नालों को फिर से रिवाइव करने हेतु सरकार की क्या योजना है;

(च) सड़कों एवं फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने हेतु सरकार की क्या योजना है; और

(छ) सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) और (ख) इस अंचल के संज्ञान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(ग) यह कार्य अभियन्ता ठेकदारों के जरिये काम करते है। पी.डब्ल्यू.डी. के नालों पर अतिक्रमण की समस्या है।

(घ) और (ङ) पी.डब्ल्यु.डी. के नालों पर अतिक्रमण की समस्या है।

(च) अतिक्रमण हटाना नगर निगम के कार्य क्षेत्र में आता है।

(छ) समय-समय अतिक्रमण नगर निगम व एस.टी.एफ. द्वारा हटाया जाता है।

191. श्री मदन लाल : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सफदरजंग फलाई ओवर से सफदरजंग बस टर्मिनल

की तरफ पेवमेन्ट पर कुछ लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर कारों की डेंटिंग पेंटिंग का बिजनेस किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा इस अतिक्रमण के विरूद्ध कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री : (क) हां।

(ख) अतिक्रमण हटा दिया गया है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

192. श्री जगदीप सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरि नगर विधान सभा में जनवरी, 2017 से विकास के कौन-कौन से प्रोजेक्ट चल रहे है;

(ख) ऐसे सभी वर्क आर्डर व शैडयूल की एक प्रति उपलब्ध कराएं; और

(ग) मायापुरी रोड पर स्थित फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और यह कब तक पूर्ण हो जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) और (ख) हरि नगर विधान सभा क्षेत्र पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किए गए कार्यो की सूची संलग्न है।

(ग) एफ.ओ.बी. के निर्माण के संबंध में एफ.ओ.बी. सब कमेटी ने निरीक्षण करके पडेस्ट्रियन सर्वे करवाने का निर्देश दिया है। जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

LIST OF WORKS UNDER HARI NAGAR CONSTITUENCY DURING THE YEAR 2017

Annexure Q. No. 12

Sl. No.	Name of work	A/A and E/S details	Nature of Tender	Agency	Agreement No.	Composite ECPT	Composite tender Value	Stipulated Date of Start	Stipulated Date of completion start	Time period	Acltul/ Targeted date of Completion	Appro value of work done (Rs. inlakh)	Remarks/ Reasons for delay
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
West Building Sub Division WB-14													
1	EOR to RPVV. BF-Block, Hari Nagar, New Delhi. (SH:- Strengthing of building and renovation of all toilet, abs Class rooms 8 other misc. works	Vide Sanction group No. 2014000750/ 87-96 Dated 22-04-2015 for Rs. 2,34,51,260/-		M/S Shyam Sunder Tyagi	88/EE/ PWD/ M-132/ 15-16	195.6	129.82	10.03. 2015	09.07. 2016.	04 Months	31.07. 2017	90%	Work in progress
2	EOR to GGSSS (1515029) Suhhash Nagar. New Delhi. (SH:- Covering of passage with MS frame work and	F. 16/Estate/ West-A/GGSSS No. 1, Subhash Nagar/2017-18/ 419-43 dated 21.03.2017 for		Sh. Ashok Kumar	44/EE/ PWD/ WB-1/ 17-18	11.58	7.97	26.06. 2017	25.07. 2017	01 Month	25.07. 2017	-	Work just awarded

	precoated sheel from old building to lew building with path railing).	amounting to Rs. 11.81.993/-									
West Electrical											
1	Renovation of school building al RPBVV. B-Block, Hari Nagar; New Delhi (SH:Repairing and Replacement of El and Pajs)	F16/Const/RPW/ Hari Nagar AA fest A/Estate/ CW/87-96 dt, 22.04.2015 for Rs. 23451260/-		M/s Krishna Electrical Works,	28		812655	20.05. 2016	19.08. 2016	31.03.2017/ 31.07.2017	work in progress 2nd bill paid Rs. 760623/-
2	Running, Maintenance and Operation of Swimming Pool at Sjrvodaya Kanya Vidyalaya, L Block Hari Magar New Delhi for the year of 21) 2017-18.	DE/41/11 (10)/ Sports/ 2016/ 26324-25 dated 27.03.2017 amounting to Rs. 990000		M/S Geeta Enterprises	03/2017-18	-	620000	31.05. 2017	30.12. 2017	30.12. 2017	Work in progress
3	Renovation of Workshop No 1 and Workshop No. 2 at ITI Jail Road. Hari Nagar New Delhi-64. (SUB HEAD : Wiring. DB's and Earthing).	-	-	Sigma	05/2017-18	-	1340827	02.06. 2017	01.09. 2017	01.09. 2017	Work in progress

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Providing and fixing Split AC in MP Hall and conference room in Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, B. E. Block, Hari nagar, New Delhi. (School ID 1514023)												Tender to be opened on 08.08. 2017
PWD Sub Division West Road-11													
1	A/R & M/O various roads under PWD Division West Road-I, New Delhi dg, 2016-17, SH C/o additional rooms, toilet etc. for Sub Division West Road-11 adjacent to Lajwanti Flyover, New Delhi	—	%	M/s Ardour Infrastructure Pvt. Ltd.	104		766929	22.10. 2016	21.01. 2017	3			Work in progress 85%
2	A/R & M/O to various roads undet Division West Road-1, PWD dg 2016-17 (SH: Providing services of maintenance van, labour and T & P	—	%	M/s Globe Builders	139		10000000	12.02. 2017	11.02. 2018	12		-	Work in progress 27% for Sub div. WR-12 & WR-15

	for all sub divisions for one year.)									
3	A/R & M/O Various roads under PWD Division West Road-I, New Delhi during 2016-17, : (SH: Painting Kerb Stones and Central Verge including railings on the various occasions under West Road Sut Division-111	—	%	Sh. Bhupinder Singh	4	1005504	07.05. 2017	06.11. 2017	6	Work in Progress 30% R/A bill paid
4	A/R & M/O Various: roads unde Division West Road-I. New Delh during 2016-17. (SH: Repair of footpath, central verge and drair near B2 Block Janakpuri at Dharan Marg under Sub Division WR-11.)	–	%	M/s Shree Vishnu Sleel Works	10	4366532	04.05. 2017	03.07. 2017	2	R/A bill prepaid
5	A/R & M/O Various roads unde PWD Division West Road-I, Nev Delhi dg. 2017-18. (SH:-	–	%	M/s Universal Security & Placement Service	16	2024942	21.05. 2017	20.05. 2018	12	Work in Progress 2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Providing services of Watch & Ward in Divisioi office & Sub-Division WR-11.)												
6	A/R & M/O Various roads under PWD West Road Division-I, New Delhi dg. 2016-17. (SH: Supplying & stacking of materials for day to day, maintenance of roads under West road Sub Division-11.) (Sec. II).	–	%	Sh. Sanjay Kaura	21		332103	29.05. 2017	28.06. 2017	1		-	Work in progress 50%
7	A/R & M/O Various roads under West Road Division-I, New Delhi during 2016-17. (SH:- Repair of footpath and drain at Rajouri Apartment Road (from Satguru Ram Singh Marg to Shadley Public School roundabout	—	%	Sh. Ramesh Chander	22		1698233	29.05. 2017	28.07. 2017	2			Work not started

	under Sub-Din. WR-11).									
8	A/R & M/O Various Road under PWD West Road Division 1, New Delhi during 2017-18. (SH:- Desilling of storm water drains under West Road Sub Division-11.)	–	%	M/s Shree Vishnu Steel Works	31	2225017	04.06. 2017	03.09. 2017	3	Work in Progress 36%
9	A/R & M/o PWD Roads under PWD Division WR-1 Sub Dn. WR-11 New Delhi during 2017-18. (SH:- Providing maintenance van with required labour, T&P & diesel pump set etc during monsoon in odd hours)	–	%	M/s Shree Vishnu Steel Works	32	660554	05.06. 2017	04.10. 2017	4	Work in progress in 18%
10	A/R & M/o various roads under PWD WR-1 SD Dn. WR-11 New Delhi dg. 2017-18. (SH: Providing & Installation of	–	%	M/s Tripurari Prasad Singh	33	620165	05.06. 2017	04.10. 2017	4	Work in progress in 15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Trolley Mounted Diesel Pumps during Monsoon roads under SD WR-11).												
11	A/R & M/O Various roads under Sub Division, WR-11 Division West Road 1 New Delhi during 2017-18. (SH:- Improvement and Beatitification work of area under lajwanti Flyover on Jail Road, Sub Division WR-11).	—	%	Sh. Ramesh Chander	47		1799827	23.06. 2017	22.09. 2017	3			Work not started
12	A/R & M/O Various; roads under PWD Division West Road-1 New Pelhi during 2017-18. (SH:- Providing & Fixing M. S. Grill and C/o footpath from Janak Selu to Toe ol Lajwanti Flyover.) under sub division WR-11	–	%	Sh. Deepanshu Sharma	49		615738	06.07. 2017	05.10. 2017	3			Work not started

193. श्री मनोज कुमार : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली में बस लेन का मार्क किया जाना अनिवार्य है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस डेडिकेटिड बस लेन में किसी अन्य वाहन को पार्क नहीं किया जा सकता और;

(ग) यदि हाँ तो सड़कों से ट्रैफिक जैम कम करने हेतु इस निर्देश को दिल्ली में क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण है;

(घ) यदि हाँ तो क्या यह कोर्ट की अवमानना नहीं है; और

(ङ) इस अवहेलना के लिए कौन जिम्मेदार है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) सत्य है।

(ख) आदेशों/नियमों का पालन आवश्यक है।

(ग) इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। इस पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(घ) इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

(ङ) इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

194. चौ. फतेह सिंह : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि परिवहन विभाग लोनी रोड के परिसर में चल रहा सरकारी मोटर ट्रेनिंग स्कूल आई.डी.टी.आर. को 150 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से चलाने के लिए दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकारी ड्राईविंग मोटर स्कूल को चलाने के लिए शुरूआत में 5 वर्षों के लिए दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उस समय सरकार ने यह सरकारी ड्राईविंग स्कूल जिसकी लगभग 4 एकड़ जमीन है, बिना दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की अनुमति के आई.डी.टी.आर. को परिवहन विभाग ने दे दी; और

(घ) क्या यह भी सत्य है कि 1996 से अब तक परिवहन विभाग (दिल्ली सरकार व केन्द्र सरकार) ने आई.डी.टी.आर. के अनुदान के रूप में करोड़ों रुपये रोड सेफ्टी के नाम से दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसका आज तक का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां, परिवहन विभाग ने FAITH (Foundation to Assist Inculcating Traffic Habits) जो कि परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत करायी गई संस्था है, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह परिसर है, आई.डी.टी.आर. को मोटर ड्राईविंग स्कूल चलाने के लिए 150 रुपये प्रतिमाह उपयोगकर्ता दर पर दी है।

(ख) जी हां।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) और (ङ) परिवहन विभाग दिल्ली सरकार ने आई.डी.टी.आर. को अनुदान के रूप में कोई राशि नहीं दी है। आईडीटीआर लोनी रोड को केन्द्र सरकार से वर्ष 2002 से 2016 तक लगभग 4.80 करोड़ की राशि विशेष प्रशिक्षण हेतु प्राप्त हुई है।

195. चौ. फतेह सिंह : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ निजी संस्थाओं को परिवहन विभाग ने सी.एम. बी.आर. (II) (2) (डी) के अंतर्गत अधिकृत किया था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सी.एम.वी.आर. (II)(2) (डी) के तहत जिन संस्थाओं को परिवहन विभाग ने मान्यता दी थी, उनके द्वारा जारी सर्टीफिकेट धारकों का रिटेस्ट लेने के आदेश विभाग ने जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह आदेश किस नियम के अनुसार दिये गये?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस सन्दर्भ में आदेश संख्या डी.सी. (ऑपरेशन)/176/2013/1572–89 दिनांक 12.08.2015 जिसमें विस्तृत वर्णन है कि प्रतिलिपि संलग्न है।

Transport Department, (Operation Branch)

5/9 Under Hill Road Delhi -110054

No. F. DC/OPS/176/2013/ 1572-89 Dated : 12/08/2015

ORDER

Whereas M/s. Driving Skill Institute & Research (DSIR) had been authorized to conduct the preliminary driving skill test on computer and issue a certificate to the successful applicant / candidate as-per the provision contained under Rule 11 (2) (d) of Central Motor Vehicle Rule 1989.

Whereas keeping in view the safety and security of the people, it was ordered vide order No. F. DC/OPS/176/2013/2064-84 dated 11/10/2013 for 100% testing of all cases including the candidate coming with certificate from the institutes having authority under Rule 11 (2) (d) of CMVR, 1989, should be tested, without fail.

Whereas aggrieved with this, M/s. DSIR approached to the Hon'ble High Court. The Hon'ble High Court while disposing of two such petitions WP (C) No. 5963/2013 and 6913/2013 passed following order on 07/11/2014-

"In view of the aforesaid, the impugned order dated 11/10/2013 is set aside. I deem it appropriate that the petitioners be given an opportunity to make a representation to the respondent authorities who shall consider their case separately and take a decision as to the requirement of re-testing candidates of each institutes separately. However, nothing shall prevent the transport authorities from re-testing an appropriate fraction, of the number of candidates (by way of sample checking) to ensure that the requisite standards' are maintained".

Whereas in compliance to the above orders of the Hon'ble Court M/s DSIR nied a representation on 01/12/2014 with a request to consider their case separately and take a decision as to the requirement of re-testing candidates of each institute.

Whereas, the representation of M/s. DSIR was considered and examined as per its merit.

Now, after careful examination of the representation as well as relevant material on record, it is hereby ordered that the 50% of the total candidates approaching to Zonal authorities with computerized certificate issued under Rule 11 (2) (d) of Central Motor Vehicle Rule 1989 by M/s. Driving Skill Institute & Research from all Test Venues for issuance of learning driving license, shall be retested by the respective licensing authorities. The M/s Driving Skill Institute & Research shall submit a list of such holder of a certificate of the possession of adequate knowledge and understanding to the matters referred in sub rule 11 of CMVR, 1989 to the zonal authorities a day prior to their approaching for learning driving license. The zonal authorities shall maintain daily record of the candidates appeared for obtaining the learning license on the basis of the certificate issued under rule 11 (2) (d) by M/s. DSIR. Further all other requirement and formalities for granting a learner license as prescribed in CMVR as well as guidelines of the Transport Department shall be complied with by all zonal authorities.

The outcome of the retest will be reviewed after one month as per pass percentage of retest.

The representation dated 01/12/2014 ofM/s. DSIR is disposed of in compliance of the order dated 07/11/2014 of Hon'ble High Court vide WP (C) No. 5963/2013 and 6913/2013 accordingly.

This issue with the prior approval of the Commissioner (Transport).

(ANAND TIWARI)

JOINT COMMISSIONER (OPERATIONS)

No. F. DC/OPS/176/2013/1572-89 Dated: 12/08/2015

Copy to:

1. P. A. to Commissioner (Transport). for information.
2. All MLOs, shall maintain a proper record of the retest of the candidates.. appeared through DSIR for learning license and submit the consolidated data of 50% candidates mentioning their result of Pass / Fail after one month.
3. System Analyst
4. Sh. Mahajan, Vice President, DIMTS
5. Sh. Pavvan Kumar, Chairman M/s. Driving Skill Institute & Research, Read, Office-M-4/27, Model Town-Ill Delhi-1 L0009 shall submit, online details daily of the candidates to be sent to MLO concerned for learning licenses. The details should have the number of candidate sent in that particular day with cumulative figures. He shall also submit a compiled list of all candidates sent for learning license after one month of issuance of this order.

(ANAND TIWARI)

JOINT COMMISSIONER (OPERATIONS)

196. चौ. फतेह सिंह : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 17 मार्च, 2016 को परिवहन विभाग ने दिल्ली विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को आश्वासन दिया था, कि डीएसआईआर को प्राथमिक चिकित्सा देने हेतु, प्रशिक्षण देने के लिए, दिल्ली मोटर वाहन निगम, 1993 में संशोधन की अधिसूचना दो महीने में कर दी जाएगी;

(ख) यदि हां तो, यह अधिसूचना अभी तक क्यों नहीं की गयी; और

(ग) अब तक अधिसूचना जारी न करने के क्या कारण हैं और कब तक कर दी जाएंगी?

परिवहन मंत्री : (क) और (ग) विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही से पूर्व प्रतिवर्ष जारी किये गए प्रमाणपत्र की संख्या, प्रतिक्षा का समय, शुल्क, प्रक्रिया आदि का विवरण प्राप्त किया जाए।

विभाग द्वारा दिनांक 24.11.2016 को सचिव, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन को एक पत्र लिखा गया है। जिसका जवाब 30.11.2016 को प्राप्त हुआ, जिससे यह सूचना प्राप्त हुई कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन में कोई प्रतिक्षा अवधि नहीं है।

इसके अतिरिक्त सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन दिल्ली सेन्टर में कोर्स में प्रवेश देने के लिए आवेदको को स्टेज कैरिज कन्डेक्टर लाइसेन्स के जारी करने/नवीकरण आदि के लिए पूरी सुविधा है। इससे पता चला है कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन दिल्ली केन्द्र में संभावित आवेदको की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक ढ़ाचे से पूरी तरह सुसज्जित है।

इन तथ्यों के दृष्टिगत विभाग द्वारा अन्य संस्थानों को अनुमति देने के प्रस्ताव पर पुन: विचार किया जा रहा है।

197. सुश्री भावना गौड़ : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मेट्रो रेल के विस्तार के अंतर्गत क्या पालम विधान सभा क्षेत्र में मैट्रो रेल लाने का कार्य चल रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य अब तक कितना प्रतिशत पूरा हो गया; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

परिवहन मंत्री : (क) दिल्ली मेट्रो परियोजना, चरण-3 के अंतर्गत, जनकपुरी वेस्ट से कालिंदीकुंज लाइन निर्माणधीन है, जिसमें एक स्टेशन पालम है।

(ख) लाइन की कुल प्रगति लगभग 83% है।

(ग) लाइन मार्च, 2018 तक पूरी होने की संभावना है।

198. सुश्री भावना गौड़ : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-रिक्शा पॉलिसी के तहत पालम विधानसभा क्षेत्र में चल रहे ई-रिक्शाओं को नियंत्रित करने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पालम विधानसभा क्षेत्र में इस समय कितने नियमित ई-रिक्शा चल रहे हैं?

परिवहन मंत्री : (क) और (ख) ई-रिक्शाओं का पंजीकरण मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं उसके अंतर्गत बने हुए नियमों के तहत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा ने 01.01.2017 से 31.07.2017 तक 195 ई-रिक्शाओं को जब्त किया गया है।

(ग) पालम विधानसभा क्षेत्र में इस समय कितने नियमित ई–रिक्शा चल रहे है, इस प्रकार का पृथक विवरण विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है, तथापि परिवहन विभाग क्षेत्र कार्यालय पालम में दिनांक 31.07.2017 तक 3566 ई–रिक्शा पंजीकृत है।

199. श्री जगदीश प्रधान : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु यूनिफाईड ट्रांसपोर्ट अथोरिटी बनाने का लक्ष्य रखा था;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है;

(घ) इस योजना को लागू करने में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) इस योजना को लागू करने में कितने रुपये व्यय होने का अनुमान है; और

(च) सरकार सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का बेहतर ढंग से प्रबंधन हेतु क्या उपाय करने जा रही है?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दिल्ली अरबन मास ट्रांसिट बिल 2010 को भारत सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त आपत्तिया तथा सुझाव विचाराधीन है।

(ङ) इसका आंकलन अभी नहीं किया गया है।

(च) सरकार सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का बेहतर ढंग से प्रबंधन हेतु के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:–

1. मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है और फेज–3 के उपरान्त मेट्रो लाईन की

लम्बाई 350 किलोमीटर हो जाएगी। फेज-4 का अनुमोदन दिल्ली सरकार द्वारा भी किया जा चुका है और उसकी लम्बाई 103.93 किलोमीटर है।

2. डीटीसी एवं कलस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना है।

3. डीटीसी, कलस्टर एवं मिनी स्टेज कैरिज बसो के रूटों का युक्तिकरण करने की योजना है।

4. लास्ट माईल कनेक्टिविटी को शुरू करने के लिए मेट्रो फीडर बस, ग्रामीण सेवा एवं ई-रिक्शा जैसे साधनों का समायोजन करने की योजना है।

5. दिल्ली मेट्रो, डी.टी.सी. एवं, कलस्टर बसों के लिए कोमन मोबिलिटी कार्ड का क्रियान्वयन करने का कार्य चल रहा हैं।

200. श्री जगदीश प्रधान : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्तमान में दिल्ली में लगभग 1 लाख ई-रिक्शा चल रहे हैं, जिनमें से कुछ ही पंजीकृत हैं;

(ख) इस समय पंजीकृत ई-रिक्शाओं की क्या संख्या है और सरकार ने अब तक कितने ई-रिक्शाओं को सब्सिडी दी है और सरकार की भविष्य के लिए क्या योजना है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई नीति बनाई है, जिसके अंतर्गत सभी ई-रिक्शाओं को पंजीकृत किया जाना हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण दें?

परिवहन मंत्री : (क) अपंजीकृत ई-रिक्शाओं के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हां यह सत्य है कि अभी कुछ भी ई-रिक्शा पंजीकरण हो पाया है।

(ख) दिनांक 31.07.2017 तक कुल 34693 ई-रिक्शा पंजीकृत है। दिनांक 31.07.2017 तक कुल 11676 ई-रिक्शा के मालिको के नाम सब्सिडी देने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजे जा चुके है। दिनांक 15.07.2017 तक कुल 8655 ई-रिक्शा मालिको को सरकार द्वारा सब्सीडी दी जा चुकी है। सब्सिडी देने की योजना वर्तमान में जारी है।

(ग) और (घ) ई-रिक्शा पंजीकृत नीति भारत सरकार की है। जिसके अनुसार सभी ई-रिक्शा का पंजीकरण अनिवार्य है।

201. श्री अजय दत्त : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में कौन से रूटस पर बसें चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार की इस क्षेत्र में टंकी पार्क तक बसें चलाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो कब तक;

(घ) क्या अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र तक मेट्रो की लाईन बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां तो उसका विवरण क्या है; और

(च) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण है?

परिवहन मंत्री : (क) कलस्टर बसों का ब्यौरा सलंग्नक 'क' व दिल्ली परिवहन निगम की बसो का ब्यौरा सलंग्न 'ख' में दिया गया है।

(ख) और (ग) उक्त स्थान अम्बेडकर नगर सैक्टर-5 में पड़ता है, जहां पर सड़क मार्ग लो-फलोर बसों के परिचालन के अनुरूप नहीं है। सड़क मार्ग बसों के

परिचलन योग्य होने पर सर्वे के उपरान्त उचित निर्णय लिया जाएगा।

(घ) जी हां।

(ङ) दिल्ली मेट्रो परियोजना के प्रस्तावित चरण–4 में, अंबेडकर नगर से गुजरने वाले तुगलकाबाद से दिल्ली एरोसिटी तक एक लाइन की योजना बनाई गई है। चरण 4 को दिल्ली सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है और केन्द्र सरकार के सक्रिय विचार के तहत है।

(च) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता है।

सलंग्न 'ख'

Details of Bus Service Ambedkar Nagar Vidhan Sabha

Route Originating from Ambedkar Nagar Terminal

Route No.	From	To	No. of Buses
1	2	3	4
411	Ambedkar Nagar Terminal	Mori Gate Terminal	4
419	Ambedkar Nagar Terminal	Old Delhi Railway Station	29
423	Ambedkar Nagar Terminal	Mori Gate Terminal	11
440	Ambedkar Nagar Terminal	N. D. Railway Station G.No. 2	12
448B	Madi Pur JJ Colony	Ambedkar Nagar Terminal	2
469	Anand Vihar ISBT	Ambedkar Nagar Terminal	35
522	Ambedkar Nagar Terminal	Inder Puri (Krishi Kunj)	23

1	2	3	4
0419 NS	Ambedkar Nagar Terminal	Old Delhi Rly. Station	3
	Total		119
Route Originating frqm Ambedkar Nagar Sector-4 (Virat Cinema)			
512	Ambedkar Ngr Sec. IV (Virat Cinema)	R. K. Puram Sec. -1	8
521	Ambedkar Ngr Sec-4	Karampura (T)	4
580	Ambedkar Ngr Sec-4	KENDRIYA Terminal	1
680	Ambedkar Ngr Sec. IV (Virat Cinema)	KENDRIYA Terminal	8
	Total		21
Route Passing through Ambedkar Nagar M. B. Road			
34	Mehrauli	Noida Sec. -32	61
34A	Lado Sarai Terminal	Mayur Vihar Phase-III	15
427	Mehrauli	Nizamuddin Rly. Station	28
463	Mehrauli	Okhla Enclave	7
512	Ambedkar Ngr Sec. IV (Virat Cinema)	R. K. Puram Sec-1	8
522 ASpl.	Hamdard Nagar	Inder Puri	3
522A	Hamdard Nagar	R-Block Rajinder Nagar (Rattan Puri)	18

1	2	3	4
522 SPL	Hamdard Nagar/A. N. Terminal	N. D. Rly. Station Gate No. -2	5
525 STL	Badar Pur Border	Qutab M. Station	1
544	Badar Pur Border	R. K. Puram Sec-1	36
548	Hamdard Nagar	Minto Road (T)	1
717	Badar Pur Border	Shahbad Mohd. Pur	20
717A	Badar Pur Border	Kapashera Border	5
717B	Badar Pur Border	IGI Airport Terminal-2	7
OMS (+) (-)	Anand Vihar ISBT	Anand Vihar ISBT	82
NCR	Badar Pur Border	Gurgaon	9
	Total		306
Route Passing through BRT Corridor			
419	Ambedkar Ngr (T)	Old Delhi Rly. Station	29
423	Ambedkar Ngr Terminal	Mori Gate (T)	11
427	Mehrauli	Nizamudding Rly. Station	28
512	Ambedar Ngr Sec. IV (Virat Cinema)	R. K. Puram Sec-1	8
522	Ambedkar Nagar Terminal	Inder Puri (Krishi Kunj)	23
522 SPL	Hamdard Nagar/A. N. Terminal	N. D. Rly. Station Gate NO. 2	5

1	2	3	4
544	R. K. Puram Sec-1	Badar Pur Border	36
548	Hamdard Nagar	Minto Road (T)	1
680	Ambedkar Ngr Sec. IV (Virat Cinema)	KENDRIYA Terminal	8
0419 NS	Ambedkar Ngr (T)	Old Delhi Rly. Station	3
	Total		152

Question No. 201 (a) : The details of route-wise Cluster buses operated from Ambedkar Nagar Vidhan Sabha Constituency are as given below:

Sl. No.	Route No.	From	To	Number of Cluster Buses in operation	Via
1	2	3	4	5	6
1	522A	Ambedkar Nagar	Inderpuri (Krishi Kunj)	20	Ambedkar Nagar Terminal, Sheikh Sarai-II, Siri Fort, Moolchand Hospital, Defence Colony. Lodhi Colony, Prithvi Raj Road crossing, lnderpuri (Krishi Kunj)
2	717A	Badarpur Border	Kapashera Border	37	Badarpur Border, Prehlad Pur, Tugalkabad Village, Hamdard Nagar, Ambedkar Nagar Terminal, Saidulajab,

1	2	3	4	5	6
					Lado Sarai, Andheria More, Kapashera Border
3	311A	Ambedkar Nagar	Anand Vihar ISBT	10	Ambedkar Nagar Terminal, Sangam Vihar. Hamdard Nagar. DDA Flats KalkaJi, Sant Nagar. DB CollegeJSBT Sarai Kale, Akhardham Temple, Mayur Vihar Ph-1, Anand Vihar ISBT
4	540	Tara Apartment	Kendriya Terminal	17	Tara Appartment, Greater Kailash. Savitri Cinema, Swami Nagar. Khel Gaon / Shah Purjat, AIIMS. Safdarjung Airport, Rail Bhawan Metro Station, Kendriya Terminal Church Road.
	Total No. of Buses			84	

202. श्री एस. के. बग्गा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने बस स्टॉप दयनीय स्थिति में है;

(ख) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र के नये बस स्टॉप कब तक बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कुल बसों की संख्या, नई आने वाली बसों की संख्या और इनके सड़कों पर उतरने की संभावित तिथि क्या है;

(घ) दिल्ली परिवहन निगम में सभी रिक्त पदों को भरने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

परिवहन मंत्री : (क) कृष्णानगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूर्व में बनाए गए करीब 11 बस क्यू शैल्टर्स के पुनः निर्माण की आवश्यकता है।

(ख) कृष्णानगर विधान सभा क्षेत्र के बस क्यू शैल्टर्स के पुनःनिर्माण करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है। निविदा की सफलता के उपरान्त आधुनिक बस क्यू शैल्टर्स लगा दिए जाएगे।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 3944 (3781 लो फलोर + 163 पुरानी स्टैंडर्ड फलोर) बसें है। दि.प.नि. के बेड़े में 1000 नई बसें खरीदने की योजना विचाराधीन है।

(घ) दिल्ली सरकर द्वारा विभिन्न श्रेणी के कुल रिक्त पदों में से 201 पदों को भरने की स्वीकृति के पश्चात् दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड को दिनांक 7.11. 2014 को उचित कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है। इसके अलावा 795 अतिरिक्त रिक्त पद की स्वीकृति हेतु दिल्ली सरकार को भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त 462 सुरक्षा गार्ड की भर्ती हेतु सचिव एवं आयुक्त (परिवहन), दिल्ली सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है।

चालक पदों की रिक्तियों को भरने के लिए अनुबंधित तौर पर भर्ती की जा रही है।

203. श्री राजेश ऋषि : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र में कितने बस आश्रय (बस शेल्टर) हैं;

(ख) क्या जर्जर हालत वाली बसों के बस आश्रय पुन: बनाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक बनाये जायेंगे;

(घ) इन बस आश्रयों पर हो रहे अतिक्रमण को कब तक हटाया जाएगा;

(ङ) जनकपुरी से होकर जाने वाली सभी बसों के नम्बर और रूटस का ब्यौरा क्या है; और

(च) बिन्दापुर बस टर्मिनल को पूर्ण रूप से कब प्रारंभ किया जायेगा?

परिवहन मंत्री : (क) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र में करीब 50 बस क्यू शेल्टर है।

(ख) जी हां।

(ग) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र के बस क्यू शेल्टर के पुन:निर्माण करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है। निविदा की सफलता के उपरान्त आधुनिक शैल्टर्स लगा दिए जाएगे।

(घ) परिवहन विभाग/डीटीआईडीसी के प्रबन्धन में आने वाले बस क्यू शेल्टर पर अतिक्रमण नहीं है, जिन बस आश्रयों पर अतिक्रमण है वह दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में है। इन पर कार्यवाही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित है।

(ङ) 1. मिनी स्टेज कैरिज बसो का ब्यौरा निम्नलिखित है।

1. एफ 702 उत्त्म नगर से सफदरजंग टर्मिनल।

2. एफ 707 मंगलापुरी से पीरागढ़ी।

3. एफ 806 मायापुरी चौक से नजफगढ़।

4. एफ 808 ए मायापुरी चौक से ककरौला।

5. एफ 843 ए मधु विहार से राजागार्डन।

6. एफ 853 ए तिलक नगर से कैलाशपुरी।

कलस्टर बसों का ब्यौरा संलग्नक 'क' में तथा दिल्ली परिवहन निगम बसों का ब्यौरा संलग्न 'ख' में दिया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम एवं कलस्टर की स्कीम में रूटों पर चलने वाली बसों के नम्बर निर्धारित नहीं होते बल्कि रूटों पर बसें बदलती रहती है।

(च) बिन्दापुर टर्मिनल से मुख्य सड़क (नाला रोड) के मध्य बस रूट के कुछ भाग पर दोनों साइडों में दुकानदारों एवं रेहडी लगाने वालो व कारों की पार्किंग वालों के द्वारा सड़क पर अवैध कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण मुक्त होने के उपरान्त इस टर्मिनल से पूर्ण रूप से बसों का परिचालन शुरू कर दिया जायेगा।

Question No. 203 (e) : The details of route-wise Cluster buses operated from Janakpuri Assembly Constituency are as given below:

Sl. No.	Route No.	From	To	Number of Cluster Buses in operation	Via
1	2	3	4	5	6
1	813	Manglapuri Terminal	ISBT Kashmere Gate	11 Road,	Mangla Puri (T). New Dabri C-1 Janakpuri, District Centre, Mukharji Park (Subhash Nagar Crossing). Moti Nagar, Gulabi Bagh Xing. Khalsa College, ISBT (Kashmere Gate)
2	753	Uttam Nagar Terminal	Mori Gate Terminal	24	Mori Gate Terminal, Delhi Gate, Red Fort. Telephone Exchange, Loha Mandi. Mayapuri Depot, Desu Colony Janakpuri, Uttam Nagar Terminal
3	720	Janakpuri B-1 Terminal	Shahdara Terminal	12	Janak Puri B-1 Terminal, Desu Colony, Kirbi Place. Dhaula Kuan, RR Line. Teen Murti. Mandi House, Rainy Well. Jagatpuri A Block, Swaran Cinema, Shahdara Terminal

1	2	3	4	5	6
4	840	Manglapuri Terminal	Shivaji Stadium Terminal	7	Shivaji Stadium Terminal, Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg). Upper Ridge Road, Telephone Exchange Karol Bagh. Todapur Village, Inder Puri JJ Colony, Naraina Vihar / Indra Market, Mayapuri Depot, C2B Janakpuri, New Dwarka Road Seetapuri, Mangla Puri Terminal
5	893	Uttam Nagar Terminal	Nizamuddin Railway Station	7	Nizamuddin Railway Station, Police Station Nizamuddin (Dargah). Baroda House, Panchkuian Road. Pusa Road Petrol Pump Sadhu Vaswani Margjelephone Exchange Karol Bagh. Todapur Village, Inder Puri JJ Colony, Naraina Vihar/Indra Market, Zunk Market. Uttam Nagar Terminal, Janakpuri C-1
6	711	Uttam Nagar Terminal	Sarai Kale Khan ISBT	19	Sarai Kale Khan ISBT. Maharani Bagh, Andrews Ganj. AIIMS. Nauroji Nagar. South Moti Bagh. Shastri Bazar, Lajwanti Garden, C-2-BJanakpuri, Uttam Nagar Terminal

1	2	3	4	5	6
7	724	Uttam Nagar Terminal	Nehru Place Terminal	19	Nehru Place Terminal, Sant Nagar. Nauroji Nagar. South Moti Baght, Raj Rif Line. Kibri Place. Desu Colony, C-2-B Janakpuri. Uttam Nagar Terminal
8	740 EXT	Uttam Nagar Terminal	Anand Vihar ISBT	25	Uttam Nagar Terminal, C-2 B Janakpuri, Desu Colony, Kirbi Place. Shastri Bazar. RR Line. Bhartiya Sadhu Samaj. Talkatora Road. Kendriya Terminal, Krishi Bhawan. Mandi House. lTO AGCR. Rainy Well, Hasanpur Depot, Anand Vihar ISBT
9	761	Mangla Puri Terminal	Azad Pur Terminal	31	Azadpur Terminal. Ashok Vihar Xing, Wazirpur Depot/ Subhash Place Depot, Pitampura JD-Block. C-Block Saraswati Vihar. Mangolpur School, Sunder Vihar. Major Bhupinder Singh Marg, District Centre Najafgarh Road, Uttam Nagar Terminal, C-1 Janakpuri, New Dwarka

1	2	3	4	5	6
					Road Seetapuri. Mahaveer Enclave Part II and III, Mangla Puri Terminal
10	751	Dwarka More Metro Station	Kamla Market	6	Kakrola JJ Colony. MRV School Sec 13 Dwarka, Madhu Vihar. Mahaveer Enclave Part II and III. New Dwarka Road Seetapuri, C2B Janakpuri, Hari Nagar Ghanta Ghar. Beriwala Bagh. Mayapuri Depot, Naraina Vihar/lndra Market, Loha Mandi. West Patel Nagar. Shankar Road. Pusa Road Petrol Pump Sadhu Vaswani Marg. Police Station Paharganj, Kamla Market
		Total No. of Buses		161	

Route Originating & Passing Through Janak Puri Constituency

Route No.	From	To	No. of Buses
1	2	3	4
711	Uttam Nagar (T)	Sarai Kale Khan (ISBT)	14
711A	Uttam Nagar (T)	Sarai Kale Khan (ISBT)	4
718	Uttam Nagar (T)	Kapashera Border	18
720	Janak Puri B-I	Shahdara (T)	11

1	2	3	4
721	Mangla Puri (Palam)	ISBT (Maharan Partap Bus (T)	31
724	Uttam Nagar (T)	Nehru Place	18
724 A	Uttam Nagar (T)	Badar Pur Border	7
724 C	Uttam Nagar (T)	DDA Flats kalkaji (Alakhnanda)	3
724 EXT	Dawarka Sec-4	Nehru Place Terminal	2
740	Uttam Nagar (T)	Anand Vihar ISBT	7
740A	Mangla Puri	Anand Vihar ISBT	1
740B	Binda Puri DDA Flats	Anand Vihar ISBT	2
740 EXT	Uttam Nagar (T)	Anand Vihar ISBT	26
741	Mangla Puri	Jyonti Shivalaya	2
753	Uttam Nagar (T)	Mori Gate (T)	41
761	Mangla Puri	Azad Pur Terminal	27
79-1	Mangla Puri	Nizaniuddin Railway Stn.	12
794A	Dawarka Sec-10 Terminal	Nizamuddin Railway Stn.	3
801	Inder lok Metro Station	Kapashera Border/ Shahbad Mohd. Pur	2
803	Dawarka More Metro Stn	Shivaji Stadium	7
813	ISBT Nityanand Marg	Mangla Puri	5

1	2	3	4
832	Janak Puri D Block	Tri Nagar Jai Mata Mkt	6
853	Uttam Nagar (T)	Delhi Sectt.	5
863	lSBT (Maharan Partap But T)	Hasthal J J Colony	7
879	Janak Puri D Block	Shabad Diary (T)	34
879A	Janak Puri D Block	Badli Railway Station	3
879B	Janak Puri D Block	Shahbad Diarv	4
947	Sawda Ghevera J J Clusters	1GI Airport	2
947A	Sawda Ghevera J J Clusters	Bhati Mines	1
RL-75	Dawarka Sec-14 Metro Station	N. D Rly Station Gate No-2	5
RL-77	Mangla Puri	N. D Rly Station Gate No-3	14
RL-77A	Dawarka Sec 18-B	N. D Rly Station Gate No-4	4
RL-77B	Dawrka Metro Station	N. D Rly Station Gate No-5	13
RL-77 EXT	Dawarka Sec-19 (Pkt-2)/ N. Garh	N. D Rlv Station Gate No-6	4
RL-79	Dawrka Sec-23	N. D Rly Station Gate No-7	8
OMS (+)	Anand Vihar ISBT	Anand Vihar ISBT	45
OMS (-)	Anand Vihar ISBT	Anand Vihar ISBT	31

1	2	3	4
DS-13	Janak Puri B-2	Nehru Place (T)	1 Trip
DS-13	Nehru Place (T)	Janak Puri B-2	1 Trip
DS-14	Janak Puri A-1	CGO Complex (JLN Stadium)	1 Trip
DS-14	CG0 complex (JLN Stadium)	Janak Puri A-1	I Trip
DS-15	Janak Puri C-1	Shastri Bhawan	1 Trip
DS-15	Shastri Bhawan	Janak Puri C-1	1 Trip
DS-16	Janak Puri C-2	Cannaught Place (Shivaji Stadium)	1 Trip
DS-16	Cannaught Place (Shivaji Stadium)	Janak Puri C-2	1 Trip
DS-26	Janak Puri C-2B	JLN Stadium	1 Trip
DS-26	JLN Stadium	Janak Puri C-2B	1 Trip
DS-27	Janak Puri D Block	Shivaji Stadium	1 Trip
DS-27	Shivaji Stadium	Janak Puri D Block	1 Trip
DS-28	Janak Puri B-1 Terminal	Nehru Place	1 Trip
DS-28	Nehru Place	Janak Puri B-1 Terminal	1 Trip
DS-29	Janak Puri C-4 II	Krishi Bhawan	1 Trip
DS-29	Krishi Bhawan	Janak Puri C-4 H	1 Trip
DS-30	Janak Puri A-3 (Nr. Mota Singh School)	kend. Terminal	1 Trip

1	2	3	4
DS-30	kend. Terminal	Janak Puri A-3 (Nr. Mota Singh School)	1 Trip
NCR	Uttam Nagar (T)	Gurgaon	10
	Total		439+18 Trip

204. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बसों के काफी आवागमन के कारण आजाद पुर बस टर्मिनल के आस पास यातायात जाम रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आजादपुर डीटीसी बस टर्मिनल को मुकरबा चौक बाई पास के बाहर ले जाने की योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

परिवहन मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपरोक्त 'क' उत्तर के अनुसार लागू नहीं है।

205. श्रीमती बंदना कुमारी : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि शालीमार विधान सभा क्षेत्र के 15 से अधिक बस शेल्टर्स या तो गायब हो चुके है अथवा अत्यन्त दयनीय स्थिति में है;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है तथा यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री : (क) शालीमार विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूर्व में बनाए गए बस स्टैण्ड के पुनः निर्माण की आवश्यकता है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स (सरकारी निजी कंपनी भागीदारी द्वारा) बनाने हेतु निविदाएं नम्वबर, 2013 जून, 2014 व फरवरी, 2015 में भी आमंत्रित की गई थी, परन्तु इन निविदाओं के द्वारा कोई भी सफल आवेदन नहीं मिला। अब निविदा में आवश्यक बदलाव करने के बाद निविदिाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है। सरकार से अनुमोदन मिलने के उपरान्त नई निविदाएं आमन्त्रित की जाएंगी तदानुसार नये बस क्यू शेल्टर्स का निर्माण किया जाएगा।

206. श्री सही राम : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम के खराब एवं खस्ताहाल हो चुके बस-स्टेंडों का पुनर्निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इन बस-स्टेंडों का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र के बस क्यू शैल्टर्स के पुन:निर्माण करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है। निविदा की सफलता के उपरान्त आधुनिक शैल्टर्स लगा दिए जाएगे।

207. श्री मनोज कुमार : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंडली विधान सभा से कौन-कौन से रूट की बसें चलती हैं;

(ख) कोंडली विधान सभा में कितने बस स्टैण्ड हैं;

(ग) इनमें से बिना शेल्टर के कितने बस स्टैण्ड हैं; और

(घ) इन बस स्टैण्ड पर बस शेल्टर बनाने की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें?

परिवहन मंत्री : (क) मिनी स्टेज कैरिज पर चलने वाले रूटो का ब्यौरा।

1. एफ 253 ए सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से मयुरविचार फेज-3

2. एफ 313 ए नानक सर गुरूद्वारा से मयुरविहार फेस-3

कलस्टर बसो का ब्यौरा सलंग्न 'क' व दिल्ली परिवहन निगम का ब्यौरा संलग्न 'ख' में है।

(ख) कोंडली विधान सभा क्षेत्र में करीब 49 बस स्टैण्ड है।

(ग) इनमें से 22 बस स्टैण्डो पर शैल्टर्स नहीं है।

(घ) आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स (सरकारी निजी कंपनी भागीदारी द्वारा) बनाने हेतु निविदाएं नवम्बर, 2013, जून, 2014 व फरवरी, 2015 में भी आमंत्रित की गई थी, परन्तु इन निविदाओं के द्वारा कोई भी सफल आवेदन नहीं मिला। अब निविदा में आवश्यक बदलाव करने के बाद निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया विचाराधीन हैक। सरकार से अनुमोदन मिलने के उपरान्त नई निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी तदानुसार नये बस क्यू शेल्टर्स का निर्माण किया जाएगा।

Question No. 207 (a) ; The details of route-wise Cluster buses operated from Kondli Vidhan Sabha Constituency are as given below:

Sl. No.	Route No.	From	To	Number of Cluster Buses in operation	Via
1	2	3	4	5	6
1	211	Mayur Vihar Ph-III	Mori Gate Terminal	17	Mayur Vihar Ph-III, New Kondli A-1 (Crossing). Kalyan Puri Xing, National Highway Xing. Seelam Pur Metro Station, Mori Gate Terminal
2	206	Mori Gate Terminal	Bhajan Pura	7	Mayur Vihar Ph-III, New Kondli A-1 (Crossing). Kalyan Puri Xing, National Highway Xing, Seelam Pur Metro Station, Bhajan Pura,
3	348	Mayur Vihar Phase III Terminal/ Paper Market	Mori Gate Terminal	12	Mayur Vihar Ph-III, New Kondli A-1 (Crossing). Kalyan Puri Xing, East Vinod Nagar Depot, Mother Dairy, Bhajan Pura ITO Ring Road, Ambedkar Stadium Terminal, Red Fort, Mori Gate Terminal.

1	2	3	4	5	6
4	611	Mayur Vihar Ph-III	Dhaula Kuan (ARSD College)	8	Mayaur Vihar Ph-III, New Kondali A-1, Kalyanpuri, Trilokpuri 13 Blk. Akasher Dham Mandir (Pusta"Xing). AIIMS, South Moti Bagh R. R. Dhaula Kuan (ARSD College).
5	311A	Anand Vihar ISBT	Ambedkar Nagar Terminal	10	Anand Vihar ISBT. National Highway 24 Crossing, Kalyan Puri Terminal, Trilokpuri 13-Block, Pocket-5 Mayur Vihar Ph-1. Akhardham Temple. lSBT Sarai Kale Khan. Hamdard Nagar / Sangam Vihar. Ambedkar Nagar Terminal.
	Total No. of Buses			54	

Details of Bus Service from Kondli Constituency

Sl. No.	Route No.	From	To
1	2	3	4
1.	33	Noida Sec- 43 P C Sadar Pur	Bhajan Pura
2	33A	Shash1 Chowk Noida Sec 36/37	Badar Pur Khadar Shank No. 27

1	2	3	4
3	34 A	Mayur Vihar Phase 111	Lado Sarai Terminal
4	118EXT	Mayur Vihar Phase III	Mori Gate (T)
5	211	Mayur Vihar Phase III	Mori Gate (T)
6	21 IB	Mayur Vihar Phase III (Via Paper Market)	Mori Gate (T)
7	306	Kalyan Puri	Nehru Place Terminal
8	307A	Mayur Vihar Phase II	N D Rly. Station Gate No.-2
9	309	Kalyan Puri	Anand Parbat
10	319	Noida Sec 36/39 Shashi Chowk	Shahdara (T)
11	319A	Noida Sec 36/39 Shashi Chowk	Shahdara
12	344	Kalyan Puri	Hauz Khas (T)
13	344EXP	Mayur Vihar Ph III	Aiims
14	348	Mayur Vihar Ph III	Mori Gate (T)
15	378	Mayur Vihar Ph III	Kendriya Terminal
16	3 78 A	Mayur Vihar Ph III	Udyog Bhawan
17	390	Mayur Vihar Ph I Terminal	Kend. Terminal
18	391	Kalyan Puri	Kend. Terminal
19	398	Mayur Vihar Ph III	Dhaula Kuan
20	611	Mayur Vihar Ph -3	Dhaula Kuan

1	2	3	4
21	61IB	Mayur Vihar Ph-3	Nehru Place Termianal
22	611 DND EXP	Mayur Vihar Ph-3	R K Puram Sec-1
23	0118 EXT NS	Mayur Vihar Ph III	Mori Gate (T)

208. श्री महेंद्र गोयल : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विभाग की रिठाला विधानसभा क्षेत्र में नई बसें चलाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो किन रूटों पर और कितनी संख्या में;

(ग) पिछले ढ़ाई वर्षों में रिठाला विधानसभा में कितनी नई बसें चलाई गईं व किन-किन रूटों पर;

(घ) वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें रिठाला विधानसभा में चल रही है; और

(ङ) इन बसों के परिचालन के क्या रूट है?

परिवहन मंत्री : (क) वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा रिठाला विधान सभा क्षेत्र में नई बसें चलाने की कोई योजना नहीं है।

(ग) पिछले ढाई वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा रिठाला विधानसभा के लिए 20 नये फेरे अनुसूचित किये गये, जिनका ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर है।

(घ) वर्तमान में रिठाला विधानसभा क्षेत्र में 308 बसें व 48 विशेष फेरे अनुसुचित है।

(ङ) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में कलस्टर बसों का रूट सहित परिचालन संलग्न 'ख' तथा दिल्ली परिवहन निगम का सलग्न 'ग' में दिया है।

सलंग्न 'क'

Route Originating/Passing through Rithala Vidhan Sabha

Route No.	From	To	No. of Buses
971B	Rohini Sec-25 Deep vihar	Anand Vihar ISBT	2 Trips
DS-5	Rohini Sec-22 Terminal	Nehru Place	2 Trips
DS-6	Rohini Sec-16	CGO Complex	2 Trips
DS-7	Rohini Sec-23 (Pkt-C)	Shastri Bhawan	2 Trips
DS-8	Avantika	Shivaji Stadium	2 Trips
DS-31	Rohini Sec-13	Krishi Bhawan	2 Trips
DS-32	Avantika	Nehru Place	2 Trips
DS-33	Rohini Sec11 SFS Flats	JLN Stadium	2 Trips
DS-34	Rohini Sec-18	Shivaji Stadium	2 Trips
DS-35	Rohini Sec-27	Kend. Terminal	2 Trips

संलग्न 'ख'

क्रम सं.	रूट नं.	कहां से	कहां तक	कलस्टर बसो की संख्या	वाया
1	2	3	4	5	6
1.	990	रिठाला गांव	शिवाजी स्टेड़ियम	8	रिठाला गांव, रोहिणी डिपो 1, रोहिणी सैक्टर 7, 8 क्रॉसिंग, के डी ब्लॉक पीतमपुरा, वजीरपुर डिपो रिंग रोड़, पंजाब बाग (टी), कर्मपुरा (टी), वेस्ट पटेल नगर, टेलिफोन एक्सचेन्ज, पूसा रोड पेट्रोल पम्प, मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन, शिवाजी स्टेडियम
2.	990 ई एक्स टी	रोहिणी सैक्टर-23	शिवाजी स्टेडियम	12	रोहिणी सैक्टर-23 पोकिट 1 (ग्रीन हिल अपॉर्टमेन्ट) डेरा सत गुरू राम/साहिब सैक्टर 24/25 क्रॉसिंग, रोहिणी डिपो 1, रोहिणी सैक्टर 7, 8 क्रॉसिंग, के डी ब्लॉक पीतमपुरा, वजीरपुर डिपो रिंग

1	2	3	4	5	6
					रोड़ पंजाबी बाग (टी), मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशन, शिवाजी स्टेडियम
3.	997ए	रोहिणी सैक्टर-22 टर्मिनल	शिवाजी स्टेडियम टर्मिनल	8	रोहिणी सैक्टर-22 टर्मिनल, रोहिणी सैक्टर 20/21 मोर, बुध विहार, मंगोलपुर खुर्द, अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी सैक्टर 7, 8 क्रॉसिंग, जे डी ब्लॉक पीतमपुरा, करोल बाग, पंचकुयिया रोड़ बनवारी लाल अस्पताल, शिवाजी स्टेडियम टर्मिनल
		बसो की कुल संख्या		28	

Route Originating / Passing through Rithala Vidhan Sabha

Route No.	From	To	No. of Buses	AC Buses	Non AC Buses
1	2	3	4	5	6
85A Sol. Trip	Rohini Sector-22	Delhi Sectt.	1 Trip		1 Trip
102 STL	Inder Enclave	Madhuban Chowk	1		1

1	2	3	4	5	6
106	Qutabgarh Border	Old Delhi Rly. Station	22	1	21
113	Sannoth Village	Old Delhi Rly. Station	1		1
113 EXT	Ghoga Village	Azad Pur (T)	3		3
114	Qutabgarh	Old Delhi Rly. Station	17	1	16
114A	Auchandi Border	Azad Pur (T)	4	4	
114 B	Katewara Village	Azad Pur (T)	1		1
114 EXT	Ochandi Bdr	Jat Khore	1		1
133	Narela Terminal	Mori Gate (T)	1	1	
140	Shahbad Dairy	Mori Gate (T)	15	9	6
174 STL	Jyonti Border	Azad Pur (T)	2		2
182A	Sukhbir Nagar	ISBT (Maharana Pratap Bus (T)	8	5	3
191	Harewali Village	Mori Gate (T)	4		4
247	Kanjhawala Village	ISBT (Maharana Pratap Bus (T)	4		4
741	Jyonti Shivalaya	Mangla Puri	2		2
741A	Katewara Village	Uttam Nagar (T)	1 Trip		1 Trip
879	Shahbad Dairy	Janak Puri D-Blk.	34	21	13
879 A	Badli Rly. Station	Janak Puri D-Blk.	3		3

1	2	3	4	5	6
879 B	Shahbad Dairy	Janak Puri D-Blk.	4		4
889	Rohini Sec-27	H. N. Clock Tower	8		8
921	Rani Khera	Old Delhi Rly. Station	2		2
921 EXT	Mubarakpur Dabas	ISBT K. Gate	3		3
957	Rohini Sec-22 Terminal	Shivaji Stadium	34	13	21
962	Kanjhawala Village	Kend. Terminal	1		1
962A	Majra Dabas	Shivaji Stadium	2		2
970	Rohini Sec-1 Avantika	J. L. Nehru Stadium	10		10
970 Spl. Trip	Rohini Sec-1 Avantika	CGO Complex	2 Trip		2 Trips
970A	Rohini Sec-16	CGO Complex	2 Trip		2 Trips
971	Rohini Sec-1 Avantika	Anand Vihar ISBT	43	30	13
972	Bawana	Uttam Nagar (T)	12		12
972A	Bawana	Uttam Nagar (T)	16		16
975	Rohini Sec-11 Extn SFS Fits	Kend. Terminal	2		2
984A	Rohini Sec-1 Avantika	Lajpat Nagar	5		5

1	2	3	4	5	6
985	Shahbad Dairy	R-Block Rajinder Nagar	4 Trip		4 Trips
985A	Shahbad Dairy	Karam Pura (T)	1		1
988	Qutabgarh	Palika Kendra	1		1
990	Rithala Village	Shivaji Stadium	10		10
990A	Rohini Sec-25 (Deep Vihar)	Shivaji Stadium	5	5	0
990B	Rajiv Rattan Avas Yojna Sec-3 Bawana	S. N. Depot	3 Trip		3 Trips
990 EXT	Rohini Sec-24 (Pkt-18)	Shivaji Stadium	14		14
990 SPL	Rohini Sec-23 (Pkt-C)	Shivaji Stadium	1 Trip		1 Trip
Exp-91	Rohini Sector-11 SFS Flats	Shivaji Stadium	1 Trip		1 Trip
Gramin Mudrika	Azad Pur Terminal	Azad Pur (T)	12		12
012 Night Service	ISBT (Maharana Pratap Bus (T)	Bawana J. J Cly.	2 Trip		2 trips
0114 Night Service	Old Delhi Rly. Station	Qutab Garh	1 Trip		1 Trip
	Total		308+18 Trip	85	223+18 Trips

209. श्री राजेश गुप्ता : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधानसभा में बस स्टेंड आखिरी बार कब बने थे;

(ख) जर्जर हालत वाले बस स्टैण्ड कब तक पुनः बनाने की योजना है;

(ग) वजीरपुर विधानसभा में कितनी बसें चल रही हैं और उनकी समय सारिणी क्या है;

(घ) इस क्षेत्र में कितनी हरी बसें चल रही हैं और कितनी लाल; और

(ङ) नई बसें कितनी और कब तक आएंगी?

परिवहन मंत्री : (क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बस स्टैण्ड 2010–11 में बनाए गए थे।

(ख) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र के बस क्यू शैल्टर्स के पुनःनिर्माण करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया विचारधीन है। निविदा की सफलता के उपरान्त आधुनिक बस क्यू शैल्टर्स लगा दिए जाएंगे।

(ग) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में कलस्टर की 185 बसे व दिल्ली परिवहन निगम की 158 बसे परिचालन में है, जिनकी समय सारिणी संलग्न 'क' और 'ख' में दी गई है।

(घ) इस क्षेत्र में वर्तमान में 101 हरी व 57 लाल बसे चल रही है।

(ङ) दि.प.नि. व कलस्टर स्कीम के बेड़े में 1000–1000 नई बसें खरीदने की योजना वर्तमान में विचारधीन है, इस बसों के बेड़े में शामिल होने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Wazirpur Vidhan Sabha area Bus Routes Time Table (Cluster)

Sl. No.	Route No.	Origen	First Trip start time from Origen	Destination	Last Trip start time Destination
1	2	3	4	5	6
1	181A	Jahangirpuri E Block	6:48	Nizamuddin Railway Station	22:08
2	761	Azad Pur Terminal	7:50	Mangla Puri Terminal	17:23
3	TMS (+)	Punjabi Bagh Terminal	7:30	Punjabi Bagh Terminal	17:50
4	85	Punjabi Bagh Terminal	6:47	Anand Vihar ISBT	20:07
5	85Ext	West Enclave Terminal.	7:39	Anand Vihar ISBT	19:21
6	208	Karampura Terminal	7:10	Harsh Vihar	19:25
7	938A	Azad Pur Terminal	7:58	Tikri Border	20:35
8	TMS(-)	Lajpat Nagar	5:10	Lajpat Nagar	18:28
9	997A	Rohini Sec 22 Terminal	7:03	Shivaji Stadium Terminal	19:54
10	234	Karampura	5:30	Harsh Vihar	21:36
11	833	Karampura Terminal	9:10	Nehru Bus Stand Goyla Dairy	19:20
12	990	Rithala Village	9:07	Shivaji Stadium	21:43
13	990Ext	Rohini Sec 23	9:15	Shivaji Stadium	18:07

Originating & Passing through Wazir Pur Vidhan Sabha Contituency

Route No.	From	To	No. of Buses	No. of Buses AC	No. of Buses Non-AC
1	2	3	4	5	6
39	Tri Nagar Jai Mala Mkt	Jheel	34	17	17
39AL.	Tri Nagar Jaa Mata Mkt	Anand Vihar ISBT	3	0	3
115	Wazir Pur JJ Colony	Old Delhi liy Station	2	0	2
157	Ashok Vihar	Palika Kendra	2 (2 Trip)	0	2 (2 Trip)
166	Shalimar Bagh BH-Blk	Nizamudain Rly Station	32	6	26
181	Janangir Puri E-Blk	Nizamuddin Rly Station	21	12	9
181A	Jahangir Pun E-Blk	Nizamuddin Rly. Station	20	10	10
182A	Sukhbir Nagar	ISBT (Maharana Pratap Bus (T)	8	5	3
235	Wazir Pur JJ Colony	Nand Nagri (T)	5	0	5
610	Wazir Pur Depot	R K Puram Sec-1	18	7	11
610 Spl.	Ashok Vihar (Deep Mkt)	R K Puram Sec-1	2 (2 Trip)	0	2 (2 Trip)

1	2	3	4	5	6
832	Tri Nagar Jai Mata Mki	Janak Puri D-Blk.	6	0	6
912	Nathu Pura	Vishnu Garden NW Chowk	9	0	9
		Total	158 (4 Trips)	57	101 (4 Trips)

Route No. 39

Departure Time

Tri Nagar Jai Mata Mark to Jheel				Jheel to Tri Nagar Jai Mata Market			
0500	0910	1325	1750	0535	1020	1425	1840
0520	0915	1335	1805	0555	1025	1435	1845
0540	0920	1345	1815	0615	1030	1445	1855
0600	0930	1405	1820	0625	1035	1450	1905
0610	0940	1425	1825	0630	1040	1500	1915
0620	0945	1405	1835	0540	1045	1505	1920
0030	1000	1445	1345	0650	1050	1525	1925
0640	1005	1455	1850	0700	1055	1530	1935
0650	1020	1505	1855	0710	1100	1545	1940
0700	1930	1525	1905	0720	1105	1550	1955
0720	1040	1500	1915	0730	1110	1605	2000
0725	1045	1525	1920	0735	1120	1610	2005

Tri Nagar Jai Mata Mark to Jheel				Jheel to Tri Nagar Jai Mata Market			
0730	1050	1550	1925	0740	1125	1615	2015
0725	1100	1535	1935	0750	1130	1625	2025
0730	1110	1545	1940	0755	1140	1635	2030
0740	1120	1550	1945	0800	1150	1640	2035
0745	1130	1555	1950	0810	1155	1645	2045
0750	1135	1600	1955	0815	1205	1655	2055
0755	1140	1605	2005	0820	1215	1700	2105
0800	1145	1615	2015	0830	1220	1705	2110
0805	1155	16. 5	2025	0840	1230	1710	2115
0810	1200	1630	2030	0850	1240	1715	2125
0815	1210	1635	2035	0855	1250	1720	2135
0820	1215	1640	2045	0905	1310	1725	2140
0825	1225	1645	2055	0915	1320	1735	2145
0830	1230	1655	2110	0925	1330	1740	2155
0835	1235	1705	2115	0930	1340	1745	2205
0840	1245	1710	2125	0940	1345	1750	2210
0645	1250	1715	2135	0950	1350	1755	2215
0850	1255	1755	2150	0955	1355	1805	2225
0855	1305	1730	2215	1000	1405	1815	2235
0900	1310	1735	2240	1005	1410	1825	2245
0905	1315	1745		1010	1415	1835	2255

Route No. 39A

Departure Time

Tri Nagar Jai Mata Market to anand Vihar ISBT		Anand Vihar I. S. B. T. to Tri Ngr. Jai Mata Mkt.	
0625	1630	0755	1710
0715	1830	0855	1810
1005	1920	1050	2015
1055	2020	1155	2110
1440	1245	2200	
1530	1620		

Route No. 115

Departure Time

Wazir Pur JJ Cly. To Old Delhi Rly. Stn.		Rly. Station to W. Pur JJ Cty.	
0700	1610	0750	2050
0810	1730	1235	2120
1150	1750	1305	2150
1220	2005	1340	2205
1255	2035	1635	2235
1540	2105	1700	2255

Note:- Bold Trip means included in Route No. 235 duty

Route No. 157

Departure Time

Ashok Vihar Ph-2 to Palika Kender	Palika Kender to Ashok Vihar Ph-2
0900	1800

Route No. 166

Departure Time

Shalimar Bagh BH Blk to Nizamuddin Rly. Station/ Palika Kender			Nizamuddin Rly. Station to Shalimar Bagh BH-Blk.			Palika Kender to Shalimar Bagh BH-Blk.
1	2			3		4
0500	1118	1650	0550	1130	1950	1058
0512	1124	165S	0618*	1136	2006	1118
0524	11 30*	1T06	0630	1145*	2022	1215
0536	1142	1714*	0542	1143	2038*	1508
0500	1148*	1218	0654	1206	2054*	1524
0505	1208	1722	0706	1224	2110*	1540
0530	1220	1727*	0718	1230*	2116	1556
0706*	1226	1732	0730	1236	2126	1612
0718	1230	1740	0736	1248*	2142	1628
0724	1238	1750	0748	1300	2158	1644*
0730*	1302*	1800	0752	1312*	2214	1700*

1	2			3		4
0742	1314	1804*	0800*	1324	2232*	1716*
0748*	1325*	1810	0806	1354	2250	1732
0800	1330	1818	0812	1406		1804
0806	1338	1826	0818	1412		1820
0812	1346	1834*	0821	1424		1836*
0818	1354	1842	0824*	1448*		1852
0824	1402	1850*	0827	1500		1900*
0830	1410	1855	0830	1524*		1912
0836	1418	1858	0842*	1530		1932
0840	1426	1906*	0854	1546		1940*
0842	1434	1914	0900	1602		1952
0854	1442	1922	0912*	1610*		2012
0900*	1450	1930	0S24	1618		2028
0906	1458	1946	0930*	1634		2044
0912	1506	1954	0946	1642		2100
0918	1514*	2002	0956	1650		2116
0930	1522	2010	1004	1706		2132
0948	1530*	2018	1010	1722		2148I
1000	1538	2034	1016	1738		2204
1006	1546*	2042*	1028	1754		2220
1015*	1554	2050	1034	1810		2236

1	2		3		4
1020	1602	2054*	1040	1826	2252
1030	1610	2055	1046	1842	
1042*	1618	2106	1052*	1858	
11048	1626	2122	1058	1906	
1054	1634	2130*	1104	1918	
1106*	1642		1110	1934	

Note: - Bold Trips means upto Palika Kender & * Trips AC Buses Operation

Route No 181

Departure Time

Nizamuddin Railway Station to Jahangir Puri E-Blk.			Jahangir Puri E-Block to Nizamuddin Rly. Stn.		
1			2		
0550	1040	1710	0540	1130	1720
0610	1050	1720	0620	1150	1730
0630	1100	1730	0700	1210	1750
0645	1120	1735	0710	1230	1800
0655	1130	1750	0720	1240	1810
0705	1140	1800	0730	1250	1820
0715	1150	1810	0745	1300	1825
0725	1210	1820	0750	1310	1835
0735	1230	1830	0755	1330	1900

1			2		
0745	1250	1840	0800	1350	1910
0805	1300	1850	0805	1400	1920
0815	1310	1900	0810	1405	1930
0825	1400	1910	0825	1420	1940
0835	1405	1920	0830	1440	1945
0840	1425	1940	0835	1500	1950
0850	1445	1950	0850	1510	2000
0900	1500	2005	0900	1520	2010
0910	1510	2010	0910	1530	2025
0920	1525	2030	0930	1545	2030
0930	1535	2050	0940	1550	2040
0940	1545	2100	0950	1600	2050
0950	1550	2110	1000	1610	2100
1000	1600	2125	1020	1620	2110
1005	1610	2130	1100	1630	2120
1015	1620	2150	1105	1640	2130
1020	1635	2210	1110	1650	2150
1030	1650	2230	1115	1700	2210
1035	1705		1120	1710	

Route 181 A

Departure Time

Jahangir Puri E Blk. To Nizamuddin Rly. Stn.			Nizamuddin Rly. Stn. To Jahangir Puri E-Blk.		
1			2		
0548	1044	1652	0728	1310	1928
0612	1108	1708	0748	1312	2000
0620	1110	1716	0800	1332	2004
0628	1112	1724	0804	1352	2016
0644	1136	1732	0824	1412	2032
0708	1152	1744	0830	1428	2040
0736	1156	1804	0835	1504	2045
0740	1228	1820	0856	1520	2048
0752	1244	1824	0924	1552	2104
0756	1316	1836	0928	1608	2120
0800	1332	1852	0944	1620	2128
0805	1404	1900	0948	1624	2136
0812	1420	1908	1000	1640	2148
0824	1436	1912	1010	1648	2152
0830	1444	1924	1016	1656	2208
0836	1452	1940	1020	1700	2230
0852	1504	1944	1036	1712	2245

1			2		
0908	1508	1956	1136	1728	2258
0940	1520	2016	1148	1744	
0955	1524	2020	1155	1804	
1004	1540	2042	1200	1808	
1008	1552	2112	1208	1832	
1012	1556	2128	1216	1900	
1020	1612	1304	1908		
1036	1628	1240	1912		

Route No. 182A

Departure Time

Kanjhawala Depot to ISBT K. Gate	Sukh Bir Nagar to ISBT K. Gate	I.S.B.T. to Sukhbir Nagar	ISBT K. Gate to Kanjhawala Depot
1	2	3	4
0445	0846	0646	1022
0510	0910	0710	1046
0635	1034	0834	1210
0700	1046	0858	1222
0745	1058	0946	1234
1315	1146	1052	1322

1	2	3	4
1435	1252	1510	1428
1445	1713	1516	1835
1500	1716	1638	1852
1545	1834	1646	2010
1520	1846	1658	2022
	1858	1746	2034
	1546	1822	2122
	2022		2158

Note:- Bold trip means Sukhbir Nagar to Shakti Nagar & back Kanjhawala Depot

Route No. 235
Departure Time

Nand Nagri (T) to Wazirpur JJ Colony		Wazir Pur JJ. CIy. to Nand Nagri (T)	
0710	1530	0600	1540
0800	1545	0630	1705
0815	1600	0705	1710
0825	1635	0830	1740
0845	1710	0930	1815
1000	1835	0945	1640
1100	1840	0955	2005
1110	1910	1410	
1145 upto Azadpur	1945	1440	
1435		1515	

Route No. 610

Departure Time

R.K. Puram Sector-1 to Wazirpur Depot/ Anand Parvat			W.Pur Depot to R.K. Puram Sec.-1		Anand Parvat to R.K. Puram Sec.-1	SND to Anand Parbat
1	2		3		4	5
0625*	1210	1852	0540	1424	0735	0900
0720	1222	1912	0605	1445	0805	0930
0735*	1233	1932	0615	1506	0835	1410
0745	1254	1942*	0622	1527	0855	1555
0750	1305*	2000	0643	1548	0925	1615
0755	1310*	2007	0704	1558	1020	Kendriya (T) to R.K. Puram Sec-1
0802	1315	2014	0725	1609	1143	1255
0813		2035	0736	1630	1153	1405
0823	1500	2056	0756	1651	1220	1800
0835	1522	2107*	0807	1712	1505	1315
0544	1532*	2117	0815	1732	1515	2002
0855*	1550	2127*	0828	11800	1647	

1	2		3		4	5
0905	1604	2138	0849	1814	1700	
0910*	1610	2142	0910	1825	1720	
0916	1615*	2148*	0930	1835	1730	
0936	1625	2159	0938	1856	1750	
0945*	1635*	2220	0945	1917	1917	
1000	1646	2241	1002	1938	1940	
1007	1707	2302	1012	1948	1955	
1028	1728		1022	1959	2057	
1038*	1738		1033	2020	2240	
1049	1749		1054	2041	2302	
1100	1802*		1115	2102		
1110	1810		1126			
1130	1820*		1310			
1142	1831		1342			
1150	1841*		1405			
1202*			1415			

Note - *(Star) Trip Operated Between R. K. Puram Sec-1 To Anand Parvat,
** (Double Star) Trip Operated between R. K. Puram Sec-1 To Kend. Terminal Bold trips means Anand Parvat to SND

Route No. 832

Departure Time

Janakpuri D-Block to Inder lok M. Station		Tri Nagar Jai Mata Market to Janak Puri D. Blk.	Inder Lok Metro Stn. to Janak Puri D-Blk.	
0518	1430	0855	0630	2006
0646	1502	0935	0758	2022
0806	1534	1020	0830	2038
0822	1606	1102	0918	2158
0838	1622	1510	0950	
0910	1638	1645	1142	
0942	1654	1715	1310	
1030	1726	1750	1454	
1054	1758	2055	1526	
1110	1854	2125	1542	
1126 upto Moti Naar	1910		1614	
1158	1926		1734	
1342	1942		1806	
1358	2014		1338	
1414	2046		1910	

Note - Bold trips means upto Tri Nagar Jai Mata Mkt.

Route No. 912

Departure Time

N. W. Chowk Vishnu Garden To Nathu Pura		Nathu Pura To N. W. Chowk Vishnu Garden	
0710	1600	0530	1340
0750	1620	0610	1420
0810	1640	0630	1440
0830	1700	0710	1500
0850	1720	0730	1520
0910	1740	9750	1 540
0930	1800	0805 from P. Bagh	1600
0950	1900	0810	1620
1030	1940	0850	1720
1050	2000	0910	1800
1130	2020	0930	1820
1150	2040	1010	1840
1240 upto P. Bagh	2100	1050	1900
1230	2120	1100	1920
1250	2140	1110	1940
1410		1130 upto P. Bagh	2000
1520		1230	

Route No. 6 10 Spl. Trip

Departure Time

Deep Market Wazir Pur to R. K. Puram Sector-1	R. K. Puram Sec-1
0810	—
0845	—

210. श्री विशेष रवि : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि करोल बाग मेन रोड पर स्थित बस क्यू-शैल्टर जर्जर अवस्था में है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि विभाग की डीबी गुप्ता रोड, न्यू रोहतक रोड पर नया बस क्यू-शैल्टर लगाने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो करोल बाग विधानसभा में कब तक बस क्यू-शैल्टर बना दिया जाएगा?

परिवहन मंत्री : (क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूर्व में करोल बाग मेन रोड पर बनाए गए बस क्यू शैल्टर्स के पुनः निर्माण की आवश्यकता है।

(ख) जी हां।

(ग) करोल बाग विधान सभा क्षेत्र के बस क्यू शैल्टर्स के पुनःनिर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है। निविदा की सफलता के उपरान्त आधुनिक बस क्यू शैल्टर्स लगा दिए जाएंगे।

211. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह महसूस करते हुए कि जन यातायात में सूचना को लेकर एक बहुत भारी गैप है, जिसे भरे जाना आवश्यक है, अतः अपने पहले बजट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं सूचना व जानकारी को लिंक करने का निर्णय लिया था;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने यात्री सूचना प्रणाली यानि पब्लिक इन्फार्मेशन स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस प्रणाली को एप्प के माध्यम से मोबाईल फोनों से जोड़ने का निर्णय लिया गया था;

(घ) क्या यह सत्य है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधनों को एक ही किराये प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि इस दिशा में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है?

परिवहन मंत्री : (क) से (घ) हां, बजट भाषणानुसार यह सत्य है।

(ङ) डीम्ट्स (DIMTS) द्वारा संचालित पूछो एप से कलस्टर बसो, ऑटो रिक्शा एवं टैक्सियों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एवं उनकी स्थिति स्मार्ट फोनों पर उपलब्ध है। दिल्ली मैट्रो, कलस्टर बस सेवा और डीटीसी की बसों को एक ही किराये प्रणाली से जोड़ने का कार्य जारी है और शीघ्र ही इस प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा। कलस्टर की बसों में जीपीएस लगा हुआ है तथा डीटीसी बसों में पूर्णः रूप से जीपीएस लगाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे है। तत्पश्चात् पब्लिक इन्फोंमेशन सिस्टम (PIS) लागू किया जा सकेगा।

212. **श्री सोमनाथ भारती :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मेट्रो स्टेशनों से कालोनिकयों के अंदरूनी हिस्सों को जोड़ने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु कोई पालिसी बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) ग्रीन पार्क, होजखास व मालवीय नगर मेट्रो स्टेशनों से मालवीय नगर विधानसभा की विभिन्न कालोनियों तक 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उपरोक्त स्टेशनों से 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' प्रदान करने हेतु कब तक मिनी बसें उपलब्ध करा दी जाएगी;

(ङ) मालवीय नगर विधानसभा से विभिन्न स्थानों तक चलने वाली व विभिन्न स्थानों से वहां तक आने वाली डीटीसी बसों के रूट नंबर, समय सारिणी व फ्रीक्वेंसी सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(च) सफदरजंग इन्क्लेव, कृष्णा नगर, हुमायूंपुर, अर्जुन नगर, ग्रीन पार्क वाया चौ. हरसुख मार्ग के निवासियों के लिए रूट नंबर 610ए 610ए, 621ए, 612 व 544ए की बसें चलाने के लिए किए गए निवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) क्या मालवीय नगर बस डिपो को पुनर्जीवित करने की सरकार की कोई योजना है?

परिवहन मंत्री : (क) मेट्रो स्टेशन से 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' हेतु डीएमआरसी द्वारा प्रस्तावित रूटो का परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

(ख) मेट्रो के 43 रूटों पर 291 बसे परिचालन में है।

(ग) दिल्ली मेट्रो द्वारा ग्रीन पार्क, हौजखास व मालवीय नगर मेट्रो स्टेशनों से मालवीय नगर विधानसभा की विभिन्न कॉलोनियां तक लास्ट माइल कॅनेक्टिविटी के लिए निम्नलिखित रूट उपलब्ध है।

1. एम एल 80 हौज खास मेट्रो स्टेशन से ओखला धाम

2. एम एल 72 हौज खास मेट्रो स्टेशन से छत्तरपुर मेट्रो स्टेशन

3. एम एल 73 हौज खास मेट्रो स्टेशन से बदरपुर

4. एम एल 87 नेहरू प्लेस से मलाई मंदिर

5. एम एल 70 मालवीय नगर से धौला कुआं

6. एम एल 104 मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन

7. एफ 504 ए सफदरजंग से अम्बेडकर नगर

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) यह विवरण परिशिष्ट 'क' पर है जिसमें बसों के दोनों दिशाओं में चलने का समय तथा बसों की बारम्बारता (फरीक्वंसी) भी दर्शाई हुई है।

(च) सफदरजंग इन्क्लेव, कृष्णा नगर, हुमायूंपुर, अर्जुन नगर, ग्रीन पार्क वाया चौ. हरसुख मार्ग के लिए निम्नलिखित रुट/फेरे अलग-अलग वाया से अनुसूचित है।

रूट नंबर	गन्तव्य से	गन्तव्य तक	बसों की संख्या
544ए	आर.के. पूरम सैक्टर 1 समय प्रातः 8.15 व 9.15 बजे	नेहरु प्लेस (समय) 17.30 व 1900 बजे	2 फेरे
610ए	आर.के. पुरम सेक्टर 1	आनन्द पर्वत	2 फेरे
611	धौला कुंआ	मयूर विहार फेस 3	दिपनि–21 डिम्टस–15
621	पर्वान्चल हस्पताल	मोरी गेट टर्मिनल	4 फेरे

उक्त रुटों को उपरोक्त क्षेत्र से निर्धारित वाया के अनुसार चलाने के आदेश जारी कर दिये गये है। शेष रुट संख्या 615ए व 621ए काफी समय से यात्री भार/बसों की कमी के कारण परिचालन में नहीं है।

(छ) जी नहीं

Details of Bus Service Malviya Nagar............

Route Originating from Malviya Nagar F-Block

Route No.	From	To	No. of Buses
1	2	3	4
503	Malviya Nagar F-Blk.	Mori Gate (T)	2
520	Malviya Nagar F-Blk.	Super Bazar	2
542	Malviya Nagar F-Blk.	New Seema Puri	2
	Total Buses		6

1	2	3	4
Route Passing through Begam Pur (Malviya Nagar)			
413	Mehrauli	Nizamuddin Rly. Station	13
500	Saket	N. D. Rly. Station Gate-2-	6
512	R. K. Puram Sec-1	Ambedkar Ngr Sec. IV (Virat Cinema)	8
522 A	Hamdard Nagar	Inder Puri /Rajinder Ngr. R-Blk.	18
548	Hamdard Ngr	Minto Road (T)	1
	Total Buses %		46

Spl. Trips

Time	From	to	Route No.
0903	Malviya Nagar F-Block	Rly. Station	419 Ext.
1858	Rly. Station	Malviya Nagar F-Block	419 Ext.
0835	Malviya Nagar F-Block	A. S. Road	522 Ext.
0950	Malviya Nagar F-Block	A. S. Road	522 Ext.
1800	A. S. Road	Malviya Nagar F-Block	522 Ext.
1900	A. S. Road	Malviya Nagar F-Block	522 Ext.

Route Passing through Kamal Cinema (S. J Enclave)

Route No.	From	To	No. of Buses
1	2	3	4
611	Dhaula Kuan	Mayur Vihar Ph-3	21
621	Poorvanchal Hostel	Mori Gate (T)	4
	Total Buses		25

1	2	3	4
Route Passing through Deer Park/S. J. Enclave / Arjun Nagar			
610A	R. K. Puram Sec-1	Anand Parvat	2
544A (0815, 0915,	R. K. Puram Sec-1	Nehru Place (T)	2 Trip
544A (1730, 1900)	Nehru Place (T)	R.K. Puram	2 Trip
	Total Buses		2+4 Trip
Route Passing through Gulmohar Park & Niti Bagh			
413	Nizamuddin Rly. Stn.	Mehrauli	13
500	Saket	N. D. Rly. Station Gate-2	6
522A	Hamdard Nagar	Rajinder Nagar R-Blk./ Inder Puri	18
540	Tara Apptt.	Cent. Sectt	8
544	R. K. Puram Sec-1	Badar Pur Border	36
580	Ambedkar Nagar Sec-4	Kend. Terminal	1
724C	DDA Flats Kalkaji Alkhnanda	Uttam Nagar Trml.	3
	Total Buses		85
Route Passing through Malviya Nagar Metro Station / Khirki Village			
448	Hamdard Nagar	Punjabi Bagh	15
448B	Ambedkar Nagar Trml.	Madi Pur JJ Colony	2

1	2	3	4
493	Mehrauli	Mayur Vihar Ph-3	10
512	R. K. Puram Sec-1	Ambedkar Ngr Sec. IV (Virat Cinema)	8
522A	Hamdard Nagar	Inder Puri /Rajinder Ngr. R-Blk.	1832"
534	Mehrauli	Anand Vihar ISBT	
534A	I. G. I. Air port Terminal-II	Anand Vihar ISBT	38
680	Ambedkar Ngr Sec. IV (Virat Cinema)	Kend. Terminal	8
OMS (+) (-)	Anand Vihar ISBT	Anand Vihar ISBT	82
448A (0800, 0830, 0900, 1000)	West Enclave	Hamdard Nagar-*	4 Trip
	Total Buses		213+4 Trip

Route Passing through Aurbindo Marg

502	Mehrauli	Old Delhi Rly. Station	
505	Mehrauli	Kamla Market	6
507	Okhla Extn. Ab. Fazal End.	Dhaula Kuan	18

1	2	3	4
516	Dera Village	S. J. Terminal	9
517	Aya Nagar	S. J. Terminal	2
519	Mandi Village	S. J. Terminal	8
536	Chhattar Pur Extn.	R. K. Puram Sec-1	1
548	Hamdard Nagar	Minto Road Trml.	1
605	Vasant Kunj Sec-C/9	Mori Gate (T)	5
725	Mehrauli	Inder Puri JJ Cly.	6
	Total Buses		5
Route Originating from Hauz Khas Terminal			
335	Hauz Khas (T)	Nand Nagri (T)	1
344	Hauz Khas (T)	Kalyan Puri	1
620	Hauz Khas (T)	Shivaji Stadium	9
	Total Buses		11

Spl. Trips

Time	From	To	Route No.
1800	Hauz Khas Terminal	Bakkarwala 'JJ. Colony	765

Route Passing through NT Gate/Swami Nagar

Route No.	From	To	No. of Buses
1	2	3	4
511	Badar Pur Border	Dhaula Kuan	3
511 A	Badar Pur Border	Dhaula Kuan	29

1	2	3	4
764	Najafgarh (Sai Baba Mandir)	Nehru Place (T)	43
	Total Buses		75
Route Passing through Africa Avenue (Mohmand Pur)			
512	R. K. Puram Sec-1	Ambedkar Ngr Sec. IV (Virat Cinema)	8
544	R. K. Puram Sec-1	Badar Pur Border	36
610	Wazir Pur Depot / Anand Parvat	R. K. Puram Sec-1	18
615	Minto Road (T)	Poorvanchal Hostel	13
623	Shahdara (T)	Vasant Vihar CPWD Cly.	29
623 A	Anand Vihar ISBT	Vasant Vihar CPWD Cly.	4
623 B	Vasant Kunj C-9	Vishwas Nagar CBD Ground	4
711 A	Uttam Nagar Terminal	Sarai Kale Khan (ISBT)	4
	Total Buses		116

Route No. 335
Departure Time

Nand Nagri (Tr.)	Hauz Khas Terminal
0800	0950
1200	1200
1530	1710
1610	1800
1930	2120
2010	2155

Route No. 344

Departure Time

Kalyan Puri to Hauz Khas (T)	Hauz Khas (T) to Kalyan Puri
0820	1800
1620	2140
2000	

Route No. 413

Departure Time

Nizamuddin Railway Station to Mehrauli			Mehrauli Terminal to Nizamuddin Rly. Stn		
1			2		
0555	1057	1650	0602	1137	1739
0617	1111	1658	0645	1151	1753
0624	1118	1705	0712	1158	1800
0638	1132	1712	0719	1212	1807
0652	1139	1719	0733	1225	1814
0727	1146	1721	0747	1233	1835
0748	1153	1730	0808	1247	1856
0802	1214	1740	0822	1254	1903
0809	1227	1801	0836	1301	1910
0823	1241	1808	0843	1308	1917
0830	1246	1815	0857	1329	1924

1			2		
0837	1302	1822	0904	1357	1938
0844	1410	1827	0911	1430	1952
0851	1431	1829	0918	1444	2005
0858	1438	1843	0925	1505	2019
0905	1445	1850	0932	1526	2040
0912	1452	1857	0939	1533	2101
0926	1459	1904	0946	1540	2108
0933	1513	1925	0953	1547	2115
0947	1520	1946	1000	1554	2122
0954	1527	1953	1007	1608	2129
1001	1534	2000	1021	1615	2143
1008	1555	2007	1028	1622	2155
1015	1610	2014	1042	1629	
1022	1616	2028	1049	1650	
1029	1623	2042	1056	1711	
1036	1630	2055	1103	1718	
1043	1637	2109	1124	1725	
1050	1644	1131	1732		

Route No 448

Departure Time

Punjabi Bagh Terminal to Hamdard Nagar		Hamdard Nagar to Punjabi Bagh Terminal	
1		2	
0542	1250	0726	1430
0558	1302	0742	1444
0614	1334	0758	1518
0630	1350	0814	1534
0646	1406	0830	1550
0702	1422	0846	1606
0710	1438	0854	1622
0718	1454	0902	1638
0734	1502	0918	1646
0750	1510	0934	1654
0806	1526	0950	1710
0822	1542	1006	1726
0838	1558	1022	1742
0850	1614	1034	1758
0910	1630	1054	1814
0914	1702	1118	1910
0926	1718	1134	1926

1		2	
0942	1734	1150	1942
0958	1750	1206	1958
1014	1806	1222	2014
1030	1822	1238	2030
1046	1830	1246	2038
1102	1838	1254	2046
1126	1854	1310	2102
1142	1934	1326	2118
1158	1950	1342	2134
1214	2006	1358	2142
1230	2022	1414	2158

Route No. 448B

Departure Time

Madi Pur JJ Colony	Ambedkar Nagar (T)
0815	1715
0845	1800
1905	
1950	

Route No. 493

Departure Time

Mayur Vihar Phase-III To Nehru Place Terminal		Mehrauli To Mayur vihar Ph-III	Nehru Place Terminal To Mayur Vihar Ph-III
0500	1430	0730	0630
0540	1450	0810	0850
0620	1510	0900	0930
0700	1530	1030	1010
0720	1610	1200	1130
0800	1630	1250	1210
0820	1650	1510	1300
0840	1710	1550	1530
0930	1720	1630	1610
1000	1750	1710	1650
1020	1810	1840	1730
1040	1820	1920	1820
1100	1850	2000	1850
1130	1900	2050	1940
1310	1940	2130	2020
1350	2010	2210	2110
1410	2110	2230	

Note :- Bold Trip operated from Mayur Vihar Ph-3 to Mehrauli

Route No. 500

Departure Time

Saket to N. D. Rly. Stn. G. No. 2		N. D. Railway Stn. Gate. No. 2 to Saket	
0545	1353	0657	1505
0601	1409	0713	1521
0617	1425	0729	1537
0633	1521	0745	1555
0717	1553	0825	1633
0745	1617	0857	1705
0809	1633	0921	1729
0825	1639	0937	1745
0841	1705	0953	1801
0857	1737	1009	1817
0937	1745	1049	1857
1009	1817	1121	1929
1057	1905	1209	2017
1113	1921	1225	2033
1129	1953	1241	2049
1145	2033	1257	2105
1225	2105	1337	2145
1257		1409	2209

Note:- Bold Trip miss when school open

Route No. 502

Departure Time

Mehrauli Terminal to Old Dehli Railway Station				Old Delhi Railway Station to Mehrauli Terminal			
1				2			
0500	1005	1340*	1800	0540	1023	1555	1928
0510	1008	1350	1805	0600	1028	1603	1937
0530	1015	1425	1810	0618	1030	1613	1943
0550	1020	1433 utpo D. Gate	1815	0625	1033	1618	1950
0620	1023	1445	1820	0630	1038	1623	1958
0640	1025	1455	1825	0648	1043	1630	2003
0645	1030	1500	1833	0700	1053	1638	2018
0650	1035*	1505	1838	0708	1058	1643	2023
0700	1038	1510	1840*	0720	1103	1648	2028
0705	1040	1525	1845	0728	1108	1653	2038
0710	1045*	1530	1850	0738	1113	1658	2048
0720	1050	1535	1855	0743	1120	1703	2053
0730	1055	1540	1900	0753	1125	1710	2100
0740	1100*	1545	1910	0758	1133	1715	2108
0750	1105	1550	1920	0803	1138	1720	2113
0755	1115	1600	1925	0808	1140	1725	2128

1				2			
0800	1124	1605	1930	0818	1143	1730	2143
0805	1132*	1610	1935	0823	1148	1733	2148
0810	1135	1615	1940	0825	1153	1738	2158
0815	1140	1620	1945	0828	1158	1745	2208
0820	1145	1625	1950	0833	1213	1750	2220
0830	1150*	1630	1955	0838	1223	1758	
0835	1155	1635	2000	0845	1233	1803	Delhi Gate to Mehrauli
0840	1200	1640	2005	0850	1253	1808	0740
0845	1203	1645	2010	0858	1303	1813	0758
0850	1208	1650	2015	0903	1313	1818	0800
0855	1213*	1655	2020	0908	1318	1823	0830
0900	1218	1700	2025	0913	1340	1828	0840
0905	1225	1705	2030	0918	1343	1830	0850
0908	1235	1710	2040	0923	1353	1835	0900
0913	1240 upto D. Gate	1715	2050	0928	1403	1843	1410
0915	1245	1720	2055 upto D. Gate	0933	1413	1848	1435
0920	1253	1725	2100	0938	1430	1853	1615
0925	1255	1730	2105	0948	1443	1858	

1				2		
0935	1258*	1735	2112	0953	1500	1903
0940	1300	1740	2140	0958	1505	1908
0945	1305	1745	2250 upto D. Gate	1003	1523	1910
0950	1310*	1750	1008	1535	1913	
0955	1325	1753	1013	1540	1918	
1003	1335	1755	1018	1545	1923	

Note:- * TRIPS MEHRAULI TO D. GATE L. Spl. Trips 1730 Hrs. FROM RLY STN TO MEHRAULI & 0830 MEHRAULI TO RLY STN, Bold trip miss when school open.

Route No. 503

Departure Time

Malviya Nagar F-Block to Mori Gate (T)		Mori Gate (T) to Malviya Ngr. F.-Blk.	Delhi Gate to Malviya Ngr. F-Blk.
0830	1635	0950	0845
0945	1940	1155	1545
1130	2055	1630	2145
1455	1755		
1520	2100		

Note:- Bold Trips means Malviya Nagar to Delhi Gate (T)

Route No. 505

Departure Time

Mehrauli To Kamla Market		Kamla Market To Mehrauli	
0620	1430	0730	1540
0640	1450	0755	1600
0700	1510	0810	1620
0720	1530	0830	1640
0740	1610	0850	1720
0800	1650	0910	1800
0840	1710	0950	1820
0900	1730	1010	^1840
0920	1750	1030	1900
0940	1830	1050	1945
1000	1915	1110	2035
1025	1945	1135	2055
1120	2010	1230	2115
1140	2030	1250	2135
1200	2120	1310	2220
1220		1330	
1240		1350	
1305		1415	

Note:- Bold Trip Miss when School Open

Route No. 507

Depature Time

Dhaula Kuan to Okhla Extn. A. F. Enclave		Okhla Extension Abdul Fazal Enclave to Dhaula Kuan		Okhla to Dhaula Kuan
1	2	3		4
0528	1448	0708	1638	1148
0538	1458	0718	1658	1218
0548	1518	0728	1718	1258
0608	1528	0748	1728	1328 upto Munrrika
0618	1538	0758	1738	1348
0628	1548	0808	1748	2058
0638	1558	0818	1758	2103
0658	1608	0838	1808	2138
0708	1618	0848	1818	
0718	1628	0858	1828	
0728	1638	0908	1838	
0738	1648	0918	1928	
0808	1658	0938	1938	
0828	1748	0948	2008	
0908	1758	0958	2018	
0918	1828	1008	2038	

1	2	3		4
0928	1838	1048	2108	
0948	1858	1058	2118	
0958	1908	1108	2128	
1008	1918	1128	2148	
1018	1928	1138	2158	
1028	1938	1158	2208	
1038	1948	1208	2218	
1048	1958	1228		
1118	2008	1310 upto Munirika		
1138	2018	1318 upto Munirika		
1148	2028	1328		
1208	2038	1548		
1408	1558			
1418	1628			

Note:- BoId Trips means Dhaula Kuan to Okhla

Route No. 511

Departure Time

Dhaula Kuan to Badar Pur Border		Badar Pur Border to Dhaula Kuan	
1		2	
0550	1645	0725	1905
0725	1715	0933	2125

1		2	
0745	1945	1113	2220
0925	2045	1735	
1555		1835	

Route No. 511A

Departure Time

Badar Pur Border to Dhaula Kuan			Dhaula Kuan to Badar Pur Border		
0530	1130	1715	0640	1150	1750
0550	1140	1720	0655	1200	1755
0600	1200	1725	0710	1205	1800
0610	1215	1730	0720	1210	1810
0640	1225	1740	0730	1220	1820
0645	1240	1745	0735	1225	1830
0650	1255	1750	0740	1230	1840
0700	1305	1800	0750	1250	1850
0710	1315	1805	0755	1255	1900
0730	1325	1820	0800	1300	1905
0735	1330	1830	0805	1320	1910
0810	1340	1840	0810	1330	1915
0820	1350	1845	0820	1340	1920
0825	1400	1850	0825	1400	1925
0830	1405	1855	0830	1420	1930

Badar Pur Border to Dhaula Kuan			Dhaula Kuan to Badar Pur Border		
0835	1410	1900	0835	1440	1935
0840	1420	1910	0840	1455	1940
0855	1430	1920	0850	1510	1950
0905	1440	1927	0900	1520	1955
0910	1450	1940	0910	1525	2000
0915	1500	1950	0915	1530	2005
0920	1510	1955	0925	1535	2020
0930	1515	2000	0940	1540	2025
0935	1520	2015	0950	1545	2030
0940	1530	2030	1000	1550	2035
0945	1540	2045	1010	1600	2040
0950	1545	2055	1020	1605	2050
1000	1550	2105	1035	1610	2100
1010	1600	2130	1040	1620	2105
1015	1610	2138	1045	1625	2110
1020	1615	2145	1050	1640	2115
1025	1620		1110	1650	2120
1030	1630		1115	1655	2130
1040	1635		1120	1700	2140
1045	1640		1125	1710	2155
1050	1650		1130	1720	2210

Badar Pur Border to Dhaula Kuan		Dhaula Kuan to Badar Pur Border		
1105	1700	1135	1725	2215
1115	1705	1140	1730	2235
1120	1710	1145	1740	

Bold Trip Means Route No. 473A & Trip time 1240 Badar Pur Border to Mother School

Route No. 512

Departure Time

Ambadkar Nagar Sector-4 to R. K. Puram Sec-1		R. K. Puram Sector-1 to Ambedkar Ngr. Sec-4		SN Depot. To AN Sec-4
1		2		3
0705	1535	0740	1735	0600
0715	1615	0815	1750	0610
0740	1630	0835	1800	0700
0805	1640	0850	1820	1345
0855	1650	0905	1830	1425
0910	1700	0925	1845	1505
0935	1725	0935	1900	1530
0955	1810	1015	1955	1550
1010	1855	1030	2035	
1025	1920	1115	2050	
1045	1930	1135	2100	
1055	1940	1150	2115	
1130	1950	1225		

1		2	3
1150	2010	1240	
1235	2020	1355	
1255	2110	1416	
1310	2150	1510	
1345	2200	1535	
1450	2210	1605	
1525	2220	1655	

Note:- Bold Trips means Ambedkar Nagar Sec-4 to S. N. Depot

Route No. 516

Departure Time

S. J. Terminal to Dera Village			Dera Village to S. J. Terminal			Lado Sarai to Dera Village
1			2			3
0600	1150	1740	0710	1210	1730	0715
0630	1200	1750	0740	1240	1750	1525
0700	1210	1800	0800	1300	1810	1532
0720	1220	1820	0810	1310	1830	
0740	1240	1830	0820	1320	1850	
0755	1255	1840	0830	1330	1900	
0810	1310	1900	0850	1350	1910	
0820	1400	1920	0905	1405	1930	

1			2			3
0850	1420	2000	0920	1420	1950	
0910	1520	2020	0930	1510	2010	
0920	1530	2040	1000	1530	2030	
0930	1540	2100	1020	1555	2050	
0940	1600	2120	1030	1610	2110	
1000	1610	1040	1630	2130		
1015	1620	1050	1640	2145		
1030	1640	1110	1650	2205		
1100	1700	1125	1710	2225		
1130	1720	1140	1720			

Note:- Bold Trip Miss when school open

Route No. 517

Departure Time

S. J. Terminal to Ayya Nagar		Ayya Nagar to S. J. Terminal	
0705	1225	0810	1335
0735	1508	0845	1620
0815	1543	0915	1655
0915	1755	1025	1905
0950	1825	1055	1935
1040	2013	1140	2115
1155	2043	1305	2145

Note: Bold Trip miss when school open & 0815, 1040, 0915, 1140 Rt. No. 522/23

Route No. 519

Departure Time

S. J. Terminal to Mandi Village		Mandi Village to S. J. Terminal		Lado Sarai Crossing to Mandi Village
1		2		3
0606	1545	0620	1538	0617
0625 from S. J. Hosp.	1558	0650	1552	0707
0653	1620	0714	1603	1432
0714	1648	0725	1618	1527
0735	1702	0742	1634	
0730 from S. J. Hosp.	1713	0803	1655	
0800	1728	0824	1708	
0824	1744	0835	1730	
0835	-1805	0845	1758	
0852	1818	0910	1812	
0913	1840	0934	1823	
0934	1936	0945	1838	
0945	1948	1002	1854	
0955	2000	1023	1915	

1		2		3
1025	2018	1044	1928	
1059	2032	1055	2018	
1112	2046	1105	2046	
1140	2100	1154	2058	
1201		1220	2110	
1222		1235	2128	
1428		1250	2142	
1442		1311	2156	
1505		1332	2210	
1524		1510		

Note: Bold trip miss when School Open

Route No. 520

Departure Time

Super Bazar to Malviya Nagar F-Block		Malviya Nagar F-Block to Super Bazar	
0310	1520	0815	1615
0910	1615	0905	1735
1005	1705	1035	1830
1125	1835	1130	1935
1305	1930	1216	2030
1435	1525		

Route No. 522A

Departure Time

R-Block Rajinder Nagar (Rattan Puri) to Hamdard Nagar		Inder Puri to Hamdard Nagar	Hamdard Nagar to R-Block Rajinder Nagar (Rattan Puri)/Inder Puri		Ambedkar Ngr. (T) to R-Blk Rajinder Ngr. (Rattan Puri)
1		2	3		4
0600	1400	0605	0550	1430	0840
0630	1430	0720	0610	1450	0915
0650	1450	0800	0710	1510	0945
0730	1510	1420	0740 upto Inder Puri	1530	1050
0740	1550	1530	0750	1550	1240 upto Lodhi Rd. Xing
0800	1600	1610	0800 upto Inder Puri	1600 upto Inder Puri	1720
0820	1620		0820 upto Inder Puri	1610	1810
0830	1630		0840 upto Inder Puri	1620 upto Inder Puri	1905

1		2	3		4
0840	1700		0850	1640 upto Inder Puri	
0900	1720		0910 upto Inder Puri	1700 upto Inder Puri	
0920	1740		0920 upto Krishi Kunj	1710	
0940	1800		1000 upto Inder Puri	1720	
0958	1900		1010 upto Inder Puri	1740 upto Inder Puri	
1020	1920		1030	1800 upto Inder Puri	
1040 upto Amb. Ngr. Depot	2010		1155 upto Lodhi Cly.	1820 upto Inder Puri	
1100	2110		1210	2030	
1150	2220		1310	2110	
1220			1340	2200	
1300			1410	2250	

Note:- Bold Trips means Route No. 522A Spl. Operation

Route No. 534

Departure Time

Anand Vihar I. S. B. T. To Mehrauli Terminal				Mehrauli Terminal To Anand Vihar ISBT			
1				2			
0410	0916	1417	1815	0550	1026	1548	1946
0443	0923	1438	1836	0610	1033	1602	2000
0457	0951	1445	1843	0630	1040	1623	2021
0525	1005	1452	1850	0710	1047	1630	2028
0553	1012	1459	1857	0738	1101	1637	2035
0607	1026	1506	1904	0752	1108	1644	2042
0614	1033	1513	1911	0759	1136	1651	2049
0628	1040	1520	1918	0813	1150	1658	2056
0635	1047	1527	1925	0820	1157	1705	2103
0649	1054	1534	1932	0827	1211	1712	2110
0703	1101	1541	1939	0834	1218	1719	2117
0710	1108	1548	1946	0841	1232	1726	2124
0717	1115	1555	1953	0848	1246	1733	2131
0731	1129	1602	2000	0855	1253	1740	2138
0738	1136	1609	2007	0902	1300	1747	2145
0752	1143	1616	2014	0909	1314	1754	2152
0755	1150	1623	2021	0916	1321	1801	2159

1				2			
0759	1204	1630	2028	0923	1335	1808	2206
0806	1211	1637	2035	0930	1349	1815	2213
0813	1218	1644	2042	0937	1356	1822	2220
0820	1232	1651	2056	0944	1403	1829	2227
0827	1253	1658	2110	0951	1417	1836	2235
0834	1300	1705	2124	0955	1438	1843	2245
0841	1307	1712		0958	1445	1850	2255
0848	1314	1726		1005	1452	1857	
0855	1335	1733		1012	1459	1911	
0902	1403	1801		1019	1520	1918	

Note: Bold trips means AC Buses operation

Route No. 534A

Departure Time

Anand Vihar ISBT TO IGI Airport/Nehru Place				I. G. I. Air Port T-2 To Anand Vihar ISBT			Nehru Place to A. Vihar ISBT	
1				2			3	
0150	0930	1350	1730	0700	1220	1900	0500	1630
0520	0935	1355	1740	0740	1230	1920	0510	1640
0540	0940	1400	1750	0800	1240	1930	0520	1650
0550	0950	1405	1800	0810	1300	1940	0530	1710

1				2			3	
0600	1000	1410	1805	0820	1330	2000	0550	1820
0610	1010	1420	1810	0830	1340	2010	0630	1900
0620	1020	1430	1820	0840	1350	2020	0650	1920
0625	1025	1435	1825	0845	1410	2030	0750	2020
0630	1040	1440	1850	0850	1440	2040	0755	2100
0640	1045	1445	1900	0900	1520	2110	0830	2105
0645	1055	1450	1905	0910	1540	2120	0840	2140
0650	1110	1455	1910	0915	1600	2125	0850	
0655	1115	1500	1915	0920	1610	2145	0855	
0700	1120	1505	1925	0930	1620		1030	
0710	1125	1510	1935	0940	1625		1120	
0720	1130	1520	1940	0950	1630		1145	
0730	1135	1525	2005	1000	1640		1240	
0740	1145	1530	2010	1010	1650		1255	
0745	1150	1540	2030	1020	1700		1300	
0750	1155	1545	2045	1030	1710		1310	
0755	1200	1550	2115	1040	1720		1320	
0800	1220	1600	2125	1050	1725		1330	
0810	1225	1610	2150	1100	1730		1400	
0820	1235	1630	2210	1110	1740		1430	
0830	1255	1640	2230	1120	1750		1440	

1				2		3
0840	1300	1650	2250	1130	1800	1510
0850	1305	1700	2310	1140	1810	1540
0900	1320	1710		1150	1820	1550
0910	1340	1720		1200	1830	1610
0920	1345	1725		1210	1850	1620

Note:- Bold Trip To Anand Vihar ISBT to Nehru Place Terminal

Route No. 536

Departure Time

R. K. Puram Sec-I to Chatter Pur Extn.		Chhatter Pur Extn. To R. K. Puram Sec-1	
0805	1410	0705	1515
	0910		

Route No. 540

Departure Time

Tara Appartments to Kend. Terminal		Kend. Terminal to Tara Appartment	
1		2	
0611	1439	0715	1543
0635	1455	0739	1619
0711	1515	0815	1627
0719	1523	0823	1643

1		2	
0807	1536	0839	1723
0831	1611	0919	1747
0847	1635	0943	1803
0855	1651	0959	1811
0931	1659	1007	1827
0939	1735	1023	1847
0955	1743	1043	1855
1059	1759	1051	1911
1123	1903	1107	2015
1139	1927	1211	2039
1147	1943	1235	2055
1204 upto AIIMS	1951	1251	2103
1223	2007	1259	2119
1247 upto AIIMS	2027	1335	2139
1351	2035	1455	2147
1415	2051	1519	2203
1431		1535	

Route No. 542

Departure Time

Malviya Nagar F-Block to New Seema Puri		New Seema Puri to Malviya Nagar F-Blk	Anand Vihar ISBT to Malviya Nagar
0744	1550	0945	0914
0805	1825	1645	
1110	1910	1730	
1505			

Note:- Bold Trips Malviya Ngr. F-Blk to A. V. ISBT

Route No. 544

Departure Time

Badar Pur Border to R. K. Puram Sec-1				R. K. Puram Sector -1 to Badar Pur			
1				2			
0528	1000	1520	1856	0600	1012	1528	1920
0544	1016	1528	1912	0616	1016	1544	1936
0616	1028	1532	1920	0632	1024	1548	1940
0632	1032	1536	1925	0648	1032	1552	1944
0640	1040	1544	1928	0652	1044	1600	1952
0656	1048	1548	1936	0704	1100	1604	1956
0708	1052	1552	1944	0708	1104	1608	2000
0716	1112	1600	1952	0712	1112	1616	2004

1				2			
0720	1118	1606	1956	0720	1116	1620	2008
0728	1124	1612	2000	0724	1120	1624	2016
0736	1128	1616	2008	0728	1128	1628	2020
0744	1136	1620	2016	0736	1132	1632	2024
0752	1144	1624	2020	0740	1140	1636	2032
0800	1152	1632	2024	0748	1144	1640	2036
0805	1156	1640	2032	0752	1152	1648	2040
0810	1200	1648	2040	0800	1156	1652	2044
0818	1208	1656	2048	0814	1208	1708	2052
0824	1216	1700	2052	0818	1224	1712	2104
0832	1224	1704	2056	0828	1228	1720	2108
0836	1228	1712	2104	0832	1232	1724	2112
0844	1232	1728	2120	0840	1238	1728	2116
0848	1240	1732	2124	0848	1243	1736	2120
0852	1244	1736	2136	0852	1256	1744	2128
0856	1256	1744	2140	0900	1302	1750	2132
0904	1300	1748	2152	0904	1312	1756	2136
0908	1312	1752	2156	0912	1328	1800	2144
0912	1316	1800	2200	0920	1336	1808	2152
0920	1324	1804	2208	0928	1344	1816	2208
0924	1328	1812	2216	0936	1416	1824	2224

1				2			
0932	1408	1816	2224	0944	1432	1832	2240
0936	1424	1820	0948	1440	1840		
0944	1448	1824		0952	1456	1848	
0952	1456	1832		1000	1512	1904	
0956	1512	1840		1008	1516	1908	

Note:- Bold Trips means Non AC Buses

Route No. 544A

Departure Time

RK Puram Sec-1	Nehru Place Terminal
0815	1730
0915	1900

Route No. 548

Departure Time

Hamdard Nagar to Minto Road Terminal	Minto Road Terminal to Hamdard Ngr.
0830	1010
1210	1350
1620	1800
2000	2140

Route No. 605

Departure Time

Vasant Kunj C-9 to Mori Gate Terminal		Mori Gate Terminal to Vasant Kunj C-9	
0800	1605	0945	1800
0820	1625	1005	1820
0840	1645	1025	1920
0900	1735	1045	2130
0940	1950	1125	2150
1150	2010	1335	2210
1250	2030	1535	
1400	1740		

Route No. 610

Departure Time

R. K. Puram Sector -1 To Wazir Pur Depot/ Anand Parvat			W. Pur Depot to R. K. Puram Sec-1		Anand Parvat to R. K. Puram Sec-1	SND to Anand Parbat
1			2		3	4
0625*	1210	1852	0540	1424	0735	0900
0720	1222	1912	0605	1445	0805	0930
0735*	1233	1932	0615	1506	0835	1410
0745	1254	1942*	0622	1527	0855	1555

1			2		3	4
0750	1305*	2000	0643	1548	0925	1615
0755	1310**	2007	0704	1558	1020	Kendriya (T) to R. K. Puram Sec-1
0802	1315	2014	0725	1609	1143	1255
0813	2035	0736	1630	1153	1405	
0823	1500	2056	0756	1651	1220	1800
0835	1522	2107**	0807	1712	1505	1815
0844	1532*	2117	0815	1732	1515	2002
0855*	1550	2127*	0828	1800	1647	
0905	1604	2138	0849	1814	1700	
0910*	1610	2143	0910	1825	1720	
0916	1615*	2148*	0930	1835	1730	
0936	1625	2159	0938	1856	1750	
0945*	1635*	2220	0945	1917	1917	
1000	1646	2241	1002	1938	1940	
1007	1707	2302	1012	1948	1955	
1028	1728		1022	1959	2057	
1038*	1738		1033	2020	2240	
1049	1749		1054	2041	2302	

1		2		3	4
1100	1802*	1115	2102		
1110	1810	1126			
1130	1820*	1310			
1142	1831	1342			
1150	1841*	1405			
1202**		1415			

Note:- * (Star) Trip Operated Between R. K. Puram Sec-1 to Anand Parvat,
** (Double Star) Trip Operated between R. K. Puram Sec-1 To Kend. Terminal Bold trips means Anand Parvat to SND

Route No. 610A
Departure Time

Anand Parvat to R. K. Puram Sec-1		R. K. Puram Sec-1 to Anand Parvat	
0535	1315	0700	1430
0820	1600	0839	1721
1012	1842	1015	2045

Route No. 611

Departure Time

Mayur Vihar Phase-III To Dhaula Kuan			Dh. Kaun To Mayur Vihar Ph-III		R. K. Puram Sec-1 To Mayur Vihar Ph-III	
1			2		3	
0542	1125	1640	0603	1427	0727	2013
0556	1143	1708	0631	1523	0742	2031

1			2		3	
0610	1146	1715	0659	1530	0755	2059
0624	1200	1722	0727	1551	0851	2127
0638	1211	1736	0741	1605	0919	2140
0706	1214	1750	0755	1619	0947	2155
0720	1228	1754	0809	1647		1015
0734	1242	1804	0823	1715		1111
0748	1256	1808	0837	1743		1139
0752	1310	1818	0851	1750		1235
0802	1324	1832	0919	1757		1331
0813	1338	1846	0933	1811		1359
0816	1352	1900	0947	1825		1427
0830	1356	1914	0958	1853		1500
0841	1406	1928	1015	1900		1523
0858	1420	1942	1026	1907		1537
0912	1424	1956	1043	1935		1551
0926	1434.	2000	1057	1942		1633
0930	1502	2005	1111	1952		1715
0940	1530	2010	1118	2059		1743
0954	1544	2014	1139	2127		1755
0958	1558 -	2024	1150	2031		1811
1008	1602	2038	1218	2155		1907

1			2	3
1026	1612	2106	1235	1935
1036	1616	2120	1303	2003
1050	1620	2148	1331	
1104	1626	2216	1359	
1118	1630	1413		

Note:- Bold Trip means Mayur Vihar Ph-III to R. K. Puram

Route No. 615

Departure Time

Purvanchal Hostel to Minto Road (T)			Minto Road Terminal to Purvanchal Hostel		
1			2		
0555	1120	1625	0700	1200	1720
0615	1130	1635	0720	1210	1740
0635	1140	1645	0730	1225	1750
0655	1150	1655	0740	1235	1800
0715	1200	1705	0800	1245	1810
0735	1210	1715	0820	1255	1820
0745	1230	1745	0850	1305	1830
0755	1250	1755	0900	1315	1900
0805	1310	1815	0910	1335	1910
0815	1330	1835	0920	1355	1930

1			2		
0825	1355	1850	0930	1415	1950
0845	1415	1920	0940	1435	2005
0855	1425	1930	0950	1500	2035
0905	1435	1940	1000	1520	2045
0915	1445	1950	1010	1530	2055
0935	1455	2000	1020	1540	2105
0950	1505	2010	1030	1550	2115
1005	1525	2040	1050	1600	2125
1015	1535	2050	1100	1610	2145
1025	1555	2110	1120	1630	2155
1045	1605	2120	1130	1640	2215
1100	1615		1140	1700	2225
				1710	

Note:- Bold Trips means AC Buses operation & Time 0720, 1100, 1130, 1245 & 1305 hrs Minto Road to Munirika

Route No. 620

Departure Time

Hauz Khas to Shivaji Stadium		Shivaji Stadium to Hauz Khas	
1		2	
0600	1420	0705	1525
0620	1430	0715	1535
0640	1440	0725	1545

1		2	
0720	1500	0745	1605
0740	1520	0805	1625
0800	1540	0830	1705
0810	1600	0855	1715
0830	1610	0915	1725
0850	1620	0925	1735
0900	1630	0945	1805
0920	1640	1005	1825
0940	1650	1015	1845
1010	1710	1035	1905
1030	1730	1055	1925
1050	1810	1125	2005
1100	1850	1145	2015
1110	1900	1215	2025
1120	1910	1225	2045
1140	1940	1235	2055
1150	2000	1245	2115
1230	2020	1255	2135
1250	2040	1335	2155
1305	2100	1355	2215
1400		1505	
1410		1515	

Note:-Bold Trips means AC Buses operation

Route No. 621

Departure Time

Poorvanchal Hostel to Mori Gate (T)	Mori Gate Terminal to Poorvanchal Hostel		Munirka to Mori Gate (T)
0600	0735	1710	1500
0855	0805	1930	1920
0935	0900	2000	
101'/	1040	2030	
1120	1130	2055	
1400	1155		
1430	1540		
1530	1610		
1740	1640		
1810			
1850			

Note:- Bold Trip 1155 Mori Gate (T) to Shahjahan Road & 1040, 1130, 1930, 2000 Mori Gate (T) to Munirika

Route No. 623

Departure Time

Vasant Vihar CPWD Colony to Shahdara (T)				Shahdara Terminal to CPWD Cly. Vasant Vihar			
1				2			
0528	0940	1434	1816	0519	1001	1413	1807
0540	0946	1440	1822	0549	1013	1449	1843

1				2			
0552	0952	1446	1828	0625	1019	1501	1855
0604	0955	1452	1834	0713	1049	1507	1901
0616	0958	1504	1840	0725	1058	1513	1907
0628	1010	1516	1846	0731	1101	1525	1913
0640	1016	1534	1904	0737	1107	1531	1919
0646	1022	1546	1916	0749	1119	1537	1925
0652	1028	1552	1922	0755	1131	1549	1931
0658	1034	1558	1928	0801	1143	1555	1943
0704	1040	1610	1940	0807	1149	1601	1949
0710	1052	1622	1946	0810	1155	1607	1955
0734	1058	1634	1952	0813	1200	1613	2001
0740	1110	1646	2028	0825	1201	1619	2007
0752	1122	1652	2040	0830	1207	1625	2013
0804	1128	1658	2052	0831	1219	1631	2019
0810	1146	1704	2104	0837	1225	1637	2025
0816	1158	1710	2116	0843	1231	1643	2031
0828	1204	1716	2128	0849	1237	1649	2037
0840	1210	1722	2140	0855	1243	1655	2043
0849	1234	1734	2152	0907	1249	1701	2049
0852	1240	1740	2218	0913	1319	1719	2055
0858	1243	1746	2230	0925	1331	1731	2113

1				2			
0910	1322	1752		0937	1349	1737	2125
0916	1346	1758		0943	1355	1743	2137
0922	1410	1804		0949	1407	1755	2149
0934	1422	1810				1801	2201

Route No. 623

Departure Time

Vasant Vihar CPWD Colony to Anand Vihar ISBT		Anand Vihar to Vasant Vihar CPWD Colony	
0637	1417	0815	1555
0702	1442	0840	1620
0727	1507	0905	1645
0757	1537	0935	1715
1017	1757	1155	1935
1042	1822	1220	2000
1107	1847	1245	2025
1137	1917	1315	2055

Route No. 623B

Departure Time

Vishwas Nagar Terminal (CBD Ground)		Vasant Kunj C-9	
1		2	
0730	1830	0650	1620
0800	1900	0905	1935

1	2	
0830	0935	1950
0905	1040	2040
1730	1145 upto Delhi Gate	2100
1800	1550	

Route No. 680

Departure Time

Ambadkar Nagar Sector-4 to Kend. Terminal			Kend. Terminal to Ambadkar Ngr. Sec-4		Munirka
1			2		3
0600	1150	1655	0815	1625	0645
0640	1210	1715	0840	1715	0715
0710	1250	1745	0905	1725	1255
0740	1325	1800	0930	1750	1335
0800	1410	1825	0945	1815	1505
0820	1420	1845	1015	1840	1525
0845	1435	1905	1050	1910	1550
0905	1445	1935	1125	1925	1620
0940	1500	2000	1150	2005	1740
1005	1530	2025	1215	2020	2135
1030	1550	2045	1245	2030	2145

1			2		3
1055	1605	2055	1315	2100	2235
1120	1625	2150	1530	2120	2300
1140	1640	2220	1605	2145	

Route No. 711A

Departure Time

Uttam Nagar (T) to Sarai Kalekhan ISBT		Sarai Kalekhan ISBT to Uttam Nagar (T)
0605	1445	0750
1115	1935	1150
1220 upto S. J. Hosp.		1320
1333 upto S. J. Hosp.		2120

Route No. 724C

Departure Time

Kalkaji DDA Flats (Alaknanda)	Uttam Nagar Terminal to
0807	0951
0848	1217
1130	1835
1651	2215

Note:- Bold Trips means Kalkaji DDA Flats to Dhaula Kuan

Route No. 725

Departure Time

Inder Purl Krishi Kunj to Mehrauli	Maya Puri Depot to Mehrauli	Mehrauli to Inder Puri Krsihi Kunj	
0740	1410	0820	1830
0800	1445	0840	1900
0900	1520	0910	1940
0930	1600	0935	2020
1010	1630	1030	2100
1030	1700	1100	2130
1100		1152 upto Kend. (T)	2200
1130		1230	2230
1230 Upto Udyog Bhawan		1255 upto S. J. Airport	
1310		1300	
1740		1450	
1820		1600	
1900		1640	
1940		1700 upto K. Bhawan	
2020		1720	
2100		1800	

Note:- Bold Trips means Mehrauli to Maya Puri Depot.

Route No. -764

Departure Time

Najafgarh (Sai Baba Mandir) to Nehru Place (T)			Nehru Place Terminal to Najafgarh (Sai Baba Mandir)				Dwarka -8 to Nehru Place	Madhu Vihar to N. Place
1	2		3				4	5
0550	1010	1720 AC	0600	1010	1400	1920 AC	0455 AC	1140
0600	1035 AC	1725	0615 AC	1015 AC	1415 AC	1925	0515 AC	1600
0610	1055 AC	1735	0635 AC	1020	1420 AC	1935	0535 AC	1610
0630	1100	1740 AC	0655 AC	1030	1425 AC	1940 AC	0555 AC	1950
0650	1115 AC	1745	0715 AC	1040	1432	1945	0615 AC	
0700 AC	1130	1755	0720 AC	1050	1435	1955	0635 AC	
0720 AC	1155AC upto Munirika	1800 AC	0735 AC	1100	1440 AC	2000 AC	0655 AC	
0725	1200	1815	0755 AC	1105	1450	2005	0715 AC	
0730	1205 AC	1820 AC	0815 AC	1110 upto Dwarka	1455 AC	2015	0815	

1	2			3			4	5
0740	1210 upto Munirika	1835	0830	1115 AC	1500 AC	2020 AC	0835 AC	
0745 AC	1215	1840 AC	0835 AC	1120	1520 AC	2025	1300 AC	
0750	1235 AC	1845	0840	1130	1540 AC	2035	1320 AC	
0800	1245	1855	0850	1135 AC	1600 AC	2040 AC	1340 AC	
0805 AC	1345	1900 AC	0900	1140	1620 AC	2050 AC	1400 AC	
0810	1355	1915	0905	1155 AC	1630	2055	1420 AC	
0815	1410	1920 AC	0910	1210	1640 AC	2100 AC	1440 AC	
0825	1415	1925	0915	1215 AC	1652	2105	1500 AC	
0830	1435	2005	0925 AC	1220 AC	1700	2115	1520 AC	
0835 AC	1455	2010	0930	1230	1715	2120 AC	1620	
0850	1525	2035 AC upto	0935	1235 AC	1730	2125	1630	
0855 AC	1535 AC	2040 AC	0938	1250	1735	2135	1640 AC	

1	2				3		4	5
0900	1545	2050	0940 AC	1255 AC	1755	2140 AC	1650	
0910	1610	2105 upto Munirika	0943 AC	1300 AC	1800 L. Spl.	2155	Dwarka More to N. Place (T)	
0915 AC	1620		0945	1308	1802 AC	2205	0440	
0930	1640		0950 AC	1310	1807	2215 AC	0555	
0935 AC	1655		0955 AC	1315 AC	1820	2230	0820 L. Spl.	
0950	1700 AC	0958	1330	1830 AC	2245	1145		
0955 AC	1705	1000	1335 AC	1850	2300 AC	1310		
1000 AC	1715	1005	1340	1910	2310	1600		

Note:- Bold trips means Nehru Place Terminal to Madhu Vihar

Route no 765

Departure Time

Bakkarwala J. J. Colony (LokNayak Puram)	Hauz Khas (T)
0640	1800
0820	

Note: Bold Trips means operating Low Floor Buses

Route No. OMS (+) (-)

Departure Time

Uttam Nagar Terminal OMS (+)		Uttam Nagar Terminal OMS (-)	
1		2	
0410	1300	0425	1300
0440	1310	0455	1315
0510	1320	0510	1330
0530	1330	0525	1340
0540	1340	0555	1345
0600	1350 upto LP. Ngr.	0610	1400
0610	1400	0625	1415
0630	1410	0640	1425 upto S. Kale. lSBT
0640	1420	0655	1445
0700	1430	0725	1500
0710	1440	0735 upto A. V. ISBT	1515
0740	1450	0740	1525 upto Qutab Hotel
0800	1500	0755	1535
0805 upto D. Kuan	1530	0810	1545

1		2	
0810	1550	0825	1600
0840	1600	0845	1615
0850	1620	0855	1635
0910	1630	0925	1645
0940	1650	0955	1700
1010	1700	1025	1715
1040	1715	1055	1735
1110	1730	1115	1745
1130	1800	1145	1815
1200	1830	1215	1835
1230	1245		

Route No. OMS (+) AC

Departure Time

R. K. Puram Sec-1 (-)		Anand Vihar ISBT (+)	
0610	0830	0845	1105
0640	1430	0915	1705
0725	1500	1000	1735
0740	1815	1015	2110
0800	1035		

Route No. OMS (+) AC

Departure Time

Madhuban Chowk (+)		Ambedkar Nagar (T) (-)	
0610	0850	1000	1240
0630	1430	1020	1820
0650	1450	1040	1840
0710	1510	1100	1900
0730	1530	1120	1920
0740	1550	1130	1940
0750	1610	1140	2000
0800	1630	1150	2020
0810	1650	1200	2040
0820	1710	1210	2100
0830	1220		

Route No. OMS (+) (-)

Departure Time

OMS (+) 08 Buses Anand Vihar I. S. B. T. to Anand Vihar ISBT		OMS (-) 07 Buses Anand Vihar I. S. B. T. to Anand Vihar ISBT	
1		2	
0428	1300	0428	1348
0444	1348	0500	1452

1		2	
0500	1444	0636	1524
0548	1500	0900	1612
0628	1540	1004	1824
1228	1716	1228	
1244		1300	

213. श्री राजेश ऋषि : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिहाड़ जेल के अहाते में कितने फ्लैट्स हैं और इनकी सफाई के लिए कौन जिम्मेदार हैं;

(ख) तिहाड़ जेल में बना समुदाय केन्द्र और टेनिस कोर्ट के रख-रखाव का दायित्व किसका है;

(ग) इस परिसर के टेनिस कोर्ट को कब तक खेलने लायक बना दिया जायेगा;

(घ) तिहाड़ जेल में कितने चिकित्सक और कितने चिकित्सा कर्मचारी हैं; और

(ङ) तिहाड़ जेल में कितने बिस्तरों का चिकित्सालय हैं और कितने औषधालय हैं?

परिवहन मंत्री : (क) तिहाड़ जेल परिसर में कुल 743 फ्लैट्स हैं। फ्लैट्स की सफाई की जिम्मेदारी आबंटी (allottee) की है।

(ख) तिहाड़ जेल में बना समुदाय केन्द्र और टेनिस कोर्ट के रख-रखाव की जिम्मवारी लोक निर्माण विभाग की है।

(ग) आवासियों के अनुरोध पर तिहाड़ जेल परिसीमा में समुदाय केन्द्र में टेनिस

कोर्ट के रख-रखाव हेतु आवश्यक प्राक्कलन व्यय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विचारणीय है।

(घ) तिहाड़ जेल में 48 चिकित्सक और 114 चिकित्सा कर्मचारी हैं।

(ङ) तिहाड़ जेल में 120 बिस्तरों का चिकित्सालय और तिहाड़ परिसर के प्रत्येक जेल में एक-एक औषधालय भी है जो कि मेडिकल निरीक्षण कक्ष से सज्जित है।

214. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका सम्पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ग) क्या कैदियों को काम-काज सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो किस-किस कला और विधि का प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ङ) कैदियों द्वारा तैयार किए गए सामान को बेचने की क्या व्यवस्था है;

(च) कैदियों को काम के बदले कितनी राशि दी जाती है; और

(छ) क्या प्रशिक्षित कैदियों को कैद से छूटने पर जीवन में स्थापित होने के लिए आर्थिक सहायता अथवा नौकरी की व्यवस्था की जाती है।

गृह मंत्री : (क) से (घ) जी हां,।

जेलों में कैदियों को सुधारने हेतु एवं उनके मानसिक, शैक्षिक व बौद्धिक कौशल विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जेल प्रशासन द्वारा दिल्ली की जेलों में चलाये जा रहे हैं जैसे कि शैक्षिक सुविधाएं, तकनीकी प्रशिक्षण, नैतिक एवं आध्यात्मिक

शिक्षा, योगा एवं मेडिटेशन, परामर्श सुविधाएं, रोजगारजनित कार्यक्रम, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, विधि सेवाएं एवं कम्प्यूटर सेवाऐं, बालगृह एवं नारी सशक्तिकरण एवं उत्थान इत्यादि। इनका विवरण इस प्रकार है:

1. दिल्ली की जेलो में त्रिस्तरीय शिक्षा बंदियों को प्रदान की जाती है। पहले स्तर में 'पढ़ो और पढ़ाओं' के कार्यक्रम द्वारा निरक्षर बंदियों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाती है। मध्यम स्तर पर 'राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान' (NIOS) द्वारा बंदी भाईयों को माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा बंदी भाइयों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है।

2. बंदियों को सुधारने एवं जेल से छूटने के बाद पुर्नवास के उद्देश्य से बंदी भाईयों को जेल में रहने के दौरान जेल प्रशासन कई स्व-सहायता समूह एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से बंदियों को विभिन्न व्यावसायिक कोर्स सिखा रहा है जैसे:-

    1. कम्प्यूटर साक्षरता
    2. इंगलिश स्पीकिंग कोर्स
    3. चित्रकला,
    4. पेन्टिंग,
    5. डांस,
    6. सिलाई और बुनाई
    7. जूट के उत्पाद,
    8. मिट्टी के बर्तन बनाना,

9. कृत्रिम ज्वैलरी बनाना,

10. एल.ई.डी. बल्ब बनाना,

11. बेकरी का समान बनाना,

12. बढ़ई का काम

13. शिल्प–कला

14. जूते बनाना

15. प्लम्बर

16. इलैक्ट्रिशियन

17. संगीत

18. कठपुतली बनाना

19. बैग बनाना

20. जिन्स की पैंट सिलना

21. टेलरिंग आदि।

3. दिल्ली के जेलों में चलाई जाने वाली ध्यान एवं आध्यात्मिक गतिविधियां बंदी भाईयों के सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। बंदी भाईयों को विभिन्न धर्मों की शिक्षा देने के लिए जेल प्रशासन का कई गैर–सरकारी संस्थाएं भी सहयोग दे रही हैं।

(ङ) कैदियों द्वारा तैयार किए गया सामान 'टी.जे.' के मार्क से दिल्ली की सभी अदालत परिसरों में खोले गए तिहाड़ आउटलेट्स में बेचा जाता है। तिहाड़ परिसर में तिहाड़ एम्पोरियम एवं तिहाड़ हाट में भी इन उत्पादों को बेचा जाता है।

(च) सजायाफ्ता बंदियों को काम के बदले दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन दिया जाता है जो कि निम्न प्रकार से है:

कुशल	–	361 रु.
अर्ध–कुशल	–	328 रु.
अकुशल	–	297 रु.

उपरोक्त वेतन में से बंदियों के रख–रखाव में आने वाले खर्च (Rs. 190/-) एवं विक्टिम वेलफेयर फंड (25%) की कटौती के बाद दिया जाता है।

(छ) जेल में रहने के दौरान प्रशिक्षित कैदियों को कैद से छूटने पर जीवन में स्थापित होने के लिए दिल्ली सरकार के समाज–कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक सहायता की अनुदान राशि भी दी जाती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	सजा की अवधि	पुर्नस्थापन अनुदान राशि
1.	6 महीने से 5 साल तक की कैद वाले बंदियों को	30,000 रुपये
2.	5 साल से 10 साल तक की कैद वाले बंदियों को	40,000 रुपये
3.	10 साल से अधिक कैद वाले बंदियों को	50,000 रुपये

215. सुश्री अलका लाम्बा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे नशे के कारोबार के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) अब तक कितने नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार की तरफ से कोई नीति बनाई जा रही है; और

(घ) दिल्ली में अब तक कितने सरकारी नशा मुक्ति केन्द्र हैं और उनमें कितनों का इलाज हो सकता है?

गृह मंत्री : (क) दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2014, 2015, 2016 व 2017 (31.7.2017 तक) एक्साईज एक्ट के तहत दर्ज किये गये मुकदमों का ब्यौरा परिशिष्ट–'क' पर सलंग्न है तथा वर्ष 2014, 2015, 2016 व 2017, (31.07.2017 तक) में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किये गये मुकदमों का ब्यौरा परिशिष्ट–'ख' पर सलंग्न है। नशीले एवं मादक पदार्थों का सेवन व खरीद फरोख्त से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिये दिल्ली पुलिस द्वारा उठाये गये कदम निम्न हैं:–

1. नशीले एवं मादक पदार्थों की तस्करी व सेवन करने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये प्रभावी निगरानी रखी जा रही है।

2. नशीले एवं मादक पदार्थों की तस्करी व सेवन करने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु जनता का सहयोग ''पुलिस की आंख व कान योजना'' के माध्यम से लिया जा रहा है।

3. संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखने हेतु एकीकृत पुलिस जांच की जा रही है।

4. इलाकों पर नज़र रखने के लिए बीट व डिवीजन अफसरों को अलर्ट कर दिया गया है। नशीले एवं मादक पदार्थों के सेवन व तस्करी में संलिप्त लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

(ख) दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा द्वारा नशे के कारोबार में संलिप्त व नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने वाले दल के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिसका विवरण परिशिष्ट–'ग' में संलग्न है।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ पर राष्ट्रीय नीति बनाई है जिसके अनुसार कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है।

(घ) सरकार के व्यसन केन्द्र की सूची एवं उनकी क्षमता का ब्यौरा परिशिष्ट 'घ' पर सलंग्न है।

परिशिष्ट क

CASES REPORTED AND RECOVERY MADE UNDER EXCISE ACT IN DELHI

Years	No. of Cases Reported	No. of Persons Arrested	Recoveries (In Bottles)		
			Country Made Liquor	IMFL	Beer
2014	1408	1460	174360	35807	4422
2015	1967	2021	279305	55654	6929
2016	2356	2454	350306	101773	18809
2017*	1626	1638	302647	52975	7338

* Upto 31st Jul.

Disposal of cases and persons arrested

EXCISE ACT

Year	Cases										Persons						
	Rep.	Can.	Adm.	W/ Out.	Challa- ned	Conv.	Acq.	P.T.	P.I.	Untra- ced	Arres- ted	Challa- ned	Conv	Acq.	P.T.	P.I	Discha- rge
2014	1408	0	1408	1347	1125	24	36	1065	251	32	1521	1288	26	37	1225	231	
2015	1967	0	1967	1843	1351	21	6	1324	582	34	2082	1550	25	4	1521	507	25
2016	2356	I	2355	2218	825	8	0	817	1372	158	2463	899	8	0	891	1553	1 1
2017*	1626	0	1626	1509	62	0	0	62	1564	0	1638	71	0	0	71	1567	0

upto 31. 07. 2017

Cases Registered, Persons Arrested and Seizures of NDPS Act for the years 2013 to 2017

Years	Cases Regis-tered	Persons Arrested	Charas (In Kgs.)	Opium (In Kgs.)	Ganja (In Kgs.)	Smack/ Heroin (In Kgs.)	Poppy Heal (In Kgs.)	Phenobar-bital (In Kgs.)	Crude Metham-phetmine (In Kgs.)	Cocain (In Kgs.)	AHC (In Liters)	LSD LSD/ Injec-tion	Ephed-rine (In Kgs.)	Cod-ene Syrup Tab.	Hpx Alprex Tab.	Ecst-asy Tab	Mephe drone (Meow-Meow)	MD MA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2014	322	409	37675	39.500	1782.153	133.383	179.070	15.000	9.000	4.383	-	0.034	72.900	15606 Bottle	32Tab Add-rriok N 0.390 ml.Pak Avil			
2015	277	354	60071	48.610	3763.679	35.258	528.100	-	0.183	2.158*	-	0.009	50 200	-	0.009 Psycho-tropic. 51019M. Powder, 1000 Alpra-zolam	0.009		
2016	297	383	42049	201.881	5465.808	25.683	600.000	1.000	-	1.142	-	-	50.000	-	10000 Alpra-zolam		14.250	
2017*	225	296	34.318	9.650	648.097	35.527	5490.400	-	-	0712+46 capsules	-	42	22 500	-	-	25.852	4.830	

* Upto 3ls July.

Disposal of cases and persons arrested

NDPS Act

Year	Cases										Persons						
	Rep.	Can.	Adm.	W/ Out.	Challa- ned	Conv.	Acq.	P.T.	P.I.	Untra- ced	Arres- ted	Challa- ned	Conv	Acq.	P.T.	P.I	Discha- rge
2014	322	0	322	316	298	68	5	225	21	3	410	384	73	4	307	22	4
2015	277	0	277	273	254	19	J	232	V 19	4	401	366	16	14	336	34	1
2016	297	0	297	277	192	1	0	191	105	0	379	264	1	0	263	107	8
2017*	225	0	225	224	10	0	0	10	215	0	296	18	0	0	18	278	0

* upto 31. 07. 2017

Details of cases of NDPS Act reported by Delhi Police during the years 2014, 2015, 2016 and 2017 (upto 31. 07. 2017)

Year	Case Reported	Person Arrested	Present Position		
			Pending Investigation	Pending Trial	Conviction
2014	46	69	00	45	01
2015	64	109	00	63	01
2016	73	103	08	65	00
2017 (upto 31.07)	33	49	20	13	00

Details of cases of Excise Act reported by Delhi Police during the years 2014, 2015, 2016 and 2017 (upto 31. 07. 2017)

Year	Case Reported	Person Arrested	Present Position	
			Pending Investigation	Pending Trial
2014	00	00	00	00
2015	04	08	02	02
2016	05	09	03	02
2017 (upto 31. 07)	05	07	05	00

List of Druq de-addiction Centres in Delhi

Sl. No	Centre Run by the Government	Capacity
1	National Drug Dependence Treatment Centre, All India Institute of Medical Sciences, Kamla Nehru Nagar. CGO Complex, Gaziabad. Ph; 25588223, 26588663	50
2	De-addiction Centre, Dept. of Psychiatry, park street, or Ram manoharlohiahosp.. NEWDELHI-01. ph: 23365525	12

Sl. No	Centre Run by the Government	Capacity
3	Deptt. Of Psychiatry. Safdarjang Hospital Phone: 26198481	10
4	Institute of Human Behavior and Allied Sciences, Dilshad Garden, Delhi- 110 0095 ph - 22112136, 22583056	60
5	Sahyog Detox Centre run by the Deptt. of Women & Child Development OHB-II SewaKutir, Delhi. (Admission through CWC)	80 (Average strength)
6	GB Pant Hospital, Delhi Gate-De-addiction Clinic, Room 4 Psychiatry OPD, Ground Floor, 2 pm, Every Wednesday	5
7	Deen DayalUpadhyaya Hospital, Hari Nagar-De-addiction Clinic, Room No. 5 D, Psychiatry OPD, First Floor, 9-12 am, Every Monday	5
8	Dr. Baba SahebAmedkar Hospital (BSA). Rohini Sector VI Deaddiction Clinic. Room No. 1032-1035, Basement, Psychiatric Dept, 2-4 pm (Every Monday)	5
9	Pt. Madan Mohan Malviya Hospital, Malviya Nagar-Deaddiction Clinic, Psychiatry OPD, 2nd floor, 9 am-1 pm,daily	5
10	Deep Chand Bandhu Hospital, Ashok Vihar Phase IV, Near Bharat Nagar Police Sration-30 bedded model Deaddiction facilityi	30
11	Lal Bahadur Shastri Hospital, Khichripur- 5 beds earmarked besides outpatient Deaddiction facility.	5
12	Sahyog Detox Centre run by the Deptt. of Women & Child Development OHB-II SewaKutir, Delhi. (Admission through CWC)	30

District Mental Health Clinics of IHBAS

1.	Delhi Govt Dispensary, Sec 12. Dwarka, District Mental Health Program Center - Wed/Fri/Sat from 10:00 am to 01:00 pm. Team from IBHAS deputed there.	OPD
2.	Delhi Govt Dispensary Timarpur, Monday, Thursday and Friday, timing 10 am to 12:30 pm.	OPD
3	Delhi Govt Dispensary Chattarpur, Monday, Thursday and Saturday from 10:00 am to 12:30 pm	OPD
4	Babu Jagjivan Ram Hospital: Wednesday and Friday from 9:00 am to 5:00 pm.	OPD

216. सुश्री भावना गौड : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा क्षेत्र में गली-मौहल्लों और सड़कों पर, पहले की अपेक्षा, अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) पालम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से जून, 2017 तक चकारी, मोबाईल एवं चेन स्नेचिंग, बलात्कार, डकैती एवं हत्या की कितनी घटनायें हुई हैं;

(ग) अपराधिक घटना में होने वाली वृद्धि को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा पालम विधानसभा क्षेत्र में दर्ज मुकदमों तथा उन पर की गई कार्रवाई का वर्ष 2013 से 2017 (30.06.2017 तक) ब्यौरा परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस द्वारा अपराध को नियंत्रण करने हेतु उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-'क'

परिशिष्ट-'अ'

पालम विधानसभा क्षेत्र में वर्ष: तक घटित अपराधों का ब्यौरा निम्न है 2013 से जून 2017

Year	Head	Rep.	Can	Adm	W/o	Ch.	Con	Acq	P.T.	P.I.	Unit	P.A.	Ch.	con	Acq	P.T.	P.I.	Dis
2013	चकोरी/चोरी	153	3	150	43	38	11	3	24	0	112	79	62	16	7	33	0	23
	मोबाइल स्त्रेचिंग	9	0	9	5	5	1	2	2	0	4	7	7	2	2	3	0	0
	चैन स्त्रेचिंग	9	0	9	5	4	0	1	3	0	5	7	6	0	1	5	0	1
	बलात्कार	17	1	16	16	16	0	8	8	0	0	21	21	0	12	9	0	0
	डकेती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	हत्या	7	0	7	5	5	0	0	5	1	1	10	10	0	0	10	0	0
2014	चकोरी/चोरी	359	4	355	48	32	1	18	23	21	292	67	56	1	22	33	4	7
	मोबाइल स्त्रेचिंग	20	0	20	5	3	1	0	1	0	16	9	6	3	0	3	1	2
	चैन स्त्रेचिंग	48		0	48	4	2	1	0	1	0	46	5	3	1	0	2	0
2																		
	बलात्कार	26	0	26	24	21	1	2	18	5	0	33	30	3	4	23	3	0
	डकेती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	हत्या	5	0	5	5	5	0	1	4	0	0	15	15	0	2	9	0	4

2015	चकोरी/चोरी	635	24	611	50	49	8	10	31	38	524	82	80	16	15	49	0	8
	मोबाइल स्त्रेचिंग	14	0	14	2	2	0	0	2	5	7	2	2	0	2	0	0	0
	चैन स्त्रेचिंग	56	0	56	6	2	0	0	2	10	44	7	6	0	0	6	1	0
	बलात्कार	29	2	27	27	27	0	6	21	0	0	28	28	0	7	21	0	0
	डकेती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	हत्या	6	0	6	6	5	0	0	5	1	0	7	5	0	0	5	2	0
2016	चकोरी/चोरी	1313	256	1057	183	74	3	5	66	441	542	247	88	3	5	80	107	52
	मोबाइल स्त्रेचिंग	24	0	24	9	4	0	0	4	8	12	12	4	0	0	4	5	3
	चैन स्त्रेचिंग	37	0	37	17	3	0	0	3	10	24	15	3	0	0	3	10	2
	बलात्कार	33	1	32	22	19	0	1	18	13	0	22	19	0	1	18	13	0
	डकेती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	हत्या	6	0	6	4	4	0	0	4	2	0	12	12	0	0	12	0	0
2017	चकोरी/चोरी	309	107	202	10	2	0	0	2	156	44	15	2	0	0	2	13	0
(upto	मोबाइल स्त्रेचिंग	9	0	9	2	0	0	0	0	7	2	2	0	0	0	0	2	0
30.06.	चैन स्त्रेचिंग	32	0	32	15	0	0	0	0	28	4	15	0	0	0	0	10	5
2017)	बलात्कार	15	0	15	10	7	0	0	7	8	0	12	8	0	0	8	4	0
	डकेती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	हत्या	7	0	7	6	4	0	0	4	3	0	12	9	0	0	9	3	0

परिशिष्ट 'ख'

अपराध नियंत्रण हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा निम्न है:-

(ए) स्ट्रीट क्राइम जैसेकि लूटमारी व छीना-झपटी की रोकथाम हेतु रणनीति:-

पिकेट्स पर जांच की सक्रिय व्यवस्था

- ★ एसडीपीओ/सम्बन्धित एसीपी द्वारा आपराधिक घटनाओं का विश्लेषण समय व क्षेत्र के हिसाब से दैनिक आधार पर किया जाता है।
- ★ चिन्हित क्षेत्रों में ऐसे मार्गों की जांच को सुनिश्चित किया जाता है जहां से अपराधियों के भाग निकलने की संभावना रहती है।
- ★ ऐसे स्थानों पर Pickets बनाए जाते हैं जो अपराध संभावित क्षेत्र में आते हों या जहां पिछले एक सप्ताह में अपराध की घटनाएं हुई हों तथा Pickets लगाने के लिए स्थानों को इस तरह से चुना जाता है कि अलग-अलग तिथि में अलग-अलग जगह कवर हो सकें।
- ★ इसी तरह, बीच-बीच में Pickets की जगह बदल दी जाती है ताकि उन स्थानों को भी कवर किया जा सके जहां पिछले एक सप्ताह में अपराध की घटनाएं हुई हों जाहं पहले Pickets नहीं लगाई गई हों।
- ★ अपराध की घटनाओं के अलावा, पीसीआर में आने वाली अपराध सम्बन्धित कॉलों के हिसाब से भी यह अंदाजा लगाया जाता है कि किन स्थानों से ऐसी कॉलें आ रही हैं, वहीं पर Pickets को लगाया जाता है।

* Pickets लगाने की सक्रिय व्यवस्था से जांच में एक नयापन आ जाता है जिससे 'अचानक निरीक्षण' की प्रक्रिया को बल मिलता है।
* उपलब्धता के अनुसार ट्रेफिक व पीसीआर के साथ मिलकर इन Pickets पर एकीकृत जांच की जाती है।
* मोटर-साइकिल व इमरजेन्सी रिस्पान्स व्हीकल द्वारा चेकिंग के लिए Halting Points बनाए गए हैं।
* दूर-दराज के इलाकों को कवर करने के लिए मोटर-साइकिल गश्त के लिए रूट बनाए गए हैं।
* Pickets स्टाफ को एसएचओ व अन्य निरीक्षक द्वारा निर्देश दिए जाते हैं।

2. **मोटरसाइकिलों की जांच, चालान व जब्ती :-**

* आंकड़े बताते हैं कि लूटमारी व छीना-झपटी के ज्यादातर मामले मोटरसाइकिलों पर ही किये गये हैं।
* ऐसे अपराधियों के रूप-रेखा तैयार करना एक बड़ा काम है, इसीलिए संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोककर जांच की जाती है। जरूरत पड़ने पर वाहनों को जब्त भी कर लिया जाता है।
* यातायात उल्लंघन जैसे कि हेलमेट न पहनना आदि पर चालान भी किया जाता है।
* यदि सब कुछ सही हो तो यह देखा जाता है कि कहीं मोटरसाइकिल सवार के पास कोई हथियार तो नहीं, सब कुछ सही होने पर उन्हें जाने दिया जाता है।

3. **अन्य कदमः**

* बीट पेट्रोलिंग सिस्टम पर जोर।
* पुलिस की उपस्थिति व गश्त को बढ़ाना।
* आपराधिक घटनाओं के हिसाब से संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करना।
* पुलिस की उपस्थिति के बढ़ाकर तुरंत प्रतिक्रिया समय देना।
* सक्रिय गिरोहों के बारे में जानकारी जुटाना।
* आपराधिक प्रवृति वाले लोगों की निगरानी करना।
* जेल से रिहा होने वाले या जमानत पर बाहर आने वालों पर नजर रखना।
* 'Eyes and Ears Scheme' के तहत अपराध नियंत्रण में जनता का सहयोग लेना।

बी. थानों की कार्यप्रणाली में सुधार

दिल्ली पुलिस का यह प्रयास रहा है कि निगरानी, जांच व सख्त कार्रवाई के माध्यम से थानों की कार्य प्रणाली में सुधार लाया जाए। थानों में निम्न स्तर पर सुधार हुए हैं:-

* शिकायतों का निबटारा।
* लम्बित जांच मामलों का निबटारा।
* जांच-पड़ताल निपटान।
* केस प्रोपर्टी का निपटान।
* POs के रिकॉर्ड्स को अपडेट करना।

- ⋆ उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान।
- ⋆ नई हिस्ट्रीशीट खोलना।
- ⋆ मौजूदा हिस्ट्रीशीट्स को अपडेट करना।

217. श्री अजय दत्त : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा अम्बेडकर नगर विधानसभा में छापे मारे गये;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त छापों में कितने मामलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई गई;

(ग) खाद्य पदार्थों में मिलावट के उपरोक्त मामलों में विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन सालों में अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में कुल 37 छापे मारे गये।

वर्ष	उठाये गए नमूने की संख्या
2014-15	13
2015-16	14
2016-17	10

जिसमें 2015-16 में दो सैम्पल में मिलावट पाई गई।

(ग) जिसमें एक के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, बाकी 1 के खिलाफ खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

(घ) उत्तर 'ग' के अनुसार लागू नहीं होता।

218. श्री प्रवीण कुमार : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कितने रेस्टोरेंट एवं दुकानों को वैद्य लाईसेंस दिया जाता गया है, इसका विवरण क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में कितनी दुकानें एवं रेस्टोरेंट बिना लाईसेंस के चल रही हैं एवं उनपर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) अभी तक मिठाई की कितनी दुकानों पर मिलावटी सामग्री उपयोग करने के जुर्म में कार्रवाई की गई है; और

(घ) जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में ऐसे मामलों को देख रहे अधिकारियों के कंटेक्ट डिटेल्स क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा रेस्टारेंट एवं दुकानों को अब तक खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत् 657 वैद्य अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) जारी और 1743 पंजीकृत किए गए हैं।

(ख) इस विभाग में खाद्य संरक्षा अधिकारी की अपर्याप्त संख्या होने के कारण, बिना खाद्य संरक्षा लाईसेंस से चलने वाले दुकानों एवं रेस्टोरेंट की सांख्यीक सर्वे नहीं हुआ है। परन्तु विभाग द्वारा, बिना लाईसेंस के दुकानों एवं रेस्टोरेंटो को लाईसेंस/पंजीकरण के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।

(ग) उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में मिठाई की दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं, परन्तु पिछले तीन साल में मिलावटी सामग्री नहीं मिलने पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

(घ) खाद्य संरक्षा उपायुक्त–23413490

219. सुश्री अलका लाम्बा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015–17 में भोजन में खराबी के कितने मामले विभाग के सामने आए;

(ख) कितने मामलों में खाने में खराबी पाये जाने के बाद एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई;

(ग) कितने मामलों में अब तक सजा हो पाई;

(घ) कितने मामलों अभी लंम्बित हैं; और

(ङ) समय पर कार्रवाई ना किए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) वर्ष 2015–17 में भोजन में मिलावट के मामले विभाग के सामने आए;

वर्ष	उठाये गए नमूनों की संख्या	मिथ्याछाप	अवमानक	असुरक्षित	अन्य उल्लंघन
1	2	3	4	5	6
2015 (जनवरी से दिसम्बर)	1680	101	41	73	33

1	2	3	4	5	6
2016 (जनवरी से दिसम्बर)	945	44	22	30	16
2017 (जनवरी से जून तक)	786	35	07	11	05
कुल	3411	180	70	114	54

(ख) विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराया जाता है, बल्कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के जांच-विश्लेषण के आधार पर सीधे संबंधित न्यायालय में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत शिकायत/मुकदमा दर्ज कराई जाती है। पिछले तीन वर्षों में 311 मुकदमें संबंधित न्यायालय में दर्ज कराए गए हैं।

(ग) अब तक इस अवधि में (01.07.2015 से 30.07.2017) संबंधित न्यायालयों द्वारा 204 शिकायतों/मुकदमों में सजा दी गई है।

(घ) अभी तक 434 शिकायतें/मुकदमें संबंधित न्यायालयों में लंबित है।

(ङ) बिना कारण विलम्ब/समय पर कार्रवाई न किए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाती है।

220. श्री गिरीश सोनी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) डी.एस.आई.आई.डी.सी. के शेड्स जनता को किस आधार पर दिये जाते हैं;

(ख) मादीपुर विधान सभा में ऐसे कितने शेड्स हैं;

(ग) क्या सभी शेड आवंटित किये जा चुके हैं

(घ) यदि नहीं तो बेचे हुये शेडो की संख्या कितनी है; और

(ङ) डी.एस.आई.डी.सी. के उन शेड की रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है?

उद्योग मंत्री : (क) अति लघु उद्योग चलाने हेतु आज से 25-40 वर्ष पूर्व 1977 एवम् 1990 के बीच डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा शेड्स का आवंटन जनता के निम्न आधार पर दिया गया था:

1. प्रार्थी भारतीय नागरिक एवम् दिल्ली का रहने वाले हों तथापि कम्युनिटी वर्क्स सेंटर से 5 किलो मीटर के दायरे में झुग्गी झोपड़ी निवासी को प्राथमिकता दी गई थी। इसके पश्चात् अन्य नागरिकों के आवेदन पर विचार किया गया।

2. प्रार्थी की उम्र 18 वर्ष या अधिक हो।

3. प्रार्थी की सभी स्त्रोतों से मासिक आय रुपये 1500 प्रति माह से अधिक न हो।

4. वर्क्स स्पेसिस का आवंटन मात्र उन्हीं प्रार्थियों को किया गया था जो मास्टर प्लान 2001 में अंकित उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक थे। वह उद्योग प्रदूषण रहित एवं नुकसान न पहुंचाने वाले हो।

5. प्रार्थी को उस उद्योग को चलाने का अच्छा ज्ञान होना चाहिये।

6. प्रार्थी कब्जा लेने के एक साल के अंदर उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हों।

7. वर्क्स स्पेसिस का 5 प्रतिशत एस.सी.एस.टी. के लिये तथा 5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों तथा लड़ाई में मारे गये सैनिकों की विधवाओं के लिये रखे गये थे।

(ख) मादीपुर (ओल्ड) — कुल शेड संख्या 46

मादीपुर (न्यू) — कुल शेड संख्या 144

(ग) मादीपुर ओल्ड में एक वर्क स्थान, कार्यालय के उपयोग हेतु खाली है।

(घ) उपरोक्त

(ङ) शेडों के रखरखाव की जिम्मेदारी वहां के आवंटी/उनके वेलफेयर एसोसिएशन की है जिसकी सूचना उनको दी जा चुकी है।

221. श्री राजेश ऋषि : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के कितने उद्योग चलाने वालों को बवाना जैसे औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट अलोट किये गये;

(ख) उनमें से कितने आबंटी अपना उद्योग वहां ट्रांसफर कर चुके हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि बवाना औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट फ्री होल्ड हो गए हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि, इनमें से बहुत से लोगों ने अपने प्लॉट बेच दिये हैं, किराये पर दे दिये हैं या आवासीय इलाके में अपना उद्योग चला रहे है;

(ङ) क्या यह कानूनन वैद्य है;

(च) यदि नहीं तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग के लिये दिये गये प्लॉट्स पर मैरिज हॉल बनाये जा रहे हैं;

(ज) यदि हां, तो यह अनुमति किस आधार पर दी जाती है; और

(झ) सरकार दोषियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई कर रही है?

उद्योग मंत्री : (क) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से 83 उद्योगों को चलाने हेतु बवाना जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्लॉट अल्लोट किये गये।

(ख) 83 आबंटित प्लॉटों में से 40 आबंटियों ने अपने उद्योग ट्रांसफर कर लिए हैं।

(ग) जी नहीं क्योंकि फ्री होल्ड स्कीम रिलोकेशन के अंतर्गत आबंटित प्लॉट एवं फ्लैटिड फैक्ट्रीज पर लागू नहीं होती।

(घ) इस तरह के अवैध क्रय — विक्रय करने के निम्नलिखित दो केस शिकायत के माध्यम से इस कार्यालय के नोटिस में आये है, जिनमें आबंटन एवं लीज के शर्तो के अनुसार आबंटन रद्द करने की कार्रवाई की जा चुकी/रही है।

1. प्लॉट नं. जे–282/ओ/3/250 वर्ग मी./बवाना (आवेदन सं. 57061)

2. प्लॉट नं. 246/आई/5/150 वर्ग मी./बवाना (आवेदन सं. 39587)

(ङ) जी नहीं, यह अवैध है।

(च) वही, जैसा की प्रश्न सं. घ के उत्तर में वर्णित है।

(छ) और (ज) मास्टर प्लान 2021 के चैप्टर–7 में कराये गये संशोधन के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 24 मी. रास्ते या उससे अधिक चौड़े रास्ते से सटे हुये प्लॉटों पर बैंकेट हॉल बनाये जा सकते हैं। इस हेतु प्लाट मालिकों को प्लाटों का औद्योगिक इस्तेमाल से व्यावसायिक इस्तेमाल/उपयोग के लिये परिवर्तित राशि जमा करनी पड़ती है जोकि सरकार समय–समय पर निर्धारित करती है।

(झ) उपरोक्त मापदण्डों के विरूद्ध जो प्लाट आबंटितधारी बिना किसी अनुमति से बैंकेट हॉल या व्यवसायिक गतिविधि चलाता है, उन प्लाट धारकों के विरूद्ध

नियमानुसार कार्यवाही की जाती है और उन प्लोटों को सील भी किया जाता है, एवं सरकार द्वारा तय की गई निर्धारित परिवर्तित राशि का 10 गुना तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।

222. श्री गुलाब सिंह : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मटियाला विधान सभा क्षेत्र में राशन कार्ड होल्डर्स की संख्या कितनी है;

(ख) इस क्षेत्र में राशन की उचित दर दुकानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार की मटियाला विधान सभा क्षेत्र में राशन की नई उचित दर दुकानें खोलने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या नई दुकानें खोलने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है?

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) मटियाला विधान सभा क्षेत्र में राशन कार्ड होल्डर्स की संख्या 49,888 हैं।

(ख) मटियाला विधान सभा क्षेत्र में उचित दर दुकानों की संख्या 51 है।

(ग) नहीं।

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं।

(ङ) नई दुकान खोलने के लिए कम से कम 1000 कार्ड का प्रावधान है। वर्तमान में मटियाला में कोई Cluster नहीं है।

223. श्री गिरीश सोनी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि लेबर कार्ड बनाने के लिए सरकार ने मजदूर संगठनों को जिम्मेदारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन मजदूर संगठनों को किस आधार पर यह अधिकार क्या है।

(ग) यदि कोई संगठन नियमों के विरुद्ध किसी का लेबर कार्ड बनता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है?

श्रम मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) लेबर कार्ड जिला कार्यालय मैं सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है तथा किसी भी अन्य संगठन को लेबर कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है।

224. श्री शिवचरण गोयल : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 2015 से 31 जुलाई, 2017 तक मोती नगर विधान सभा में डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा जितने भी काम किये जा चुके हैं और जितने किये जाने हैं, उनका पूर्ण विवरण क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) फरवरी 2015 से 31 जुलाई, 2017 तक मोती नगर विधान सभा में डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा किये गये कार्य निम्नलिखित है:

1. कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों और नालियों के पुन: विकास और उन्नयन का कार्य संपूर्ण किया जा चुका है।

2. डी.एल.एफ. मोती नगर औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों और नालियों के पुनः विकास और उन्नयन का कार्य संपूर्ण किया जा चुका है।

3. उपरोक्त दोनों कार्य रुपये 9.45 करोड़ लागत के थे।

4. लक्कड़ मंडी (WHS), कीर्ति नगर में सड़कों और नालियों के पुनः विकास और उन्नयन का कार्य के लिये दिल्ली सरकार द्वारा निधि जारी नहीं की गयी है।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त। 280, प्रकाश जारवाल जी।

श्री प्रकाश जारवाल : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने 280 में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपनी विधान सभा में पानी की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपको पता होगा पूरी दिल्ली में संगम विहार और देवली ऐसी जगह हैं जहां पानी की सबसे ज्यादा समस्या रही है और हमारी सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले दो साल में कम से कम 35 परसेंट ऐसे एरिये में पानी पहुंचा है। तो सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं मगर इसके अलावा जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं वो ये है कि देवली विधान सभा और संगम विहार विधान सभा में 38 अनअथोराइज कालोनिज हैं जिनमें पिछली गवर्मेंट के समय पर सड़के भी बना दी गई, नालियां भी बना दी गई। अब जल बोर्ड में 90 करोड़ का एक टेंडर पास किया गया था 2015 में, पानी की लाइनें डालने का, मगर वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। कारण ये है कि साहब, उसमें कहते हैं कि फॉरेस्ट की परमिशन चाहिए। कई बार माननीय मंत्री जी, हमारे इमरान हुसैन जी ने भी मीटिंग अपने चैम्बर में और इसके डिपार्टमेंट के साथ रखवाई। उसमें यही निकलकर आया कि साहब फॉरेस्ट की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले

यूडी सैक्रेटरी लिखकर दे दें कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर माननीय मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम जी के चैम्बर में मीटिंग हुई कि साहब ये 90 करोड़ का टेंडर एवार्ड करके पानी की लाईनें डाल दी जाए पूरे संगम विहार, देवली में ताकि लोगों को पानी मिल सके मगर उस पर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद मैं चीफ सैक्रेटरी साहब से भी मिला कि साहब जब सारी जगह सड़कें बनी हुई हैं, नालियां बनी हुई हैं, बिजली के कनेक्शन हैं तो हम पानी की लाईन लोगों को क्यों नहीं दे सकते!

अध्यक्ष जी, वहां लोग डेढ़-डेढ़ महीने गंदा पानी पीते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते है। लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। टैंकर 15 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा। प्राइवेट टैंकर है, जो एमएस के चलते हैं। टेंकर वाले बीच में से टेंकर बेच देते हैं, लोग इंतजार करते रहते हैं कि मेरे घर में टैंकर आएगा।

तो अध्यक्ष जी, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूं कि देवली विधान सभा और संगम विहार विधान सभा में जो 38 अनोथराइज कालोनीज हैं, जहां पानी की लाइन डालना अति आवश्यक है, उसे जल्द से जल्द इस सदन के माध्यम से जो भी उसमें परमिशन चाहिए, चाहे, फॉरेस्ट की चाहिए, चाहे एएसआई की चाहिए या कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, सिर्फ कागजों में घूम रही है, वो परमिशन दिलाई जाए और संगम विहार, देवली में पानी की लाइनों पर जल्द से जल्द काम करवाया जाए। 90 करोड़ जल बोर्ड से सैंक्शन कर दिया था, उस पर कार्रवाई करके वो पानी की लाइन डाली जाए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके, रोज पानी मिल सके। पानी की कोई दिक्कत नहीं दिल्ली में। ओखला में ईएमआईसी प्लांट बनाया था अध्यक्ष जी, जिससे संगम विहार विधान सभा, देवली विधान सभा और अम्बेडकर विधान सभा को पानी देने की बात हुई थी, उसमें पानी भी है, लोगों ने अपना प्राइवेट नेटवर्क बिछा रखा है, जो प्राइवेट नेटवर्क ऑपरेट तो हो नहीं पाता अब वो जैसे-से उसमें इल्लीगल टैपिंग होती है, उसका पानी का प्रैशर

टूट जाता है तो मेरा आपसे बस ये निवेदन है कि वो सरकारी जल बोर्ड के माध्यम से डीआई की लाइन बिछा दी जाए पूरे संगम विहार में ताकि लोगों को पानी मिल सके और जल्दी कराया जाए।

अध्यक्ष जी, मैं एरिया में घूमता हूं। लोग मुझे डेली शिकायत करते है, कई आरडब्ल्यू से मैं मिल चुका हूं, उन 38 कालोनी की सारे आरडब्ल्यूए से मैं पिछले एक महीने में मिल चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए।

श्री प्रकाश जारवल : अध्यक्ष जी, बस, लास्ट बात है। इन सभी आरडब्ल्यूएज ने मुझे भी कहा है कि साहब, अगर आप विधायक रहते नहीं करा सके तो कहीं हमें कोई गलत कदम न उठाना पड़ जाए। बस मैं आपसे सदन के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसे जो भी परमिशन फॉरेस्ट की देनी है, जल बोर्ड को अवार्ड करना है, वो काम करा दिया जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 280 में मेरे को ये छोटा सा प्वाइंट उठाने का मौका दिया। हम लोग वैसे ही दिल्ली के अंदर मल्टीप्लीसिटी ऑफ एजेंसीज से झूझते रहते हैं, चाहे कुछ कन्स्ट्रक्ट कराना हो, रोड बनवानी हो, मेन्टेनेंस करवानी हो, पानी ही बिजली हो, वो विद इन डिपार्टमेन्ट भी मल्टीप्लीसिटी इतनी ज्यादा है कि कई बार कोई छोटे से छोटे काम कराने के लिए आपस में डिपार्टमेन्टस का कोआर्डिनेशन कराने में बहुत दिक्कत आती है, चाहे वो एमसीडी के डिपार्टमेन्टस हो, चाहे वो पीडब्ल्युडी के डिपार्टमेंटस है, जल बोर्ड के डिपार्टमेन्टस हो, अलग-अलग विद इन दा डिपार्टमेंट्स, सब डिपार्टमेंटस इतने ज्यादा है।

तो मैं एक एग्जाम्पल में ही बता देता हूं एक फलाई ओवर बन रहा है ऑल रेड्डी एक्जिस्ट है लक्ष्मी नगर के अंदर और उसके नीचे से दो अंडरपास बन रहे हैं और पुराना उसके नीचे वॉक वे था और वॉक वे के अंदर की लाइटस वगैरह सब इग्नोर होने की वजह से खराब पड़ी थी, पर वहां पर मैंने उसमें मेन्टेनेस करवाई थोड़ी सी, पर लाइट लगवाने के चक्कर में सर, मुझे कम से कम चार जगह पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट्स में, विभिन्न डिपार्टमेंटस में जो है, कॉल करके कोशिश करनी पड़ी। अब तक लाइट नहीं लगी है, पिछले डेढ़ महीने में कोशिश करने के बावजूद। सिमिलर सर्कमस्टान्सेज हो जाते हैं। कई बार किसी नाले की सफाई को लेकर अगर एमसीडी को करना हो तो नाला, छोटी नाली का वो अलग है, सफाई वाला है, मेन्टेनेंस वाले कोई बड़े नालों को करते हैं, उसमें भी कौन सा नाला किस तरफ पड़ जाता है, ऐसे मैं सर बड़ा कन्फ्यूजन वर्क करते हैं, उनका एक नोडल ऑफिसर चाहे वो हर डिपार्टमेन्ट का अलग हो, पर एक नोडल ऑफिसर हो जिससे कि कॉन्टैक्ट करके ये हो जाए। ये आपस का जो कन्फ्यजन है न कि नहीं, सर, मैं नहीं करता। उसका जो है एई, जेई दूसरा है, इस डिपार्टमेन्ट का जेई दूसरा है, इसमें इलैक्ट्रिकल में भी, इस वाली लाइट का जेई दूसरा है और दूसरी वाली लाइट का ये स्ट्रीट में लगती है, इसका जेई दूसरा है। सर, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है।

तो ये मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि एक नोडल ऑफिसर हर डिपार्टमेन्ट का इस तरीके से होना चाहिए जिससे की हमको फंक्शनिंग में थोड़ी सी आसानी रहे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा में एक गम्भीर समस्या जो पिछले सालों से चल रही है, उसके बारे में दिलाना चाहता हूं। सर हमारे यहां मेरी विधान सभा के अंदर एमसीडी के लगभग 5-6

ऐसे स्कूल हैं जो करीब 15-20 सालों से डिसमैंटल हाल में पड़े हुए हैं और वो उन सभी की लोकेशन इतनी प्राईम लोकेशन है, यानि कुछ तो बस्तियों के ठीक बीच में है, कुछ मेन रोड के कॉर्नर पे हैं और कुछ ओर ऐसी जगहों पर हैं जहां पर वो जो बिल्डिंग है जो खराब पड़ी है, उनको ठीक करके अगर हम दुबारा वहां पर स्कूल शुरू कर सकें या दुबारा एजूकेशन से जुड़ी हुई चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर सकें तो वो क्षेत्र के निवासियों के लिए बहुत लाभदायक होगा। इस संबंध में मैंने कमिश्नर साहब से जो हमारे लोकल डीसी हैं, उनसे एजूकेशन की जो इनकी डायरेक्टर होते हैं, एमसीडी के अंदर उनसे, इन सभी लोगों से कई बारी पत्र के माध्यम से ओर मिलके बात करने की कोशिश की है कि आपने इस तरह से क्यों अपने स्कूलों को डिस्मैंटल हाल में छोड़ा हुआ है, जो खराब होने की वजह से वो एक जगह बहुत उपयोगी हो सकती है। वो तो खराब है ही साथ में वहां पर वो गंदगी का ढेर बना हुआ है, बीमारी का घर बना है और कई बारी बात करने के बाद भी एमसीडी की तरफ से इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव कदम नहीं उठता दिख रहा है तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है सदन के माध्यम से कि आप एमसीडी के जो स्कूल हैं, मेरी विधान सभा के अंदर; ये चार स्कूल हैं, एक घी मंडी में है, चूना मंडी के अंदर है, बैंक स्ट्रीट पर है और एक अजमलखॉ रोड पे है। इन चारों स्कूल्स को जो डिसमैंटल हालत में पड़े हैं, इनको आप अगर लैंड यूज चैंज करने की समस्या है तो एजूकेशन लाइन के अंदर ही चाहे उसके अंदर कम्प्यूटर सैंटर खोले जाएं या लाइब्रेरी खोली जाए, किसी भी दूसरे परपज के लिए इन्हें चालू कर दिया जाए ताकि वो क्षेत्र के लोगों के काम आ सकें।

अध्यक्ष महोदय : श्री बग्गा जी।

श्री एस. के. बग्गा : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने रूल 280 में मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट विधवा व हैंडीकैप्ट पैंशन की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरी कृष्णा नगर विधान सभा में नौ ब्लॉक, गीता कालोनी में एक सोशल वैल्फेयर का दफतर है जहां पर बुजुर्ग लोग, माताएं-बहने, ओल्ड एज के लोग फार्म जमा करवाने के लिए जाते है, वहां का स्टाफ इतना बदतमीज है कि बुजुर्गों को बोलते हैं तथा गाली आदि भी निकाल देते हैं, फार्म जमा नहीं करते हैं और लोगों को परेशान करते है। अंगूठा लगाने वाली मशीन हमेशा खराब रहती है, उच्च अधिकारियों से भी बात करता हूं तो कोई जवाब नहीं मिलता, यहां पर एक स्टाफ का जिसका नाम राजकुमार है 8-10 साल से यहां पर काम कर रहा है और कई लोग बहुत पुराने है, यहां पर दादागिरी कर रहे हैं व लोगों को परेशान करते रहते है। इन्हें तुरंत यहां से हटाया जाए। विन्डो पर कैमरे लगाए जाएं जिससे आपको पता लगेगा कि कितनी बदतमीजी करते हैं ये लोग! इन्हें शर्म नहीं आती, इनकी माताएं-बहनें भी होंगी, उनके साथ कोई बदतमीजी करे तो इनको कैसा लगेगा!

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस समस्या का हल करवाएं जनता आपकी आभारी रहेगी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुखबीर सिंह दलाल जी। अनुपस्थित, बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 280 में आपने मुझे मौका दिया। मैं अपनी विधान सभा के जैडआरओ ऑफिस की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज से कम से कम 6 या 7 वर्ष पूर्व हमारी क्षेत्र के पूर्व मंत्री की क्या बातचीत थी, ये मैं नहीं कहना चाहता और वहां से जैडआरओ ऑफिस वहां पे शिफ्ट किया गया। जीटी रोड क्रास करने के बाद लोग वहां पर जाते हैं, बड़ी विधान सभा है। एक दिन मैं वहां पर सीलम पुर से पद यात्रा से वापस लोट रहा था मेरे सामने एक बुजुर्ग लेड़ी रिक्शे से नीचे गिरी, उसके दोनों कुल्हे टूट गए। मैंने उसको जीटीबी हस्पताल में एडमिट करवाया।

मैं सीओ साहब से भी कई बार कह चुका हूं और आपसे भी रिक्वैस्ट कर रहा हूं और मेरी विधान सभा में दिल्ली जल बोर्ड के कई ऑफिसिज खाली पड़े है, कई कमरे खाली पड़े हैं, अगर वहां बिल्डिंग बनने में देरी लगती है, 6-7 साल हो गए तो कम से कम जैडआरओ ऑफिस हमारे लिए टैम्परेरी वहां शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि लोगों को वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और 3-4 कैजूवल्टीज वहां पर हो चुकी हैं।

मेरा अनुरोध है कि मानवीय आधार पर तुरन्त इसको गांधी नगर से, वहां से लाकर, जहां से शिफ्ट किया है, वो सीलम पुर विधान सभा है, मेरी विधान सभा भी नहीं है वो, लिहाजा उस क्षेत्र से लाकर मेरी विधान सभा में वापस लाया जाए ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : कमांडो जी, अनुपस्थित। जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंह : नमस्कार सर, और धन्यवाद आपका। एक गम्भीर मुद्दे पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सर बड़ी दु:ख की बात है कि आज 33 साल गुजरने के बाद भी 1984 में जो सिख कत्लेआम हुआ था उस पर अभी तक कुछ भी, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारी सरकार 49 दिन के लिए आई थी। उन्होंने आते ही एसआईटी भी बना दी थी और उस पर एक्टिव वर्किंग स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन आज जो केन्द्र द्वारा एसआईटी बनाई गई है, वो सिर्फ ऐसे लग रहा जैसे एक बंदर नाच हो रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि एक पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पे जाया जा रहा है, तीसरे पेड़ पे जाया जा रहा है, लेकिन कोई उनसे कोई मेहनत, कोई कॉन्करीट रिजल्ट दिखाई नहीं दे रही है। इतने बड़े-बड़े नेता जो नौ रिपोर्टस बड़ी-बड़ी आई थी, उसमें क्लीयरली मेंशन किया हुआ है कि कितने बड़े-बड़े नेता इन्वाल्वड थे। आज तक उनकी बेल केंसल नहीं की

गई, उनको कन्विक्ट नहीं किया जाता। 54 पुलिसवाले बड़े-बड़े आफिसर्स जो हैं, वो इन्वाल्व थे इसमें लेकिन उन 54 पुलिस वाले में से एक भी पुलिस वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आज जहां पर 5400 लोग मारे गए अनआफिशियली और केन्द्र सरकार का अपना रिकार्ड है इसका कि 2793 लोग मारे गए। उस 2793 लोग मारने के बाद एक भी आदमी को कन्विक्ट नहीं किया जाता। पुलिस इतनी लगी हुई थी जो उनका साथ दे रही थी। उसमें शर्म की बात है कि एक ऑफिसर ने निकलकर जिसने गोली चलाई थी उसको गेलेन्ट्री अवार्ड दिया जाता है लेकिन किसी भी एक आदमी को सस्पेंड नहीं किया जाता। सर, आज तिलक नगर में, पश्चिम विहार में अलग-अलग जगहों में उन कालोनी में जाकर के उन बच्चों को देखा जाए, उन बच्चों से मिला जाए, उन विधवाओं से मिला जाए तब जाकर हमें पता चलेगा कि क्या हालत है उन लोगों की। आज भी वो कही न कही उस इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं कई मांए तो बूढ़ी हो गई हैं जो सिर्फ यही गुहार लगा रही हैं, सरकार की तरफ यही देख रही है कि कब ये हिन्दुस्तान की सरकार इंसाफ देगी। 50 हजार लोग जो बेघर हो गए थे, 20 हजार लोग जो इंजर्ड हो गए थे कितनी मांओ बहनों के साथ बलात्कार हुए थे। किसी भी एक को भी इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। आज भी वो एसआईटी उसी नौ रिपोर्टों की तरह बिल्कुल ठंके तरीके से काम कर रही है और कही पर कोई कंक्रीट वो नहीं किए जा रहा। जहां पर अगर कहीं पर एक मांस का टुकड़ा मिलता है तो केन्द्र सरकार के कई मंत्री और कई वॉलिंटियर जो है भाजपा के, भागते हुए जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सा मांस है और उस आदमी को मार के आ जाते हैं जहां पर 2700 लोग मर गए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन पर एक भी आदमी को जो है, अभी तक कन्विक्ट नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये मुद्दा, शर्म की बात है कि एक दूसरे देश के पार्लियामेंट में इस मुद्दे को जैनोसाइड करार अभी अभी दे दिया गया है।

लेकिन हमारे यहां पर उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है भाइयों कि ये एक आज मेरे साथ हुआ है कल ये आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर आज हमने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, आज हम केन्द्र सरकार में होम मिनिस्टर से नहीं मिले जाकर तो शायद 33 साल तो बीत गए हैं 10-12 साल बाद शायद कोई एक सबूत भी नहीं बचेगा जिस पर कोई ठोस हम लोग कदम उठाएं। आपकी तरफ से कोई ऐसी पहल हो जिसमें हम 70 के 70 विधायक मिलकर एक बारी केन्द्र सरकार के होम मिनिस्टर के पास जाकर बात करें कि जी 33 साल हो चुके हैं, किस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे हैं? आज इतना बड़ा बहुमत मिला, आप लोग बहाने हमेशा बनाते रहे कि हम लोग बहुमत में नहीं हैं। नहीं तो हम पता नहीं क्या कर देते! आज इतना बड़ा मेन्डेट मिल गया है कि आप ही की पार्टी का राष्ट्रपति बना है, उपराष्ट्रपति बना है, आपका ही प्रधानमंत्री है आपका ही होम मिनिस्टर है, आपका ही गवर्नर है। सब आपकी पार्टी के, तब भी इंसाफ में क्यों देरी हो रही है? तो आपसे बस हाथ जोड़कर विनती है कि एक कोई ऐसा कदम उठा दें कि सुनहरी अक्षरों में आपका नाम लिख जा सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने 280 नियम के तहत क्षेत्रीय समस्या उठाने की बात की।

अध्यक्ष जी, समस्या नई नहीं है, वो ही हर बार आवाज़ उठती है कि चांदनी चौक विधान सभा बहुत पुरानी, एक पुरानी दिल्ली जहां पर 50-60 साल पुरानी इमारतें जर्जर हालत में हैं और रोजाना आए दिन आप देखेंगे इन इमारतों से जो है, ईंटें और इनका सीमेंट और ये गिर रहा है। अभी हाल ही में जामा मस्जिद वार्ड में 1985-86 का था वाली बिल्डिंग कला महल में पूरा छज्जा रोजाना दो-चार ईंटें उससे गिरती, वो पूरी

भरी मार्किट है, लोग गुजर रहे हैं, नगर निगम को कहने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की कि उस बिल्डिंग से रोजाना उसका छज्जे से गिर रहा है। नीचे जाने वाले से, मुझे लग रहा है बस, नगर निगम किसी हादसे का इंतजार कर रहा है।

उसी तरफ देखेंगे जामा मस्जिद वार्ड में पटौदी हाउस में मुझे जहां तक जानकारी है, दिल्ली में आप थर्ड फ्लोर तक ही बना सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर चौथी और पांचवीं मंजिल और अन्दर आप संकीर्ण गलियों के अन्दर जामा मस्जिद, चांदनी चौक में चले जायेंगे तो अवैध निर्माण पांचवीं और छठीं मंजिल तक का जारी है और नगर निगम के अधिकारी बिल्कुल आंख मूंदकर सिर्फ मुठ्ठी गर्म करने का काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी एक और है; चांदनी चौक नगर निगम वार्ड का केस है; कूंचा मोहत्तर खान मोरी गेट में। अध्यक्ष जी पुराना कटरा होगा, 60-70 साल पुराना मुझे लगाता है 19 परिवार उसमें रहते हैं। वो भी जर्जर हालत में कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। पूरी इमारत गिरने की स्थिति में हैं। स्लम विभाग डूसिब के अन्दर आता है। डूसिब से बैठकर कम से कम नहीं, मुझे 6 और 8 महीने लगे और कम से कम 10-12 मीटिंगों के बाद हम लोग उन परिवारों को सहमत कर पाए कि वहां से उन्हें बेघर करने से पहले, हम वहां कहीं पर जो है, शेल्टर देंगे और उसकी व्यवस्था, मुझे खुशी है डूसिब के स्लम विभाग ने कर भी दी। एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर को 18 जो है, वो कमरों में बांटा गया उसे और जहां वो रहते हैं कटरे में उससे बड़ी जगह की व्यवस्था उनके लिए कर दी गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक साल से ऊपर हो गया है, हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। उन 19 परिवारों को लेटर दिए जा चुके हैं। उन 19 परिवारों ने एग्रीमेंट भी साइन कर दिया है कि वो शिफ्ट करना चाहते हैं। बिजली पानी और सब व्यवस्था कर दी गई है। मुझे नहीं इसका कारण समझ आ रहा कि क्यों उन्हें वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। अलग बात है, राजनीति हो

रही है, उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये जगह अगर आपने छोड़ी तो ये आपको दोबारा मिलेगी नहीं। तो एक राजनीति का शिकार भी वो लोग हो रहे हैं मैंने उनको ये ही बताया कि आप जिस संपत्ति में शायद मान लीजिए उसकी कीमत होगी 2–4 करोड़ रुपये, लेकिन जिसमें आपको शिफ्ट किया जा रहा है, उसकी 8–10 करोड़ रुपये कीमत है तो अगर आपको सरकार वापिस नहीं भेजती, पक्के मकान बनने के बाद या पक्के करने पर नहीं भेजती तो आपके पास आलरेडी सरकार की एक उससे बढ़िया संपत्ति, मजबूत संपत्ति नहीं बनी हुई है, जहां पर आपको बनाकर दे दिया गया है। मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं सरकार को कहती हूं कि इस पर थोड़ी सख्ती दिखानी होगी हम इंतजार करें कि लोग हादसे का शिकार हो और एक बहुत बड़ा जो एक राजनीतिक मुद्दा किसी को मिल उससे पहले इसमें हाथ जोड़कर है कि इन सभी चांदनी चौक, खासतौर से और जामा मस्जिद जो संकीर्ण गलियां हैं, ये अवैध निर्माण चौथी पांचवीं मंजिल और इस तरह की जर्जर हालत की इमारतों पर हाथ जोड़कर कहूंगी कि नगर निगम तुरंत कार्रवाई करे, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : संदीप जी।

श्री संदीप कुमार : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय जो आपने मुझे 280 के तहत ये मुद्दा उठाने का मौका दिया।

मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी एक राज पार्क एरिया है और उसमें एक दारू का ठेका खुला है नया। वो पहले मुंडका हाइवे पर होता था और जब हाइवे पर ठेके बन्द हुए तो वो कहीं कहीं शिफ्ट हुए तो वहां पर वो एक बार पहले भी कोशिश हुई थी वहीं पर वो दारू का ठेका खोलने की तो वहां पर काफी बड़ी संख्या में जन समर्थन उसके विरोध में खड़ा हुआ और वो हट गया था। इस बार अध्यक्ष जी पिछले

महीने काफी लोगों ने वहां पर उत्पात मचाया के, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सभ्य लोग रहते हैं। तो वो एसडीएम ने आकर के सील कर दिया था फिर चार तारीख को पता नहीं, उनकी क्या सेटिंग हुई डिपार्टमेंट वाले लोगों से, चार तारीख को एसडीएम आकर खोल गया और उस एसडीएम का ट्रांसफर भी हो गया और वहां पर बहुत ज्यादा समस्या; रोज के रोज चैन स्नैचिंग हो रही है, वहां पर बदतमीजियां होती है, रेहड़ी पर शराब पीकर लोग वहां पर उत्पाद मचाते है और वो लोग जो शराब की दुकान वहां पर खोले हुए हैं। पिछले हफ्ते की बात है, संडे को उन लोगों ने वहां पर बहुत सारे आउटर दिल्ली के गुंडे टाइप के लोग वहां पर बुला लिए ताकि कोई भी अगर यहां पर उत्पात करने आएगा तो हम उनको मारेंगे। तो वहां पर बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ठेके को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए, नहीं तो वहां पर कुछ भी हो सकता है, बहुत बुरा हाल है और जनता बड़ी परेशान है। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है क्योंकि ये पहले मनीष जी ने कहा भी था कि अगर 4-5 आरडब्ल्युएज लिखकर दे देते हैं तो वो हट जाएगा। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी लिखकर दे दिया है, एलजी साहब को भी लिखकर दे दिया है और डिपार्टमेंट में भी लिखकर दे दिया है, वहां की सारी आरडब्ल्यूए ने, तो अध्यक्ष जी आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से अगर ये काम हो जाए तो जनता को काफी रिलीफ मिलेगा, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : शरद कुमार जी, अभी तो थे।

श्री सोमनाथ भारती : मेरे आने के पहले।

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट-दो मिनट, शरद कुमार जी नहीं है। बंदना जी।

श्रीमती बंदना कुमारी : अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने हमें 280 में बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र में काफी आवारा पशुओं के घूमने की काफी कंपलैण्ट अलग–अलग क्षेत्रों से आ रही हैं जिसमें गाय रोड पर, बड़े–बड़े कुछ माफियाओं की गायें हैं जो खुले में रोड़ पर छोड़ दी जाती है में और वो गाय घूमती रहती हैं। हम सभी गाय को पूजते हैं, उनको माता कहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। फिर भी बहुत सारे गौरक्षक लोग भी गौरक्षा के नाम पर बड़ी–बड़ी हत्यायें हो गई। लेकिन गाय को जिसकी जिम्मेदारी एमसीडी को है, जो उनको सही जगह पर दिल्ली सरकार की बहुत सारी शेल्टर से सारी वहां गऊशाला बनी हुई है फिर भी वहां पर शिफ्ट नहीं किया जाता। बार–बार शिकायत करने के बावजूद भी क्षेत्रिए लोगों की काफी कम्पलैण्ट आती हैं जो गाय रोड पे बड़े–बड़े चारा डाल देते हैं, कहीं पे वो नाग जैसी बना देते हैं। वहां पर लिख देते हैं जो बीच रोड पे और उनको हटाया नहीं जा रहा है। उसी तरह से हर कालोनियों में कुत्ते का आतंक भी है जो अलग–अलग एरिया में कुत्तों का बहुत बुरी तरीके से और उसको भी नहीं उठाया जा रहा है और उनके कोई भी कम्पलैण्ट करने पे पता नहीं जो कम्पलैण्ट करता है, उन्हीं पे एफआईआर दर्ज हो जाती है जो आप ये कुत्ता विरोधी हो। आप कुत्ते को देखना नहीं चाहते। इस तरह का उनपे एक एफआईआर लॉज हो जाती है। कुछ ऐसे ठेकेदार बैठे हुए हैं जो इन चीजों को भी हटाने नहीं देते।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी जो हमारे एरिया में एक पीतमपुरा है एसपी ब्लॉक है जहां के सीनियर सिटिजन ने हमें कम्पलैण्ट किया कि हमारे यहां कोई भी कुरियर, कोई भी बच्चा, कोई भी बहन हमारे कालोनी के अन्दर नहीं आता, सिर्फ कुत्तों की वजह से। तो मैं इस सदन के माध्यम से आपके माध्यम

से संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश किया जाए जो इन चीजों पे जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : एक अंतिम अब सही राम जी, कर्नल जी नहीं थे सही राम जी आप रख लीजिए।

श्री सही राम : धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी मैं अपनी बात रखने से पहले निवेदन करूंगा कि आप भी इसपे ध्यान दें, सुने और इसपे कार्रवाई का आश्वासन देंगे। डिप्टी सीएम साहब और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी भी यहां बैठे हैं। क्योंकि एक बहुत गंभीर मामला है। मेरे तुगलकाबाद विधान सभा में एक हरकेश नगर गांव है। वैसे तो उसे गांव कहते हैं, वैसे अनॉथराइज रेगुलराइज कालोनी है। वो कई साल पहले हो गई थी और उसके साथ में ही इंडस्ट्रिएल एरिया है; ओखला इंडस्ट्री एरिया।

अध्यक्ष जी 6-7 साल पहले वहां के जो पूर्व विधायक भाजपा के रहे, उन्होंने एक फुटओवर ब्रिज रेलवे का बनना था, जिसको रेलवे को और पीडब्ल्यूडी को मिलके आधा आधा बनाना था अपने अपने एरिया में। पिछले 6-7 साल में वहां कुछ नहीं हुआ बल्कि मैं कहूं कि पूर्व सांसद रहे तीन बार उन्होंने उद्घाटन कर दिया और निगम चुनाव से अभी पहले कुछ दिन पहले जो केन्द्र के रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी उद्घाटन कर दिया। सात बार उस पुल का उद्घाटन हो चुका है अध्यक्ष जी और दुर्भाग्य की बात ये है कि ओखला इंडस्ट्री एरिया होने के नाते और हरकेश नगर गांव में तकरीबन दो लाख की आबादी है, उसके देखते हुए कम से कम 10 से 15 हजार आदमी डेली उस रेलवे क्रोस गुजरते हैं। वहां पे क्योंकि एक साइड पे मथुरा रोड है, बीच में है ये रेलवे ट्रेक। 10 से 15 हजार आदमी डेली क्रोस करते हैं और ज्यादा न हो ऑन रिकॉर्ड अगल निकलवा के लाया था जो साल में करीब करीब 150 से 200 आदमी

उस ट्रेक पे दुर्घटना से मारे जाते हैं। नहीं, साल में, हर साल अब तक नहीं दी। हर साल क्रॉस करते हुए क्योंकि उस ट्रेक पे मालगाड़ी भी आती है जब मालगाड़ी जाती है तो दूसरे ट्रेक से जो हाई स्पीड गाड़ी आती है उसका किसी को पता नहीं चलता उसकी आवाज नहीं आती, उसके धोखे में ये एक्सीडेंट होते रहते हैं।

तो अध्यक्ष जी मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि केन्द्र सरकार को भी आप लें और इसमें दो बार मीटिंग पहले हो चुकी है। पीएम साहब नेक भी उसमें लेटर लिखके दिया है कि लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि डिप्टी सीएम साहब यहां बैठे हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी पर्सनल डायरी में इसे लिख लें क्योंकि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर साल 150 से 200 आदमी एक्सीडेंट से मारे जाएं और कोई डिपार्टमेंट कार्रवाई न करे। इससे बड़ी, मैं तो कहूं शर्म की कोई बात नहीं हो सकती और मैं ये चाहूंगा कि जिन अधिकारियों की वजह से इस पुल के निर्माण में देरी हुई है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अध्यक्ष जी। मेरा आपसे यही निवेदन है। आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण नियम 54। सोमनाथ जी प्लीज। नहीं सोमनाथ जी, मंत्री जी उनका जवाब दे रहे हैं।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, जो ये मुद्दा लेके आए हैं, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि अगर इतने लोगों की डेथ होती है तो मैं पूरा आश्वासन देता हूं कि जल्द से जल्द इसको कराया जाएगा ओर मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल मुझसे या अभी ब्रेक में मुझसे मिलें, इसको करवाया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मेरे पास आया है लेकिन समय की सीमा है। आज बहुत बिजनेस है। मैं सोमनाथ जी, अभी नहीं, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, छोटे से मुद्दे पे पर्सनली इसको उठाया गया। इतना बड़ा कमेंट कल भाजपा के साथियों ने मेरे खिलाफ किया यहां पे। कैसे बच सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी चार बजे।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये इन लोगों को आपने बहुत छूट दे रखा है यहां पे। इन लोगों ने जिस तरह कल कमेंट्स किए और मैं आपके लिए लिखित में लेके आया हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कोई मजाक नहीं है। यहां बैठके भाजपा के लोग मेरे खिलाफ पर्सनल कमेंट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये कोई मजाक नहीं है और मैं आपसे हाथ जोड़के विनिती करता हूं, मैं लिखित में दे रहा हूं अगर इसको संज्ञान में न लाए, इन लोगों ने हर वक्त मजाक बना रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही बात उनसे कही है। ये ही आपसे प्रार्थना कर रहा हूं चार बजे एक बार चेम्बर में मिलते हैं। इस समस्या का हमेशा के लिए निदान कर दें, प्लीज। मैं खुद बहुत पीड़ित हूं इन कमेंटस से।

संजीव झा जी ध्यानाकर्षण नियम 54 के अंतर्गत सरकारी अध्यापकों के चयन में अतिथि अध्यापकों को वरीयता हटाने के संबंध में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण नियम (नियम 54)

श्री संजीव झा : बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण करने का मौका दिया। चूंकि आज डॉयरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के एक फैसले से 17 हजार गेस्ट टीचर का भविष्य अधर में लटका हुआ है। मैं बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, गेस्ट टीचर की अपॉइंटमेंट, 2001 से शुरू हो गई थी लेकिन उस समय में कोई मैटर्निटी लीव पर चली गई या शॉर्ट टर्म वैकेंसी हुआ करता था। 2010 में जितने भी शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, उनको भी इसमें मौका दिया गया। 2013 तक जो गेस्ट टीचर की नियुक्ति होती थी, वो जो संबंधित स्कूल के प्रिंसीपल हैं, वो किया करते थे लेकिन 2013 से गेस्ट टीचर की नियुक्ति सेन्ट्रलाइज कर दिया गया और उस नियुक्ति में वो तमाम चीजें ली गई जैसे एससी/एसटी/ओबीसी का रिजर्वेशन, हैंडिकेप्ड, जो दिव्यांग लोग हैं, उसकी रिजर्वेशन यानि हमारी कॉस्टिट्यूएशन में जो आर्टिकल 14 और 16 है कि किसी भी व्यक्ति को इक्वल एपार्च्युनिटी मिलना चाहिए, 2013 में ये तय किया गया। लेकिन 2014 से पहले गेस्ट टीचर की जो नियुक्ति होती थी, वो एक साल के लिए होती थी। हर एक नए अकेडमिक ईयर में हमको फिर से फार्म भरना पड़ता था। 2014 में एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें ये कहा गया कि गेस्ट टीचर अब इन–कन्टीन्यूएशन कन्टीन्यू करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक उनके अगेस्ट कोई रेगुलर वैकेंसी न आ जाए या उनका प्रफॉमैन्स से डिपार्टमेंट सटिस्फाइड हो। 2015 में जब अपॉइंटमेंट की बात आई तो एक कैबिनेट डिसिजन नं. 2223 के जरिए इन गेस्ट टीचर्स को अपॉइंटमेंट में वेटेज और एज रिलेक्सेशन दोनों की बात कही गई लेकिन ऑनरेबल एल.जी. साहब ने एज के बारे में तो रिलेक्सेशन दे दिया, लेकिन जब वेटेज की बात थी तो उन्होंने एडिशलन सॉलिसिटर जनरल से एक ओपिनियन मांगा और उस ओपिनियन में ऊमा देवी का जजमेंट को रैफर करते हुए उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रेगुलर अपॉइंटमेंट में ये ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल 14 और 16 का वॉयलेशन न हो। लेकिन उस ऊमा देवी की जजमेंट को अगेन ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निहाल चन्द का एक जजमेंट आया था जिन्होंने सेटएसाइड किया था और जब सेटएसाइड किया था तो उन्होंने दो बातें कही थी, तो उन्होंने कहा था:–

"Whether persons who have been engaged without following the procedure conforming to the requirement of the scheme of the con-

stitution in the matter of public appointment without any rational procedure recognized by law depriving vast number of other eligible candidates who were similarly situated compared for the employment could be regularized." मतलब ये कि उन्होंने ये कहा कि उनका जो जजमेन्ट था कि अगर एप्वाइन्टमेन्ट रेशनल न हुआ हो और उसमें कोई प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया गया हो और उससे बहुत सारे एक वॉस्ट मेजोरिटी वंचित रह गया हो तो और दूसरा कि किसी तरह का Whether constitutional court could compel the state to observe such persons through regularization. तो इसमें निहाल सिंह का जजमेन्ट था, वो गेस्ट टीचर पर पूरी तरह से लागू होता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गेस्ट टीचर की जो 2013 से एप्वईन्टमेन्ट हुई, वो कम्प्लीट मैरिट बेस पर हुई। उसमें रिजर्वेशन का फॉलो किया गया। लिया गया, दूसरी बात की। ये सबके लिए वैकेन्सी था। ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए था। ये वैकेन्सी ओपन था। ये भी व्यवस्था की गयी थी कि अगर मान लीजिए उनका परफॉरमेन्स अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं होता है तो उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसको लेकर कई चिट्ठियां भी लिखी गयी। अलग-अलग जो गेस्ट टीचर के वेलफेयर के लिए एसोसिएशन कुछ हैं, वो लगातार सरकार से मिलते रहे। एल.जी. साहब से मिलते रहे। मेरा ये कहना है, मेरा ये सब्मिशन है कि जब हम ये कहते हैं कि गेस्ट टीचर को जब मैं बात कर रहा हूं की उनको वेटेज देना चाहिए, उनको रिलेक्सेशन देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए? पहले जैसे मैंने कहा। जो उमा देवी का जजमेन्ट भी था कि आर्टिकल 14 और 16 का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 और 16 का वॉयलेशन नहीं है। चूंकि ये अपार्च्युनिटी सबके लिए था और मेरिट पर उनको लिया गया था। दूसरा, कि वो लोग जितने भी टीचर हैं, वो सब सी-टैट कम्प्लीट करके आते हैं और वो सी-टैट जो बहुत मुश्किल इक्जाम होता है। 12 परसेन्ट, 13 परसेन्ट

रिजल्ट आता है। वो सब सी-टैट क्वालिफाईड टीचर्स हैं। तीसरा, उनको अब लम्बा अनुभव है और माननीय शिक्षा मंत्री मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि इन्होंने एक दो बड़ा मिशन लान्च किया, 'चुनौती 2018' में बताऊं आपको, आप भी अपने इलाके के स्कूल में जाते होंगे। जब एमसीडी से बच्चे पास करके आते थे तो बच्चे अपनी किताब तक नहीं पढ़ पाते थे। तो जब उन्होंने चुनौती लांच किया और इन्होंने जब मिशन रखा कि सौ प्रतिशत रीडेबिल्टी को एचीव करना है और उस मिशन में गेस्ट टीचर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इन्होंने गर्मियों में समर कैम्प, अलग-अलग हर स्कूल में लगाये। उस समर कैम्प में मैं भी गया। कई सारे विधायकगण गये होंगे। आप भी गये होंगे। पहली बार मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों में चमक देखा और इसका पूरा का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो गेस्ट टीचर्स को जाता है। कई बार माननीय शिक्षा मंत्री ने भी खूब तारीफ करी है गेस्ट टीचर्स की। इतना ही नहीं, 2014 से पहले क्वालिटी ऑफ टीचिंग का जब भी ट्रेनिंग होता था तो केवल रेगुलर टीचर जाते थे। 2014 के बाद उन्होंने कम्पलसरी करवाया 2015 से कि अब जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग होंगे, वो सारे ट्रेनिंग में गेस्ट टीचर्स भी जाएंगे। इन तीन साल-चार साल में इन तमाम गेस्ट टीचर्स पर सरकार का अपना इन्वेस्टमेंट भी है। उनको एक्सपीरिएन्स भी है और मजे की बात तो ये है अध्यक्ष महोदय कि माननीय शिक्षा मंत्री का मैं एक चिट्ठी देख रहा था जो इन्होंने मेरे ख्याल से 27 चीफ सेक्रेटरी को लिखा है जिसमें इन्होंने पूछा भी है, कहा है; रैदर ये जो रिकमेन्ड प्रासेस है, उसको होल्ड किया जाये और गेस्ट टीचर्स को वेटेज और एज रिलैक्सेशन की बात जो करते आये हैं, वो किया जाये लेकिन अभी रेगुलर टीचर्स की निविदा आयी है और उस निविदा में न तो वेटेज की बात की गयी है और न एज रिलैक्सेशन की बात की गयी है। तो मेरा ये कहना है कि एज रिलैक्सेशन की बात तो पहले आलरेडी एल.जी. साहब मान चुके थे और रही बात वेटेकज की निहाल चन्द के जजमेन्ट के बाद कई सारे; राजस्थान में, हरियाणा में आलरेडी उस वेटेज को एक्सेप्ट किया गया। आज कई सारे ऐसे गेस्ट

टीचर्स हैं, जिनका तीन साल से लेकर सात साल, आठ साल का एक्सपीरियेन्स है और चूंकि वो दिन-रात पढ़ाते रहे। उनका एज निकल गया। उनका अपना अनुभव है। दूसरा, कि जो रेगुलर जो बच्चे कम्पीटिशन की तैयारी करते हैं। उनके पास आब्जेक्टिव एग्जाम देने का समय रहता है। वो तैयारी करते रहते हैं लेकिन ये जो गेस्ट टीचर पिछले तीन साल से जब से हमारी सरकार आयी है। वो लोग दिन-रात बच्चों के पढ़ाने के लिए, उनके वेलफेयर का तमाम तरह-तरह की मिशन लान्च किया, उसमें लगे रहते हैं। उनका पढ़ने का टाईम नहीं है उनके पास। तो मेरा ये कहना है कि आज हमें क्या चाहिए कि केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास करके आये वो टीचर चाहिए या हमें वो टीचर चाहिए जिनको पढ़ाने का अनुभव है। जो सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। जो बच्चे के बीच रहे हैं। जिन पर गवर्नमेन्ट का आलरेडी इस तरह का इन्वेस्टमेन्ट हो चुके हैं। वो कई तरह के ट्रेनिंग ले चुके हैं। हम चाहते क्या है?

तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, आज मुझे लगा कि ना ये केवल 17 हजार टीचर्स के भविष्य का सवाल है बल्कि वो लाखों बच्चों का भी सवाल है जिनके लिए ये सभी टीचर्स दिन-रात काम करते रहे हैं। तो जैसा पहले कहा गया था या जो कई सारे जजमेन्ट आये हैं कि गेस्ट टीचर की अब जो वैकेन्सी आती है, एक तो अभी जो वैकेन्सी है, उसको इमीडिएट होल्ड किया जाये और जब कभी भी रेगुलर के लिए वैकेन्सी आएंगी उनका वेटेज, एडिक्वैट वेटेज दिया जाए ताकि जो लोग आलरेडी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, उनको जगह मिल पाये।

अध्यक्ष महोदय, तो इसीलिए आज इस सदन का आपके माध्यम से सरकार का और डायरेक्टरेट ऑफ एजूकेशन का मैं चाहता था कि ध्यानाकर्षण हो और जो वैकेन्सी है, उसको इमीडिएट होल्ड किया जाये और जब कभी भी रेगुलर के लिए वैकेन्सी आएंगी। उनका वेटेज, एडिक्वैट वेटेज दिया जाए ताकि वो लोग आलरेडी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, उनको जगह मिल पाये।

अध्यक्ष महोदय, तो इसीलिए आज इस सदन का आपके माध्यम से सरकार का और डायरेक्टरेट ऑफ एजूकेशन का मैं चाहता था कि ध्यानाकर्षण हो और जो वैकेन्सी है, उसको इमीडिएटली होल्ड किया जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपने इतने गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, वैसे तो किसी भी स्टेट में कभी कोई वैकेन्सी निकलती है तो स्टेट में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। उस वैकेन्सी में अप्लाई करने वालों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ती है लेकिन अध्यक्ष महोदय डीएसएसबी ने अभी जो वैकेन्सी निकाली है; 14420 टीचर्स की पोस्टों के लिए, बहुत ही खेद के साथ ये बताना पड़ रहा है, मेरे पास कई सारे गेस्ट टीचर्स के कॉल आ रहे हैं। कई सारे अतिथि शिक्षकों के फोन आ रहे हैं कि आपने जो डीएसएसएसबी की वेकेंसी निकाली है, इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है और कई सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं, जो पिछले पांच-छह सालों से, उन्होंने सारी जवानी अपनी उन स्कूलों में बिता दी, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाते-पढ़ाते बिता दी। अध्यक्ष महोदय, अब अगर वो कहीं पर अपना रेज्यूमे लेकर जाएंगे, कहीं पर अपना बायो-डाटा लेकर जाएंगे वेकेंसी मांगने, तो मुश्किल से उनको वो तवज्जो मिलेगी लेकिन यहां पर जो डीएसएसएसबी ने वेकेंसी निकाली है, जिसमें उन्होंने एज में तो रिलेक्सेशन दिया है लेकिन जो स्कोरिंग मार्क्स हैं, उसमें वेटेज बिल्कुल नहीं दिया और उन्होंने यह दलील पेश करी कि कोर्ट केस के अकॉर्डिंग वेटेज वहां पर मिलना सम्भव नहीं है। एज रिलेक्सेशन मिलना सम्भव है, जिसमें कि यह सारा मैटर, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले 03/08/2016 का आर्डर नंबर 3159/215 इसमें साफ तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लेरिफाई करा है, जो कि मैटर चल रहा था, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यूनियन, जयपुर और स्टेट ऑफ राजस्थान के बीच का। इसमें क्लियरली तरीके से इस

बात को उन्होंने क्लेरिफाई करा है। मैं यहां पर ऑर्डर का जो स्टेटमेंट हैं, वो पढ़ना चाहूंगा "The hon'ble Supreme court held that there was nothing illegal and there would be no objection where cendidates for regularlisation were granted bonus marks above the marks they got in open exam."

तो इसी विषय के ऊपर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले दो-तीन दिन पहले एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया क्योंकि जब यह ऑर्डर आया था, उस समय इनको भी पता चल चुका था कि ऑर्डर के बिहाफ पर, यहां पर वेटेज दिया जा सकता है इसीलिए उन्होंने अपनी चिट्ठी में लगातार, अपने इस दस्तावेज में लगातार चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा कि अभी जो वेकेंसीज हैं, वो वेकेंसीज रोक दी जाएं। डीएसएसएसबी की वेकेंसीज रोक दी जाए क्योंकि इसमें हम वेटेज उन्हें मिलना चाहिए, जो एक्सपीरियंस के ऊपर उन्हें मार्क्स मिलने चाहिए, वो उनका हक है। लगातार इंटिमेट करने के बावजूद, लगातार सारी प्रक्रिया करने के बावजूद, लगातार चिट्ठियां लिखने के बावजूद, मीटिंग हेल्ड करने के बावजूद एक डीएसएसबी ने बिना मंत्री महोदय के पास फाइल भेजे, चीफ सेक्रेटरी ने बिना और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बिना मंत्री महोदय के पास फाइल भेजे, सीधे एलजी साहब के द्वारा और यह डीएसएसएसबी के थ्रू ये सारी वेकेंसीज निकाल ली। ये सारी वेकेंसीज निकाली ली, विदाउट गेस्ट टीचर को वेटेज दिए हुए और यहां पर एक और प्रश्न खड़ा होता है, यहां पर एक लाइन मैं बीच में पढ़ना चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी ने जो इसमें दलील पेश करी कि उन्होंने फाइल जो है, मंत्री महोदय के पास क्यों नहीं भेजी। इसमें चीफ सेक्रेटरी ने यह दलील पेश करी कि जो ऑर्डर है, जिसमें सर्विसेस जो है 4 अगस्त, 2016 का ऑर्डर है, जिसमें सर्विसेज जो है, वो एलजी साहब के अंडर है और इसमें उन्होंने वहीं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करा है एलजी ऑफिस के थ्रू कि वो मिनिस्टर के पास कोई भी सर्विसेस की फाइल न भेजें। अब जो यह टीचर भर्ती हो रहे हैं, मैं जानना

चाहता हूं कि यह टीचर जो हैं, क्या वो पढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूलों में पढाएंगे तो उसको इंस्ट्रक्शंस कहां से मिलेगी? उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुखिया कौन हैं? डिप्टी सीएम साहब हैं मुखिया तो जिस व्यक्ति को उनके काम लेना है अगर वो उनके अकॉर्डिंग अपाइंट नहीं होंगे, अगर उनके संज्ञान में वो बात नहीं रहेगी तो सरकार का जो एक विजन है, मंत्री महोदय का कुछ विजन है दिल्ली को लेकर, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से पिछले ढ़ाई साल में एजुकेशन में काम हुआ है, यह अपने आप में बेंचमार्क है। हम यहां पर बैठे हुए जितने विधायक हें, अपने आप में गर्व फील करते हैं कि पूरे देश भर में अगर एजुकेशन के मामले में एजुकेशन सिस्टम का नाम लिया जाता है तो दिल्ली का नाम लिया जाता है, उस उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम लिया जाता है। पूरे देश में कहीं कोई सा भी स्टेट उठा कर देखिये, जिस तरीके से दिल्ली में एजुकेशन में प्रगति हुई है, None other state has done this well done job but Delhi only is state who did it लेकिन हमारे पूरे एक विजन में कहीं न कहीं व्यवधान पैदा करने के लिए कि अपने मकसद में कामयाब न हो जाएं, कहीं अपने इरादों में सफल न हो जाएं, इसीलिए क्योंकि अतिथि शिक्षक जो हैं वैल क्वालिफाइड हैं। ढाई साल सरकार ने इन्हीं से काम लिया है। ढाई साल में...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण जी, कन्क्लूड करिये।

श्री प्रवीण कुमार : ढाई साल में सरकार ने इन्हीं से काम लिया है, ढाई साल में जब-जब समर कैम्प आर्गेनाइज हुए, जब-जब चुनौती मिशन दिया गया, जब-जब एक्स्ट्रा क्लासेज दी गई, ये अतिथि शिक्षकों ने एक ट्रेमन्डस जॉब किया है और अभी पिछले दिनों आपको ज्ञात होगा...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण जी, कन्क्लूड करिये।

श्री प्रवीण कुमार : सर, थोड़ा सा यह बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और इसमें जो यह ट्रेमन्डस जॉब गेस्ट टीचर ने लिया है, इनके लिए इनका वेटेज तो मायने रखता है, साथ में एल.जी. साहब की जो मंशा है, क्या यह एक ओर चीफ सेक्रेटरी साहब जो डायरेक्टली फाइल एलजी साहब के पास भेज रहे हैं, यह चीफ सेक्रेटरी से लेकर सारे क्लर्क तक की सारे की तनख्वाह यहां पर बैठे हुए, हम लोग बैठ कर पास करते हैं। हम लोग बैठ कर पास करते हैं इन सारे लोगों की तनख्वाह। यहां बैठ कर बजट पास करते हैं तो जो मालिक होता है उनके पास उनकी रिपोर्टिंग होती है या रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है और चाहे एल.जी. साहब किसी भी विषय में इंटरफेयर कर लें लेकिन दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम पर अगर इंटरफेयर करेंगे, एजुकेशन की पॉलिसीज पर इंटरफेयर करेंगे और डायरेक्टली अगर सरकार का विजन उसमें हैम्पर होगा तो मैं पर्सनली धरने पर बैठूंगा क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाशत नहीं किया जाएगा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लाल : Thank you hon'ble speaker sir for giving me a chance to speak on this subject.

सर, दिल्ली में 17 हजार गेस्ट टीचर हैं आज की डेट में और गेस्ट टीचर्स की जिस तरीके से ग्रूमिंग सरकार ने की है, पीछे तीन साल के दरम्यान, वो किसी से भी छिपी हुई नहीं है। सरकार ने एजुकेशन के बजट को पहले 23 परसेंट रखा, इस बार 25 परसेंट रखा और स्कूल के ओवरऑल स्ट्रक्चर को, टीचर के स्टेंडर्ड को, बच्चों

की पढ़ाई को, स्कूल के लेवल को सुधारने के लिए जो जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकती थी, सरकार ने लगातार उसमें प्रयत्न किए हैं। हर साल सरकार 30 टीचर्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज रही है, जिससे वो सरकार के टीचर्स ऑक्सफोर्ड में समझे पढ़ाई को और उसके बाद वो यहां के उन टीचर्स को, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो रेग्युलर टीचर हो या गेस्ट टीचर हो, उनको वो ट्रेनिंग अपनी शेयर करें। जो गेस्ट टीचर हैं, ये लगातार उस पढ़ाई पर उन टीचर्स के साथ बराबर इंटरेक्ट करते रहते हैं। उन लोगों का वही स्टेंडर्ड है जो सरकारी स्कूल में किसी रेग्युलर टीचर का होना चाहिए। स्कूल में टीचर्स की कमी रही है, इसलिए एक योजना के तहत सरकार ने गेस्ट टीचर्स के लिए बाकायदा भर्ती जैसे रूल को फॉलो करके गेस्ट टीचर्स अपाइंटमेंट किया। यह अपाइंटमेंट उस समय इसलिए जरूरी था कि उस समय परमानेंट टीचर्स का अपाइंटमेंट करने के साधन, सुविधाएं, मौका नहीं था। उन टीचर्स की, पीछे चूंकि सैलरी कम थी, सरकार ने उसको भी डबल कर दिया। उस सब के पीछे मंशा एक थी कि उन स्कूल के टीचर्स के बराबर एट पार उन गेस्ट टीचर्स को करने की कोशिश थी, क्योंकि वो उस समय प्रेवेलिंग सर्कस्टान्सेज में दिल्ली के सबसे क्रीम जो स्तर था, वो सरकार में गेस्ट टीचर के रूप में उनको अप्वाइंटमेंट दी गई। वो एक चयन प्रक्रिया के थ्रू आए, पिक एंड यूज नहीं थे। सर, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कैबिनेट में एक डिसिजन पास किया 06/10/2015 को कि अब जब आगामी समय में परमानेंट टीचर्स की अपाइंटमेंट की जाएगी तो इन गेस्ट टीचर्स को ऐज में रिलेक्सेशन दिया जाएगा, साथ ही साथ वेटेज दिया जाएगा क्योंकि ये स्कूल के टीचर्स भले ही गेस्ट टीचर्स के रूप में पढ़ाते रहे पर इन्होंने बहुत बड़ा एक्सपीरियेंस अपनी पढ़ाई के साथ-साथ जो वो स्कूल में डिपार्ट कर रहे हैं, उसे उन्होंने अर्जित किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए, 03.08.2007 सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी पारित किया और उससे पहले माननीय डिप्टी सीएम साहब ने एक चिट्ठी लिखी 28.04.2017 को चीफ

सेक्रेटरी साहब को कि वो रिक्रूटमेंट जो वो डीएसएसबी के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, उसको होल्ड में रखा जाए जिससे जो कानून में सुप्रीम कोर्ट का पिछला एक आदेश था, उसके बाद जो सर्कमस्टान्सेज चेंज हुई हैं, उनके मद्देनजर रूल्स की पालिसी जो है, उसको रिफार्म्युलेट करें। 27.07.2017 को भी माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय ने चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ और दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ को सारे इन लीगल एस्पेक्ट एप्राइज किया। सिचुएशन जो चेंज हो रही है, उसके बारे में बताया और उसके बाद 12.06.2017 को जो सुप्रीमकोर्ट की नई लेटेस्ट जज्मेंट आई थी, उसके बारे में चर्चा की परन्तु हाईकोर्ट के एक डिसीजन के बाद जो 4 अगस्त, 2016 को आया और जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने एक रूलिंग दी कि सरकारी कर्मचारी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं हैं, यहां के अफसरों ने एलजी महोदय के साथ एक सुनियोजित षड़यंत्र करके उस एजुकेशन के ढर्रे को समाप्त करने के लिए सोची समझी नीति अपनाई और जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनको बाईपास कर नई एक भर्ती का दरवाजा खोल दिया। उसमें गेस्ट टीचर्स को एज रिलेक्सेशन देने की तो बात की पर जो वेटेज देने की बात माननीय उप-मुख्यमंत्री, जो शिक्षा मंत्री भी है, जो बार-बार कहते रहे, उसको जानबूझकर दरकिनार किया गया। इस दरकिनार करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण साफ नज़र आता है जो हमने पिछले काफी दिनों से कई मुद्दों पर हमने देखा है। जब सरकार ने हेल्थ के सेक्टर में जोर शोर से काम करना शुरू किया और मोहल्ला क्लीनिक की बात की तो उन्होंने फाइल रोक दी जिससे जमीन उपलब्ध न हो। अगर सड़क पर बनाओगे तो ढ़हा देंगे। सरकार की जमीन पर आपको जमीन नहीं देंगे और उसी की हालत है कि 1000 जो मोहल्ला क्लीनिक बनने थे, आज डेढ़ सौ, पौने दो सौ से ज्यादा नहीं है। एक और मुद्दा था उस समय, मोहल्ला सभा के थ्रू लोगों की दिक्कतों को जानना और उनको इम्प्लीमेंट करना। मोहल्ला सभा आपको नहीं करने देंगे और आपको मैं पीछे बता दूं पीछे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने तो

यहां तक कह दिया कि इस सदन में जो कमेटी बनाई है, जिस कमेटी के थ्रू ये सदन ये जानना चाहता है कि वो अफसर अपना काम ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे, उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी तरफ से क्या सजेशन हैं, आपने उन्हीं को भंग करने की वकालत कर दी। ये षड्यंत्र है इस विधानसभा के साथ। इस विधानसभा के सदस्यों के खिलाफ इस सरकार के खिलाफ। यहां अगर आप देखें तो जितने गेस्ट टीचर्स हैं, वो सारे के सारे उन सभी जरूरतों को जो सरकार के मापदंडों के लिए जरूरी है, उनको पूरा करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीछे अपने डिसीजन्स में कहा है सचिवालय दैनिक वेतनभागी कर्मचारी यूनियन वर्सेज राजस्थान में 03 अगस्त, 2016 को माननीय सुप्रीमकोर्ट ने अपहेल्ड किया कि वेटेज देने की जो पोलिसी है, एडहॉक या कांट्रेक्चुअल टीचर्स को जब परमानैण्ट वेकेंसीज क्रिएट की जाती है तो उस पर कोई भी बार नहीं है और उनको दे देना चाहिए परन्तु माननीय उपराज्यपाल किसकी सलाह मानते है; एएसजी की और एएसजी कौन सी सलाह दे रहे हैं, एक पुराने कानून की जिसके बाद लगातार कानून कई बदल गए क्योंकि परपज केवल एक षड़यंत्र था, परपज को डिफीट करना कि किस तरह स्कूल का जो सिस्टम चरमरा रहा था जिसको इन गेस्ट टीचर्स की मदद से गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है और उसमें बहुत बड़ा काम किया है, उसको इन्होंने खत्म करने की सोच रखी है। मैं और इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। यहां कुछ उमा देवी का केस जिसका ये रेफ्रेंस देते हैं, उसमें लिखा, "Whether persons who had been engaged without following the procedure. वहां था, जिसका एप्वाइंटमेंट विदाउट फौलोइंग द प्रोसीजर हुआ हो, उसको वेटेज नहीं मिलनी चाहिए। पर यहां तो सारा का सारा जितने गेस्ट टीचर्स हैं, जैसे हमें नहीं बताया, यहां सब जानते हैं due process था, वहां था procedure conforming to the requirement of the scheme of the constitution in the matter of public appointments without any rational procedure rec-

ognized by law depriving vast number. सर, इस गेस्ट टीचर्स के मामले में ये बिल्कुल भी नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकी उसके बाद भी कहा: Constitutional courts could compel the State to absorb such persons through regularization. निहाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े अच्छे तरीके से कहा। Supreme Court rejected the State of Punjab's contention that the appointment of the Special Police Officer could not be regularized because they have no sanctioned post. इनके मामले में तो सेंक्शन पोस्ट भी हैं। वहां उन्होंने उनको नौकरी दे दी थी और सर, Guest Teachers are on an even stronger footing in as such as they are seeking regularization only against existing sanctioned post for which post they possess all the requisite qualifications. उनकी क्वालिफिकेशन भी सबकी बराबर है जो आप एप्लीकेशन मांग रहे हैं, उनके बराबर वो पहले से है। एक ड्यू प्रोसेज के थ्रू हुए। उमादेवी में जो जज्मेंट थी, उन्होंने कहा था: Uma devi is not a bar to regularizing the employment of persons so long as the engagaments were made on the basis of a rational procedure recognize by law. जो आज के दिन गेस्ट टीचर उसको पजेज करते हैं, कानून की मान्यताओं के अनुसार उनका एप्वाइंटमेंट हुआ था। Sir, since all eligible candidates were invited to apply at that time, all, there was no question of other eligible candidates being excluded जब उनका अपाइंटमेंट ही पूरा एक transparent method से हुआ है and everybody was invited तब how can one say कि किसी को छोड़ दिया था किसी को ले लिया, इसलिए इनको वेटेज नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं। अगर ऐसा है तो उनको वेटेज मिलनी चाहिए और आज का सदन ये मांग करता है, आज हम मांग करते हैं कि गेस्ट टीचर्स को प्रेफरैन्स मिलनी ही चाहिए। सर, वो फर्दर उन्होंने कहा है: Over

the years, we have been engaged. Teachers की डिमांड है, in Delhi Government's schools, we have been applying ourselves. We have received training from the Delhi Government in dealing with these problems and issue and have required skills and competence specific to the role." सर स्कूल में जो गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो लगातार सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो सरकार के बच्चों को एजुकेशन से सबंधित गर्मियों की छुट्टी का हो, चाहे पांचवी क्लास में जो बच्चे बिल्कुल नहीं आते थे, उनको पढ़ाने का हो, सबसे ज्यादा कण्ट्रीब्यूशन अगर आज दिल्ली में किसी टीचर का है तो वो गेस्ट टीचर का है और गेस्ट टीचर्स ने इतनी ट्रेनिंग कहां से ले ली? वो अपना लंबा एक्सपीरियेंस भले ही चाहे वो टेम्परेरी नौकरी कर रहे हों, चाहे भले ही गेस्ट टीचर हों, पर वो लगातार उन दूसरे टीचारों के बराबर, लगातार उन ध्येयों में लगातार अपना कण्ट्रीब्यूट करते रहे कि दिल्ली की शिक्षा का स्तर कैसे सबसे ज्यादा सुधारा जाए और उसी का कारण है कि आज पिछले दो सालों से दिल्ली के स्कूलों की की बारहवीं क्लास का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से हमेशा अच्छा रहा है जो एक रिकार्ड है, हिस्ट्री है। आज के दिन तक दिल्ली में ऐसा पहले कभी नहीं रहा।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए मदन जी अब कन्क्लूड करें प्लीज।

श्री मदन लाल : सर, यहां सबसे ज्यादा जरूरी है; एक संस्कृत में दोहा है,

करत करत अभ्यास के जड़मति ये हिंदी का ही है:

करत करत अभ्यास के जड़ति होत सुजान
रसरी आवत जात ते सिल पर परत निसान।

यहां तो अगर लगातार रस्सी भी पत्थर को घिसती रहे तो उसमें निशान डाल देती है। ये गेस्ट टीचर तो तीन साल में सात साल तक के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो

बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी उसी तरह की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिस तरह का और टीचर करता है और ऐसे में जब ये सरकार की सभी जरूरतों को जो सरकार की एप्वाइंटमैंट की जरूरतें, उन मान्यताओं को पूरा करते हैं तो ऐसे लोगों को डिप्राइव करना षडयंत्र माना जायेगा और ये ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग उस ऐजूकेशन के प्रोसेस को खत्म करने में अपने हिस्सेदारी चाहते हैं जिसे आहिस्ते आहिस्ते ऐसे टीचरों को लाना बंद कर दें जो स्कूल में अब तक शिक्षा के स्तर को सुधारने में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, गेस्ट टीचर्स को कानून का साथ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंटस में कह दिया है कि ऐसी हालतों में जहां एप्वाइंटमैंट ट्रांसपेरेंट हों, जहां ओपन इन्विटेशन हो, ओपन कंपिटीशन हो, अगर वहां हुआ हो तो ऐज रिलेक्सेशन के साथ-साथ उनको वेटेज भी नौकरी पर मिलना चाहिये और आज के दिन जरूरत है कि हम उन 17 हजार टीचर्स के साथ न्याय करें जो लोग यहां अपने बच्चों को हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और उनके प्रयत्नों की खातिर आज दिल्ली का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सब के मुंह पर होता है। दिल्ली में शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा सुधर रहा है तो ऐसे टीचर्स को जरूरी है कि उनको हम ऐज में भी रिलेक्सेशन दें और साथ के साथ उनको नौकरी में भी वेटेज मिले, इसका मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं, धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, आधा घंटे लिए चाय ब्रेक।

सदन अपराह्न 5.07 बजे पुन: समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय : आज जिस कारण सुबह थोड़ी सी सदन में गर्मागर्मी रही थी, मैं माननीय सदस्यों से मिला हूं और वो कल तक के लिए निर्णय करने के लिए एक बजे दुबारा हम मिलेंगे चैंबर में। विषय जो चल रहा था उस पर श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता : धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, जो हम यहां गैस्ट टीचर के बारे में बात कर रहे थे, हम जिंदगी में वैसे भी देखें तो तजुर्बे के लिए बहुत महत्व देने की बात होती है। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं तो आप ही का है। हम सब विधायक हैं लेकिन क्योंकि आप एक बार पहले भी विधायक रहे चुके थे और बहुत अच्छे तरीके से, किस तरीके से सदन को चलाना है, उसके बारे में जानते थे तो इसलिए आपके तजुर्बे को महत्व दिया गया। सेम कहानी एलजी साहब के बारे में अखबारों में छपी थी कि वो दिल्ली को जानते हैं इसलिए उनको एलजी बनाया गया। तो तजुर्बे का बहुत महत्व है। अक्सर हमारे बड़े-बूढ़े कहते हैं कि धूप में ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए। शायद वो लोग इतना पढ़े-लिखे नहीं होते लेकिन जो तजुर्बा होता है, वो उनके पास में बहुत होता है और किताबी बातें बहुत लोग पढ़ लेते हैं कि किताब में क्या लिखा है लेकिन अमली जामा जो उन्हें पहनाना होता है, कैसे करना है, उस किताब में जो लिखा है, उसे जमीन पर कैसे ले के आना है, उसके लिए तजुर्बे की जरूरत होती है। अगर मैं उदाहरण दूं तो जैसे दिल्ली विधान सभा में 70 विधान सभा क्षेत्र हैं। हर एक विधान सभा में जो एक एक वार्ड है, उसमें अलग-अलग तरीके के लोग रहते है, कहीं पे एक विशेष समुदाय के बच्चे रहते हैं, कहीं पे एक विशेष समुदाय के बच्चे रहते हैं, कहीं एक समुदाय विशेष समुदाय के, तो जो टीचर उन्हें पढ़ाती हैं या पढ़ाता है जो गैस्ट टीचर है, वो कुछ समय में समझ जाते हैं कि इनकी देशी भाषा कौन-सी है, खड़ी भाषा क्या है, कौन से सब्जेक्ट में इनको किस उदाहरणों से इनको समझाया जाए, उदाहरण भी उसी तरीके से पेश किए जाते है कि जिनको वो बच्चे समझ पाएं। तो इन सबके लिए एक तजुर्बे की जरूरत होती है। और तीन-चार-पांच साल काम करते-करते, बात करते-करते उन बच्चों के मां-बाप से, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, जिनके भाई-बहन उसी स्कूल में पढ़ते होते हैं, तो वो तजुर्बा आ जाता है कि कैसे इनसे डील करना है, कैसे इनको समझाना है, कैसे

इन बच्चों को पढ़ाना है और इन गैस्ट टीचर के पास में वो तजुर्बा है। साथ में इन गैस्ट टीचर्स ने जैसे हमारे बाकी साथियों ने बताया, हमने समर कैंपस लगाए, रीडिंग मेले लगाए तो इन्होंने उसमें भी पूरा योगदान दिया, भाग लिया और समर कैंप की इस बार बहुत तारीफें हुई हैं। आपके यहां भी जरूर लगे होंगे और उसमें बच्चों ने बहुत एंज्वाए किया। मां-बाप को बहुत खुशी हुई कि सरकारी स्कूलों में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। रीडिंग मेले लगे बहुत जबरदस्त और इन सब गैस्ट टीचर्स ने उसमें पूरा योगदान दिया और उनका तजुर्बा बहुत ही कीमती है जो उन्होंने उसमें लिया। सरकार ने भी उसके अंदर इन्वैस्ट किया है। उन लोगों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, उसको सिखाया। अब हम नए लोग लेके आएं, उनको फिर सिखाएं, फिर उनमें इन्वैस्ट करें। जो पुरानी इनवैस्टमेंट है, वो बेकार हो जाएगी जैसी हमारे गांव में कहते हैं कि भई पेट वाले की चाह में गोद वाले को छोड़ देना। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि जो इनका तजुर्बा है, वो किसी भी तरीके से वेस्ट ना हो, इनको वो वेटेज मिले जो इन्होंने काम किया है, जो तजुर्बा लिया है, वो वेटेज इन्हें मिले, ये इसी नौकरी पर बहाल रहें। मैं इसके लिए ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि आज बहुत समय निकल गया, सीधे मैं आपकी आज्ञा से एक रैजल्यूशन लाना चाहता हूं कि:

"DSSSB has advertised that they are in the process of recruitment of teachers in Dte. OF Education;

Considering the various directions issued by Ministry of Education to Chief Secretary and Education Directorate; and

Considering the hon'ble Supreme Court's orders in the matter of SLPC No. 3159/2015 and number 32008/2013;

This house resolves that the current recruitment process to be put on hold till the Directorate of Education formulates a policy for

giving due weightage to guest teachers based on their working in Delhi Government Schools."

तो ये रैजूलुशन है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : माननीय अध्यक्ष जी, गैस्ट टीचर पर डिस्कशन हो रहा है यहां पर आज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि आज से तीन-चार साल पहले जब कई स्कूलस थे तो लोगों के मन में एक ये धारणा रहा करती थी कि गैस्ट टीचर पता नहीं, पढ़ाते हैं स्कूल में, या नहीं पढ़ाते हैं और हमेशा जो पेरेन्टस स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जाते थे तो अगर ये पता लग गया कि इस स्कूल में गैस्ट टीचर ज्यादा हैं तो उन स्कूल में बच्चों का एडमिशन पेरेन्टस नहीं कराते थे लेकिन हमारी सरकार आने के बाद आज जो शिक्षा के अंदर अभूतपूर्व एक क्रान्ति हुई है, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में और देश के अंदर जो काम माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने इस सरकार ने एजूकेशन के लिए किया है, मैं समझता हूं हिन्दूस्तान में किसी राज्य ने नहीं किया है और इसके लिए मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब की कार्यकुशलता और उसके लिए मैं उनको एप्रीशिएट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज जो गैस्ट टीचर हैं, हममें सारे विधायक, सब लोग यहां पर बैठे हुए है, मंत्रीगण भी बैठे हुए, अपने-अपने हर क्षेत्र में सभी लोग स्कूल में गए, एसएमसी का गठन करना, पहले जिस तरीके से, स्कूलों के चेयरमेन बन जाते थे, कई स्कूलों के चेयरमेन तो वो बना दिए जाते थे वहां पर जिनके खिलाफ आपराधिक मुकद्दमा दर्ज होता था लेकिन एसएमसी का गठन किया और उसके बाद जो स्कूल में आज रिजल्ट आया है, गैस्ट टीचर्स ने जो काम स्कूलों के अंदर किया है, मैं समझता हूं ये एक ऐतिहासिक काम है। लेकिन अगर कोई टीचर अगर किसी

स्कूल काम कर रहा हो, कोई सरकारी कर्मचारी काम कर रहा हो, अगर उसको मोटीवेट न किया जाए, अगर उसको प्रोत्साहन न उसको दिया जाए तो मैं समझता हूं, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस मामले में हमारी सरकार ने, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने खुद स्कूल गए, कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, वहां जाकर स्टूडेंटस से पूछा, पेरेंटस से पूछा और बच्चों के साथ खुद जाकर ये पूछा कि ये पूछा कि आप बताइए आपके टीचर टाइम पे आते हैं या नहीं आते हैं, आपके गैस्ट टीचर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा काम देश के, हमने विदेशों में तो सुना था कि वहां के मंत्री स्कूलों में जाते हैं, कोरिया या और कई जगह लेकिन देश के अंदर अगर इस तरीके के हमारे एजूकेशन मिनिस्टर स्कूल्स के अंदर जाके बच्चों से पूछना, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। लेकिन आज लड़ाई दूसरी है दिल्ली के अंदर। आज क्या वजह है कि आज दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है माननीय लैफटिनेंट गवर्नर साहब को। आज जो चीफ सेक्रेटरी और उप राज्यपाल और सरकार के बीच का जो एक टकराव है, वो कहीं न कहीं उसमें सफर कौन कर रहा है। उसके अंदर अगर सफर कर रहा है तो आज दिल्ली के लोग और वो बेचारे गैस्ट टीचर, वो लोग आज सब सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज। ये देखिए, ये लेटर है। इसके अंदर साफ तरीके से लिखा गया है ये अगर पत्रकार महोदय हैं तो वो भी अच्छी तरीके से देख लें कि लास्ट की लाइन में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या है कि 17000 उन यूथ के हैं, उनके हैं, जिन्होंने आज दिल्ली के अन्दर एक बहुत अच्छा लोगों को एजुकेशन बहुत अच्छा सब कुछ दिया है और हम बताना चाहते हैं कि हम इस कदम में चाहे कुछ भी करना पड़े एक कहावत है 'खुल्ला खेल फर्रुखाबादी।' आप सब लोगों ने सुना होगा साथियों ने। बिल्कुल ये चरितार्थ है अगर एक तरीके से देखा जाए। लेकिन अधिकारीगण जो लोग भी है, उसको प्रेस्टीज न बनाएं। चो वो चीफ सेकेट्री साहब हों, जब एक ऑर्डर है, एक चीज सारी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके

अन्दर साफ लिखा हुआ है, सारी चीज लिखी हुई हैं और वो सिर्फ इस बात के लिए कि नहीं साहब, वहां से फाइल चली गई, इधर आ गई। अरे! देखिए मान्यता भी कोई चीज होती है कल को आपके भी बच्चे हैं आपके रिलेशन के भी लोग भी है उनको भी तो स्कूल जाना है और ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है ये उनके हक की लड़ाई है और जितने विधायक है हम सब लोग आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया साहब, सारे विधायक इस लड़ाई में आपके साथ हैं और उन 17000 जो हमारे गेस्ट टीचर हैं और आज गेस्ट टीचर की तनख्वाह किसने बढ़ाई! आज तक पीछे कांग्रेस की सरकार थी और कई लोगों को उन्होंने लगाया भी। गेस्ट टीचर के लिए वो हमेशा बेचारे परेशान रहते थे, हमारी तनख्वाह बढ़वा दीजिए, हमारे पैसे कब बढ़ेंगे! जब हम लोग जीतकर आए तो हमने कहा कि आप लोग तसल्ली करिए। हमारी सरकार अगर हमने आपसे वादा किया है तो हम जरूर पूरा करेंगे और हमारी सरकार ने ये वादा पूरा किया आज 17000 रुपये जिसको सैलरी मिलती थी, हमने 32000 रुपये सैलरी हमारी सरकार ने कर दी है। ये काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, ये काम माननीय केजरीवाल साहब ने किया है, ये काम मनीष जी ने किया है। इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते है। तो उनकी हक की लड़ाई के लिए सारे विधायक, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। मनीष जी, अब कुछ भी करना पड़े, इस हक की लड़ाई के लिए हम कंधे से कंधा, अगर कोई आंदोलन भी हम सारे विधायकों के लिए गेस्ट टीचर के लिए करना पड़ा तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे, आपका धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आदरणीय अध्यक्ष जी, गेस्ट टीचर के साथ पिछले लगभग, मैं सीधा कहूंगा अगर तो सरकार जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तब से आंख मिचौली हो रही है। उसका कारण ये है कि जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई

तो वायदा किया गया था कि सभी टीचर्स को नियमित किया जाएगा। लोगों ने विश्वास किया और ये उम्मीद रखी कि नई सरकार आएगी और अपने वायदे को पूरा करेगी। लगभग 17858 गेस्ट टीचर्स हैं 33 हजार वर्केसिज हैं, दिल्ली सर्बोडिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड जो है उसने पिछले ढाई वर्ष में कोई वेकेंसी प्रोसेजस उसको पूरा नहीं किया, 9138 रिक्त पदों के लिए 7 अगस्त, 2017 को एक एडवर्टाइजमेंट आता है डीएसएसएसबी का 3411 टीजीटी पद हैं और 5727 पीजीटी पद हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब 33000 टीचर्स की वेकेंसी खाली हैं तो मात्र 9138 अध्यापकों की भर्ती का प्रोसेस क्यों शुरू हुआ। इसके साथ-साथ हमारा ये कहना है, मुझे याद है उप मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार का एक कार्यक्रम था। छत्रसाल में सभी टीचर्स को बुलाया गया था और कार्यक्रम के बाद गेस्ट टीचर्स ने छत्रसाल स्टेडियम के बाहर की सड़क को जाम कर दिया, प्रोटेस्ट किया। मैंने टीवी पर देखा उप मुख्यमंत्री साहब का स्टेटमेंट आ रहा था कि आज टीचर्स ने हमारा दिल तोड़ दिया। तो थोड़ी देर बाद उसका काउंटर रिप्लाई आया टीचर्स की तरफ से कि जनाब, हमने नहीं, आपने हमारा दिल तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा है। हम तो व्यथित हैं। आपने हमारा दिल तोड़ा इसलिए हम व्यथित हैं। आपने नियमित करने की बात की थी जो टीचर 10 साल से, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, गेस्ट टीचर्स के रूप में सालों से काम कर रहे हैं, आज आप उनको टेस्ट कम्पिटीशन के सिस्टम में लाने की बात कर रहे हैं। क्या ये एश्योरेंस दे सकते हैं आप सदन में कि 17858 तमाम टीचर्स के साथ आप न्याय कर पायेंगे! आप कोई भी सिस्टम एडॉप्ट कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्या 17858 टीचर्स जिनको नियमित करने की बात आपने कही थी, उस वायदे के अनुसार क्या आप उनको इसमें उनको एकोमोडेट कर पायेंगे? ऐसा संभव नहीं है! अगर इसमें से 1000-2000 टीचर्स आपके इससे फार्मूले में आ भी गए तो बाकी 15000 का क्या होगा। उन 15000 की क्या एश्योरेंस है और मुझे लगता है कि ये जो फार्मूला आप बता रहे हैं, इस फार्मूले से जो टीचर्स का एजिटेशन है, वो भी खत्म

होने वाला नहीं है। इसलिए कोई रास्ता ऐसा निकालिए कि इनको नियमित किया जा सके इन टीचर्स के साथ न्याय हो सके क्योंकि अनुभव इनके पास है। आज जो नए पास होकर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके साथ वो मैच नहीं कर पायेंगे। दस परसेंट भी मैच नहीं कर पायेंगे। इसलिए नियमितीकरण की बात जहां से शुरू हुई थी, वहीं लौटकर आइए। नियमितीकरण कीजिए और वरना नहीं तो कोर्ट कचहरी की चीजें चलेंगी और ये मामला चलता रहेगा। कोई ऐसा रास्ता निकालिए 17858 तमाम टीचर्स के स्केल पूरे मिलते रहे और उनको जॉब सिक्योरिटी हो जाए। अगर ये भी एक फार्मूला ऐसा निकल जाए कि उनकी जॉब सिक्योरिटी हो जाए और बाकी 17000 वेकेंसिज को तुरंत भरा जाए। जब तीन-तीन साल, चार-चार साल वेकेंसी फिल ही नहीं हो रही है तो ओवरऐज तो हो ही जायेंगे। तो इसलिए जितनी वेकेंसिज 17858 को आप रेस्ट्रिक्ट करिए कि हमने रिजर्व कर दी, इन्हीं की है ये, इन्हीं को दी जायेंगी और उसके बाद जो वेकेंसिज हैं, उनको भरिए, जिस भी फार्मूले से आप भरना चाहें या ये एश्योर करिए कि हम ये फार्मूला भी एडॉप्ट कर रहे हैं और जो रह जायेंगे, उनको भी हम रेगुलराइज करेंगे। लेकिन वायदे नहीं होने चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए और फुलप्रूफ सॉल्यूशन होना चाहिए नियमितीकरण का ही फार्मूला इसका निकालना चाहिए। उसके लिए आप विपक्ष के विश्वास में लेना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। वैसे तो विपक्ष को कुछ तवज्जो जो मिलनी चाहिए, नहीं है लेकिन बावजूद इसके, हम फिर भी आपके साथ हैं। आप नियमितीकरण का रास्ता अपनाइए और उस पर आगे बढ़िए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी।

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। ये क्योंकि दिल्ली के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। मैं उसपे आऊं, उसपे अपनी बात रखूं उससे पहले अपने माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो अपनी बात रखी है, उस पर एक दो चीजें मैं कहना चाहता हूं।

एक तो कई बार ये अक्सर होता है कि आपका डेटा थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो जो भी आपका डेटा प्रैसिस करने वाला आदमी है, एक व्यक्तिगत सलाह है, उसको

दे दें। थोड़ा सा पूछ लिया करें। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डेटा हम भी उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार के अन्य अधिकारी, विभाग करा सकते हैं। इस वक्त दिल्ली में करीब 50 हजार टीचर्स काम कर रहे हैं और लगभग उतनी ही वैकेंसिज, उतनी ही पोस्ट हमारी सरकार आने के वक्त थी। उनमें से कुछ परमानेंट रूप में काम कर रहे हैं, करीब 35 हजार और करीब 17 हजार गेस्ट टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं और उसके बाद में एक क्योंकि अब क्लासरूप नये बनवाये, वो अच्छे बढ़ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे उसको केल्कुलेट करते हुए आईटी के फॉर्मूले के आधार पर और तमाम और जरूरतों के आधार पर 9 हजार, करीब 9 हजार गेस्ट टीचर, 9 हजार टीचर्स की पोस्ट और हमने एडिशन क्रिएट की थी जो बार-बार हमारे कोर्ट में भी क्योंकि केसेज आते हैं तो वहां भी हमने माननीय अदालत को भी सूचित किया है तो लगभग 9 हजार पोस्ट वैकेंट थी टेक्निकली। लेकिन वो भी 9 हजार पोस्ट पे गेस्ट टीचर्स की, क्योंकि थ्रू भरने की हम वो कर रहे थे, अभी निकाली नहीं है।

दूसरा सिर्फ संज्ञान के लिए मैं कह रहा हूं कंसर्न हम भी और हम हैं तभी ये सदन चर्चा भी कर रहा है। कभी मैं एक चिट्ठी भी लिखता हूं एलजी साहब को। लेकिन थोड़ा सा सोचने की भी जरूरत है कि नेता प्रतिपक्ष यहां बात रख रहे थे कि भई आप करिए, आप करिए। अरे हूजूर, आपकी सरकार ने सर्विसेज मैटर को अपने अधीन एन्क्रोच करके रखा हुआ है और उसपे हाई कोर्ट की मोहर भी लगी। हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं तो जैसे डीडीए आपके पास है, जैसे दिल्ली पुलिस आपके पास है। डीडीए के फैसले, पे, दिल्ली पुलिस के उसके उसपे आप हमेशा नीति बनाते रहे हैं। आप बनवाइए एक बार यहां तो, यहां तो प्रतिपक्ष हम हो रहे हैं। तो अभी तो सर्विस आपके अब मुझे नहीं पता कि जब आप ये कहते हैं कि ये करिए तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप मुझसे कह रहे हैं कि ये करिए, आप एलजी साहब से कह रहे हैं या राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं या मोदी जी से कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि सर्विसेज, लोकतंत्र की हत्या करके किसी चुनी हुई सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग लेने का कुकर्म जिन लोगों ने कर रखा था, ऑर्डर पास कर करके... तो थोड़ा सा अगर इतना ही कागजों पे अपने आपको सर्विसेज का इंचार्ज लिखवाने का शोक

है, तो थोड़ा सा उस सर्विसेज के इंचार्ज की भूमिका भी निभाइए, थोड़ा सा उस सर्विसेज के तहत आने वाले दिल्ली सरकार के चाहे अध्यापक हों, शिक्षक हों माने और क्लर्कस हों, अधिकारी हों, उनको भी भरिए। सिर्फ हाकिम बनने के लिए, हाकिम और बाकी जनता त्रस्त रहे और फिर यहां बैठ के हम भाषण दें कि ये करिए ऐसे नहीं चलेगा। सर्विसेज है आपके पास में अभी। हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत करिए या दे दो वापस, हम करके दिखा देंगे।

अध्यक्ष महोदय तो मुझे अभी समझ नहीं आया ये एल.जी. को एड्रेस कर रहे थे, मुझे एड्रेस कर रहे थे या क्योंकि सर्विसिज तो अब अगर देखें सेन्टर का मतलब तो होम मिनिस्टर भी है, सेन्टर का मतलब तो प्राइम मिनिस्टर भी है तो जैसा भी हो, वो स्पष्ट कर सकते हैं बाद में। तो एक बार एल.जी. साहब से भी बात कर लें। आप तो रोजाना उनके साथ बैठते हैं। हमारी फाइलें गुपचुप तरीके से वैसे ही आपको सारी दिखाते हैं वो। सारी फाइलें साइन करके हमको बाद में भेजते हैं, पहले आपके पास वो मिल जाती हैं, उसकी फोटोकॉपी मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू जल्दी आ जाती है। हमारे पास हमारा सरकारी चैनल तो थोड़ा स्लो है, उनका आपका वाला चैनल काफी फॉस्ट है। तो एक बार बैठके उनसे बात कर ली जाए, आप भी कर लें, खैर!

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इसपे चिंता व्यक्त की है कि ढाई साल से हम भी इसको कोशिश कर रहे हैं ओवर ऑल सरकार चलाने के क्रम में कई बार मुझको ये कहते हुए दुःख भी है और चिंता भी है डेमोक्रेसी की स्थिति को देखते हुए जिसे हम सरकार कह रहे हैं, ये सारा सरकारी काम और मैं सरकार का हिस्सा होके ये कह रहा हूं। मैं सरकार में एक मंत्री होके ये कह रहा हूं कि हमारे देश की पीड़ा ये है कि ये जिसे हम सरकार कहते हैं ये सारा सरकारी ताम झाम कई बार मुझे लगता है कि ये सरकार, ये जनता के दुःख-दर्द दूर करने के लिए है या उसको बढ़ाने के लिए है! ये सरकारें, ये सरकारी दफ्तर, ये सरकारी ताम जाम इतना ऊपर से नीचे तक हमने खड़ा कर रखा है, ये लोगों के काम में सहूलियत देने के लिए या लोगों के काम को सहूलियत रोकने के लिए है।

जैसा मैंने कहा 50 हजार टीचर्स काम कर रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं सब। खूब ट्रेनिंग्स हुई हैं, खूब अच्छे रिजल्टस आए हैं। सिर्फ कन्टिन्यूटि ऑफ सर्विस और कुछ सैलरी फैसिलेटीज को छोड़कर, क्लास रूम में खड़े होके आप कह नहीं सकते कि ये टीचर परमानेंट है कि गेस्ट टीचर है क्योंकि दोनों बड़ी तनम्यता से पढ़ा रहे हैं। अध्यापक का काम एक दम ठीक से चल रहा है, अध्यापक का काम! अब वो काम ठीक से चल रहा है और बच्चे खुश, पेरेंट्स खुश, टीचर्स खुश, प्रिंसीपल खुश, जनता खुश, सरकार दु:खी, बोले, नहीं, नहीं, ये तो ठीक से नहीं चलना चाहिए। अब इसमें टांग अड़ाओं, अड़ा दी टांग। बोले, ये कैसे पढ़ा सकते हैं! 17 हजार टीचर बड़े निश्चित होके पढ़ा रहे हैं, कैसे? क्योंकि जब हम सरकार आए तो हमने सबसे पहले इनके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती थी। इनको हर साल हटा दिया जाता था और अगले साल फिर कहा जाता था भई अप्लाई करो। नए लोग भी अप्लाई करो, तुम भी अप्लाई करो, देखेंगे, ले लेंगे कुछ लोगों का आता था, कुछ लोगों का नहीं आता था। जब बीच में एल.जी. रूल था, मतलब आपकी वाली सरकार थी बीच में, तब भी ये ही किया गया। उनको हटा दिया गया बेचारों को। बेचारों से फिर अप्लाई करवाया गया, फिर उन्होंने अप्लाई किया, फिर कुछ रह गए, कुछ गए, कुछ नए आए। हम जबसे सरकार में आए हैं, गेस्ट टीचर्स को हटाने का ये गोरख धंधा बंद कर दिया, कन्टीन्यूएशन में चल रहे हैं और वो तो कोई काम नहीं करेगा तो फिर परमानेंट को भी निकालेंगे। कोई काम में बाधा डालेगा, कोई स्कूल्स में पढ़ाएगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भाई विजेन्द्र जी, आप बोल रहे थे, कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई।

श्री मनीष सिसोदिया (उप-मुख्यमंत्री) : पर जो काम नहीं करेगा, जो प्रॉब्लम करेगा। जो पढ़ा रहे हैं, उसको नहीं निकाला। आरे! 17 हजार में से 17 निकाले न। आपने तो 17 हजार निकाल रखे थे। आपने तो, आपकी जब एक साल की सरकार

थी, आपने तो 17 के 17 हजार निकाले थे और हमने किसी कानून की वजह से 17 निकाले होंगे। हर प्रि टेस्ट में भी निकालेंगे, पढ़ाना काम है पढ़ाओ जाके।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि वेतन और इन सबको छोड़के शिक्षक बढ़िया से काम कर रहे थे। अचानक उसमें टांग अड़ा दी गई है। मुझे लगता हे कि दिल्ली में शिक्षा का जो बढ़िया काम हो रहा था, उसमें अड़चन डालने की अब तक की सबसे बड़ी साजिश है ये। 17 हजार शिक्षक जो पूरे तन्मयता के साथ में अपने क्लास रूप में खड़े होके पढ़ा रहे थे, उनके काम में बाधा डालने के लिए, उनका मानस ढुलाने के लिए, उनके मन में हलचल पैदा करने के लिए, उनका मॉरल डाउन करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी साजिश है। ये सरकार को डिरैल करने की, काम को डिरैल करने की और सिर्फ, अरे! हमारे काम में डिरैल कर दो, ठीक है। पर आप 16 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेलने के लिए इतनी साजिशें रच रहे हैं। मैं दो दिन पहले एडीटर प्रेस का वो एडवर्टाइजमेंट देखा। मैं शिक्षा मंत्री हूं, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि अरे! शिक्षकों की नियमित भर्ती का काम शुरू हो गया, मुझे भी नहीं पता। मैंने पूछा, भई क्या हुआ? बोले जी, वो तो सर्विसेज मैटर है न इसलिए सीधे एल.जी. साहब के साथ डील हो रहा है। अरे! सर्विस मेटर ही तो उधर ट्रांसफर्ड है, हाई कोर्ट के तहत शिक्षा तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है शिक्षा पे तो हम काम कर रहे हैं। शिक्षा देने की जिम्मेदारी तो हमारी है। क्लास रूम में क्या माहौल रहेगा, इसके लिए तो हमसे कम से कम डिस्कस तो करिए। मेरे से डिस्कस तक नहीं किया। अध्यक्ष महोदय मेरे से डिस्कस तक नहीं किया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, ये ठीक नहीं। देखिए, मंत्री जी बोल रहे हैं। विजेन्द्र गुप्ता जी बोले, कोई विधायक नहीं बोला और आप कमेंट्स करेंगे तो उचित नहीं।

श्री मनीष सिसोदिया (उप-मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि डॉयरेक्टोरेट ने एजुकेशन में शिक्षकों की नियमित भर्ती का विज्ञापन निकला है, मुझे आश्चर्य भी

हुआ। मैंने जैसे अभी कहा। मैंने पता किया। बोले मेरे लिए एक्शन इसलिए था, उसमें लिखा, उसमें संजीव भाई ने रखा। उसमें ऐज रिलेक्सेशन का प्रोविजन है। हमने जब कि कहा हुआ है कि इसमें उसके एक्सप्रीएंस को भी वैटेज होना चाहिए क्योंकि अलग-अलग समय पे बहुत सारे गेस्ट टीचर्स आए हैं। गेस्ट टीचर्स को कन्टीन्यू रखना, उनको नौकरी पे रखना, हमारी एक जिम्मेदारी है। पर साथ-साथ 16 लाख बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी मूल जिम्मेदारी है हम क्वालिटी में समझौता नहीं करेंगे। इसलिए जब भी हमने कहा, आप आपने हिसाब से कुछ भी इंटरप्रेट करते रहिए हमने हमेशा यही कहा है हम आपके एक्सप्रीएंस को प्रेफ्रेंस देंगे, हम उसको वैटेज देंगे, हम ऐसा सिस्टम लेके आएंगे और हमने वो ही सिस्टम बनाके, जिक्र कई सदस्यों ने किया। लेकिन में तफसील से रख दूं थोड़ा सा आपकी इजाजत से 6.10.2015 को हमने कैबिनेट में ये सिस्टम बनाके कि सभी गेस्ट टीचर्स को ऐज रिलेक्सेशन दिया जाए और उनके कार्य अनुभव को सरकार के सरकारी स्कूलों में काम करने के उनके अनुभव को वार्षिक आधार पर वैटेज दिया जाए। एक साल, दो साल, तीन साल जो भी उनका अनुभव है, काम करने का उसके आधार पर उनको वैटेज दी जाए नौकरी में उनके। इसका प्रस्ताव बनाके भेजा एल.जी. साहब के पास में कैबिनेट से पास करके 6.10.2015 को, याद दिला रहे हैं। 30.05.2016 को 05.02...अरे! सर, जुमला पार्टी के सदस्य नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। आपकी तरह से जुमला नहीं बोलते हैं, वो जुमलाबाज नहीं हैं। लड़कियां छेड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। लड़कियां छेड़ने वालों को बचाने पर उनकी जमानत देने पर काम नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बार बार बोल रहे हैं। विजेन्द्र गुप्ता जी बोल रहे थे, कोई सदस्य नहीं बोला। साईलेन्ट था पूरा सदन।

...(व्यवधान)

उप मुख्यमंत्री : आप हो, रिकार्ड में है।

...(व्यवधान)

उप मुख्यमंत्री : न सदन में ठीक से चलने देते हो, न स्कूलों में ठीक से पढ़ाई होने देते हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं उनको कहूं या आपको कहूं! आप एक सेकेण्ड, दो मिनट प्रवीण जी। सोमनाथ जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कहूं आपसे। आप जब बोल रहे थे, एक भी सदस्य नहीं बोला। मैं बड़ा खुश था। मैं बड़ा खुश था कि भई कम से कम मीटिंग का असर दिखाई दे रहा है। सिरसा जी, दो मिनट रूक जाइए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जब विजेन्द्र जी बोल रहे थे, कोई सदस्य नहीं बोला लेकिन जब से मंत्री जी बोल रहे हैं, विजेन्द्र जी, कमेन्टस कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा कमेन्टस कर रहे हैं। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। नहीं, आपका जो सवाल था, उसी का उत्तर आया है। कोई उन्होंने गलत नहीं बोला। उन्होंने कहीं गलत नहीं बोला।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, विजेन्द्र जी अगर छेड़खानी करेंगे, आज अब जो सेशन चल रहा है इसमें, न उन्होंने बिल्कुल कोई कमेन्टस नहीं किया। बैठिए, प्लीज। ऋतुराज जी बैठिए। ऋतुराज जी बैठिए। अनिल जी बैठिए प्लीज। अलका जी।

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 6.10.2015 को कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव...

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेण्ड। देखिए, मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी अगर बोल रहे हैं, हम कोई कमेन्टस करेंगे फिर नेता विपक्ष बोलेंगे। आप

बोलेंगे तो इधर के मेरे बस का नहीं है रोकना। देखिए मेरी बात सुनिए। आज, आप बराबर बोलते रहे हैं। उसमें कमेन्टस किया उन्होंने? आप पर व्यक्तिगत नहीं किया। चलिए अब जरा साईलेन्ट रहें प्लीज। माननीय मंत्री जी का।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी का तैयार किया हुआ सारा विषय उसमें डिसटर्बेन्स हो रही है। वो बड़ा अच्छा उनका चल रहा है प्लीज। सौरभ जी, प्लीज। सौरभ जी, प्लीज रूकिए। ऋतुराज जी, ये ठीक नहीं है तरीका। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

उप मुख्यमंत्री : 6.10.2015 को अध्यक्ष महोदय दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने यह प्रस्ताव एल.जी. साहब के पास भेजा। सात महीने बाद, आठ महीने बाद एल.जी. साहब ने 30.05.2016 को ये प्रस्ताव, ये कहते हुए वापस भेजा कि इसमें एल रिलैक्सेशन का तो मंजूर है लेकिन जो दिल्ली सरकार के साथ काम करने का वर्क का एक्सपीरियेन्स है, उसको वेटेज नहीं दिया जा सकता क्योंकि एस.जी. से राय आयी है कि उमा देवी के जजमेन्ट के तहत ये एलाउ नहीं है। उमा देवी के जजमेंन्ट के तहत ये किया नहीं जा सकता। अब उसके बेस पर आगे चीजें चली रहीं थी। हम भी ओपिनियन ले रहे थे। इसी बीच में 3.8.2016 को डेट इसलिए इम्पार्टेन्ट है क्योंकि 30.5.2016 को एल.जी. साहब ने कहा कि मैंने भारत सरकार के कानूनी अफसरों से राय ली है कि उमा देवी जजमेन्ट के आलोक में वेटेज नहीं दिया जा सकता। उसके मात्र तीन महीने के अन्दर, दो महीने के अन्दर-अन्दर 3.8.2016 उमा देवी जजमेन्ट को क्लैरिफाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो महत्वपूर्ण जजमेन्ट आये। एक 3.8.2016 को आया और एक 29.11.2016 को आया। उन दो जजमेन्ट को यहां मैं सदन के रिकार्ड में मैं कापीज भी दे दूंगा रिकार्ड के लिए। लेकिन उनके कुछ हिस्से मैं पढ़ना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों के लिए भी, माननीय विपक्ष के सदस्यों के लिए भी और यहां मीडिया और तमाम लोग बैठे हैं उनके लिए भी ये इम्पार्टेन्ट है।

रेफ्रेन्स उसका ये है। ये राजस्थान के सन्दर्भ में था। राजस्थान की सरकार ने कुछ वेटेज का फेसला लिया था। लम्बी कहानी है, वहां कोर्ट में गया। कोर्ट से फिर होते-होते सुप्रीम कोर्ट में आया। इस उमा देवी जजमेन्ट के तहत ही उसको रोकने की कोशिश की गयी थी। तो कोर्ट कहता है। मैं अलग-अलग जो रिलेवेन्ट पार्टस हैं, वो पढ़ देता हूं जल्दी से। whatever is the prayer of the writ petition number this, the fact remains that the members of the Appellant Union जो कन्डीडेट्स थे, जो कर्मचारी थे, उनकी तरफ से members of the Appellant Union are not seeking regularization of their prior service. वो अपनी प्रॉयर सर्विसेज की रेगुलराईजेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वेटेज चाह रहे हैं। ये कहता है तो सुनवाई के दौरान फिर जजमेन्ट में अब्जर्वेशन In spite of pointed question, the learned counsel for the first respondent could not point out anything in Uma Devi's judgement which either dealt with or prohibited the State from giving weightage for services rendered by employees. यानि की अदालत ने पूछा वकील से कि भई, उमा देवी जजमेन्ट में कहां लिखा हुआ है कि वेटेज नहीं दी जा सकती। तो जज कह रहे हैं In spite of pointed question एकदम पर्टिकुलर पूछने पर the Learned Counsel for first respondent could not point out anything in the Uma Devi judgement which either dealt with or prohibited. या तो उमा देवी जजमेन्ट में उस पर बात की हो या उसको मना कर दिया गया हो, जिक्र नहीं है इस प्रोसेस का कि उनको वेटेज दी जाये या नहीं दी जाये। आप कैसे मना कर सकते हो उमा देवी जजमेन्ट पर! ये जज ने कहा: State from giving weightage for the services rendered by employees where services were used by the State either temporarily or adhoc bassis inluding daily wages basis. डेलीवेजेज बेसिस पर भी जो कर्मचारी काम कर रहें हैं, उनकी भी बात उन्होने कही irrespective of the regularity of the essential entry into the service all that this court declared in Uma Devi.

अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमैण्ट है, सुप्रीम कोर्ट का ही ये वाला जजमैण्ट है, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। उमा देवी के बारे में इससे बड़ा क्लौरिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि कभी आया होगा। All that this court declared in Uma Devi's case is that such people cannot claim to be appointed automatically on the ground that their services were utilized on temporary basis for considerably long periods यानि कोई कर्मचारी सिर्फ इस बेस पर कि उसकी सर्विसेज काफी लम्बे समय तक ली गयी थी, रेगुलर होने की डिमाण्ड नहीं कर सकता लेकिन अगर सरकार वेटेज देना चाहती है तो वेटेज देने का उसका अधिकार है Even with reference to such claims, Uma Devi did not declare that in no case such claim should be entertained. This court opined that there is a justification to consider the case of certain class of employees who have put in 10 years of such services आगे Uma Devi dealt with in relation to the execution and regularization of temporary and adhoc services यानि कि अगर रेलुलर करेंगे तब ये उमा देवी का केस आता है लेकिन अगर वेटेज देंगे तो नहीं आता है। In any reference to the any law, Uma Devi never dealt with a validity of the judicial order which has attained finally. आगे कोर्ट कहता है: "The Members of the Appellant Union are also entitled for some weightage for the past service rendered by them, the quantum of major of such weightage may be decided by the state in accordance with rational policy" उसको मैं दुबारा पढ़ देता हूं क्योंकि जजमैण्ट में इसका बहुत महत्वपूर्ण जिक्र है। ये एक तरफ से कोर पार्ट है। "The members of the Appellant Union are also entitled for some weightage for the past services they have rendered. The quantum of measure of such weightage may be decided by the State in accordance with a rational Policy." एक पालिसी बनाके सरकार ला सकती है। ये एक जजमैण्ट था। इसके बाद एक और केस

हुआ। उसमें सरकार ने एक साल के लिए वेटेज के लिए दस प्वाइन्ट दिये। दूसरे साल के लिए बीस प्वाइन्ट दिये और तीसरे साल वेटेज के लिए तीस प्वाइन्ट दिये।

अध्यक्ष महोदय : कहां की गवर्नमैण्ट?

उप मुख्यमंत्री : राजस्थान सरकार। इस वेटेज को चैलेंज किया गया, उस चैलेंज को, फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्लेरिफिकेशन के लिए तो उसमें बहुत शानदार क्लेरिफिकेशन यहां तक दिया है इन सब्सटांस अब दूसरा आर्डर है जो मैंने, इसलिए दो का जिक्र किया था। "The weightage is 10 marks for experience of more than one year but less than two years, 20 marks for the experience of more than 2 years but less than 3 years and 30 marks for the experience of more than 3 years, the complete detail of the entire system may not be relevant for the यह कह रहा है: "The Learned Single Judge of the Rajasthan High court while hearning the matter entertained the doubt whether the said weightage proposed by the State is consistent with the law laid down by this Court in Uma Devi's case." आगे आता है "By this judgement under appeal, the division bench thought though वो मामला डिविजन बेंच में गया था, वहां डिविजन बेंच ने यह कहा कि यह रेशनल नहीं है, इतना ज्यादा वेटेज है, डिविजन बेंच ने कहा सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ने Divison bench though did not find anything wrong with the policy of giving weightage for the experience gained by the candidate, candidates however found that the bonus marks to the extent of 30 marks is unjust and arbitrary. यह हाई कोर्ट ने कहा। The relevant portion is there. उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "It was further held the quantum Measure अब इस जजमेंट का जिक्र कर रहे हैं कि हमने उसमें सारा डील कर लिया है, उसी में हमने कहा है, "It was further held that the quantum/measure of weightage could be decided by the state by adopting a

rational policy in accordance with the law. In the instant case, the State itself was the propounder of the policy giving the weightage which varied with the number of experiences gained by the employees. Therefore, the State can not be hurt to say that the policy is not a rational policy. Apart from that, we do not find anything arbitrary in the policy propound by the State, we said. अब जजमेंट है 30 मार्क्स तक वेटेज को इर्रेशनल बताने वाला आर्बिट्रेरी बताने वाले जब यह हाई कोर्ट के जजमैण्ट पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। We set aside the Judgement under appeal to the extent that it helps, that the state govt. may grant weightage bonus marks against the services, experience within the cap of 15 marks. ऐसा हाई कोर्ट ने कहा था कि हम 15 मार्क्स तक दे दें, रेशनल रहेगा, 30 मार्क्स तक दे रहे हो, रेशनल नहीं है तो उन्होंने कहा हम उस जजमेंट को भी sel aside कर रहे हैं। We set aside the judgement under appeal to the extent that it helped that the State Govt., may grant weightage against the service, experience with the cap of 15 marks. In other words, the policy propounded by the State must be allowed to operate in its own term. यानि कि उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया हुआ है, उसकों भी वेलिडेट किया हुआ है तो इसके बाद मुझे लगता नहीं, इन दो जजमैंट्स के बाद कहीं कोई गुंजाइश है और मुझे पूरा विश्वास है कि 17 हजार गेस्ट टीचर्स में से एक्सपीरियंस के आधार पर, नॉलिज के आधार पर और टेलेंट के आधार पर बहुत टेलेंटेड टीचर्स हैं। आपका भरोसा हो न हो, मेरा भरोसा उल्टा है। मेरा भरोसा है कि उसमें से सत्रह के सत्रह हजार इसे भर पाएंगे क्योंकि मैं तो उनके साथ ढाई साल से काम कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब ये जजमैंट मेरे संज्ञान में आए तो 28.04.2017 को, मैंने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि आप कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेज चला रहे हैं, मैंने सुना है। देखिये हाई कोर्ट के रेफेरेंस में उन्होंने कोई वो चलाया था। मैंने उनको

कहा कि इसको Put on hold and consider the policy of weightage to guest teacher on the basis of this judgement. फिर 12.16.2017 को मैंने फिर से सुप्रीम कोर्ट के जजमैण्ट का रेफेरेंस देते हुए डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को लिखा कि इस तरह का कोई रिक्रूटमैंण्ट न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स्र आ चुके हैं। इनको कंसीडर किए बिना, वेटेज दिए बिना, कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया जाए। उसके बाद 27.7.2017 को हर महीने लिख रहा हूं, 27.7.2017 को मैंने मीटिंग बुलाई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स थे, उसमें भी मैंने कहा कि इसके एकॉर्डिंग कोई पॉलिसी फ्रेम करके, तब यह अपाइंटमेंट करिये। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे सारे एफर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमैण्ट के सारे रेफरेंसेस, सुप्रीम कोर्ट की सारी क्लोरिफिकेशन सिर्फ इस बिना पर खारिज कर दिए गए कि सर्विसेज इनके पास नहीं है जी। आपको हमसे प्यार नहीं है, कम से कम इन 17 हजार टीचर्स और 16 लाख बच्चों से तो प्यार रखो। आपको हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगता, कम से कम उनका तो अच्छा लगता होगा, उसके लिए तो सोच लो, हम अपने लिए मांग रहे हैं क्या? अपने लिए पॉलिसी फ्रेम करने के लिए कह रहे हैं क्या? लेकिन एड निकाल दिया गया और उसके बाद में ये, आज जो भी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, कल मैंने ऑनरेबल एलजी साहब को भी इन सारे रेफरेंस को देते हुए चिट्ठी लिखी है कि आप इस सारे रिक्रूटमैंट प्रोसेस को होल्ड कीजिए क्योंकि सर्विसेज भले ही हाई कोर्ट के आर्डर के बाद आपके पास में है, लेकिन एजुकेशन हमारे पास में है और हमने पिछले ढाई साल में गेस्ट टीचर्स के साथ मिलकर, परमानैंट टीचर्स के साथ मिलकर एजुकेशन पर बहुत काम किया है। गेस्ट टीचर्स की ट्रेनिंग तक कराई है, बहुत नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक की ट्रेनिंग्स कराई है। उनके साथ में समर कैम्प और तमाम जितनी चुनौती जैसे बढिया-बढिया कार्यक्रम सक्सेफुली आयोजित किए हैं। पिछले साल 12वीं का रिजल्ट भी, सभी परमानैंट और गेस्ट टीचर्स की मिली मिली-जुली मेहनत से एक अच्छा रिजल्ट आया है। इन सब के बावजूद अगर आप उन्हें हटाते हैं तो यह सिर्फ 17 हजार गेस्ट टीचर्स के साथ नहीं, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी! तो मैं समझता हूं यह जो डिस्कशन

माननीय सदस्य का था, यह बहुत इम्पौर्टेंट है और जो माननीय सदस्य ने एक रेजल्यूशन पेश किया था, मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि इस साजिश के खिलाफ, क्योंकि यह साजिश है, मुझे इसमें सामान्य चीज नहीं दिखती। मुझे लगता है कि दिल्ली में एजुकेशन को लेकर विरोधी भी मना नहीं कर पा रहे कि साहब, ठीक नहीं चल रही, विरोधी भी कह रहे हैं कि ठीक चल रही है, कुछ तो चल रहा है लेकिन ऐसे में सारे प्रोसेस को डेरेल करने की एक जो साजिश रची गई है या अब जो भी इसको कहें, इसके खिलाफ मुझे लगता है, षड्यंत्र के खिलाफ में सब को बोलने की जरूरत है, थैंक यू।

अध्यक्ष महोदय : राजेश गुप्ता जी का प्रस्ताव सदन के सामने है-

इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है, वे न कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

अब श्रीमान सत्येन्द्र जैन जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री स्वाइन फ्लू तथा विषाणु जनित रोगों के संबंध में स्वप्रेरित वक्तव्य देंगे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में और सारे देश में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां जो चल रही है, उसके बारे में मैं सभी सदस्यगणों का इनफॉर्मेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसे आज कल कुछ अखबारों में स्वाइन फ्लू के बारे में रिपोर्टें आ रही हैं। दिल्ली के अंदर अभी तक इस साल में 1 जनवरी से लेकर अभी तक 889 दिल्ली के मरीजों का पता लगा है, जिनका इलाज हुआ है और 199 मरीज जो है, वो दिल्ली से बाहर के थे,

जिनका इलाज दिल्ली में किया गया और 1088 मरीजों का इलाज किया गया, जिसमें अनफॉरच्युनेटली दो दिल्ली के और दो बाहर के मरीजों की डेथ हुई। देश के अंदर अभी तक 16565 मरीजों का इलाज किया जा चुका है और जिसमें 818 डेथ हुई हैं। दिल्ली में, जैसे मैंने बताया कि 1088 मरीज हैं, जिसमें 4 डेथ दिल्ली और दिल्ली के बाहर मिलाकर हैं।

दो तीन राज्यों का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। गुजरात में 903 मरीज थे, जिसमें से 138 लोगों की डेथ हो चुकी है। महाराष्ट्र में 3750 में से 381 लोगों की डेथ हुई है और राजस्थान में 459 मरीजों में से 61 की डेथ हुई है।

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर स्वाइन फ्लू के इलाज की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इससे मुझे लगता है कि सबसे पहली बात को ध्यान में रखने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली में मरीज गुजरात से ज्यादा 1088 मरीजों का इलाज हुआ। गुजरात में 903 मरीज थे, जिसमें से 138 की डेथ हुई और दिल्ली में उससे काफी ज्यादा मरीज थे फिर भी चार डेथ हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में इलाज के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, केन्द्र सरकार के, दिल्ली सरकार के, सभी तरह के अस्पताल हैं जो इलाज की कोई दिक्कत नहीं है पहली बात। दूसरा, इसके अंदर जो स्वाइन फ्लू के बारे में मैं अखबारों में रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, कई बार इस तरह से बढ़ा-चढ़ा कर, इस तरह से बताया जाता है कि लोग घबरा जाते हैं। स्वाइन फ्लू एक तरह का फ्लू है जैसे कि जुकाम होता है आपको, वॉयरस की वजह से होता है और दिल्ली के अंदर 2008-09 में आया था तब काफी डेडली था क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था दिल्ली में, तब काफी डेथ हुई थी दिल्ली में। अब यह काफी कॉमन हो चुका है और इसमें केटेगरीज जो पेशंट की है; वो ए.बी. और सी तरह से हम केटेगराइज करते हैं। एक नॉर्मल ग्रुप है, एक हाई रिस्क ग्रुप है। नॉर्मल ग्रुप में जिस किसी कॉमन हो चुका है और इसमें केटेगरीज जो पेशंट की है; वो ए.बी. और सी तरह से हम केटेगराइज करते

हैं। एक नॉर्मल ग्रुप है, एक हाई रिस्क ग्रुप है। नॉर्मल ग्रुप में जिस किसी को भी हो सकता है जुकाम, किसी को भी हो सकता है। हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आते हैं बच्चे जो 8 साल से कम हैं। दूसरा, जो लोग 65 साल के ऊपर हैं जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, प्रेगनेंट वूमन है, डायबिटीज जिनको है, एचआईवी एड्स है, किडनी की डिजीज है, हार्ट की प्राब्लम है और जो स्टैरॉएड थैरेपी पर चल रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपको दवाई लेने की जरूरत पड़ती है इसमें, दवाई लेने की जरूरत है डी–कैटेगरी जो हाई रिस्क कैटेगरी जिसको कहते हैं हम डी कैटेगरी में और सी जो सीरियसली बीमारी हैं। अब इसमें टेस्ट लेने की, अभी बंदना जी मुझसे पूछ रही थी कि टेस्ट की सुविधाएं, टेस्ट कैसे होगा, कहां पर होगा, कहां पर होगा। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा जुकाम भी हुआ तो एकदम तुरंत स्वाईन फ्लू का टेस्ट कराया जाए। टेस्ट सिर्फ सी कैटेगरी के अंदर इंडिकेट होता है। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के अंदर स्वाईन फ्लू के टेस्ट की जरूरत नहीं है और एडमिशन की जरूरत भी सिर्फ सी कैटेगरी के पेशेंट को जरूरत है बाकियों को एडमिशन की आवश्यकता नहीं होतीं तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहंगा कि ऐसे पैनिक नहीं करना चाहिए कि अगर जुकाम हुआ, खांसी हुई, गला खराब है, फीवर हुआ तो एकदम से लगे कि भई, अभी तुरंत टेस्ट कराकर एडमिट ही होना है। अब सी कैटेगरी के सिस्टम्स क्या हैं, जैसे मैंने आपको बी का बताया कि भई बी हाई रिस्ट कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। सी कैटेगरी के जो पेशेंट हैं, उनका पता लगता है जब बहुत ज्यादा ब्रीदलेसनेस हो, चेस्ट पेन हो, ब्लडप्रेशर एकदम से काफी कम हो जाए और थूक के साथ अगर खून आता है और नाखूनों का कलर चेंज होने लगे अगर इस तरह के सिमटम्स आते हैं तो डॉक्टर की सलाह तब उस पेशेंट को एडमिट कराने की जरूरत भी है, उसको दवाई की जरूरत भी है। दवाई की दिल्ली के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। स्वाईन फ्लू के लिए जो दवाई है, उस दवाई का स्टॉक हमनें उचित मात्रा में किया हुआ है और दिल्ली सरकार ने पूरी इस बात की जिम्मेदारी

है कि सी भी अस्पताल को प्राइवेट भी अस्पताल अगर दवाई मांगता है तो उसको हम दवाई उपलब्ध कराते हैं। दवाई की कोई कमी नहीं है स्टॉक भी है और फरदर हमने आर्डर भी दिया हुआ है। आज हमारे पास स्टॉक इतना है कि अगले एक-दो महीने में खत्म होने वाला नहीं है फरदर हमारी दवाइयां और भी आ जाएंगी। पहले ये दवाई जो थी एक्स-1 कैटेगरी में थी कि बहुत ही, मतलब इसके लिए रेस्ट्रिक्शन्स थी बेचने के लिए। इस साल इसको एच-1 कैटेगरी में कर दिया गया है। अब कोई भी कैमिस्ट इसको रख सकता है और बेच सकता है और किसी भी मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के प्रेस्क्रिप्शन के बाद उसको बेच सकता है तो एक ये कंडीशन हटा दी गई है। पहले दवाई बिल्कुल नहीं मिलती थी। दवाई आसानी से मिल सकती है फिर भी मैं सभी सदस्यों को ये बताना चाहूंगा कि दवाई सिर्फ बी और सी कैटेगरी में देने की आवश्यकता होती है। ए कैटेगरी के पेशेंट को दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्टर की सलाह से दवाई लें, अपने आप से मेडिकेशन न करें। वैक्सीन के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा इसमें सिर्फ वैक्सीनेशन जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि स्वाईन फ्लू के वार्ड में काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को जरूरत होती है, बाकी किसी को जरूरत नहीं होती है। वैक्सीनेशन अभी डॉक्टर साहब यहीं पर बैठे हैं, सबसे मैं मीटिंग कर चुका हूं। लास्ट ईयर भी हमनें वैक्सीनेशन यूज की थी। जितनी वैक्सीनेशन पूरी दिल्ली में लगी थी, उससे ज्यादा का स्टॉक हमारे पास है और वैक्सीनेशन की कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीनेशन जो भी कहेगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी और दिल्ली सरकार को भी, सबको हम देंगे इसकी हम अपनी तरफ से एश्योरेंस दे रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर पहले स्वाईन फ्लू के अंदर क्या होता था; बिल्कुल अगल से कमरा, बिल्कुल करते थे अब जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने प्रोटोकाल फिक्स किया है कि एक बैड से लेकर दूसरे बैड के बीच में छः फीट का डिफरेंस होना चाहिए बस, और स्वाईन फ्लू का वार्ड अलग होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। पहले ऐसा लगता था कि अगर किसी को स्वाईन फ्लू है तो इसके अंदर जाएंगे तो पहले पूरे कपड़े

पहनकर, कवर करके जैसे मून के ऊपर जा रहे हैं, उस तरह का जाते थे। ऐसा सिस्टम खत्म हो गया है तो अब सिर्फ 6 फीट का गैप रखकर आप वहां पर जा सकते हैं तो वो चीज खत्म हो चुकी है। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा सावाधानी बरतने की जरूरत है। अभी तो स्वाईन फ्लू होता कैसे है, ये स्वाईन फ्लू होता है कि किसी को अगर स्वाईन फ्लू आलरेडी है तो उसके स्वाईन फ्लू के खांसने से या छींकने से वो उसके वॉयरस निकलते हैं या तो आप उसके बिल्कुल पास में हैं तो डायरेक्टली आप उससे अफेक्ट हो सकते हैं। छः फीट का अगर गैप है तो आप सेफ हैं। अदरवाइज क्या होता है। कि जो सरफेस है मान लो ये लकड़ी है, कोई भी चीज है। उसके ऊपर वो वॉयरस कुछ घंटे जीवित रह सकता है। आपका हाथ कहीं पर लगेगा और वे हाथ लगने के बाद 3 जगह पर ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने मुंह को नाक को और आंख को बिना हाथ धोए टच न करें ये सबसे बड़ी इसके अंदर प्रेकॉशन है। हाथ धोए बिना जिसे कहते हैं न बच्चों को सिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर कि खाना खाने से पहले हाथ धोइये, खाने के बाद भी धोइयेगा, दिन में कम से कम पांच या दस बारी हाथ धोइयेगा और हाथ धोए बिना आपको अपने मुंह को टच नहीं करना है, नाक को टच नहीं करना है, आंख को टच नहीं करना है। अगर ये छोटी सी प्रेकॉशन सब लोग ले लेंगे तो मुझे लगता है इस बीमारी से बहुत अच्छी तरह बचा जा सकता है। इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि किसी सरफेस को आपने टच किया, वहां पर वायरस था। उस वायरस को आपने अपने मुंह पर टच किया या नाक पर टच किया या आंख में टच किया आपको उससे फैलने का चांस होता है।

दूसरी चीज यह है अगर आपकी तबीयत खराब है आपको जुकाम है, गला खराब है, फीवर है। तो सबसे पहली चीज है कि रेस्ट करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई लेनी चाहिए, ये ध्यान रखियेगा। इसके लिए प्रैशराइज करें कि आपका डॉक्टर आपको कह रहा है दवाई न लें, आप दवाई ले रहे हैं। तो दवाई तभी लें जब

डॉक्टर आपको प्रैस्क्राइब करे, तब दवाई लीजिएगा अदरवाइज दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एडमिशन के लिए भी, मैं ये कहूंगा कि सिर्फ उसी केस में जो सी कैटेगरी के पेशेंट हैं, सिर्फ उन्ही को एडमिशन की जरूरत है। बाकी लोगों को एडमिशन की जरूरत नहीं है। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने आसपास लोगों को ये बात बताएं और इसका पैनिक बिल्कुल न होने दें। दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार की ओर से इलाज के पूरे प्रबंध किए गए हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में दस परसेंट भी बैड ऑक्युपाइड नहीं हैं जो कि इसके लिए हमने रिजर्व्ड किए है। दस नहीं पांच परसेंट भी आक्युपाइड नहीं हैं। लेस देन फाइव परसेंट बेड्स ऑक्युपाइड हैं। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार के 19 हॉस्पिटल्स इसका इलाज कर रहे हैं। मैं सबके साथ आज शेयर कर लूंगा लिस्ट। तो 19 जगहों पर आप ईलाज करा सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है डिस्पेंसरी में भी, पॉलिक्लिनिक में, मोहल्ला क्लीनिक में कोई भी डॉक्टर इसको आसानी से देखकर आपको इलाज प्रेस्क्रॉइब कर सकता है। इसमें कोई धबराने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी चीज डेंगू चिकनगुनिया इसका डाटा मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर अभी तक 185 पेशेंट एक जनवरी से लेकर अब तक दिल्ली के पेशेंट का ईलाज किया गया; डेंगू के जो पता लगे हैं। 180 पेशेंट दिल्ली से बाहर के थे। टोटल 365 पेशेंट्स का ईलाज किया गया है। एक भी डेथ नहीं है। पूरे देश के अंदर 28702 पेशेंट डेंगू के अभी तक हैं जिसमें 46 डेथ हुई हैं। चिकनगुनिया के अंदर, दिल्ली के अंदर 150 पेशेंट दिल्ली के थे एक जनवरी से लेकर अभी तक। दिल्ली से बाहर के 96 पेशेंट थे। टोटल 246 पेशेंट का इलाज हुआ है जिसमें से एक भी डेथ नहीं है। पूरे देश के अंदर 18466 पेशेंट चिकनगुनिया के अभी तक मिले हैं। डेथ कोई नहीं है पूरे देश में। मलेरिया के अंदर दिल्ली के लोकल 171 पेशेंट का इलाज किया गया है। 185 पेशेंट दिल्ली में बाहर से आकर इलाज कराया है उन्होंने।

दिल्ली में 356 पेशेंट का इलाज किया गया है जो कि मलेरिया से पीड़ित थे। पूरे देश में, अच्छा, दिल्ली में कोई डेथ नहीं है किसी भी तरह की। पूरे देश में 352013 साढ़े तीन लाख पेशेंट पूरे देश में अभी तक मलेरिया का इलाज हो चुका है जिसमें से 30 डेथ है। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि मच्छर जनित बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या प्रेकॉशन्स रखने की जरूरत है। पांच हाथ में उंगलियां हैं। पांच चीजें छोटी-छोटी याद कर लीजियेगा; सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज कि मच्छर पैदा न होने दें। अपने आस पास जहां पर भी घर के अंदर खासतौर से छत पर बालकनी पर देखियेगा छोटा मोटा कोई चीज न पड़ी हो जिसमें पानी हो और जिसमें मच्छर पैदा हो तो आसपास का और अपने घर ध्यान रखियेगा डेंगू चिकनगुनिया का मच्छर आस पास ही जाता है, ज्यादातर 200 मीटर के अंदर 90 परसेंट जो मच्छर होते हैं सौ 200 मीटर तक ही होते हैं यानि ये पूरा पूरा चांस है अगर आपको डेंगू चिकनगुनियां हो रहा है तो 90 परसेंट से ज्यादा चांसिस हैं कि वो आपके घर में पैदा हुआ है और 10 पन्द्रह परसेंट चांस है कि पड़ोस के दो तीन घरों में होगा या आसपास में हुआ है तो हमें इसके लिए अभ्यिान चलाने की जरूरत है सबको सोचने की जरूरत है अपना घर जरूर चेक करें हफ्ते में एक बारी इसका साइकिल दस दिन में पूरा होता है। अगर आठ दिन में हम लोग पूरे घर को अच्छे तरह से चैक कर लेगें अपने घर में, बालकनी में घर की छत पर आसपास अगर पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे तो मच्छरों से हम लड़ सकते हैं और मुझे लगता है इस साल हमारा मैसेज जनता के पास जा रहा है और लोग ध्यान रख रहे हैं इसलिये ये बीमारी अभी तक थोड़ा कंट्रोल में है।

दूसरी चीज सैकिण्ड, मच्छर के काटने से बचें चिकनगुनिया डेगूं का मच्छर टाइगर मसकिटों जो होता है, ये दिन में काटता है। सुबह से सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक काटता है। दिन के टाईम मच्छर के काटने से बचें खास तौर से छोटे बच्चों को, पार्क में खेलने जाते हैं तो फुल पेंट पहनाएं, स्कूल जाते हैं तो फुल पेंट और पूरी बाजू

के कपड़े पहनाएं और अगर दिन में सोते हैं तो उसको मच्छर के काटने से बचायें। तीसरी चीज अगर आपको लगता है कि सरदर्द है, बुखार है, बदन टूट रहा है तो हाईड्रेशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखें ईलाज से भी पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले सबसे पहले ध्यान रखें शरीर के अंदर पानी की कमी न हो। हमें बार-बार पानी पीना चाहिए, शिकंजी पीनी चाहिए, ओआरएस का घोल मिलता है, ओआरएस का घोल मतलब उसका पैकेट लीजियेगा पानी में मिला के उसको पीजियेगा, नारियल पानी पीजियेगा, फलों का जूस पीजियेगा। बार-बार लीजियेगा। ज्यादातर कम्पलीकेशन्स डेहाईड्रेशन की वजह से होती है। मैं बार-बार बताना चाहता हूं कि इलाज से भी ज्यादा जरूरी है हाईड्रेटिड रहने की जरूरत है।

नम्बर चार, दवाई आपने आप से ना लें जितने भी कम्पलीकेटिड केस हुए हैं, सेल्फ मेडिकेशन की वजह से हुए हैं। लोग बुखार होने की वजह से ब्रूफिन ग्रुप की दवाइयां खुद खा लेते हैं और इन्टरनल ब्लीडिंग होने के चांस हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को कई बार कम्पलीकेशन्स हो जाती है।

पांचवा, ऐडमिशन अगर अस्पताल में जरूरत है तो सिर्फ डाक्टर की सलाह पर ही लें अदरवाईज ऐडमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें अपने आस पास लोगों को बतायें कि स्वाइन फ्लू, डेगी, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि से हमें लड़ना है। इससे हमें बचना है, पर घबराना नहीं है और पेनिक नहीं फैलाना है। कुछ लोगों की इसके अंदर, पिछली बारी भी ऐसा हुआ था। अब भी ऐसा लगता है कि शायद पेनिक क्रियेट करने की कोशिश की जायेगी। दिल्ली के अंदर मैंने जैसे अभी बताया बाकी राज्यों के अंदर डेथ परसैंटेज बीस परसेंट 25 परसेंट है। दिल्ली में 1000 से ऊपर है। तब भी दो या चार हैं, बहुत कम हैं इलाज के पूरे प्रबंध हैं, इलाज की कोई दिक्कत नहीं है और

दिल्ली सरकार ईलाज की पूरी जिम्मेदारी ले रही है और हम जल्दी ही इसके लिये रोकथाम के लिये भी पूरा अभियान चलायेगे, धन्यवाद, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से सदन का समय सात बजे तक बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा हूं। (अनुमति मिलने पर सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया गया।)

विधेयकों पर पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

अब श्री कैलाश गहलोत जी माननीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री दिल्ली संबंध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 6) को सदन में इन्ट्रोड्यूस करने की परमिशन मागेंगे।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कैलाश गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 6) को सदन में इन्ट्रोड्यूस करने की अनुमति प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वो हां कहे;

जो इसके विरोध में हैं वो न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय मंत्री जी विधेयक को सदन में इन्ट्रोडयूस करेंगे।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कैलाश गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के अनुमति से दिल्ली समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 6) को सदन में इन्ट्रोड्यूस करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री गोपालराय जी माननीय श्रम मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 9 अगस्त, 2017 को सदन में पुर:स्थापित न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 5) विचार किया जाये।

श्रम मंत्री (श्री गोपालराय जी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 09 अगस्त, 2017 को सदन में पुर:स्थापित न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 05) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय सदस्यगण चर्चा में भाग ले सकते हैं। हो चुकी है चर्चा पहले लेकिन अब कोई चर्चा में भाग लेना चाहता है तो ले सकता है माननीय मंत्री जी इस पर विस्तृत उत्तर दे सकते हैं।

श्रम मंत्री (श्री गोपालराय जी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपके संज्ञान में है, दिल्ली के अंदर लंबे समय से सरकारी तंत्र के अंदर और असंगठित क्षेत्र में भी दिल्ली में लाखों की तादाद में मजदूर कर्मचारी श्रमिक अपना पसीना बहाकर

के अपने पेट के लिए रोटी कमाते हैं लेकिन दिल्ली के अंदर न्यूनतम मजदूरी पहले साढे नौ हजार रुपये थी, जब ये बिल हमने उस समय प्रस्तुत किया था, उस समय साढ़े नौ हजार रुपये न्यूनतम वेतन निर्धारित था लेकिन सरकारी तंत्र के अंदर भी जो कॉन्ट्रेक्ट पर मजदूर काम करते थे, श्रमिक काम करते थे, प्राईवेट में जो मजदूर काम करते थे, बड़े पैमाने पर शिकायत सरकार के पास आनी शुरू हुई कि जो मजदूर काम करते हैं, कॉन्ट्रेक्टर को ये आर्डर तो है कि वो बिना एकाऊंट के उनका पेमेंट नहीं कर सकते, बिना चेक के नहीं कर सकते लेकिन ये सिस्टम भी समझ में आया कि पहले वो पैसा बैंक एकाऊंट में जाता है और फिर उनका ऐजेंट एटीएम के माध्यम से पैसा बैंक से निकाल कर के अपने पास रख लेता है। उनके दिल्ली में ऐसे ही साढ़े नौ हजार रुपये में जिंदगी जीना एक असंभव काम है लेकिन उसमें से भी जो उनकी मेहनत की कमाई की चोरी थी, उसको रोकने के लिए इस सदन के अंदर सरकार एक बिल लेकर के आई थी। जो पहले से कानून है कि अगर न्यूनतम वेतन कोई नहीं देता है और उसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसमें पहले से जो प्रावधान थे कि उसे पांच सौ रुपये की पेनेल्टी लगेगी और छ: महीने की जेल की सजा थी। बड़े पैमाने पर श्रमिकों के जब ऐप्लीकेशन आये तो सरकार ने ये विचार किया, कि इसे कठोर कानून बनाने की जरूरत है और उस कानून के तहत हमने प्रस्तावित किया था कि पांच सौ रुपये की पेनेल्टी है, उसे बढ़ाकर के पचास हजार रुपये कर दिया जाए और जो छ: महीने की जेल है, उसे तीन साल के लिए किया जाये। इस सदन में उसको पारित किया था। हमने सैन्टर को भेजा था लेकिन अफसोस डेढ़ साल बाद आज फिर हमें सदन के बीच में आना पड़ा है लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कई लोगों को बार-बार ये भ्रम होता है कि दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन साढ़े नौ हजार रुपये से बढ़ाकर साढ़े तेरह हजार रुपये किये है। उसको कैबिनेट के पास किया पहली बार एलजी साहब के यहां गया था वापिस भेजा गया फिर छ: महीने तक प्रक्रिया चली और उसके बाद

वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली के अंदर न्यूनतम वेतन साढ़े नौ से बढ़ाकर के साढ़े तेरह हजार रुपये किया जा चुका है। दिल्ली के 202 जो सरकारी डिपार्टमेंन्ट है, उन सारे जगहों पर अनिवार्य रूप से लागू हो चुका है। बढ़े हुए मिनिमम वेज के आधार पर लोगों की तनख्वाह मिल रही है लेकिन प्राइवेट सैक्टर में कई लोग कोर्ट गये हैं। अभी 16 तारीख को उसकी फिर सुनवाई होनी है। माननीय अदालत के बीच में और उसको लेकर के कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है लेकिन जो तेरह हजार रुपये किया गया है, वो अगर कोई मजदूर को पैसा नहीं देता, अगर उसमें से कोई चोरी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे सख्त किया जाये, इसके लिये ये बिल है। इसमें तीन प्रावधान और किये गये हैं जो मैं माननीय सदस्यों के सामने मैं रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जो पेमेंट है, वो कैश रूप में नहीं होगा। दूसरा, इसमें रखा गया है कि कंट्रेक्टर को सारी सूचना वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी, जो भी उसमें काम करा रहे हैं और तीसरा जो सबसे बड़ा निर्णय सरकार इस बिल में लाकर के आ रही है कि अभी भी कोई मजदूर कहीं भी काम करता है, अगर वो मालिक के खिलाफ जाकर के लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत करता है तो सबसे पहले उसे नौकरी से बाहर किया जाता है। उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इस बिल में ये प्रस्ताव लेकर के आ रही है सरकार कि अगर कोई मजदूर को कोई मजदूरी नहीं मिलती सही से, उसने अगर कोर्ट में जाकर के लेबर कोर्ट में अप्लीकेशन लगाई है, तो उसको जब तक केस का निपटारा नहीं हो जाता, कोई मालिक उसे नौकरी से बाहर नहीं कर सकता है, उसे नौकरी पर रखना पड़ेगा, उसे कोई छूट्टी नहीं दे सकता है, बाहर नहीं कर सकता और जो अगला प्रावधान लेकर के सरकार आ रही है कि बहुत सारे केस जो अदालत में जाते हैं, वहां पर कई कई साल लग जाते है तो सरकार इस बिल में लेकर आ रही है कि तीन महीने के अंदर टाइम बाउंड केस का फैसला करना पड़ेगा, जिससे कि उस मजदूर को न्याय मिल सके। ये अमेंडमेंट करके आज सदन

के सामने सरकार अपना प्रस्ताव रख रही हैं। हमने साढ़े नौ हजार से साढ़े तेरह हजार तनख्वाह भी बढ़ाई है और इस बिल का मकसद है कि वो साढ़े तेरह हजार तनख्वाह उसके जेब में पहुंचाने की गारंटी किया जाये और अगर कोई धोखाधड़ी करता है, चोरी करता है तो उसको तिहाड़ जेल पहुंचाया जा सके, तीन साल की सजा की जा सके, इसके लिए ये बिल सदन के अंदर प्रस्तुत है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खंड-2, जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा (2) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 2, जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा (2) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड-3, जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा (4) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 3, जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा (4) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड-4, जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा (11) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-4 जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा (11) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खंड-5, जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा (14) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-5 जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा (14) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड-6, जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा (20) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड 6 जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा (20) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड-7, जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा (22) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-7 जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा (22) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड-8, जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा 22(क) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-8 जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा 22(क) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड-9, जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा 22(ख) का संशोधन है विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-9 जिसमें 1948 के अधिनियम, 11 की धारा 22(ख) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड-10, जिसमें धारा 31(क) की प्रविष्टि है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-10 जिसमें धारा 31(क) की प्रविष्टि है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खंड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहनें पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-एक, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक को पारित करना।

अब श्री गोपाल राय माननीय श्रम मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 09 अगस्त, 2017 को सदन में पुर:स्थापित न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 5) था, को पारित किया जाये।

माननीय मंत्री, श्री गोपाल राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 09 अगस्त, 2017 को सदन में पुर:स्थापित न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक-5) को पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 09 अगस्त, 2017 को सदन में पुर:स्थापित दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या-4) पर विचार किया जाये।

उपमुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 09 अगस्त, 2017 को सदन में पुर:स्थापित दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी

विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 वर्ष (2017 का विधेयक संख्या-4) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के लिए मेरे पास श्री आदर्श शास्त्री जी का नाम आया है, श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने का आपने मुझे मौका दिया। आपके माध्यम से मैं सदन को ये बताना चाहता हूं कि ये जिस तरह से दूरदर्शी रास्ते से एक विजन के साथ दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, उसमें प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के बारे में तो अनेकों चर्चा हुई हैं। वाशिंगटन पोस्ट से लेकर, कोफी अन्नान साहब से लेकर देश विदेश में हर जगह इसपे चर्चा हुई है। मगर बहुत अभूतपूर्व अनप्रिसीडेंटेड लेबल पे हायर एजुकेशन में जो काम हो रहा है, उसके माध्यम से नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये जो बिल लाया गया है, इसके बारे में मैं सदन को भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सन् 1983 में दिल्ली में स्थापित किया गया था, दिल्ली सरकार के तहत।

लगभग 34 वर्ष से ये इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का चल रहा है और पिछले 34 वर्षों में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बहुत बहुत सक्सेस, बहुत अभूतपूर्व शिक्षा के माध्यम और स्तर को आगे बढ़ाते हुए विधार्थियों को वहां से पास करा है, इंजीनियर बने हैं। लगभग एक हजार के करीब स्टूडेंट वहां से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अलग अलग कोर्स करके वहां से बाहर आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं सदन में बताना चाहता हूं कि देश भर में लगभग 23 आई.आई.टी. कॉलेजेज हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। लगभग साठ, पैसठ आर.ई.सी. हैं, रिजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और इसके अलावा मैं समझता हूं दो तीन सौ से ऊपर प्राईवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं। पिछले 34 साल में एनएसआईटी जो जिस तरह का इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है इन चार-पांच सौ इंस्टीट्यूटस में और खास तौर से आईआईटी और आरईसी के मुकाबले पिछले तीन वर्ष से देश के टॉप टॉप इंजीनियरिंग इंस्टी्यूटस में इसकी गिनती होती हैं और ये बहुत बड़ी दिल्ली की ये जनता के लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार के माध्यम से शुरू किया गया एक इंस्टीट्यूट आज देश विदेश में इतना ज्यादा नाम कमा रहा है और आईडीसी की जो इंटरनेशनल डेटा की रैंकिंग होती है, उसके तहत पिछले दो वर्ष में छठी रैंक पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूटस की छठी रैंक पे देश में इसको रैंक मिली है। ये बहुत बड़ा सफलता एनअएसआईटी को मिली है। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है अध्यक्ष महोदय जो कि बहुत प्रेस्टिजीयस एवार्ड हर साल देती है जो अलग-अलग इनोवेशन इंजीनियरिंग के फील्ड में होते हैं और उसमें भी एनएसआईटी को पिछले साल पुरस्कृत किया गया, साथ में बच्चों की जो वहां पर पढ़ाई होती है, जो अब मैंने बताया लगभग हजार बच्चें वहां से पढ़कर निकलते है। किसी भी तरीके से उन बच्चों का स्तर कम नहीं है। आईआईटी के बच्चों का जो स्तर होता है जो प्लेसमेंट होती है, जिस तरह की नौकरी उनको मिलती है, जिस तरह की तनख्वाह उनको मिलती है, अगर उसको भी आप मापदंड लेकर चले तो

एनएसआईटी के बच्चों का जो एवरेज जो सैलरी है न्यूनतम से लेकर मैक्सिमम तक अगर हम देखे तो लगभग 5 लाख रुपये साल से लेकर सवा करोड़ रुपए साल तक का पैकेज हमारे एनएसआईटी के बच्चों को मिल रहा है जो अपने आप में एक बहुत काबिले तारीफ बात है और इससे ये बात एकदम साफ होती है कि दिल्ली में और देश में जो बड़े इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूटस हैं, यहां तक कि 23 आईटीज हैं, उनके भी मुकाबले अगर छठे रैंक पे एनएसआईटी है तो पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छे से यहां पर इनमें काम हो रहा है।

अब एसेम्बली में जो आज बिल पर ये एमेंडमेंट पास कर रहे हैं, इसका अगला कदम जो विजन दिल्ली सरकार का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी को विश्वविद्यालय-यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाए और यूनिवर्सिटी बनने से इसको एक अगले चरण पे ले जाने का मौका मिलेगा। इसको दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के लोगों के परिवार के बच्चों के लिए एक उच्च स्तर की शिक्षा के लिए एक नया डेस्टीनेशन, एक नई यूनिवर्सिटी, एक नया इंस्टीट्यूशन बनकर तैयार होगा जिसका मैं समझता हूं फायदा दिल्ली और पूरे देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए हर बच्चों को मिलेगा। यहां पे जब ये विश्वविद्यालय स्थापित हो जाएगा, जब यूनिवर्सिटी का स्टेट्स इसको मिल जाएगा तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी काम कर रहा है उसके अलावा 5-6 प्रमुख क्षेत्रों में, प्रमुख बिन्दुओं में ये और आगे बड़े, मजबूती से काम कर सकते है। एक तो जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई के, शिक्षा के क्षेत्र में ये पहले ही एक उच्च स्तर हासिल कर चुका है, साथ में इसमें प्रावधान ये है कि जो इंडस्ट्री और आरएंडडी होता है जो उद्योग है और जो आरएंडडी है, रिसर्च एंड डवलपमेंट है, इसके मुताबिक भी इस इंस्टीट्यूट में कोर्सिज डिजाइन किए जा सकते है। आज उच्च स्तर की जितनी भी पढ़ाई होती है, उसका एक सिलेबस बनता है और उस सिलेबस के मुताबिक पढ़ाई होती है। मगर इंडस्ट्री में

और रिसर्च और डवलपमेंट के सेक्टर में बहुत बार एक ये डिमांड आती है कि हमें हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से कोर्स चाहिए। मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस या इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में कोई पढ़ना चाहे, इंडस्ट्री में बड़ी-बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं, वो इस तरह से स्पेसिफिक सब्जेक्टस की अगर पढ़ाई करवाना चाहे तो इस तरह का कोई रास्ता आज देश में किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं है। मगर एनएसआईटी में यूनिवर्सिटी होने के बाद इस तरह के स्पेशली डिजाइन्ड कोर्सिस पढ़ाए जा सकेंगे जिससे कि इंडस्ट्री, आरएंडडी और साथ में विद्यार्थियों को बहुत-बहुत फायदा होगा। ये एक प्रमुख फायदा है। साथ में अभी जो यहां पर मैंने जैसे बताया बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई, बीटेक की पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी स्टेट्स होने के बाद बीई और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी स्टेट्स होने के बाद बीई और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ यहां पे इंजीनियरिंग के साथ मैनेजमेंट की पढ़ाई भी शुरू की जा सकती है जिससे मैं समझता हूं ये पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट बढ़कर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ पूरी तरह से जो विद्यार्थी पढ़कर निकलता है वो देश-विदेश में बड़े से बड़े कारोबार में, अपना काम शुरू करने में पूरी तरह से सफल हो सकता है, आगे काम बढ़ा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए अब आदर्श जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री आदर्श शास्त्री : जी, आखिरी दो महत्वपूर्ण बातें इसमें रिसर्च की जो कमी हमारे इंस्टीट्यूटस में रहती है देश भर में, इसमें रिसर्च का भी प्रावधान है जिसमें रिसर्च के लिए बजट दिया जाएगा और रिसर्च के माध्यम से यहां काम हो सकता है। रिसर्च हो सकती है।

बिजनेस इंक्यूबेशन, नए बिजनेस, नए आइडियाज को लेकर किस तरह से नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। इस तरह के बहुत

सारे फायदे ये यूनिवर्सिटी स्टेट्स मिलने पर, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी के माध्यम से मिलेगा। मैं अंत में एक बार फिर उप मुख्यमंत्री मनीष जी को, दिल्ली सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी को ये जो यूनिवर्सिटी का स्टेट्स ग्रांट कर रहे है, इसके लिए सदन की ओर से, दिल्ली की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी चर्चा का उत्तर देंगे।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जैसा कि मैंने कल कहा था कि चर्चा इस सदन में पहले भी हो चुकी थी और माननीय राष्ट्रपति महोदय के गाइड लाइंस और उनकी डायरेक्शंस को इसमें समाहित करते हुए, इसमें जरूरी संशोधन करके इस बिल को पुन: प्रस्तुत किया गया है तो मैं समझता हूं अब आज इसको पास करने के बाद अगर सदन में ये पास हो जाता है तो उसके बाद देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट एनएसआईटी को यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता बहुत दूर नही है, वो मंजिल बहुत करीब है। तो ऐसे में मैं सिर्फ एक-दो चीजें सदन के रिकार्ड के लिए सूचित रहें ताकि सबको उसके लिए, आदर्श जी ने उसका जिक्र भी किया, थोड़ा सा रखना चाहता हूं कि एनएसआईटी को लेकर सरकार का जो विजन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आदर्श जी ने जिक्र किया कि 1983 में ये डेली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के नाम से दिल्ली में शुरू हुआ एक इंस्टीट्यूट था। 1997 में इसको नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी का नाम दिया गया। ये संयोग या एक अच्छा संयोग रहा कि इसमें फैक्लटीज और इसके जितने भी डायरेक्टर्स, जितने भी ऑफीशल्स आते रहे, वो अच्छे क्वॉलिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, इंजीनियरिंग एजुकेशन पे काम करते रहे और आज ये सिर्फ दिल्ली नहीं देश के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूटस में से है। पर क्योंकि अभी डीयू के एक कॉलेज के रूप में काम कर रहा है तो इसकी ऍकैडमिक लिबरेशंस, उसकी कुछ उसकी

फंक्शनिंग में एक यूनिवर्सिटी के रूप में जो फ्लो कर सकता है, उसमें कुछ कहीं न कहीं बीच में अड़चनें रहती हैं कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी होती है, एक कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी का कभी भी अपनी यूनिवर्सिटी के स्टेट्स से ऊपर नहीं उठ सकता है लेकिन जब यूनिवर्सिटी बन जाती है तो वो अपनी गति से, अपनी ऊंचाइयों तक उड़ सकती है तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसको एनएसयूटी का दर्जा देने का ये प्रस्ताव, ये बिल है।

1983 से 98 तक जो डीआईटी था एक साल तक एनएसआईटी वो कश्मीरी गेट के कुछ छोटे से कमरों से चलता रहा और मुझे लगता है कि देश में जब भी इंजीनियरिंग कॉलेजिज का, इंजीनियरिंग के एजुकेशन का इतिहास लिखा जाएगा तो कश्मीरी गेट के उन 15-20 कमरों का इतिहास जरूर लिखा जाएगा क्योंकि वहां से कई सफल इंजीनियरिंग कॉलेज, कई यूनिवर्सिटीज निकली हैं। डीटीयू वहां से निकला है, एनएसआईटी अब एनएसआईटी के बाद तो वहीं से ये पहले चलता रहा कई साल तक, 1998 तक। अब ये आदरणीय आदर्श जी की विधान सभा में, आपकी में भी दोनों की कॉमन विधान सभा क्षेत्र में 145 एकड़ ऑलमोस्ट कॉमन है, विधान सभाओं में 145 एकड़ में फैला हुआ एक इंस्टीट्यूट है और इसका इलैक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेशन, कम्प्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैन्यूफैक्चरिग और बहुत सारे ऑटोमोबाईल ये सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी इसकी पढ़ाई है, जो बहुत हाई लेवल की मानी जाती है और मच शॉट आफ्टर रहती है।

आज की तारीख में इसके पास एनएसआईटी में ग्रेजुएट लेवल पर 956 अंडर ग्रेजुएट में बच्चे एन्ट्री उसका इंटेक है हर साल। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर 159 और पीएचडी लेवल पर 30 स्टूडेंटस इसमें शामिल होते हैं। कुल मिलाकर अभी देखें तो वर्तमान में इसमें करीब साढ़े तीन-चार हजार बच्चों किसी एक समय में पढ़ रहे होते हैं। हमारी योजना इसको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रूप में एप्लीकेट करने की नहीं

है कि एक ओर इंजिनियरिंग यूनिवर्सिटी आ जाए या एक डुप्लीकेसी खड़े हो के हो जाए। हमारी योजना इसको एक बहुत बेहतरीन टैक्नोलॉजी इन्स्टीट्यूट बनाने की है, जहां रिसर्च भी होगी और इसमें करीब दस हजार बच्चे एक साथ पढ़ सकेंगे, तो अभी चार हजार क्षमता पे काम काम कर रहा है, ढ़ाई गुणा इसकी क्षमता, कुछ आने वाले फेजिज में हो जाएगी और इसके पास पर्याप्त जमीन भी है और इसके यूनिसर्विटी बनने के बाद, पूरे दिल्ली में इसके अलग-अलग कैंपसेज भी खोले जा सकते हैं, वो भी विचार है। तो इस तरह से, इसका सबसे बड़ा फायदा दिल्ली के लोगों को ये मिलेगा कि अभी वर्तमान में क्योंकि इसका 85 परसैंट का मैंडेट है, 85 परसैंट बच्चे इसमें दिल्ली के हो सकते हैं, दिल्ली के होंगे। तो दिल्ली के 12वीं क्लास करके आग आने वाले छात्रों के लिए जो इंजीनियरिंग में अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग या ओर इसके तमाम कोर्सिज में, उनको एक ओर एवैन्यूज मिलेंगे। उनके एवैन्यूज की संख्या ढ़ाई गुणा हो जाएगी, फेज वाइज में अगर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको समराइज करके पांच प्वाइंटस में रखूं तो हमारा विजन, इस एनएसयूटी को लेकर है कि ये एक एकैडमिक इन्सीट्यूशन बने जहां अपने बच्चे अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकें, ट्रेनिंग और रिसर्च का, इंजिनियरिंग का, टैक्नोलॉजी का, साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैनेजमैंट, मल्टीलेवल एंट्रीज इसमें हो सके, उसके एक अच्छे एकैडमिक इन्स्टीट्यूशन के रूप में आ सके; एक तो ये है। दूसरा, जो कोपरेटिव प्रोग्राम विद इंडस्ट्री आरएनडी ओर्गेनाइजेशनस है, रिसर्च है, इंडस्ट्री है, इन सबके साथ एक कोपरेटिव प्रोग्राम करने की फैसलिटी सैंटर के रूप में भी ये यूनिवर्सिटी डेवलप हो सके। दूसरा हमारा विजन इसको लेके ये है। तीसरा इसके साथ-साथ, अभी इंजिनियरिंग कॉलेजिज तो बहुत हैं देश में, लेकिन एक इन्टीग्रेशन विद मैनेजमैंट और डिजाइन इंजिनियरिंग के साथ में, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का मॉडल जो आगे बढ़ेगा, वो हब फॉर इंटीग्रेटिड कोर्सिज अंडरग्रेजुएट लेवल पर, पीजी लेवल पर, इंजीनियरिंग और मैनेजमैंट का, इंजीनियरिंग और डिजाइन इंजीनियरिंग और रिसर्च मैथोलोजी का, पूरी

काउंसलिंग और गाइडेंस के साथ में हम इसको डवलप कर सकें। तीसरा, इसको रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में इसको डेवलप करना है ताकि एडवांस लेब्रोटरिज सैंटर्स, टैक्नोलॉजी ट्रॉस्फर, इन सब पे काम हो के और चौथा इक्यूबेसन के लिए एक स्पॉट इन्सटीट्यूट के रूप में, सपोर्टिंग एजेंसी और हमने इसके प्रयोग एनएसआईटी में शुरू भी किए है, उसके इंक्युबेसन सैंटर्स की सफलता की जिक्र भारत सरकार के लेवल पे भी होता है, नीति आयोग में भी हुआ है कि एक सफल इंक्युबेसन पॉलिसी के साथ चल रहे है। तो जब ये यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो एक अच्छी एक सपोर्टिंग एजेंसी के रूप में, इस तरह से पांच प्वाइंटस पर विजन लेके चल रहे हैं, अच्छे एकेडमिक इन्स्टीटयूशन के रूप में, एक फैसलेटेटर एजेंसी के रूप में जो इंडस्ट्री और उन सबको फैसलेटेट कर सके रिसर्च को, इन्टीग्रेटिड लर्निंग हो सके, रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में हो सके और स्पॉट फॉर इंक्यूबेसन हो सके। तो मैं यही कहते हुए कि ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली की ओर यूनिवर्सिटीज हैं, अगर सैंटरल और स्टेट लेवल के इन्स्टीटयूशन्स को देखें तो दिल्ली इस मामले में सौभाग्यशाली है कि यहां पर आईआईटी जैसी संस्थाएं है, यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी बहुत नाम है, डीटीयू अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, जेएनयू, जामिया अपने आप में एक बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका दुनिया भर में नाम है। आईपीयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है देखते-देखते और उसका भी एक, उसके कई कॉलेजिज बहुत फेमस है, कई कोर्सिज बहुत फेमस है, एडीडीटीयू लड़कियों की एक बड़ी यूनिवर्सिटी गर्ल्स की, एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी, टैक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी दिल्ली के पास में है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में है, एनएसयूटी भी उसी क्रम में एक बड़ा, कह सकते हैं ए फीदर इन कैप ऑफ देहली, दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ा उपलब्धि होगी। तो मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खंड-2 से, खंड-57 विधेयक का अंग बने, यह प्रस्ताव सदन के सामने है, यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-2 से खंड-57 विधेयक का अंग बन गए।

अब प्रश्न है कि खंड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बने, यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गए।

अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 9 अगस्त, 2017 को सदन में पुर:स्थापित दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 वर्ष (2017 का विधेयक संख्या-4) को पारित किया जाए।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 9 अगस्त, 2017 को सदन में पुर:स्थापित दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017, वर्ष 2017 का विधेयक संख्या-4 को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक पास हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अब सदन की कार्यवाही 11 अगस्त, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही 11 अगस्त, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)